गुरूवार, 17 जुलाई 1980

26 आषाढ़ 1902 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 29, गुरुवार, 17 जुलाई, 1980/26 आषाढ़, 1902 (शक)

विषय

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 572 से 575, 577, 578, 580, 582 और 584	1–14
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 576, 579, 581, 583 और 585 से 590	14–21
अतारांकित प्रश्न संख्या 4527 से 4533, 4535 से 4562, 4564 से 4634 और 4636 से 4689	21–99
सदस्य की गिरफ्तारी :	
(श्री महमूद हसन खां)	99–100
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	100–101
सभा पटल पर रखे गये पत्र	101–103
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर बंगाल में सामाजिक तनाव तथा पृथक गोरखालैंड और उत्तराखंड की मांग से उत्पन्न गंभीर स्थिति का समाचार—	
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	104
श्री योगेन्द्र मकवाना	104–105
श्री नवल किशोर शर्मा	105–107
श्री जैनुल बशर	107–109
श्री धनिक लाल मंडल	109–111
नियम 377 के अधीन मामले—	
(एक) सेलम (तमिलनाडु) में एक नया रेलवे डिवीजन बनाने की आवश्यकता—	
श्री सी० पलानी अप्पन	111
(दो) गोंडा (उत्तर प्रदेश) स्थित वमनान शुगर मिल्स को ऋण दिया जाना—	
श्री आनन्द सिंह	111–112
(तीन) बंगलौर तथा कर्नाटक के अन्य भागों में सीमेंट उपलब्ध न होने का समाचार—	
श्री टी० आर० शमन्ना	112
(चार) बंगाल केमिकल एंड फर्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने के लिये विधान बनाने की आवश्यकता—	
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	112
(पांच) बलिया (उत्तर प्रदेश) के तारघर के कार्यकरण में सुधार करने के लिये अच्छी सेवायें देने की आवश्यकता—	
श्री जयपाल सिंह कश्यप	113
(छः) पटना शहर में हैजे की महामारी को रोकने के लिये उपाय करने की आवश्यकता—	
श्री रामावतार शास्त्री	113

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय

पृष्ठ

(सात) दिल्ली में लूटमार की घटनायें—

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 114

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1980-81—

कृषि मंत्रालय और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय—

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा 114–115

श्री चिरंजी लाल शर्मा 115–119

श्री सत्यनारायण जाटिया 119

श्री वीरेन्द्र सिंह राव 119–133

रक्षा मंत्रालय—

श्री राम विलास पासवान 133-139

श्री वी० एन० गाडगिल 139–144

श्री एच० के० एल० भगत 144–151

श्री इन्द्रजीत गुप्त 151–155

श्री राजेश पायलट] 155–158

श्री शिवराज वी० पाटिल 158–161

श्री हन्नान मोल्लाह 161–163

श्री आर० एस० सुरो 163–164

लोक सभा

गुरुवार, 17 जुलाई, 1980/26 आषाढ़, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

दक्षिण मध्य रेलवे जोन में वैगनों की कमी

*572. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे जोन में वैगनों की कमी है;

(ख) आंध्र प्रदेश से आमों के निर्यात हेतु कितने वैगनों की जरूरत है;

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितने वैगन उपलब्ध है,

(घ) क्या दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने आम-निर्यातकों तथा कृषिकों से इस बारे में चर्चा करने के लिए हाल ही में रेनीगुंटा में एक बैठक बुलाई थी; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां, कुछ सीमा तक।

(ख) चालू मौसम में अब तक आम के लदान के लिए लगभग 1420 माल डिब्बे पंजीकृत किये गये थे।

(ग) 15 जुलाई तक आम के लगभग 1350 माल डिब्बों का लदान किया गया।

(घ) और (ङ) जी हां। विभिन्न क्षेत्रों में इस मौसम के दौरान आम की ढुलाई के लिए अपेक्षित माल डिब्बों का निर्धारण करने के लिए मार्च, 1980 में एक प्रारम्भिक बैठक हुई थी और अपेक्षित माल डिब्बों की संख्या उपलब्ध करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की गयी थी।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मन्त्री जी दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक को अनुदेश देंगे कि वह प्रतिवर्ष मार्च में आम उत्पादन जिलों में पड़ने वाले मंडलों के अधिकारियों की बैठक बुलाये ताकि वैगनों की मांग का अनुमान लगाया जा सके और अनुवर्ती कार्यवाही की जा सके ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस सम्बन्ध में अनुदेश पहले से मौजूद हैं। जैसा कि विवरण में बताया गया है, जब भी मौसम शुरू हो तो महाप्रबन्धक व्यापारियों की बैठक बुलायेगा और सभा को यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इस वर्ष आम उत्पादकों की सभी मांगे पूरी की गई हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या सरकार जागरी गुड़ के बारे में भी यही प्रक्रिया अपनायेगी ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इसके लिये मुझे अलग से सूचना चाहिये।

श्री एम० सत्यनारायण राव : क्या यह वैगनों की कमी के कारण है? यदि हां, तो आप अधिक वैगन बनाने के लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं ताकि आप न केवल आम उत्पादकों को ही वैगन सप्लाई कर सकें अपितु धान उत्पादकों तथा अन्य लोगों को भी सप्लाई कर सकें, क्योंकि न केवल आंध्र प्रदेश से ही इतनी अधिक मांग है अपितु अन्य राज्यों से भी है? इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का आपका विचार है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कुछ हद तक यह सच है कि वैगनों की कमी है। विशेष रूप से इस वर्ष कोयले, अनाज तथा पेट्रोलियम उत्पादकों की ढुलाई आदि के लिये रेलवे पर भारी बोझ पड़ा है। वैगन क्षमता बनाने का हमारा प्रयास जारी रहेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चित्तूर के प्रसिद्ध आमों की बम्बई तथा दिल्ली में भी भारी मांग है, क्या सरकार कोल्ड स्टोरेज वैगन उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ताकि आम खराबन हो और उनकी अधिक बिक्री हो सकें ?

श्री नारायण चौबे : क्या सरकार को पता है कि विभिन्न क्षेत्रों में अनेक वैगनें रोक दी जाती है और शालीमार, हावड़ा और अन्य स्थानों पर अनेक व्यापारियों द्वारा वैगन खाली नहीं की जाती ? क्या वैगनों की कमी का यह कारण है? वैगनों को समय पर खाली कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस प्रश्न का सदन के समक्ष प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। तथापि हमारा यह प्रयास है कि किसी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा वैगन रोकी न जाये। हम सदैव सतर्कता बरतते है ताकि वैगन रोकी न जायें। भारी जुर्माना लगाया जाता है। मेरे विचार से इस समय ऐसा कोई मामला नहीं है।

गैंगमैनों की संख्या में कमी

*573. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैंगमैनों के पदों में 12½ प्रतिशत की कटौती की गयी है, 10 प्रतिशत पिछले वर्ष से खाली रखें गये हैं और 10 प्रतिशत की और आगे कटौती के आदेश दिए गए है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों की संख्या में इतनी अधिक कमी करने के क्या कारण है जिसके कारण इस बेरोजगारी के गंभीर संकट के दौरान निर्धनतम वर्ग के श्रमिकों के लिये रोजगार के अवसर कम हों गये है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री ए० के० राय : इस बात को देखते हुए कि गैंगमैनों की सभी जगह छंटनी हो रही है, 'जी नहीं' का उत्तर सुनकर प्रसन्नता हुई है। गैंगमन समाज के अत्यन्त गरीब वर्ग के होते हैं। आमतौर पर वे गांवों के रहने वाले होते हैं और उनमें से अधिकांश हरिजन तथा आदिवासी होते हैं। वे काफी कठिन हालात में, धूप व वर्षा में काम करते हैं और उनके लिये किसी प्रकार की सुविधाओं की कोई गुंजाइश नहीं है — कोई क्वार्टर नहीं, पानी नहीं। उनकी पदोन्नति तथा उनके पदों को ऊंचा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। गत सरकार के काल में काफी जदोजहद के बाद हम उन्हें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतनमान तथा परियोजना दरें दिला पाये हैं। इसके विपरीत, जब कि हमने उन्हें वेतन की अच्छी दरें दी हैं, अब उनकी छंटनी की जा रही है। यद्यपि सरकार कागजों पर उसे स्वीकार नहीं कर रही है, तथापि रेलपथ के पंजीकृत किये जाने, लकड़ी के स्लीपर को कंक्रीट या इस्पात के स्लीपरों द्वारा बदले जाने, मशीनों आदि के प्रयोग किये जाने के फलस्वरुप विभिन्न स्थानों पर गैंगमैनों की संख्या में कमी की जा रही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि गत दो वर्षों में रेलों पर कुल कितने गैंगमैन थे, कितने सेवा निवृत किये गये और उनके स्थान पर कितने नये भर्ती किये गये ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय सदस्य ने उत्तर को सही रूप से नहीं समझा है। रेलवे सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम है जिसमें रोजगार की क्षमता बहुत अधिक है। रेलव का मुख्य उद्देश्य रोजगार देना है, किसी की छंटनी करना नहीं। कहीं भी छटनी का कोई मामला नहीं हुआ है। आधुनिकीकरण के प्रयासों के बावजूद जहां कही श्रमिकों की कमी किये जाने की सम्भावना है, वहां पर लगे श्रमिकों को अन्यत्र भेज दिया जाता है। गैंगमैनों की छंटनी का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : वह गत दो वर्षों में की गई गैंगमैनों की तुलनात्मक कमी जानना चाहते है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कमी की ही नहीं गई है। इसके विपरित 31-3-79 को 1,53,910 की स्वीकृत संख्या के मुकावले इस वर्ष 31-3-80 को स्वीकृत संख्या 1,59,565 है।

श्री ए० के० राय : ऐसा कहने का यह दूसरा तरीका है। वे उन्हें स्थायी बना रहे हैं और हमें आंकड़े दे रहे हैं। गैंगमैनों की संख्या क्या थी, कितने सेवानिवृत किये गये और कितने भर्ती किए गए ? मैं सीधी छंटनी की बात नहीं कर रहा, बल्कि कमी की बात कर रहा हूं। मान लिजीए प्रतिवर्ष 10,000 गैंगमैन सेवानिवृति होते है, तो क्या आप 10,000 गैंगमैनों की भर्ती कर रहे हैं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैंने कहा है कि छंटनी का प्रश्न ही नहीं है। जब कोई सेवानिवृत्त होता है तो उसके परिणामस्वरुप होने वाली जगह पर दूसरा ले लिया जाता है।

श्री ए० के० राय : गत दो महीनों में आसनसोल डिवीजन में 400 नैमित्तिक गैंगमेंनों की छंटनी की गई और वे डी० आर० एम० के समक्ष धरना दे रहे हैं। क्या आपको इसका पता है ? यदि हां, तो उनको वापस लेने के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : माननीय सदस्य एक विशिष्ट मामले के बारे में पूछ रहे हैं मुझे इसके बारे में पता नहीं है। यदि ऐसी कोई बात है, तो हम इसकी जांच करेंगे।

श्री ए० के० राय : श्री समर मुखर्जी इस मामले को पहले भी सभा में उठा चुके हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हम इस पर ध्यान देंगे और इसकी जांच करगें।

श्री रामवतार शास्त्री : रेलवे में सब से उपेक्षित और शोषित गैंगमैन है, और सब से महत्वपूर्ण काम भी वही करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आज भी बहुत से गैंगमैन बरसों तक काम करने के बावजूद कैजुअल मजदूर की श्रेणी में सड़ रहे हैं; यदि हां तो विभिन्न रेलवे जोनों में उनकी संख्या क्या है। अगर यह सूचना देने में कठिनाई है, तो पूरी रेलवे में उनकी संख्या क्या है? पंडित जी ने कई दफा कहा है कि वह तमाम कैजुअल लेबरर्ज को नियमित करेंगें। मैं यह जानना चाहता हूं कि कैजुअल गैंगमैन को नियमित करने के सिलसिले में क्या कार्यवाही की गई है।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : कैजुअल लेबरर्ज की संख्या तो मैं इस समय नहीं बता सकता हूं। माननीय सदस्य उसके लिए अलग नोटिस दें। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमारे यहां जो कैजुअल लेबरर्ज हैं, उनको जल्दी से जल्दी रेगुलराइज करना चाहिए। रेलवे बजट के संबंध में बात करते हुए मैंने कहा था कि हम उसकी चेष्टा कर रहें ह। एक तो यह है कि कैजूअल लेबर का फ़रदर रेक्रूटमेंट बन्द कर किया गया है, ताकि जितने कैजुअल लेबरर्ज हैं, उनको रेगुलराइज करने के बाद नया रेक्रूटमेंट हो। वे बरसों तक कैजुअल बने रहते हैं, यह मुनासिब बात नहीं है। एक स्टेप तो यह लिया गया है। दूसरा यह है कि हम यह बराबर रेगुलराइज करते चल रहें हैं और हमने इस का प्रयास किया है कि रेगुलराइज़ेशन की जो प्रक्रिया चल रही है वह बहुत जल्दी से जल्दी पूरी की जाय और जितना कैजुअल लेबर है जिन क लिए रूल भी बना हुआ है कि चार महीने अगर वह काम कर ले तो फिर वह रेगुलर कर दिया जाय, इस विषय पर हम लोग विचार कर रहें हैं और बहुत शीघ्र ही इस का फैसला कर लेंगें।

सऊदी अरब में भारतीयों की स्थिति

574† श्री चिरंजी लाल शर्मा :

श्री शान्ताराम पोटदुखे :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 जून, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारतीयों को रियाद में सड़कों पर, गलियों में झाड़ू लगाने और घर-घर जाकर कूड़ा उठाने जैसी घटियां नौकरियों के लिए भर्ती किया जाता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे भारतीय राष्ट्रीको को देश में वापस लाने और यह सुनिश्चित करने का है कि दूसरे देश गरीबी से पिड़ीत भारतीयों का शोषण न करें; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : उच्चतम न्यायालय के 20 मार्च, 1979 के एक आदेश के अनुसार किसी भी भारतीय राष्ट्रिक को, जिसने विदेशी नियोक्ता के यहां नियोजन प्राप्त करने की संविदा की एक प्रामाणिक प्रति उत्प्रवासी-संरक्षक के यहां जमा कर दी हो, उत्प्रवासन की अनुमति सहज ही दे दी जाती है, सिवाय उन परिस्थितियों के जो उक्त आदेश में बताई गई हैं। इस आदेश में विदेशी नियोजन की कोई ऐसी न्यूनतम शर्तें निर्धारित नहीं की गई हैं कि जिनको पूरा किए बिना उत्प्रवासन की इजाजत ही न दी जा सकती हो और न इसमें भारतीय राष्ट्रिकों के उत्प्रवासन पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे विदेश में नौकर-चाकर का कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा काम करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों को भारत वापस लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय नियोक्ता अपने भारतीय कर्मचारियों के प्रति अपने संविदागत दायित्वों को पूरा करें। उत्प्रवासन के विषय में नया कानून बनाने से संबद्ध प्रस्ताव सरकार में इस समय उच्च स्तर पर विचाराधीन है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी है कि भारत से उत्प्रवासन के इच्छुक लोगों के नियोजन के वर्गों और शर्तों के बारे में उचित विनियम बनाया जा सके।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं जानना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय इसमें कहां से आ गया ? आदेश का ब्यौरा क्या है और उस से क्या प्रभाव पड़ेगा ? उच्चतम न्यायालय इस मामले से किस अवस्था में सम्बद्ध हुआ ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश उसके सामने गये एक मामले में जारी किया। इसमें पक्षकार हैं मैसर्ज लाम्बा ट्रैवल्स बनाम भारत संघ इत्यादि। मैं समझता हूं कि इस आदेश की प्रति सभा-पटल पर पहले रखी जा चुकी है। यदि आप चाहें तो मैं इसको फिर सभा-पटल पर रख सकता हूं। इसकी प्रति 1979 में सभा पटल पर रखी गई थी।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या भारतीय लोगों द्वारा विदेश में नौकरी के लिए किये गये संविदाओं की भारत सरकार द्वारा यहां पड़ताल कर लेने के बाद ही उन्हें विदेश जाने की अनुमति दी जाती है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आदेश के अनुसार विदेश में नौकरी के लिए जाने वाले व्यक्ति को विदेशी नियोजक से प्राप्त नियोजन व संविदा की एक प्रामाणिक प्रतिपेश करनी होती है। ऐसा करने के पश्चात वह विदेश जाने के लिए स्वतंत्र होता है।

श्री शान्ताराम पोटदुखे : मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इस विषय पर वह एक कानून लाने जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह कानून कब तक लाया जायेगा ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मुझे आशा है कि अगले सत्र में मैं उसे पुरःस्थापित कर दूंगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, भारतीय श्रमिक को विदशों में विशेष कर खाड़ी देशों में बहुत कम वेतन मिलता है और वहां उसका शोषण किया जाता है तथा उसके साथ भेद भाव बरता जाता है। ऐसा ज्यादातर भारत में बहुत से बेईमान भरती एजंटों तथा उन खाड़ी देशों में बहुत सारे बेईमान नियोजकों की वजह से है। मैं आपके माध्यम से इस सभा को यह बताना चाहता हूं— मंत्री महोदय को इसकी जानकारी है और उन्होंने इस मामल में काफी रुचि ली है कि बम्बई तथा दिल्ली जैसे मुख्य भरती केन्द्रों में कुछ हजार रुपयों में ही काम के परमिट बेचे गए हैं। इसको देखते हुए इन बेईमान भर्ती एजेन्टों को धर दबोचने के लिए तथा साथ ही उन खाड़ी देशों में हमारे मिशनों तथा दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए ताकि वे वहां काम करने वाले हमारे श्रमिकों के हितों की और अच्छी तरह से रक्षा कर सकें, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इस सभा में अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय मैं इस सम्भावित कानून के सम्बन्ध में कुछ ब्यौरा पहले ही दे चुका हूं। उस के अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं बता सकता—क्योंकि अभी वह विचाराधीन ही है। अभी उसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि उसको जल्द ही पुरःस्थापित किया जायेगा और जब यह विधेयक सभा के समक्ष आ जायगा, उस समय मुझे माननीय सदस्यों के सुझाव पाकर बड़ी खुशी होगी। सभी सम्बद्ध जनों और विशेषकर खुद श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो भी उचित और आवश्यक समझा जाएगा वह विधायी कार्यवाही की सीमा में रहते हुए ही किया जा सकेगा।

श्री निरेन घोष : खाड़ी देशों में इन श्रमिकों के साथ किये जा रहे तिरस्कार पूर्ण व्यवहार की कई खबरें समाचार पत्रों में छपी हैं। हमारे दूतावासों को इसका पता है और इस विषय में वे नियमित रूप से रिपोर्टें भेज रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन लोगों को किस-किस तरह के अपमानजनक व्यवहार को सहन करना पड़ता है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जी, हां। हमारे दूतावास वहां के प्राधिकारियों से नियमित रूप से सम्पर्क बनाय हुए है और जब कभी ऐसा कोई मामला उठता है वे सभी सम्भव सहायता देते है।

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कुछ दिन पहले विदेश मंत्री जी को शिकायत की थी कि राजस्थान में सीकर जिले से 34 व्यक्तियों को एक एजन्ट फुसलाकर दुबई ले गया, उनसे सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक काम लिया जाता है। चार-पांच आदमियों के हाथ तोड़ दिए गए हैं, उनकी हालत खस्ता हो गई है, एक कमरे में उनको बन्द किया जाता है, उनको बाहर आने नहीं दिया जाता है और न किसी से मिलने दिया जाता है। उनमें से केवल 10 आदमी भागकर आए हैं, उनके लेटर्स मैं ने पेश किए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं उन आदमियों के लिए आपने क्या कार्यवाही की है ? क्या उनके साथ इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार और अमानवीय अत्याचार हो रहा है उसके लिए विदेश मंत्रालय कार्यवाही करेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आप का पत्र मिलते ही मैंने तुरन्त उसे हमारे अम्बेसेडर के पास भेज दिया है। उन्होंने कार्यवाही शुरू की है, उनके पास से रिपोर्ट आने वाली है। हम आपको पूरी सूचना देंगे जितनी भी जल्दी हो सकेगा।

कुलियों के बैज नम्बरों का अन्तरण

*575 श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन पर लाइसेन्स प्राप्त कुली भारी मुनाफा कमा अपने लाइसेन्सों को अपने जाली रिश्तदारों (साले, बहनोई आदि) को अन्तरित कर देते हैं और इसके लिए वे झूठे शपथ-पत्र भरते है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के अधीक्षक के साथ एक बैठक में यह स्वीकार किया गया था कि कुलियों के लाइसेन्स बैज अवैध रूप से 5000 रुपये में बेचे जा रहे हैं, और यदि हां, तो उक्त बैठक की कार्यवाही सारांश का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भारी मुनाफा देकर उक्त बैज नम्बर खरीदने वाले कुली यात्रियों से प्रति फेरी 10 रुपये वसूल करके यात्रियो को परेशान करते हैं; और

(घ) उक्त भ्रष्टाचार का समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और क्या रेलवे कुलियों, खोमचे वालों तथा बैरों के राष्ट्रीय संघ ने भी रेल अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) आंशिक दृष्टि से गलत शपथ पत्रों पर लाइसेन्स-धारी भारिकों के बैजों को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) 19-12-77 और 21-1-1978 को स्टेशन अधिक्षक, दिल्ली द्वारा आयोजित बैठकों में यह मामला उत्तरीय रेलवे मजदूर यूनियन ने उठाया था। लेकिन आरोप को स्वीकार नहीं किया गया।

(ग) प्रत्यक्ष रूप से तथा बैजों के हस्तान्तरण के द्वारा नियुक्त लाइसेन्सधारी भारिकों द्वारा अधिक प्रभार लेने क सम्बन्ध में कुछ शिकायते मिली है। सम्बन्धित लाइसेन्सधारी भारिकों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी है।

(घ) गलत हलफनामें पर बैजों के हस्तान्तरण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) तीन अधिकारियों की जांच समिति नामिती के साथ जिरह करने के बाद हलफनामे को स्वीकार करती है,

(2) हलफनामें के अतिरिक्त, नामिती के गांव के सरपंच से रिश्तेदारी के सम्बन्ध में विधिवत स्टाम्पित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर भी बल दिया जाता है।

(3) गलत हलफनामें की विशिष्ट शिकायतों की रिपोर्ट सिविल प्राधिकारियों और केन्द्रीय जांच ब्यूरों को की जाती है, और

(4) उन पांच लाइसेन्सधारी भारिकों के लाइसेन्स रद्द करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिनके मामलें जांच करने पर प्रत्यक्षतः गलत हलफनामे पाये गये।

जी, हां, नेशनल फेडरेशन आफ रेलवे पोर्टर्स, वेंडर्स और बियरर्स द्वारा यह मामला प्रशासन के ध्यान में लाया गया है।

श्रीमती ऊषा वर्मा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच है कि पोर्टर लाइसेन्स देने में काफी भ्रष्टाचार होता है और इसके मूल में देरी ही कारण है? क्या सरकार पोर्टर लाइसेन्स देने के बारे में कोई निश्चित अवधि तय करने पर विचार करेगी ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है, अगर कोई आयेगी तो हम उसको देखेंगे।

श्रीमती ऊषा वर्मा : क्या पोर्टर्स फेडरेशन ने भी इस बारे में शिकायत की है, यदि की है तो उनकी शिकायत के मुद्दे क्या हैं और सरकार की उस के बारें में क्या प्रतिक्रिया है?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : फेडरशवालों ने शिकायत की है और इसके बारे में हमने कदम उठाये हैं। एक स्क्रीनिंग कमटी बनाई है, जिसके जरिये एफिडेविट दखा जाएगा और उसके अलावा सरपंच के सर्टिफिकेट की भी हमने मांग की है। उनकी जो भी शिकायतें होंगी, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि गत कुछ दिनों से, खासकर नई दिल्ली स्टेशन पर, बिना ला.इसेन्स के जो भारवाहक हैं, उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है? क्या इसका कारण यह नहीं है कि ला.इसेन्सधारियों की संख्या घटा दी गई है ? जितनी वहां जरूरत है, उतने ला.इसेन्सधारी भारवाहक नहीं है। क्या इस दिशा में मंत्री जी ध्यान देंगे कि वास्तव में जितनी जरूरत हैं, उतने लाइसेन्स पोर्टर्स वहां बहाल किए जाएं?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है, जैसी की माननीय सदस्य ने हमारा ध्यान उस तरफ खींचा है, फिर भी इस बात की जानकारी की जाएगी। हमने कभी पोर्टर्स को घटाने की कोशिश नहीं की है, बढ़ाने की ही कोशिश की है।

श्री रतनसिंह राजदा : अध्यक्ष महोदय, लाइसेन्स पोर्टर्स की शिकायतों के बारे में काफी कन्फ्यूजन पैदा हुए हैं और कुछ शिकायतें लाइसेन्सड पोर्टर्स ने भी की है। पब्लिक की तकलीफों को मिटाने के लिए क्या रेलवे मंत्रालय इस प्रयोजन पर विचार करेगा कि सब लाइसेन्सड पोर्टर्स को रेलवे सर्वेन्टस बनाया जाए?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात रेलवे एडमिमिस्ट्रेशन के सामने नहीं है। ये लोग रेलवे सर्वेन्टस में नहीं आते हैं। लेकिन इनकी जो कठिनाइयां है, उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमेशा रेलवे इडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी सहायता की है।

श्री रतनसिंह राजदा : मेरा सवाल यह है कि पब्लिक की जो तकलीफें हैं, उनको दूर करने के लिए क्या आप उनको गवर्मेन्ट सर्वेन्ट बना लेंग, ताकि यह समस्या दूर हो सके?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यह विचार करने के लिए एक सुझाव है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, कहीं कहीं स्टेशनों पर कुलियों की संख्या बहुत ज्यादा है और कहीं कहीं पर बहुत कम है। कुलियों के अतिरिक्त कुछ पोर्टर-टाइप के लोग भी हैं, जो माल गोदामों से माल ढोते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे पोर्टर जो माल ढोते हैं, क्या वे भी कुली हैं? क्या कुलियों के लिए कोई नियम बनाए गए हैं? उनके माल वगैरेह ढोने का क्या रेट है और किस ढंग से उनका रेट तय है?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, जो पोर्टर्स स्टेशन पर काम करते हैं, वे लाइसेन्सड पोर्टर्स होते हैं। बगैर ला.इसेन्स के वहां किसी पोर्टर को काम करने की इजाजत नहीं मिलती हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुली और लाइसेन्सड पोर्टर्स में क्या अन्तर है?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जो ला.इसेन्स पोर्टर्स होते हैं, वे नियम के अनुसार स्टेशनों पर काम करते हैं, उन लाइसेन्स पोर्टर्स की सुविधाओं के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा काफी सहायता दी है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लाल कपड़ा पहनकर माल वगैरेह, अटैची आदि ले जाने वाले और जो बोरा वगैरेह, गोदामों से ढोते हैं—इन दोनों कुलियों के बीच में अन्तर क्या है और उनका रेट किस नियम के मुताबिक तय है तथा मंत्रालय ने कोई रेट तय किया है?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जो प्लेटफार्म पर पैसेन्जर्स का सामान ढोते हैं, वे ला.इसेन्सड पोर्टर्स होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : दूसरे का क्या है?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : वे पोर्टर्स नहीं हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि पोर्टर्स के लिए क्या कोई एज लिमिट है। क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि 10–15 वर्ष के बच्चे स्कूल गोइंग-चिल्ड्रेन, रेलवे स्टेशन पर बिना लाइसेन्स के पोर्टर्स का काम करते हैं?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है।

श्रीमती कृष्णा साही : वे हमारा सामान उठाकर लाते हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि उन को मालूम नहीं है। पचासों लड़के ऐसा काम करते हैं।

श्री सी० के० शाफर शरीफ : प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है। यदि कोई विशिष्ट मामला बताया जाता है, तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री रामनगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, इस सभ्य युग में विदेशों में भी कुली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस सभ्य युग में जब हर आदमी अपने को समाजवादी कहता है, तो वह किसी को अपना नौकर नहीं बनाना चाहता है। कुली शब्द से ऐसी भावना व्यक्त होती है कि वह कोई निम्न कोटि का व्यक्ति है। क्या कुली शब्द को बदल कर सहयोगी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : इस सुझाव पर विचार किया जायेगा।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : हम किसी को कुली नहीं कहते हैं, हमारे यहां तो पोर्टर कहा जाता है और पोर्टर पोर्टर ही है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि उनको सहयोगी बना दिया जाय, तो इस पर विचार कर लेंगे।

गुजरात में रेल लाइन

*577. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में अगले पांच वर्षों में कितनी रेल-लाइनें बिछाने का प्रस्ताव है ;

(ख) पश्चिमी क्षेत्र में उस घोषित पिछड़े क्षेत्र का नाम क्या है जिसे रेल द्वारा जोड़ा जायगा; और

(ग) इस बारे में सर्वेक्षण कब किये जाने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (ग) आगामी पांच वर्षों में गुजरात राज्य में निम्नलिखित रेल लाइनें बिछाये जाने का प्रस्ताव है :—

(1) नडियाद–कपड़वंज–मोडासा बड़ी लाइन–निर्माणाधीन,

(2) मोडासा–शामलाजी रोड बड़ी लाइन–सर्वेक्षणाधीन, और

(3) गांधीधाम–भुज–लखपत बड़ी लाइन–सर्वेक्षणाधीन।

उपर्युक्त मद (1) और (2) गुजरात के आदिवासी क्षेत्र में हैं। जहां तक मद (3) का संबंध है, यह कच्छ क्षेत्र में है। यह भी पिछड़ा क्षेत्र है।

मद (2) का सर्वेक्षण-कार्य हो रहा है और रिपोर्ट के शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की आशा है। मद (3) को 1980-81 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है और शीघ्र ही इसका सर्वेक्षण-कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

श्री अमर सिंह वी० राठवा : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अगले पांच सालों में गुजरात में जो काम किया जाना है, उस के बारे में बताया है। हमारे यहां बड़ौदा जिले और भड़ोच के नजदीक नर्मदा योजना बन रही है, वहां पर माल पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस समय बड़ौदा से छोटा-उदयपुर नैरो-गेज लाइन है जो आदिवासी क्षेत्र से गुजरती है, इसी तरह से भड़ोच से राजपीपला लाइन है—इन को भी शीघ्र ब्राड गेज में बदला जाना चाहिये। क्या आप के पास इन लाइनों को ब्राड-गेज में बदलने की कोई योजना है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : गुजरात राज्य में अगले पांच वर्षों के लिए रेलवे लाइनों के निम्नलिखित प्रस्ताव है: नड़ियाद कपड़वंज–मोडासा ब्राडगेज लाइन निर्माणाधीन है; मोडासा शामलाजी रोड ब्राड गेज लाइन का सर्वेक्षण किया जा रहा है और गांधी धाम–भुज–लखपत ब्राडगेज लाईन का सर्वेक्षण चल रहा है। प्रथम दो लाईनें गुजरात के जन जातीय क्षत्र में आती है और जब तक तीसरी का संबंध है, वह कच्छ क्षेत्र में आती है। यह क्षेत्र का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मद संख्या "छ" यह सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है और आशा है कि रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त हो जायेगी। जहां तक मद संख्या 3 का संबंध है, इसको 1980–81 के रेल बजेट में स्वीकृति दे दी गई है और सर्वेक्षण कार्य शीघ्र ही शुरु किया जायेगा।

श्री अमर सिंह वी० राठवा : मैंने जो प्रश्न पूछा था, उसका जवाब नहीं आया। मैंने पूछा था कि बडोदा से छोटा-उदयपुर एक नैरो गेज लाईन है और उस को ब्रोड गेज में बदलने की पांच साल से मांग है। वहां पर नर्मदा योजना है। इसलिए वहां पर माल पहुंचाने में तकलीफ़ होती है और दूसरे मैंने पूछा था कि भरौच से राजपीपाला की जो नैरो-गेज लाइन है, उस को ब्रोड गेज में बदलन की कोई योजना आप के पास है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : ऐसा प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है। यह राज्य सरकार तथा योजता आयोग के साथ हमारी चर्चा पर निर्भर करेगा। आज जो स्थिति है, उसके अनुसार यह प्रस्ताव हमारे सामने नहीं है।

श्री हीरालाल आर० परमार : मैं माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर गुजरात से राजस्थान रेल रास्ता बहुत छोटा बनाने के लिए पिछले 20 साल से इस सदन में सतत मांग चली हुई है लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य

नहीं हुआ है। कांसा से भीलड़ी का भाग 15 किलोमीटर का है। उस के लिए क्या सरकार ने कुछ सोचा है। इसी तरह से राधनपुर से हारीज तक लाइन बनाने के लिए क्या सरकार ने कुछ सोचा है। हमारी जो यह मांग है उस को ठुकराया जाता और उस को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में हमें आन्दोलन करना पड़ेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : माननीय, जो ये चाहते हैं, उस को लिख कर भेज दें, मैं उस पर गंभीरता से विचार करूंगा, कोई आन्दोलन करने की जरूरत नहीं है।

श्री रतनसिंह राजदा : सरकार यह घोषणा पहले ही कर चुकी है कि विरमगांव से ओखा रेल लाईन को मीटर गेज से बदलकर ब्राड गेज में परिवर्तित किया जाएगा। इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैं समझता हूं कि विरमगांव से हप्पा तक कार्य पूरा हो गया है और इससे आगे का कार्य चालू है। इसका उद्घाटन सुविधाजनक समय पर शीघ्र ही होगा।

भारतीय डाक्टरों के बारे में बहुराष्ट्रीय अध्ययन

*578. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संघठन द्वारा किए गए बहुराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार भारत में आवश्यकता से अधिक लोग डाक्टर बन रहे हैं और वहां आवश्यकता से 80,000 डाक्टर अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) भारत में एक व्यक्ति को डाक्टर बनाने में सरकार को कितना खर्च करना पड़ता है ; और

(घ) देश की चिकित्सा प्रतिभा को विदेशों में जाने से रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, कथित अध्ययन ने यह विचार व्यक्त किया है।

(ख) सरकार ने अभी इस रिपोर्ट की पूर्ण रूप से जांच करनी है।

(ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो ने जून, 1977 तथा मार्च/अप्रैल, 1978 में क्रमशः मेडिकल कालेज, शिमला तथा जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पाण्डिचेरी का प्रारम्भिक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के अनुसार उक्त कालेजो द्वारा किये गये खर्च के आधार पर शिमला तथा पाण्डिचेरी में प्रति चिकित्सा स्नातक पर क्रमशः 82,156 रुपये / 1,35,159 रुपये खर्च आये।

(घ) चिकित्सा प्रतिभा को विदेशों में जाने से रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये है :—

(1) उच्च शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने वाले चिकित्सा स्नातकों पर प्रतिबन्ध लगाना,

(2) लोक सेवा आयोगों की शिफारिशों पर विशेष रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की अग्रिम वेतन वृद्धियां देना,

(3) डाक्टरों की विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात डाक्टरों की सेवा शर्तों में सुधार करना,

(4) चिकित्सा शिक्षा को समाज की आवश्यकता के अनुरूप बनाना जिसमें स्वास्थ्य परिचर्या के रोग निवारक, स्वास्थ्य संवर्धक, उपचारात्मक तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी पहलुओं पर जोर दिया गया हो ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिए अधिक से अधिक डाक्टरों को आकृष्ट किया जा सके, तथा

(5) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित सदस्यता परीक्षाएं लेना जो एफ० आर० सी० एस०, एम० आर० सी० पी० आदि जैसे विदेशी अर्हताओं के समान हों।

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या यह स्तम्भित करनेवाली और दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है कि जबकि इस देश के हजारों गावों तक अभी पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं पहुंचायी जानी है, ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि देश के वर्तमान चिकित्सा ढांचे के हिसाब से देश में 80,000 डाक्टर अतिरिक्त हैं। प्रत्येक डाक्टर पर राजकोष से लगभग 1 से 1½ लाख रुपये खर्च किये जाते हैं। इन परिस्थितियों में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उनका मंत्रालय कोई ऐसे आपातकालीन उपाय कर रहा है कि देश में उपलब्ध इन अतिरिक्त डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा सके ताकि चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में जो अत्यधिक असंतुलन बना हुआ है उसे दूर किया जा सके।

श्री निहार रंजन लास्कर : स्वास्थ्य कार्मिकों के बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में चले जाने सम्बन्धी जटिलताओं के सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य-राज्यों ने अपने विचार प्रकट किये थे और इस सम्बन्ध में एक अध्ययन करने का संकल्प भी किया गया था। उसी अध्ययन के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1979 में उपरोक्त रिपोर्ट प्रकाशित की थी जो कि मंत्रालय को जून 1980 में प्राप्त हुई है। मैंने पहले ही बताया है कि यह काफी बड़ी रिपोर्ट है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसका अध्ययन करने में अभी कुछ और समय लगेगा।

श्री एस० एम० कृष्ण : मेरा विचार है कि ऐसी रिपोर्ट को जिसमें चौंका देने वाली बातें कही गई हैं, भारत सरकार को मंत्री महोदय द्वारा दिखायी गई गम्भीरता से कुछ अधिक गम्भीरता से लेना चाहिए था। मेरा अभिप्राय मंत्री महोदय की आलोचना करना नहीं है। वह मेरे अच्छे मित्र हैं। फिर भी यह सभा यह कहे बिना नहीं रह सकती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश में जो बेरोजगार डाक्टर हैं और जो सुलभता से उपलब्ध हैं उन्हें गावों में भेजने के लिए नियुक्त किया जाए ताकि वे लोग जिन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है....

अध्यक्ष महोदय : सुझाव देने के बजाय आप प्रश्न के रूप में इसे प्रस्तुत कीजिए।

शिक्षा और स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : यह सच है कि ग्रामीण लोगों को अधिक चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है किन्तु दुर्भाग्य से, मेडीकल कालेजों से निकलने के बाद डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं। यह बात इस सभा को भी मालूम है...

अनेक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री बी० शंकरानंद : इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।

अनेक माननीय सदस्य : फिर कौन जिम्मेदार है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। उन्हें अपनी बात कहने दीजिये।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है.....

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : मैं माननीय सदस्यों को यह सुझाव नहीं दे सकता कि वे डाक्टरों से स्वयं पूछ लें। मैं यह कैसे सुझाव दे सकता हूँ ? किन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अत्यंत उत्सुक है। मैं माननीय सदस्यों के इस निष्कर्ष से सहमत हूँ कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाए।

श्री एस० एम० कृष्ण : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि ....

इसी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारतीय चिकित्सा परिषद दूसरा जो मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं वे अधिकांशतः हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होते हैं। इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार हमारी डाक्टरी शिक्षा के पाठ्यक्रमों, मानदण्डों और उससे सम्बन्धित अन्य अनेक बातों पर पुनर्विचार करने की सम्भावना पर गम्भीरता से विचार करेगी ?

श्री बी० शंकरानंद : यह कार्यवाही के लिये एक सुझाव है।

डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी : किन्तु क्या आप इसे क्रियान्वित करेंगे भी?

श्री पी० एम० सईद : महोदय, इस देश में डाक्टरी शिक्षा व्यापार बन चुकी है। इस देश में एक डाक्टर की शिक्षा पर सरकार का 1.5 लाख रुपया खर्च होता है। एक डाक्टर को शादी के समय दुगना दहेज मिलता है। संस्था और स्वयं डाक्टर इस लेन-देन में लगे हुए है। सरकार प्रति वर्ष और अधिक मेडीकल कालेज खोलने की अनुमति दे रही है। उनके अपने राज्य कर्नाटक में ही स्वयं सरकार ने गैर सरकारी संस्थाओं को एक-एक स्थान के लिए 1.5 लाख रुपये तक दान देने की अनुमति दे दी है।

महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस देश में दी जानेवाली डाक्टरी शिक्षा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस पहलू को ध्यान में रखा जायेगा ?

श्री निहार रंजन लास्कर : इस रिपोर्ट की एक मुख्य बात यह है कि....मैं सदस्यों के लाभ के लिए इसे पढ देता हूं:

"डाक्टरों का प्रव्रजन इस लिए सरल रहा है क्योंकि भारत में डाक्टरी शिक्षा प्रणाली नगरीय समस्याओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है तथा रोग हो जाने पर उसे दूर करने की पद्धति पर आधारित है। इसे विकसित देशों के शिक्षा-ढांचे पर तैयार किया गया है। इस प्रकार इस से जो डाक्टर प्रशिक्षित होते हैं वे राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के स्थान पर विकसित देशों में काम करने के उपयुक्त होते हैं....

फलस्वरूप, सरकार यह महसूस करती है कि सम्पूर्ण समस्या का नये सिरे से अध्ययन करना और इस उत्प्रवास से संबंधित उपचारी उपाय करना आवश्यक हो गया है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : मंत्री महोदय ने डाक्टरों के रूरल एरियाज में भेजे जाने के सम्बन्ध में जो केज्युअल तरीके से जवाब दिया है उसको सुन कर मुझे दुख हुआ है। 75 परसेंट आबादी गावों में बसती है। क्या उसकी हैल्थ की जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है ? क्या मंत्री महोदय एश्योर करेंगे कि गावों में लोगों को पूरी हैल्थ फैसिलिटीज दी जाएंगी ? मेडीकल कालेजिज में जब एडमिशन दिया जाता है तब क्या एक यह कंडिशन भी लगाई जाएगी कि डाक्टर बनने के बाद उनको पहले पहल तीन चार साल के लिए गांवों में जा कर सर्व करना होगा और उसके बाद उन्हें शहरों में सर्व करने का मौका दिया जाएगा ?

श्री निहार रंजन लास्कर : माननीय सदस्य ने यह एक अत्यंत मूल्यवान सुझाव दिया है।

श्री दौलत राम सारण : एक बहुत ही खतरनाक सुझाव दिया गया है। यह कहा गया है कि डाक्टर बनने के बाद वे लोग तीन साल गांवों में काम करें। जब अनुभवहीन होते हैं उस वक्त तो अनुभव प्राप्त करने के लिए उनको गांवों में भेज दिया जाए और जब उनको अनुभव प्राप्त हो जाए तो उनको शहरों में ले आया जाए तो यह एक बहुत खतरनाक बात होगी। क्या सरकार किसी भी डाक्टर को पहले तीन साल तक गांवों के अस्पतालों में नहीं भेजे जाने के बारे में निर्णय करेगी और केवल अनुभवी डाक्टरों को ही गांवों में भेजने की व्यवस्था करेगी?

श्री निहार रंजन लास्कर : जसा कि पहले कहा है, यह एक अच्छा सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे।

श्री नारायण चौबे : पहले जब एक माननीय सदस्य ने कहा कि डाक्टरों को पहले गांवों में भेजा जाना चाहिए तो मंत्री महोदय ने कहा कि वह एक अच्छा सुझाव है। जब एक अन्य माननीय सदस्य ने कहा कि गांवों में भेजे जाने से पहले उन्हें नगरों में प्रशिक्षण दिया जाए तो मंत्री महोदय ने उसे भी अच्छा सुझाव माना। दोनों सुझाव बुद्धिमतापूर्ण और अच्छे कैसे हो सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती दंडवते।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : मेडीकल कालेजों में प्रवेश पाने के लिए कितनी कैपिटेशन फी ली जाती है ? क्या यह भी एक कारण नहीं है कि उनको गांवों में जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है? क्या यह भी सही नहीं है कि मंत्री महोदय के होम टाउन में एक लाख रुपए कैपिटेशन फी दाखिला पाने के लिए ली जाती है? ऐसी अवस्था में कैसे वह आशा करते हैं कि डाक्टर गांवों में जा कर काम करेंगे ?

प्राइमरी हैल्थ सैंटर जो हैं वहां पर न तो दवाएं रहती हैं और न कुछ और साधन। इंजैक्शन, ए पी सी देने के लिए गांवों में डाक्टरों की जरूरत नहीं है। ऐसी अवस्था में बेअर फुट डाक्टरों की जो स्कीम थी, उसको सुधार करके उसको चालू करने पर आप विचार करेंगे ?

श्री वी० शंकरानंद : यद्यपि माननीय सदस्या द्वारा पूछा गया प्रश्न मुख्य प्रश्न से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि मैंने सभी राज्यों को लिख दिया है कि कैपिटेशन फी बंद कर दी जानी चाहिए। जहां तक किन्हीं कालेजो द्वारा कैपिटेशन फी लेने का संबंध है, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। यह बात समाचार पत्रों में भी आई है। उन्होंने इसे विज्ञापित किया है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम इसका अनुमोदन करते हैं। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर पहले ही काफी समय लग चुका है। अगला प्रश्न 580 श्री कृष्ण दत्त।

केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में आग लगना

*580 श्री कृष्ण दत्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरुप कितनी क्षति हुई और आग से कितने मूल्य की औषधियां नष्ट हो गई ;

(ग) आग लगने के कारण क्या थे; और

(घ) क्या देश में हाइड्रोफोबिया रोगियों के लिये टीकों की कमी है और यदि हां, तो कसौली का अनुसंधान संस्थान कब तक अधिक औषधियां बनाने लगेगा?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां। 16 जून, 1980 को केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली के स्टोर भवन में आग लग गई थी।

(ख) इस आग में कोई वैक्सीन/सीरा (औषधियां) नष्ट नहीं हुई थीं। अन्य सामान की हानि का अनुमान लगाया जा रहा है।

(ग) आग लगने के कारणों की छानबीन की जा रही है।

(घ) मनुष्य के इस्तेमाल के लिये अलर्क रोधी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। इस आग से अलर्क रोधी वैक्सीन के निर्माण अथवा सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा।

श्री कृष्ण दत्त : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कौनसी एजेंसी के द्वारा इन्कवायरी कराई जा रही है और उसमें बिल्डिंग का कितना भारी नुकसान हुआ ? क्या यह ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को वहा से दवाई नही दी जा रही है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हुं कि एक जांच कमेटी इस मामले की जांच कर रही है जिसमें केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के निदेशक तथा उपनिदेशक (प्रशासन) शामिल हैं। गोदाम निचली मंजिल और पहली मंजिल दोनों पर स्थित है। आग पहली मंजिल पर लगी थी। आग से कितनी हानि हुई है उसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री कृष्ण दत्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि सी० बी० आई० या पुलिस के द्वारा इसकी इन्क्वायरी करें ? इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है।

श्री निहार रंजन लास्कर : जो जांच कमेटी बनाई गई है वह इसकी जांच करने के लिये सक्षम है। इसके लिये सी० बी० आई० द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं है।

डॉ० कर्ण सिंह : महोदय, प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि इस आग से पागल कुत्ते के काटे की दवा (एण्टीरेबीज वैक्सिन) खराब नहीं हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में पागल कुत्ते के काटे की दवा की कमी नहीं है। यह जानकारी सामान्य रुप से सही नहीं है। यह बात विश्वास के योग्य है कि देश के कई भागों में कुत्ते के काटे की दवा की कमी है और कुत्ते के काटे से मरने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। क्या माननीय मंत्री सदन को यह बतायेंगे कि भारत में इस समय कुत्ते के काटे की दवा की सप्लाई की स्थिति वस्तुतः कैसी है तथा क्या वह देश की मांग को पूरा कर सकती है अथवा नहीं ?

शिक्षण तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : माननीय सदस्य को मुख्य प्रश्न की ओर ध्यान देना चाहिये। प्रश्न मुख्य रूप से कसौली के स्टोर में लगी आग लगने के सम्बन्ध में है।

सदन को याद होगा कि कुछ समय पूर्व मैंने सदन में कुत्ते के काटे से मरने वालों तथा कुत्ते के काटे की दवा की उपलब्धता के बारे में किये गये प्रश्नों के उत्तर दिये थे। यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो उन्हें इसके लिये पृथक रूप से नोटिस देना चाहिये।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : मध्य प्रदेश के सभी अस्पतालों में एण्टीरैबीज वैक्सीन की कमी है, गवर्नमेंट एजेंसी के सिवाय यह कहीं और मिलता नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को मंथली कितने इंजैक्शन् सप्लाई किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न इस प्रश्न से कहां पैदा होता है ?

श्री शिवकुमार सिंह ठाकुर : अच्छा यह बता दें कि हिन्दुस्तान के अस्पतालों में कितने एण्टी रेबिज वैक्सीन सप्लाई किये जाते है।

अध्यक्ष महोदय : यह भी इससे सम्बन्धित नहीं है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मैं जानना चाहता हूं कि इस जांच को पूरा करने के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। किन्तु हमें आशा है कि वे इसकी रिपोर्ट यथा संभवशीघ्र पेश कर देंगे।

फरुखाबाद-गोकरणनाथ लाइन

*582. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरूखाबाद-गोला-गोकरणनाथ अथवा मैलानी बरास्ता शाहजहांपुर बड़ी लाइन बिछाने के लिये एक सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो उसमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या पुरानी मेलानी-शाहजहांपुर छोटी लाईन को शीघ्र ही एक लाइन बिछाने का आश्वासन देकर उखाड़ दिया गया था; और

(ग) इस तथ्य की दृष्टि से उत्तर भारत तथा बम्बई के बीच रेल संपर्क स्थापित करने के लिए फरूखाबाद-मैलानी बड़ी लाईन का होना बहुत जरुरी है ? क्या सरकार उक्त लाइन बनाने के लिये निर्णय लेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

श्री दयाराम शाक्य : यह जो सर्वेक्षण कराया गया है, यह दो बार पूरा कराया गया है और संभवतः इसी आशा से कराया गया था कि इस क्षेत्र में लाइन बिछाई जायेगी, परन्तु उसे अन-इकानामिक कर के, सर्वेक्षण की सिफारिश के आधार पर भी लाइन न बिछाने का निश्चय किया गया है और इसमें जनता की सुविधा को नहीं देखा गया है। उस क्षेत्र में कोई भी लाइन उत्तरी क्षेत्र से दक्षिण को मिलाने के लिये नहीं है जब कि पिथौरगढ़ सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या मंत्री महोदय उस क्षेत्र की जनता को सुविधा देने और सामरिक महत्व के क्षेत्र के साथ सम्बन्ध स्थापित करने की दृष्टि से इसपर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री सी० के० जाफर शारीफ : श्रीमन्, यह विचार के लिये एक सुझाव है। उन्हे इस सम्बन्ध में और अच्छे समय की प्रतीक्षा करनी चाहिये।

श्री दयाराम शाक्य : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि यह लाइन बिछाने का कोई आश्वासन नही दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैलानी-शाहजहांपुर लाइन कब उखाड़ी गई और क्यों उखाड़ी गई। जब यह लाइन पहले बिछाई गई थी तो वह उपयोगिता के आधार पर बिछाई गई थी। उसके उखाड़ने का कारण क्या था और उसके पुनः बिछाने में सरकार को क्या आपत्ति है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, जहां तक शाहजहांपुर-मैलानी छोटी लाइन का सम्बन्ध है, इसके बारे में मंत्रालय में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। समान्यतया अलाभकारी लाइन हटा ली जाती हैं। (व्यवधान) मैलानी और शाहजहांपुर के बीच नई लाइन की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया गया था।

श्री नारायण चौबे : यह अज्ञानता को हि छुपाने का प्रयास है।

(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : श्रीमन्, मैं रिकार्ड के आधार के बिना कोई उत्तर नहीं दे सकता। रिकार्ड में जो भी जानकारी उपलब्ध है मैं उसी के आधार पर उत्तर दूंगा (व्यवधान)

श्री दयाराम शाक्य : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके सामने जो किताब रखी है, वह उसको पढ़कर जवाब दे रहे हैं। वास्तव में यह बहुत दुःख का विषय है। आप मंत्री महोदय को निर्देश दे कि वह रिकार्ड से जानकारी प्राप्त करने के बाद जवाब दें। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, के अनुसार..... (व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मान्यवर मेरी समझ में नहीं आता है कि बागड़ी जी को इतनी तेजी क्यों आई।

अध्यक्ष महोदय : आप के प्रति ज्यादा श्रद्धा है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : ऐसी श्रद्धा एक बार भालू को थी, एक आदमी का वह बड़ा भक्त था। उस के मुंह पर मक्खी बैठने लगी तो उस ने सोचा कि मक्खी को मार ही डालूं। एक बड़ा सा पत्थर उठा कर उस के मुंह पर मार दिया।... (व्यवधान)

मान्यवर, यह ऐसा सवाल है जिस में इन्होंने दो बातें पूछीं। एक पूछा कि एश्योरेंस दिया गया वह क्यों नहीं पूरा किया गया और दूसरी बात यह पूछी कि वह जो नैरो गेज की लाइन थी वह उखाड़ी गई फिर बिछायी गई तो क्यों उखाड़ी गई और क्यों बिछाई गई? इसकी सूचना हमारे पास नहीं है कि क्यों उखाड़ी गई और क्यों बिछाई गई। आप दूसरा सवाल कर देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

एश्योरेंस की बात मैं कहता हूं कि किसी ने एश्योरेंस दिया या नहीं दिया, मैं एश्योरेंस देता हूं कि मैं इस मामले को देखूंगा, सर्वे की रिपोर्ट देखूंगा और अगर जरूरत हुई तो इस काम को करूंगा।

बिना प्रशिक्षित दाइयों वाले गांव

*584. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के कितने गांवों में अभी तक कोई प्रशिक्षित दाई नहीं है; और

(ख) सरकार प्रत्येक गांव को कम से कम एक प्रशिक्षित दाई की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूती सेवाएं प्रदान करने के मानदण्ड के अनुसार पांच-पांच हजार की आबादी क पीछे एक-एक उप-केन्द्र खोलने और प्रत्येक गांव के लिये एक-एक सहायक नर्स मिडवाइफ तथा एक-एक दाई नियुक्त करने का विचार है। इन मानदण्डों के अनुसार 1,08,000 उप-केन्द्रों तथा 5.8 लाख प्रशिक्षित दाइयों की जरुरत है। मार्च, 1980 तक 49323 उप-केन्द्र खोले जा चुके हैं। अब तक लगभग 2.70 लाख दाइयों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। स्वास्थ्य योजना के भौतिक लक्ष्यों के अनुसार सहायक नर्स मिडवाइफों की आवश्यकता को सातवीं पंच वर्षीय योजना 1985–90 तक पूरा किया जा सकेगा। अशिक्षित दाइयों की आवश्यकता को चालू पंच वर्षीय योजना के दौरान पूरा करने का विचार है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वक्तृत्व के अनुसार देश के समस्त गांवों में प्रसूति सेवायें प्रदान करने के लिए प्रत्येक पांच हजार की जनसंख्या के पीछे एक उपकेन्द्र की दरपर 1.08 लाख उप-केन्द्रों तथा 5.8 लाख प्रशिक्षित दाइयों की आवश्यकता होगी। यह बताया गया है कि अभी तक केवल 2.70 लाख दाइयों को प्रशिक्षित किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि आधे गांवों तक में भी ये सेवायें उपलब्ध नहीं है। सहायक नर्स मिडवाईफ की भी व्यवस्था नहीं की गई है। स्वास्थ्य योजना के वास्तविक लक्ष्यों के अनुसार सहायक नर्स मिडवायफ की जितनी संख्या में आवश्यकता है वह सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985–90 तक पूरी हो सकेगी। डाक्टरों के सम्बन्ध में तथा उनके प्रशिक्षण आदि के बारे में पहले जितनी चर्चा हो चुकी है उसको ध्यान में रखते हुये क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देंगे कि ग्राम स्तर पर इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये स्वास्थ्य शिक्षा बजट के लिये वास्तव में और भी अधिक राशि का नियतन किया जाये जिससे कि हमें इस सेवाओं को प्राप्त करने के लिये अनन्त काल तक प्रतीक्षा न करना पड़े। मैं 'अनन्त काल' इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरा विचार है कि उस समय तक मैं मर चुकी होऊंगी। इस सम्पूर्ण कार्यक्रम को और जल्दी पूरा कर लेने की आवश्यकता है। क्या माननीय मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ करेंगे?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानंद) : माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि उप केन्द्र खोलने का कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक भाग है और इसके लिये योजना बजट में राज्यों के बजट के अन्तर्गत नियतन किया जाता हैं। स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में असमर्थ है कि राज्य सरकारें अपेक्षित संख्या में एसे कन्द्र खोलें। इसको सुलझाने का एक ही तरीका है कि उन्हें केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के रूप में फिर से आरम्भ किया जाये।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राजी किया जा सकता है। क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को राजी करेगी जो अधिकांशतः अब उनकी सलाह के अधीन है जिससे कि अन्य राज्य उनके उदाहरण का अनुसरण करें। इसके बाद मंत्री महोदय को सदन में रिपोर्ट देनी चाहिए।

श्री वी० शंकरानंद : हम नये उप-केन्द्र खोलने के लिये राज्य सरकारों को राजी करने के लिये सभी प्रयास करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पाराद्वीप और हल्दिया पत्तनों में बल्क कैरियरों के लदान की सुविधाएं

*576. डा० कृपासिंधु भोई : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अन्तर्राष्ट्रीय लोह अयस्क व्यापार में कम से कम एक लाख डी० डब्ल्यू० टी० क्षमता वाले बल्क कैरियरों के लदान की आवश्यकता होती है; और

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय ने लौह अयस्क के निर्यात के लिए पारादीप और हल्दिया पत्तनों की एक लाख डी० डब्ल्यू० टी० कैरियरों के लदान के लिए योग्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

नौवहन और परिवहन तथा पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) सरकार को मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कच्चे लोहे का जहां तक संबंध है इसे अधिक बड़े आकार के जहाजों में ले जाना लाभप्रद होता है ।

(ख) इस समय परादीप पत्तन पर लगभग 60,000 डी० डब्ल्यू० टी० के जहाज आ-जा सकते हैं अर्थात् जिन जहाजों को ठहरने के लिए पानी की 39 फुट की गहराई की आवश्यकता होती है। 1,00,000 से 1,20,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के जहाजों के लिए जलस्तर में वृद्धि करने के लिए एक नये घाट के निर्माण की आवश्यकता होगी, मौजूदा, मेकैनिकल और हैंडलिंग प्लांट में सुधार और पनकट दीवारों आदि का विस्तार करना होगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे लोहे की मांग पर और इसका आयात-निर्यात करने के संबंध में देश में अतिरिक्त क्षमता की स्थिति पर विचार करते हुए, कच्चे लोहे की निर्यात सुविधाओं के विस्तार करने के लिए भारी मात्रा में पूंजी लगाने के बारे में कोई नया प्रस्ताव नहीं है। परन्तु, उपलब्ध सुविधाओं के अधिकतम प्रयोग के लिए कुछ पूंजी लगाई जा रही है। परादीप में, मशीनों से माल को रखने चढ़ाने वाले संयंत्र में 8.08 करोड़ रु० की लागत से सुधार किया जा रहा है।

हल्दिया पत्तन में, 40 फुट गहरे समुद्र में ठहरने वाले लगभग 80,000 डी० डब्ल्य० टी० के जहाजों की मरम्मत करने की योजना थी। मुहाने पर गहराई को ध्यान में रखते हुए निरन्तर निकर्षण के बावजूद इस समय जलस्तर 32 फुट या इससे कम है। पहले चरण में जलस्तर को बढ़ाकर 35 फुट डुबाव करने के लिए अर्थोपाय खोजने के लिए आगे जांच की जा रही है। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस वक्त की कोई संभावना नहीं है कि एक लाख डी० डब्ल्यू० टी० के जहाजों के आने-जाने के लिए हल्दिया में पानी की गहराई को और अधिक किया जा सकेगा ।

पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय

*579. श्री डी० पी० जदेजा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में कितने व्यक्ति बंदी हैं ;

(ख) मेकरान उप-राज्य जेल में बंदी व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) वे कब से पाकिस्तान में हैं और उन पर क्या आरोप हैं ; और

(घ) क्या सरकार उनकी शीघ्र रिहाई के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगी ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० जरसिंह राव) : (क) हमारी वर्तमान सूचना के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि 347 भारतीय राष्ट्रिक पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में नजरबन्द हैं।

(ख) हमें जो सूचना उपलब्ध कराई गई है उसके अनुसार यद्यपि पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में कुछ भारतीय राष्ट्रिक नजरबंद हैं, परन्तु मेकरन जेल में किसी भारतीय राष्ट्रिक के नजरबंद होने के बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

(ग) ठीक-ठीक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(घ) सरकार पाकिस्तान की सरकार के साथ इन लोगों की रिहाई और उनके भारत प्रत्यावर्तन के प्रश्न को राजनैतिक माध्यमों से और विभिन्न उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बातचीत के दौरान उठाती रही है। इस संबंध में सरकार के प्रयत्न जारी हैं। इस प्रश्न के बारे में नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान राजदूतावास से एक स्मरण-पत्र 14 जुलाई, 1980 को प्राप्त हुआ है जिस पर सरकार विचार कर रही है।

नीलाचल एक्सप्रेस को वाल्टेयर तक चलाना

*581. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली से पुरी तक चलने वाली नीलाचल एक्सप्रेस को वाल्टेयर तक चलाने को क्यों आवश्यक नहीं समझा गया ; और

(ख) क्या सरकार को पता है दिल्ली जाने वाली कोई भी तेज एक्सप्रेस रेलगाड़ी वाल्टेयर से होकर नहीं जाती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) 175/176 नीलाचल एक्सप्रेस मूलत: उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और पुरी के महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थान को भारत की राजधानी नई दिल्ली के साथ अधिक छोटे मार्ग से एक तेज गाड़ी द्वारा सम्बद्ध करने के लिए चलायी गयी थी।

(ख) आजकल 17/18 लिक एक्सप्रैस, जिसे 137/138 छत्तीसगढ़ एक्सप्रैस के साथ मिला दिया जाता है, जिस से वाल्तेरू और दिल्ली के बीच एक तेज गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है, जो पुरी दूरी को लगभग 38½ घंटे में तय करती है।

फिजीशियन तैयार करने वाले भारतीय स्कूलों के बारे में बहुराष्ट्रीय अध्ययन

*583. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किये गये एक अध्ययन में बताया गया है कि फिजीशियन तैयार करने वाले भारतीय स्कूल भारत जैसे गरीब देश में विद्यमान कार्य स्थितियों के अनुकूल नहीं हैं ;

(ख) यदि हां तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिपोर्ट में क्या क्या अन्य बातें बताई हैं ;

(ग) क्या विशेषज्ञों ने इसका अध्ययन कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार चिकित्सा शिक्षा में कुछ परिवर्तन करने का है ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य और समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी हां। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन में यह विचार व्यक्त किया गया है।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास पर किए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बहुराष्ट्रीय अध्ययन की एक रिपोर्ट में व्यक्त किए गये कुछेक विचारों के उद्धरणों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) और (घ) : सरकार द्वारा अभी इस रिपोर्ट की पूरी-पूरी जांच की जानी है।

विवरण

फिजीशियनों और नर्सों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास पर किए गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बहुराष्ट्रीय अध्ययन से उद्धृत अंश (पृ० 287–288)

"3.7 शिक्षा की प्रासंगिकता

भारतीय मेडिकल स्कूल परम्परा से ब्रिटिश मेडिकल स्कूलों के आदर्श पर चलते रहे और उन्हें इस बात पर गर्व है कि वे ब्रिटेन में तैयार किए जा रहे फिजीशियनों की कोटि के फिजीशियन तैयार कर सकते हैं। फलत: भारतीय फिजीशियन भारत जैसे गरीब देश में, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में विद्यमान परिस्थितियों में कार्य करने के लिए अनुकूल नहीं है।

यह स्पष्ट है कि भारत सरकार की औपचारिक स्थिति में और भारतीय चिकित्सा व्यवसाय अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (यू० के० जनरल मेडिकल कौंसिल का भारतीय संस्करण है) जो भारत में चिकित्सा शिक्षा का सांविधिक रक्षक है, के बीच स्पष्ट अन्तर्विरोध है। भारत सरकार यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधायें प्रदान करने के लिये वचनबद्ध है और उसे अब अपने इस प्रयत्न की निरर्थकता दिखाई देने लग पड़ी है क्योंकि अब जो अधिक से अधिक अनुपयुक्त और खर्चीले फिजीशियन तैयार किए जा रहे हैं। आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा जो मूल्य रखे गए हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं और उनमें से अधिकतर देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं।

यह अक्सर कहा जाता है कि भारतीय चिकित्सा स्कूल अपने आप को पाश्चात्य देशों के अधिक खर्चीले, शहरी और उपचार प्रधान मेडिकल स्कूलों के समान समझते हैं और वे ऐसे अर्हताओं वाले विशेषज्ञ तैयार कर रहे हैं जो राष्ट्र की वास्तविक आवश्यकताओं से बहुत भिन्न है अध्यापक वर्ग में से अधिकतर ने विदेशो में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त किया होता है और विद्यार्थीगण प्रायः उनके ही विचार ग्रहण कर लेते हैं।

1973 में हुई ई०सी०एफ०एम०जी० परीक्षा जो लगभग सभी भारत के बाहर हुई, में बैठे 5483 भारतीय चिकित्सा स्नातको में से 1776 (32 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए। यह उत्तीर्ण होने वाले भारतीयों का अपेक्षाकृत उच्च प्रतिशत भारतीय चिकित्सा अर्हताओ और अमेरिका की अपेक्षाओं में समानता का सूचक है।

जिन स्कूलों से स्नातक विदेश गए हैं उनमें मुख्यतः बड़ोदा यूनिवर्सिटी मेडिकल कालेज था जिसके 216 स्नातक परीक्षा में बैठे थे उनमें से 104 (48 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए और सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज, बम्बई विश्वविद्यालय जिसके 196 स्नातको में 111 (57 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए।

जिन कालेजो के विशेषकर अधिक स्नातक पास होते थे उनमें मद्रास विश्वविद्यालय क्रिश्चियन मेडिकल कालेज बेलूर (62 प्रतिशत) और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (75 प्रतिशत) (57)।"

जाखापुरा-दाइतारी रेल लिंक

*585. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जाखापुरा-बांसपानी रेल लिंक के पहले चरण--जाखापुरा-दाइतारी को पूरा कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस रेल लिंक का दूसरा चरण, अर्थात् दाइतारी से बांसपानी तक के निष्पादन के लिए योजना आयोग से स्वीकृति मिल गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी नहीं। इस लाइन के 31 दिसम्बर, 1980 तक पूरे कर लिये जाने की आशा है।

(ग) और (घ) अभी नहीं। इस संबंध में उड़ीसा सरकार और योजना आयोग के परामर्श से अभी विचार किया जा रहा है।

स्वर्णिम पास

*586. **डा० वसंत कुमार पंडित :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में स्वर्णिम पास जारी करने का मानदंड क्या है जिससे व्यक्ति वातानुकूलित श्रेणी में निःशुल्क यात्रा कर सकता है ;

(ख) 31 मई, 1980 तक रेलवे में कितने स्वर्णिम पास जारी किये गये थे और चालू थे ; और

(ग) स्वर्णिम पास धारण करने वाले व्यक्तियों क नाम क्या हैं और उन्हें ये पास देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) स्वर्णिम पास रेलवे बोर्ड के सदस्यों, सलाहकारो, सभी रेलों अथवा उत्पादन यूनिटों के महाप्रबंधकों और मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों अथवा समान ओहदे के एक अधिकारी, जिसका निश्चित वेतन 3,000 रु० प्रतिमाह हो, को दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक एक स्वर्णिम पास महानिदेशक, डाक तार तथा रेल सुरक्षा के मुख्य आयुक्त को भी जारी किया गया है।

(ख) दो गैर-रेल अधिकारियों सहित 30 को।

(ग) स्वर्णिम पास प्राप्त व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं :--

रेलवे बोर्ड कार्यालय

1. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड	श्री एम० मेनेजिज
2. वित्त आयुक्त (रेलवे)	श्री पी० एन० जैन
3. यांत्रिक सदस्य	श्री के० एस० रामास्वामी
4. इंजीनियरी सदस्य	श्री कृष्ण चन्द्र
5. यातायात सदस्य	श्री एस० एन० सचदेव

6. सलाहकार (वित्त)	श्री एम० एस० गिल
7. सलाहकार (बिजली) . . .	श्री एस० टी० उदेशी

क्षेत्रीय रेलें/रेल उपक्रम

1. महाप्रबंधक, दक्षिण रेलवे . . .	श्री टी० एम० तोमस
2. महाप्रबंधक, पश्चिम रेलवे . . .	श्री एम० एस० गुजराल
3. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे . . .	श्री वी० वेंकटरमणी
4. महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व रेलवे . . .	श्री जे० एस० डी० डेविड
5. महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे . . .	श्री प्रभिन्दर सिंह
6. महाप्रबंधक, दक्षिण मध्य रेलवे . . .	श्री एन० एन० सरमा
7. महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे . . .	श्री आर० के० नट्टेशन
8. महाप्रबंधक, मध्य रेलवे . . .	श्री ए० के० चक्रवर्ती
9. महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे . . .	श्री बी० बी० लाल]
10. महाप्रबंधक, सवारी डिब्बा कारखाना . .	श्री के० जी० जयराम
11. महाप्रबंधक, चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना .	श्री के० रमन
12. महाप्रबंधक, डीजल रेल इंजन कारखाना . .	श्री एम० जी० वर्मा
13. महाप्रबंधक, मैट्रो रेलवे . . .	श्री ए० के० सुकुमारन
14. महाप्रबंधक, (निर्माण), पूर्वोत्तर-सीमा रेलवे .	श्री टी० एम० वर्गिस
15. महाप्रबंधक, पहिया एवं धुरा संयंत्र . .	श्री एम० जी० नायर
16. महाप्रबंधक, (निर्माण), दक्षिण रेलवे . .	श्री जी० ए० शरीफ
17. प्रिंसिपल, रेलवे स्टाफ कालेज, बडोदरा . .	श्री ओ० डी० अग्निहोत्री
18. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे), केन्द्रीय कारखाना आधुनिकीकरण संस्थान . . .	श्री जे० एम० कपूर
19. मु० प्र० अ० (रेलवे) (निर्माण), मध्य रेलवे .	श्री एस० गणेशन
20. मु० प्र० अ० (रेलवे), म० प० प० (रेलवे), बंबई .	श्री एम० एम० अग्रवाल
21. महानिदेशक, अ० अ० सा० सं० . . .	श्री बी० मोहन्ती

विविध

1. महानिदेशक, डाक एवं तार . . .	श्री एस० के० घोष
2. रेल संरक्षा के मुख्य आयुक्त . . .	श्री पी० एन० एम० मूर्ति

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण

*587. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों पर भार कम करने के विचार से श्रम अपीलीय न्यायाधिकरणों की फिर से स्थापना करने के लिये सरकार से अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) : सरकार का ध्यान श्रम अपीलीय न्यायाधिकरणों की फिर से स्थापना करने के सुझाव की ओर दिलाया गया है। यह सुझाव उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ई० एस० वेंकटरमैय्या ने 24 जून, 1980 को नई दिल्ली में हुए अखिल भारतीय श्रम कानून सेमिनार में अपने उद्घाटन भाषण के समय दिया।

एक सुझाव और भी है कि एक औद्योगिक संबंध तंत्र गठित किया जाए जो, अन्य बातों के साथ, उसे भेजे गए विवादों पर निर्णय दे। यह सुझाव भी दिए गए हैं कि न्यायनिर्णय को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर माध्यस्थम को बढ़ावा दिया जाए। इन सभी सुझावों पर श्रमिकों और नियोजकों के संगठनों तथा राज्य सरकारों के विचारों को राष्ट्रीय त्रिपक्षीय सम्मेलन की अगली बैठक में मालूम करने का विचार है।

लड़कियों का अपहरण और यात्रियों का लूटा जाना

*588. **भीकू राम जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जून के पूर्वार्ध में वाल्टेयर से दुर्ग जाने वाली गाड़ी में यात्रा करने वाली लगभग 19 और 17 वर्ष की आयु की दो लड़कियों का अपहरण किया गया और अनेक यात्रियों को लूट लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और उनसे दो लड़कियों बरामद करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम का कियान्वयन

*589. **श्री राम लाल राही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम के सुचारु क्रियान्वयन की धीमी गति और उसके प्रति उदासीनता के कारण उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इस बारे में तथ्य क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं और इन कारणों/रुकावटों को दूर करने के लिए क्या प्रयत्न किए गये हैं ?

शिक्षा तथा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) । 1977 के आरम्भ में प्रतिकूल प्रचार करने के परिणामस्वरूप परिवार नियोजन के कार्य को गहरा धक्का लगा था । फिर भी कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कोई गिरावट नहीं आयी । एक विवरण, जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन योजनाओं के कार्य के आंकड़ों के साथ-साथ भविष्य में उठाए जा रहे कदमों का संक्षिप्त ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं । केन्द्रीय सरकार इन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन/सहायता, साज-सामान और वित्तीय सहायता देती है तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अभिप्राय से राज्य मुख्यालयों से फील्ड तक विभिन्न स्तरों पर सम्पर्क भी बनाए रखती है ।

2. इस अवधि में जितने बड़े-बड़े कार्यक्रम सक्रियतापूर्वक चलाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम ।

(2) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम ।

(3) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम ।

(4) दृष्टि विकार के निवारण और दृष्टि विहीनता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम ।

3. इन कार्यक्रमों के निष्पादन के आंकड़े परिशिष्ट एक के विवरण में दिए गए हैं ।

4. जहां तक जन स्वास्थ्य रक्षक योजना का सम्बन्ध है, इसे 1979-80 के दौरान कुछ धक्का लगा क्योंकि इसे कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को जो वित्तीय सहायता दी जाती थी उसमें परिवर्तन किया गया है । 1979-80 से पहले इस योजना को शत प्रतिशत केन्द्र-प्रायोजित योजना के रूप में चलाया जाता रहा है और इसका सारा खर्च केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा है । 1979-80 से इस योजना को केन्द्र की सहायता से चलने वाली योजना बना दिया गया है जिसके अन्तर्गत इस पर आने वाला व्यय केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आधा-आधा वहन किया जा रहा है । कुछ राज्य सरकारें इसे कार्यान्वित करने के लिए अपने भाग की राशि की व्यवस्था करने में तथा इस योजना का विस्तार प्लान के अनुसार चरणबद्ध रूप से करने में कठिनाई अनुभव कर रही हैं ।

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

परिशिष्ट दो के विवरण में पिछले चार वर्षों के परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए कार्य के आंकड़े दिए गए हैं जिनमें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के आंकड़े भी शामिल हैं ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम में सुधार लाने के लिए किए जा रहे प्रयास

सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता को अत्यधिक महत्व देती है और इसकी नीति यह है कि लोगों को समझा बुझा कर और प्रेरणा देकर उन्हें अपने परिवार को छोटा रखने के लिए रजामंद करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जाये। इस कार्यक्रम की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि छोटे परिवार के सिद्धान्त को मनवाने के पक्ष में समाज का रवैया बदला जाय परन्तु इस सिद्धान्त के साथ अन्य सामाजिक एवं आर्थिक कारण जुड़े हुए हैं। सरकार को आशा है कि लोगों को शिक्षित एवं प्रेरित करने के जरिये उन्हें यह बात पूरी तरह से समझाई जा सकती है कि छोटा परिवार उनके अपने ही हित में है। इस कार्यक्रम को पूर्णतः स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है और यह उसी विस्तृत नीति का एक अभिन्न अंग है जिसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, मां और बच्चे की देख-रेख, परिवार कल्याण, स्त्रियों के अधिकार और पोषण आते हैं। जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के लिए सरकार के पास प्रचार के जितने भी साधन हैं उन सब को काम में लाया जा रहा है। प्रभावशाली जन समूहों को प्रेरणा और शिक्षा देने के लिए सारे देश में विचार प्रमुख नेताओं के शिविर बहुत बड़ी संख्या में लगाए जा रहे हैं। सेवाएं सुलभ कराने के लिए एक बहुत बड़ा आधारभूत ढांचा खड़ा कर दिया गया है और लोगों को छूटी दी गई है कि वे अपने परिवार के आकार को छोटा रखने के लिए जो भी तरीका उचित समझें उसे स्वतंत्रता पूर्वक और स्वेच्छा से अपना लें। जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य, रोग प्रतिरक्षण और पोषाहार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस कार्यक्रम के लाभकारी पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए वर्ष के दौरान समय समय पर विशेष अभियान भी चलाये जाते हैं। यह अनुभव किया जाता है कि इन सारे उपायों से जनसंख्या की वृद्धि दर पर अवश्य असर पड़ेगा।

परिशिष्ट–एक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्य निष्पादन आकड़े

(क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

वर्ष	एकत्र किए गए रक्त लेप	रोग प्रवण व्यक्तियों की संख्या
1977	5,90,02,147	47,40,900
1978	5,89,99,697	41,44,385
1979	5,61,59,429	27,08,222

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

	मार्च 1978	मार्च 1979	मार्च 1980
पता लगाए गए नए रोगियों की कुल संख्या	21,130	23,321	24,857
उन रोगियों की संख्या जिनका इलाज चल रहा है	17,329	19,310	20,742
उन रोगियो की संख्या/रोग मुक्त करके/छुट्टी दी गई	1,491	1,625	1,269
कुष्ठ नियंत्रण यूनिटें	372	381	381
एस० ई० टी० केन्द्र	5,770	6,595	6,595
नगरीय कुष्ठ	405	430	430
अस्थाई अस्पताल वार्ड	173	199	199
पुनः निर्मित सर्जरी यूनिटें	64	71	71
कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र	40	41	41
जिला कुष्ठ यूनिटें	95	107	107

(ग) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम

	दिसम्बर 1977	दिसम्बर 1978	दिसम्बर 1979
जिला क्षय रोग केन्द्रों की संख्या	311	311	317
उन जिला क्षय रोग केन्द्रों की संख्या जहां से सूचना प्राप्त हुई है	206	223	240
उन रोगियों की संख्या जिनका इलाज चल रहा है	5,99,842	6,43,001	7,31,070

दृष्टि विकार के निवारण और दृष्टि विहीनता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

	1977-78	1978-79	1979-80
रिलीज किए गए मोबाइल यूनिटों की संख्या	15	..	11
आयोजित किए गए नेत्र शिविर	74	119	166
देखे गए/इलाज किए गए रोगियों की संख्या	11,826	81,229	1,01,265
किए गए आपरेशन	5,044	7,272	11,710

परिशिष्ट–दो

(आंकड़े दस लाखों में)

1976–77 से 1979–80 के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम में परिवार नियोजन तरीकों तथा मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का कार्य-निष्पादन

	1976-77	1977-78	1978-79*	1979-80*
1. परिवार नियोजन तरीके				
(1) नसबन्दी	8.26	0.95	1.48	1.74
(क) पुरुष नसबन्दी	6.20	0.19	0.39	0.46
(ख) महिला नसबन्दी	2.06	0.76	1.09	1.28
(2) लूप निवेशन	0.58	0.33	0.55	0.62
(3) प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ता@	3.69	3.24	3.60	3.00
2. मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के लाभार्थी				
(1) रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम				
(क) गर्भवती महिलाओं के लिए टी० टी० के टीके	2.14	3.50	3.61	4.16
(ख) स्कूल-पूर्व बच्चों के लिए डी० पी० टी० के टीके	4.02	7.81	6.77	5.94**
(ग) स्कूल जाने वाले बच्चों को डी० टी० के टीके	2.72	6.54	7.24	6.47
योग (ख)+(ग)	6.74	14.35	14.01	12.41
(2) अपोषणज अरक्तता से बचाव				
(क) महिलाएं	3.29	8.38	9.80	10.08
(ख) बच्चे	3.05	6.85	9.03	13.43
जोड़ (क+ख)	6.34	15.23	18.83	23.51
(3) विटामिन 'ए' की कमी से होने वाले अन्धेपन की रोकथाम	7.00	10.33$	13.57$	14.95
(4) मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के कुल लाभार्थी	22.22	43.41	50.02	55.03

@1975-76 से समीकृत प्रचलित गर्भनिरोधक उपयोगकर्ताओं में मुख-सैव्य गोली उपयोगकर्ता भी शामिल हैं।

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

$प्रथम खुराक के लाभार्थी।

**1979-80 से डी० पी० टी० लाभार्थियो में तीसरी खुराक वाले बच्चे (जिनको पिछले साल दूसरी खुराक दी गई थी) और जिनको बूस्टर खुराक दी गई थी।

वैगन निर्माता एकक

*590. श्री बी० वी० देसाई :

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :

क्या रेल मंत्री यह बतानों की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैगनों का निर्माण करने वाले एकक अपने उत्पादन संबंधी निर्धारित कार्यक्रम में गम्भीर बाधाओं का सामना कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में "व्हील" सैंटों के निर्माण में अत्यधिक कमी होने के कारण यह स्थिति और अधिक बिगड़ गयी हैं ;

(घ) क्या वैगन उद्योग में आये इस संकट को दूर करने के लिए कोई तुरन्त उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) और (ख) : इस उद्योग में माल डिब्बों का निर्माण करने वाली कुछ यूनिटें 1980-81 में अपने निर्धारित लक्ष्य से कम स्तर पर माल डिब्बों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा मुख्यतः उनकी आंतरिक समस्याओं और बिजली की कटौती के कारण हो रहा है और कुछ सीमा तक पहिया सेटों और इस्पात संयंत्र/संयंत्रों से इस्पात के नाजुक पुर्जों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण है।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) : कुछ यूनिटें बिजली उत्पादन के निजी जनित्र सेट लगा रही हैं। रेलों ने भी सप्लाई में गिरावट को पूरा करने के लिए पहिया सेटों और इस्पात के संतुलित आयात की योजना बनायी है।

पोदानुर एस० एण्ड टी० वर्कशाप

4527. **श्री मतिलाल हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोदानुर, एस एण्ड टी वर्कशाप में 94 रिक्त स्थान हैं जिनके लिए बी II का मेडीकल स्तर पर्याप्त है ;

(ख) क्या यह सच है कि डी० एस० टी० ई०/डब्लू०टी० ई० एम०, दक्षिण रेलवे के नियंत्रण में काम कर रहे कुछ खलासियों को जो बी I ग्रुप में मेडीकल आधार पर अनुपयुक्त पाए गए थे, पोदानुर वर्कशाप भेजा गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि ये खलासी उनसे बहुत अधिक कनिष्ठ हैं जिनकी सेवाएं अब समाप्त कर दी गई हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि इन दो खलासियों को, जो यद्यपि बी I ग्रुप में मेडीकल आधार पर अनुपयुक्त थे, उससे वरिष्ठ कर्मचारियों की उपेक्षा करके, जो सभी उसी यूनिट में थे, एस० एम० टी० वर्कशाप पोदानुर में खपाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो एस० एण्ड टी० वर्कशाप पोदानुर में केवल इन व्यक्तियों को खपाने में भेदभाव बरतने और अन्य कर्मचारियों की नौकरियां समाप्त करने के क्या कारण हैं जबकि एस० एण्ड टी० वर्कशाप, पोदानुर में 94 रिक्त पद पड़े हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पोत्तनुर स्थित सिगनल एवं दूर-संचार कारखाने में फिलहाल 110 पद रिक्त हैं जिनके लिए सी-1 मेडीकल वर्गीकरण निर्धारित है।

(ख) मंडल सिगनल एवं दूर-संचार इंजीनियर (निर्माण) पोत्तनुर के अधीन काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों में से जिन्होंने पोत्तनुर कारखाने के लिए आवेदन किया था, 7 को पोत्तनुर में नियोजनार्थ चुना गया था। उनमें से 6 अभी तक मंडल सिगनल एवं दूर-संचार (निर्माण) तम्बरम के अधीन नियोजित हैं और एक को जनवरी, 1980 में नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि वह बी-I कोटि में डाक्टरी आधार पर अनुपयुक्त था।

(ग) और (घ) : पोत्तनूर कारखाने में खलासियों की भर्ती नियोजन सूचना के अनुसार खुली प्रतियोगिता के आधार पर की गयी थी। नैमित्तिक श्रमिक के रूप में वरिष्ठता का प्रश्न ही नहीं उठता। चुने गये खलासियों को सिगनल एवं दूर-संचार कारखाना, पोत्तनूर में लगाने के लिए उपयुक्तता के बारे में अभी उनकी डाक्टरी परीक्षा की जानी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

होम्योपैथिक तथा एलोपैथिक डाक्टरों के वेतनमान में विषमता

4528. **श्री आनन्द पाठक :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के चिकित्सालयों में नियुक्त होम्योपैथिक डाक्टरों को 470—750 रुपये के वेतनमान पर सहायक चिकित्सा अधिकारी पद पर नियुक्त किया जाता है जबकि उन्हीं के समक्ष, उन्हीं चिकित्सालयों में एलोपैथी विभाग में डाक्टरों को 700—1300 के वेतनमान में चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) : दिल्ली प्रशासन के औषधालयों में लगे होम्योपैथों के सहायक चिकित्सा अधिकारी दिल्ली प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे एलोपैथों के चिकित्सा अधिकारियों के समकक्ष नहीं हैं। एलोपैथिक औषधालयों के चिकित्सा अधिकारी तो डिग्रीधारी होते हैं और उनका वेतनमान 700—1300 रुपये होता है तथा वे केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अधिकारी होते हैं जिनका नियंत्रण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है जबकि दिल्ली प्रशासन ने होम्योपैथी औषधालयों में सहायक चिकित्सा अधिकारी के पदों को 470—570 रुपये के वेतनमान में नए डिग्रीधारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के अभिप्राय से सृजित किया है।

सरकारी मैडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को बोनस

4529. **श्री पाझाई एम० करुणानिधि :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी मैडिकल स्टोर डिपो, कर्मचारी संघ मद्रास ने सरकारी मैडिकल स्टोर डिपो, मद्रास के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी के बारे में एक विवाद क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (सैंट्रल) मद्रास के सामने उठाया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले का ब्यौरा क्या है और इस में कोई निर्णय कब लिया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनियन ने वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के लिये उत्पादन बोनस के रूप में 15 दिन की मजदूरी का भुगतान कराने के लिये मई, 1980 में क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), मद्रास से हस्तक्षप करने का अनुरोध किया। क्षेत्रीय श्रमायुक्त ने यूनियन को सलाह दी है कि वह पहले प्रबन्धतंत्र से अनुरोध करे और यदि कोई समझौता नहीं होता, तब उनसे हस्तक्षेप करने के लिए कहें ।

वर्ष 1980 के पहले तीन महीनों के दौरान रेलगाड़ियों में लूटपाट तथा डकैतियां

4530. **श्री चन्द्रजीत यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के पहले तीन महीनों के दौरान रेलगाड़ियों में हुई लूटपाट तथा डकैतियों के कारण यात्रियों को अनुमानत: कितनी जान व माल की हानि हुई; और

(ख) यदि सरकार द्वारा इन घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों को कोई मुआवजा दिया गया है/दिया जाना है तो इसका ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1980 के पहले तीन महीनों, अर्थात् जनवरी, 1980 से मार्च, 1980 तक हुई लूटपाट तथा डकैतियों के कारण यात्रियों को 1,95,923 रुपए के मूल्य की सम्पत्ति की हानि हुई। इन मामलों में दो व्यक्तियों की जानें गयीं ।

(ख) लूटपाट और डकैती के शिकार हुए व्यक्तियों को रेलों द्वारा कोई मुआवजा नहीं दिया जाता।

तमिलनाडु में जेलारपट्टाई से सलेम जंक्शन तक के लिए आरक्षण हेतु शायिका का कोटा

4531. **श्री के० अर्जुनन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु में जेलारपट्टाई जंक्शन और सलेम जंक्शन से नई दिल्ली के लिए के० के० एक्सप्रेस, जयंती जनता एक्सप्रेस और जी०टी० एक्सप्रेस में आरक्षण हेतु शायिकाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस कोटे को बढ़ाने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख): लम्बी दूरी की महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में मध्यवर्ती स्टेशनों के लिए आरक्षित कोटा, गाड़ी में कुल उपलब्ध स्थान, प्रारम्भिक स्टेशनों पर गाड़ी में स्थान की मांगों के साथ-साथ मार्ग में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्टेशनों, जहां काफी मात्रा में तथा नियमित रूप से यातायात होता है, को ध्यान में

रखकर आबंटित किया जाता है । इस आधार पर जोलारपेट्टे और सेलम जंक्शन को 125 डाउन के० के० एक्सप्रेस और 131 डाउन जयन्ती जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में निम्नलिखित कोटे की व्यवस्था की गयी है, जोकि प्राथमिक रूप से दक्षिण-पश्चिम कोस्ट क्षेत्रों से दिल्ली तक के यातायात से निपटने के लिए चलायी गयी है :—

	125 के० के० एक्सप्रस		131 जयन्ती जनता एक्सप्रेस
	वातानुकुल 2 टियर शायनयान शायिकायें	दूसरे दर्जे की शायिकायें	दूसरे दर्जे की शायिकायें
जोलारपेट्टे जंक्शन .	..	3	2
सेलम . .	2	6	12

इसमें कोई संशय नहीं है कि मांग, आबंटित कोटा से थोड़ी अधिक होती है, किन्तु इसे प्रारम्भिक स्टेशनों को सन्देश भेजकर तथा आरक्षण प्राप्त करके पूरा कर लिया जाता है, इसलिए जोलारपेट्टे तथा सेलम जक्शनों के वर्तमान आरक्षित कोटे में बढ़ोत्तरी करना वांछनीय नहीं समझा जाता ।

इन स्टेशनों के वर्तमान कोटा में बढ़ोतरी करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जब 125/126 के० के० एक्सप्रेस में दो इंजन लगाये जायेंगे इन गाड़ियों में और अधिक स्थान उपलब्ध हो जायेंगे ।

15 डाउन जी० टी० एक्सप्रेस इन स्टेशनों से होकर नहीं गुजरती ।

श्रीगंगानगर और दिल्ली के बीच मेल/एक्सप्रेस गाड़ी का चलाया जाना

4532. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री गंगानगर (राजस्थान) से दिल्ली के लिये और दिल्ली से श्रीगंगानगर के लिये गाड़ियों में कितने आरक्षण किये जाते हैं और इन नगरों के लिये कितने व्यक्तियों को सीटों के आरक्षण के लिए प्रतीक्षा सूची में रखा जाता है;

(ख) दिल्ली से श्रीगंगानगर के लिये मेल या एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिये कितनी बार मांग की गई है; और

(ग) इस बारे में श्रीगंगानगर की उपेक्षा किये जाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अप्रैल-जून, 1980 की अवधि के लिए सूचना निम्नलिखित है :—

	पहला दर्जा		दूसरा दर्जा	
	आरक्षण उपलब्ध कराये गये यात्रियों की औसत संख्या	प्रतीक्षा सूची में रखे गये यात्रियों की औसत संख्या	आरक्षण उपलब्ध कराये गये यात्रियों की औसत संख्या	प्रतीक्षा सूची में रखे गये यात्रियों की औसत संख्या
श्रीगंगानगर से	9	1	88	5
दिल्ली से .	12	..	150	3

(ख) और (ग) : यद्यपि, दिल्ली और श्रीगंगानगर के बीच डाक/एक्सप्रेस गाड़ियां चलाये जाने के अनुरोध कई बार प्राप्त हुए हैं, लेकिन यातायात की दृष्टि से इन्हें औचित्यपूर्ण नही पाया गया, क्योंकि वर्तमान पूरक सेवाएं, जिनमें 37/38 पंजाब मेल तथा मेल कराने वाली गाड़ियों द्वारा 4 रू सवारी डिब्बे एवं 343/344 श्रीगंगानगर—दिल्ली यात्री गाड़ी शामिल हैं, श्रीगंगानगर के वर्तमान यातायात को सम्हालने के लिए पर्याप्त हैं । इसके अलावा, मार्गवर्ती खंडों पर अतिरिक्त लाइन क्षमता की कमी तथा श्रीगंगानगर एवं दिल्ली क्षेत्र में टर्मिनल सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण फिलहाल एक अतिरिक्त गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी संघ की मांगें

4533. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भविष्यनिधि कर्मचारी संघ, नई दिल्ली ने अपनी मांगों का तुरन्त समाधान कराने के लिए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, तथा न्यास कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय बोर्ड के चेयरमैन को सीधी कार्यवाही करने का नोटिस दिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भविष्य निधि प्राधिकारियों ने मांगों का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए संघ के प्रतिनिधियों से कोई बातचीत प्रारम्भ नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार संबंधित प्राधिकारियों को यह निदेश देने का है कि वे संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत शुरू करें ताकि कर्मचारियों की यथार्थ मांगों को पूरा किया जा सके और कार्यालय में वैमनस्य का भाव न पनपने पाये ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) : केन्द्रीय कार्यालय में दो यूनियनें हैं, जो एक ही रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा एक ही नाम "केन्द्रीय भविष्य निधि कर्मचारी यूनियन" का प्रयोग कर रही हैं। दो दलों में से एक दल ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए सीधी कार्यवाही करने के बारे में 11-6-1980 को एक नोटिस जारी किया था। कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों से बातचीत के पश्चात् सीधी कार्यवाही करने का नोटिस वापिस ले लिया गया।

कोट्टावाल्सा-किरन्डुल लाईन

4535. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने इस्पात और खान मंत्रालय को यह सुझाव दिया है कि विशाखापत्तनम के नये इस्पात संयंत्र और कोरापुट जिले के एलुमिना संयंत्र के कारण होने वाले अतिरिक्त भार की ढुलाई के लिए वर्तमान कोट्टावाल्सा—किरन्डुल लाईन के एक विकल्प के रूप में एक पृथक रेलवे लिंक लाईन बनाई जाये;

(ख) यदि हां, तो नये रेलवे लिंक लाईन के बारे में दोनों मंत्रालय ने क्या मुख्य मुद्दे बताये हैं;

(ग) इस लाईन के निर्माण में लगभग कितनी लागत आयेगी और मंत्रालयों द्वारा क्या साधन उपलब्ध किए जायेंगे; और

(घ) इस रेल लिंक को वित्त प्रदान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा कब निर्णय लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख): कोरापुट के निकट प्रस्तावित अल्यूमिनिया परियोजना के यातायात को सम्हालने के लिए वर्तमान रायपुर-विजयनगरम लाइन को वर्तमान कोट्टवलासा-किरान्दुल लाइन के साथ मिलाने के लिए नयी रेल सम्पर्क लाइन की व्यवस्था करने के संबंध में विचार किया जा रहा है। इस नयी रेल सम्पर्क लाइन की आवश्यकता तभी होगी यदि वर्तमान कोट्टवलासा—किरान्दुल लाइन में लोह अयस्क की ढुलाई में पर्याप्त वृद्धि होती है ताकि इस लाइन की उपलब्ध क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा सके।

(ग) प्रस्तावित रेल सम्पर्क लाइन का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसकी लागत का निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो जाने के बाद ही किया जा सकेगा।

(घ) सरकार द्वारा एल्यूमिनिया परियोजना अनुमोदित किये जाने और बेलाडिल्ला से विशाखापत्तनम तक ढोये जाने वाले लोह अयस्क की अपेक्षित मात्रा का मूल्यांकन करने के बाद प्रस्तावित रेल सम्पर्क लाइन में निवेश का विनिश्चय किया जायेगा।

चीन में परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए ब्रिटेन की तकनीकी जानकारी

4536. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशी संचार माध्यम की इन रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया है कि चीन के गूआंगडोंग क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाले नाभिकीय विद्युत संयंत्र के लिए ब्रिटेन तकनीकी जानकारी देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार से सह-उत्पाद के रूप में शस्त्र बनाने योग्य माल के उत्पादन के लिए दी गई तकनीकी जानकारी के ऐसे सम्भावित दुरुपयोग के विरुद्ध कोई गारन्टी मांगी है, जिससे कि चीन अपने नाभिकीय शस्त्रों के भण्डार में तीव्रता से वृद्धि करने योग्य हो जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने हमारी सुरक्षा और क्षेत्र में शान्ति बनाए रखने की बात के साथ-साथ विभिन्न उलझनों पर पूर्ण रूप से विचार कर लिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। हांगकांग की एक विद्युत कम्पनी, 'चाइना लाइट एंड पावर कम्पनी', गूआंगडोंग के चीनी क्षेत्र में, चीनी प्राधिकारियों के साथ मिलकर, न्यूक्लीय विद्युत संयंत्र के लिए संयुक्त रूप से सम्भाव्यता अध्ययन कर रही है। यह कम्पनी यूनाइटेड किंगडम परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण की तकनीकी सलाह तथा विशेषज्ञता का उपयोग कर रही है। 2 जून, 1980 के एक ब्रिटिश सरकारी वक्तव्य के अनुसार "अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है और न निकट भविष्य में इसकी कोई आशा है।"

(ख) और (ग) : चूंकि यह प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक स्थिति में है, अतः ब्रिटिश सरकार के साथ इस मामले को उठाना जल्दबाजी होगी । तथापि परमाणु शक्ति के शान्तिपूर्ण उपयोग के बारे में, और इस बात का सुनिश्चिय करने की आवश्यकता के बारे में भी सरकार के विचार सुविदित हैं कि सुरक्षा के जो भी उपाय लागू किये जाये वे परमाणु-अस्त्रों वाले और परमाणु-अस्त्रों से विहीन देशों पर बिना किसी भेदभाव के लागू किये जाने चाहिए । आशा की जाती है कि चीन में परमाणु बिजली घर की स्थापना के बारे में अंततः सहयोग की जो भी परियोजना बनाई जाएगी उस पर जो भी सुरक्षा उपाय लागू किए जायेंगे वे समान और भेदभाव रहित होंगे ।

उल्हास नगर में सिटी बुकिंग आफिस

4537. **श्री आर० के० महलगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उल्हास नगर (जिला थाणा, महाराष्ट्र) के नागरिक उल्हास नगर में, जिसकी जन-संख्या दो लाख से ऊपर है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है, एक स्वतंत्र सिटी बुकिंग आफिस खोलने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं; और

(ख) रेलवे प्रशासन इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहा है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) विस्तृत जांच के बाद, रेल कर्मचारियों द्वारा संचालित उल्हास नगर में सिटी बुकिंग आफिस खोले जाने के प्रस्ताव को अर्थक्षम नहीं पाया गया था । तथापि, ठेकेदार द्वारा चालित एक सिटी बुकिंग एजेंसी खोले जाने की व्यावहारिकता के संबंध में जांच की जा रही है ।

पश्चिम रेलवे में यात्री रेलगाड़ीयों का विलंब से चलना

4538. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष से पश्चिम रेलवे में मीटर गेज की यात्री रेलगाड़ियों का घंटों विलम्ब से चलना आम बात हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और सरकार विशेषकर अजमेर-खंडवा सैक्शन रेलगाड़ी में सेवाएं नियमित करने और उन्हें समय से चलाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) पिछले वर्ष अप्रैल और मई को छोड़कर, जब यांत्रिक खराबियों, मेल लेने के लिए रुकौनी, खतरे की जंजीर खीचीं जाने, उज्जैन के सिंहस्थ मेले के कारण खंड पर भारी भीड़ और अतिरिक्त गाड़ियां चलाये जाने के कारण कार्य-निष्पादन पर दुष्प्रभाव पड़ा, अजमेर—खंडवा खंड पर यात्री गाड़ियों का समय-पालन संतोषजनक था । यात्री गाड़ियों के नियमित और समय पर चलने के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाता है और परिहार्य रुकौनियों के सभी मामलों पर कार्यवाही की जाती है ।

दिल्ली में परिवहन के नये साधन

4539. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में परिवहन के नये साधन उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो साधनों का ब्यौरा क्या है और उनको कितने यात्री ले जाने की क्षमता है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली और अन्य महानगरों में आटो-रिक्शा और टैंसियों के लिए लाइसेंस जारी करने के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई प्रतिशतता आरक्षित नहीं है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही करने का है कि जब तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछली जातियों के व्यक्तियों को अपेक्षित संख्या में लाइसेंस जारी नहीं कर दिए जाते तब तक किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को लाइसेंस जारी न किये जायें ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने उन खास-खास क्षेत्रों में जहां बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बहुत थोड़ी है या जिन सड़कों पर भारी गाड़ियां नहीं चल सकतीं या जहां पर विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों के चलने से सड़क की भाड़ा-वहन क्षमता पर असर पड़ता है, 15/7 सीटों वाली मेटाडोर गाड़ियां और 6/4 सीटों वाली विक्रम आटो-रिक्शा चलाने का फैसला किया है । इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

(1) योजना को शुरू करने के लिए यह प्रस्ताव है कि फिलहाल 15/7 सीटों वाली मेटाडोर गाड़ियों और 6/4 सीटों वाली विक्रम आटो-रिक्शाओं को 50–50 परमिट दिए जाएं ।

(2) आरंभ में 10 अलग-अलग रूटों पर ही मेटाडोर गाड़ियां और विक्रम आटो-रिक्शाएं चलाई जाएंगी और उनके रूटों की औसत दूरी क्रमशः 10 कि०मी० और 6 कि०मी० से अधिक नहीं होगी ।

(3) मेटाडोर गाड़ियों में अधिक से अधिक किराया 75 पैसे और विक्रम आटो-रिक्शाओं में 60 पैसे लिया जाएगा ।

(4) परमिट देने के बारे में निर्णय राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस संबंध में राज्य परिवहन प्राधिकरण जो एक अर्द्ध न्यायिक संस्था है, उन सभी आवेदनपत्रों पर विचार करेगा जो उसे अन्यों के साथ साथ अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों से प्राप्त होंगे ।

नीलाचल एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाना

4540. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सप्ताह में तीन बार चलने वाली नीलाचल एक्सप्रेस जिन-जिन स्टेशनों पर खड़ी होती है उन सभी स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस गाड़ी को प्रति दिन चलाने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो यह किस तारीख से नियमित रूप से चलने लगेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) नयी दिल्ली–पुरी के बीच सप्ताह में तीन दिन चलने वाली 176 डाऊन और 175 अप नीलाचल एक्सप्रेस द्वारा विभिन्न स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों की मांग आमतौर पर पूरी की जा रही है और आरक्षित स्थान की मांग करने वाले प्रतीक्षा-सूची में बचे यात्रियों की संख्या नगण्य है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रेल कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखे

4541. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष फीरोजपुर में उत्तर रेलवे के मुख्यालय के रेल कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों से कर्मचारियों के अतिरिक्त व्यक्तियों द्वारा तथ्यों को गलत रूप में प्रस्तुत कर जालसाजी से तथा अपने को जाली रूप में प्रस्तुत कर रुपये निकाले जाने के कोई मामले सरकार के ध्यान में आये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पठानकोट के सम्बन्धित कर्मचारियों से कोई ऐसे अभ्यावेदन, कुछ संसद सदस्यों के माध्यम से सरकार को प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो अपराधियों को दंडित करने के लिए और कर्मचारियों का घाटा पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) ऋण मंजूर करने वाला प्राधिकारी कौन था और कितने व्यक्तियों के खातों से गलत ढंग से धन निकाला गया था तथा अपराधियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) : वास्तविक अभिदाताओं के बदले अन्य व्यक्तियों द्वारा भविष्य निधि लेखों से रुपये निकालने के 24 मामलों का पता चला है । इन मामलों में लगभग 48,000 रुपये की राशि निकाली गयी है । श्री रफी जकारिया के दिनांक 27-3-80 के पत्र के साथ पठानकोट के 10 कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । उत्तर रेल प्रशासन द्वारा इस मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है । जांच-पड़ताल के परिणाम ज्ञात होने पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा कर्मचारियों को हुई हानि को पूरा करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी । ऋण की मंजूरी देने वाला प्राधिकारी मंडल रेल प्रबन्धक कार्यालय, फिरोजपुर का सहायक कार्मिक अधिकारी था ।

बांसवाड़ा-रतलाम रेल लाइन

4542. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने बांसवाड़ा को रतलाम के साथ जोड़ने के प्रस्ताव को प्राथमिकता देने के बारे में मंत्रालय को लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है हालांकि बहुत समय पहले प्राथमिक और इंजीनियरी सर्वेक्षण के आधार पर इस लाइन का निर्माण करने का निर्णय कर लिया गया था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) रतलाम से बांसवाड़ा के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने और उसे डूंगरपुर तक बढ़ाये जाने की संभावना के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1977 में पूरे किये गये हैं। सर्वेक्षण दल द्वारा नीचे लिखे दो संरेखणों का सर्वेक्षण किया गया था :—

(1) शिवगढ़, बजाणा के रास्ते रतलाम से बांसवाड़ा तक, लंबाई 78.76 कि० मी०, अनुमानित लागत 24.55 करोड़ रुपये, और

(2) सैलाना, दानपुर, सरवन के रास्ते रतलाम से बांसवाड़ा तक, लम्बाई 95.13 कि० मी०, अनुमानित लागत 34.26 करोड़ रुपये।

पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण दोनों ही मामलों में निर्माण की लागत बहुत अधिक होगी और इसके तत्काल निर्माण का औचित्य सिद्ध करने के लिए इस लाइन पर पर्याप्त यातायात उपलब्ध होने की आशा नहीं है। पूंजी निवेश पर प्रतिफल भी ऋणात्मक पाया गया है।

राजधानी एक्सप्रेस में दो टियर वाला द्वितीय श्रेणी का वातानुकूलित डिब्बा जोड़ा जाना

4543. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या नई दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी में दो टियर वाला द्वितीय श्रेणी का वातानुकूलित डिब्बा जोड़ा जायेगा ताकि कुर्सियों में बैठकर ऐसी लम्बी यात्रा करने में होने वाली कठिनाई को दूर किया जा सके ; और

(ख) क्या इस महत्वपूर्ण रेलगाड़ी में यह सुविधा उपलब्ध करने के लिए मांग बहुत लम्बे समय से बार-बार की जा रही है तथा क्या इसका पूरा किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) : जी नहीं। राजधानी एक्सप्रेस में वातानुकूल 2-टियर शयनयान लगाने की मांगें प्राप्त हुई हैं। परन्तु, 151/152 राजधानी एक्सप्रेस में यह डिब्बा लगाना व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि यह वर्तमान अनुमोदित पूरे डिब्बा भार के साथ चल रही है।

समस्तीपुर-जोगबानी लाइन का बदला जाना

4544. **राम सिंह शाक्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर-जोगबानी लाइन को ब्राड गेज में बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव को अंतिम रूप कब तक दिया जायेगा और परियोजना का कार्य निष्पादन हेतु आरम्भ किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) : समस्तीपुर से जोगबनी तक का मार्ग बरौनी और कटिहार के मार्ग से है। बड़ी लाइन समस्तीपुर और बरौनी के बीच है। बरौनी से कटिहार तक का खंड बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन के लिए अनुमोदित है और इस काम को किया जा रहा है। कटिहार से जोगबनी तक के खंड का आमान परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

तमिलनाडु में हुई रेल दुर्घटनाएं

4545. **श्री एन० डेनिस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में तमिलनाडु में हुई ऐसी रेल दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी है जिनमें लोग हताहत हुये थे ;

(ख) उन में मारे गये, स्थाई रूप से अपंग हुए और अन्य लोगों की संख्या कितनी है ;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितनी महिलायें और पुरुष हताहत हुए ; और

(घ) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें मुआवजा दिया गया/नहीं दिया गया और जो अभी विचाराधीन हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों, अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में, ऐसी 35 रेल दुर्घटनाएं हुइ जिनमें यात्री मारे गये थे अथवा घायल हुए थे।

(ख) और (ग) : दुर्घटनाओं के 35 मामलों में से 8 घातक थे, 13 में गंभीर चोटें आयीं और 14 में मामूली चोटें आयीं। इन दुर्घटनाओं में 15 यात्री मारे गये, 46 यात्रियों को गंभीर चोटें आयीं तथा 136 यात्रियों को मामूली चोटें आयीं। इनमें 161 पुरुष, 27 महिलाएं और 9 बच्चे शामिल थे। ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें चोट के कारण स्थायी रूप से यात्री अपंग हुए हों, से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) इन दुर्घटनाओं के कारण दावों के 25 मामलों में से 9 मामलों में मुआवजा दिया गया है और 5 मामलों में कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। 11 मामले दावा आयुक्त के न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसे मामलो का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	भुगतान किया गया	भुगतान नहीं किया गया	विचाराधीन
1977-78 . . .	9	3	4
1978-79 . . .	..	..	4
1979-80 . . .	..	2	3

टाइप-तीन के नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र

4546. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 में टाइप-तीन के नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों को जारी रखने का निर्णय किया गया है ; और

(ख) ऐसे कितने केन्द्र राज्यवार, आवंटित किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां।

(ख) 1980-81 के दौरान 100 अतिरिक्त नगरीय परिवार कल्याण केन्द्र टाइप-तीन आवंटित किये जा चुके हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य	आवंटित अतिरिक्त केन्द्रों की संख्या	राज्य	आवंटित अतिरिक्त केन्द्रों की संख्या
1. आंध्र प्रदेश . .	10	11. मणिपुर . .	1
2. असम . .	3	12. पंजाब . .	2
3. बिहार . .	4	13. राजस्थान . .	1
4. गुजरात . .	2	14. तमिलनाडु . .	8
5. हरियाणा . .	1	15. उत्तर प्रदेश . .	12
6. जम्मू और कश्मीर .	1	16. पश्चिम बंगाल .	12
7. कर्नाटक . .	3	17. दिल्ली . .	7
8. केरल . .	2	18. मेघालय . .	1
9. मध्य प्रदेश . .	16		
10. महाराष्ट्र . .	14	योग .	100

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के हरी नगर औषधालय को 'फंक्शनल' औषधालय में बदलना

4547. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के हरीनगर औषधालय में कुल कितने कार्ड पंजीकृत हैं तथा उन कार्डों के लाभग्राहियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ख) किसी केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय को 'फंक्शनल' औषधालय में बदलने के लिए कम से कम कितने कार्ड/लाभग्राही होना आवश्यक है ;

(ग) उपरोक्त (ख) भाग के संबंध में लागू होने वाले नियमों में क्या-क्या छूट दी गई है और उन औषधालय के नाम क्या हैं जहां इस सीमा को छोड़ दिया गया है तथा उसके कारण क्या हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना निदेशालय पिछले वर्ष हरीनगर औषधालय के लाभ-ग्राहियों की संख्या तथा वहां से तिलक नगर में स्थित 'फंक्शनल' औषधालय की दूरी को देखते हुए हरीनगर औषधालय को एक 'फंक्शनल' औषधालय में बदलने के लिए सहमत हो गया था ; और

(ङ) उपरोक्त निर्णय को लागू क्यो नहीं किया गया है तथा औषधालय को 'फंक्शनल' औषधालय में कब तक बदले जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) हरी नगर औषधालय में 4247 कार्ड रजिस्टर्ड हैं जिनमें 18209 लाभार्थी हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के किसी औषधालय को 'फंक्शनल' औषधालय में बदलने के लिए कार्डों अथवा लाभार्थियों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर नदी पर पुल

4548. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मेजिया में दामोदर नदी पर रेल एवं पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काजू श्रमिकों में बेरोजगारी

4549. **श्री पी० जे० कुरियन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कच्चे काजू की कमी के कारण देश में काजू श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ख) इन श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) : काजू उद्योग इस समय मौसमी आधार पर कार्य कर रहा है जिस का कारण काजू प्रोसेसिंग उद्योग की जरूरत की तुलना में कच्चे काजू की आपूर्ति की अपर्याप्तता है। भारत में काजू प्रोसैसिंग उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता लगभग 4.5 लाख टन प्रतिवर्ष है जब कि कच्चे काजू का देश में उत्पादन लगभग 1.10 लाख टन है। पूर्व अफ्रिकी देशों में कच्चे काजू के निर्यात के लिए अधिकता में कमी, कच्चे काजू के बाजार में ब्राजिल तथा घीन के आने आदि से पूर्व अफ्रिकी देशों से कच्चे काजू का आयात कम होता जा रहा है। भारतीय काजू निगम, जिसके माध्यम से आयात होता है, के द्वारा कच्चे काजू का आयात, इस मौसम के दौरान 8,000 टन से अधिक नहीं होगा।

श्रम मंत्रालय के रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम के अधीन एकत्र किए जाने वाले आंकड़े काजू प्रोसैसिंग में लगे प्रतिष्ठानों में सितम्बर और दिसम्बर, 1979 के बीच रोजगार के स्तर में कमी दर्शाते हैं, जिसका कारण प्रतिष्ठानों की अस्थायी रूप से बन्द करना या कच्चे काजू का उपलब्ध न होना है।

सरकार ने कच्चे काजू की आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं और कर रही है और ये उपाय विशिष्ट मात्रा में काजू श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने में सहायता देंगे। ये उपाय निम्नलिखित हैं :—

क. कच्चे काजू के आयात में वृद्धि करने के उपाय

(1) पात्र काजू उत्पादकों-निर्यातकर्ताओं को गैर परम्परागत स्रोतों से भारतीय काजू निगम के समग्र पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कच्चे काजू की आयात करने की अनुमति देने की एक योजना जुलाई, 1979 में तैयार की गई थी ; और

(2) पात्रता के आधार पर कच्चे काजू के सीधे आयात की स्वीकृति, जो कि भारत में प्रोसेसिंग तथा पुनर्निर्यात के प्रयोजन के लिए होगा तथा ऐसी शर्तों के अधीन होगा जैसी कि प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट की जाएंगी।

ख. देसी काजू के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

(1) चार, राज्यों के अर्थात् केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में काजू के विकास के लिए "वर्ल्ड बैंक" से सहायता प्राप्त एक परियोजना 1980-81 के चालू वर्ष से कार्यान्वयन के लिए हाल ही में तैयार की गई है।

(2) राज्यों की प्लान योजनाओं के अतिरिक्त काजू के लिए पैकेज कार्यक्रम के रूप में केन्द्र द्वारा पोषित की गई एक योजना भी तैयार की गई है ; और

(3) देश में काजू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा चलाई गई विकास-क्षम योजनाओं के लिए ऋण की सहायता हेतु भारतीय काजू निगम ने अपनी आरक्षित निधि में से चार करोड़ रुपए की इस कार्य के लिए व्यवस्था की है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लोगों को उनके मूल निवास के पास नियुक्त करना

4550. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों को ऐसे स्टेशनों पर रखा जाता है जो कि इनके घरों के बहुत नजदीक होते हैं ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में उच्च रेल अधिकारियों द्वारा इन आदेशों के उल्लंघन के मामले लाये गये हैं ;

(ग) नियमों के अधीन एक कर्मचारी को एक स्टेशन पर कितनी अवधि तक रखा जा सकता है ;

(घ) क्या यह सच है कि एक कर्मचारी एक स्थान पर दस वर्ष से भी अधिक से काम कर रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां, जहां तक व्यावहारिक है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) : एक कर्मचारी को एक स्टेशन पर बनाये रखने के लिए और एक कर्मचारी को किसी अन्य स्टेशन को स्थानान्तरित करने के लिए भी कोई विशिष्ट हिदायतें जारी नहीं की गयी हैं। परन्तु यह प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है।

श्रम न्यायालयों में लम्बित औद्योगिक विवाद

4551. **श्री छोटे सिंह यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम न्यायालयों में पश्चिम रेलवे से संबंधित लम्बित औद्योगिक विवादों की संख्या कितनी है ;

(ख) इन विवादों में से ऐसे कितने विवाद हैं जिनके लिए रेलवे प्रशासन ने वकीलों की नियुक्ति कर ली है ;

(ग) इन मामलों के लिए वकीलों को नियुक्त करने के बजाय रेलवे के कानूनी सहायकों तथा कुछ विधि अधिकारियों को प्रतिनियुक्त क्यों नहीं किया गया है ; और

(घ) रेलवे द्वारा प्रत्येक मुकदमें के लिए वकील नियुक्त करने में औसतन कितना खर्च किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एक सौ अट्ठावन।

(ख) एक सौ बयालीस।

(ग) पश्चिम रेलवे पर केवल एक विधि अधिकारी है और सीमित संख्या में विधि सहायक हैं, जिन्हें सभी किस्म के न्यायालय के मामलों से सम्बन्धित परामर्श का काम सौंपा गया है, इसलिए वे श्रम न्यायालयों के सम्मुख उपस्थित होने की स्थिति में नहीं हैं। तदनुसार उन मामलों में, जिनमें सम्बन्धित विरोधी दलों द्वारा अधिकता तैनात किये जाते हैं, श्रम न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से पेश होने के लिए रेल, प्रशासन अधिवक्ताओं को तैनात करता है।

(घ) केवल पचास रुपये।

कारखाना श्रमिकों की संख्या

4552. **श्री ज्योतिर्मय वसु :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्यों में (1971 की जनगणना) कुल जन संख्या कितनी है और कारखाना श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या कितनी है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : अपेक्षित सूचना निम्नलिखित है :—

राज्य	कुल जनसंख्या (1971 की जनगणना) (आंकड़े हजारों में)	1978 में कारखाना श्रमिकों की औसत दैनिक संख्या (अनंन्तिम) (आंकड़े हजारों में)
1. पश्चिम बंगाल . . .	4,43,12	8,56
2. महाराष्ट्र	5,04,12	11,26
3. गुजरात	2,66,97	5,65
4. तमिलनाडु	4,11,99	5,57
5. आंध्र प्रदेश	4,35,03	4,52

मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

4553. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैकेनीकल इंजीनियरिंग विभाग, कोचीन बन्दरगाह के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध फायर-पलोट "बहादूर" तथा जल नौका "तपाज" की मरम्मत के लिए बन्दरगाह के गैर-सरकारी यार्ड में खड़ा करने के बारे में भ्रष्टाचार के कुछ गंभीर आरोप थे ;

(ख) क्या यह सच है कि मरम्मत कार्यों के लिए किये गये मूल्यांकनों को कई बार बढ़ाया गया है ;

(ग) क्या मामले की कोई जांच की गयी है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से मालूम हुआ है कि पानी के "एम० वी० तपाज" नामक बजरे को सूखी गोदी में और आग से रक्षा करने वाले "बहादुर" नामक जलयान को कोचीन मैरीन कारपोरेशन डाई डाक की वर्कशाप में लाकर मरम्मत करने के बारे में कुछ आरोप थे। सामान के अनुचित इस्तेमाल के बारे में लगाये गये आरोपों की पोर्ट ट्रस्ट के सतर्कता अनुभाग द्वारा व्यौरेवार जांच की गई। मैसर्ज मझगांव डाक लिमिटेड, बम्बई से एक विशेषज्ञ बुलाया गया और मैसर्स कोचीन कारपोरेशन की सूखी गोदी का अचानक निरीक्षण किया गया। "एम० वी० तपाज" जलयान की जो प्लेटें बदली गई थीं उनको जलयान के नक्शे के अनुसार नापा गया और ये प्लेटें सही पाई गईं और इस प्रकार ये आरोप निराधार पाए गए। आग से रक्षा करने वाले "एम० वी० बहादुर" को भी सूखी गोदी में लाया गया और इसकी इसी प्रकार की जांच उक्त विशेषज्ञ द्वारा ही 13 अप्रैल, 1980 को की गई। सभी प्लेटों को नापा गया और ये प्लेटें नक्शे के अनुसार मिलीं।

(ख) गोदी में लाकर मरम्मत करने के बारे में पोर्ट ट्रस्ट के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा 1,23,920 रुपये का खर्च बताया गया था जिसमें अन्य संबद्ध कार्य जैसे जलयानों की सफाई, रंगाई, पुरानी प्लेटों की जगह नई प्लेटें लगाने आदि पर का खर्च शामिल नहीं था। कोचीन मैरीन कारपोरेशन की सूखी गोदी में जलयानों को लाकर मरम्मत करने के बारे में मंजूरी जारी करने के बाद सूखी गोदी में लाने और मरम्मत करने आदि के बारे में चीफ मैकेनिकल इंजीनियर से खर्च का ब्यौरा प्राप्त हुआ। यह "एम० वी० बहादुर" पर 3,82,000 रुपये और "एम० वी० तपाज" पर 3,05,200 रुपए बताया गया। खर्च में वृद्धि होने के कारणों के बारे में कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा जांच की जा रही है। अभी तक उक्त फर्म को मूल रूप में की गई मंजूरी के आधार पर केवल 1,00,200 रुपयों का भुगतान किया गया है।

(ग) और (घ) : कोचीन पोर्ट ट्रस्ट से पता चला है कि इस मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा हो रही है। चूंकि अभी तक केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, इसीलिए किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न उक्त ब्यूरो की रिपोर्ट और उसके सुझावों पर निर्भर है।

फिलोर के रेल कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

4554. **श्री सुन्दर सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को जिला फिल्लौर, जालन्धर (पंजाब) में नियुक्त रेल कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले की जांच की जा रही है।

एंसीफलाइटिस, जठर आंत्र शोध और बाल संस्तम्य के मामले

4555. **श्री ए० नीललोहियादासन नाडार :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एंसीफलाइटिस, जठर आंत्र शोध और बाल संस्तम्य के मामलों में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो 1 जून, 1978 से 1 जनवरी, 1980 के बीच प्रत्येक रोग से कितने व्यक्ति मरे ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे कोई प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के औद्योगिक विवाद में सरकार द्वारा हस्तक्षेप

4556. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के औद्योगिक विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : यह प्रश्न, कि क्या कर्मचारी भविष्य निधि के कर्मचारियों के संबंध में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन "उपयुक्त सरकार" केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार है, केरल के उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में उठाया गया है और यह मामला न्यायाधीन है।

गाड़ी में चढ़ते समय मरने वाले व्यक्ति

4557. **श्री आर० एल० पी० वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी रेलवे के धनवाद मंडल में ग्राण्ड कोर्ड लाइन पर धनवाद और गया के बीच पड़ने वाले स्टेशनों पर जल्दी में गाड़ियों में चढ़ने के कारण हुई दुर्घटनाओं में वर्ष 1978, 1979 और 1980 में कुल कितने व्यक्ति मरे हैं और क्या इन दुर्घटनाओं से सम्बन्धित पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ख) क्या धनवाद और गया के बीच के स्टेशनों पर रुकने वाली सवारी गाड़ियां अभी तक भी वही हैं जो अंग्रेजों के शासन काल से चलती हुई आ रही हैं और क्या बदली हुई परिस्थितियों में जनता के हितों को देखते हुए सरकार का 'समर स्पेशल' और 'पूजा स्पेशल' गाड़ियों को नियमित रूप से चलाकर अथवा गोमो-मुगलसराय यात्री गाड़ी को गोमो से गया तक चलाकर इन समस्याओं के समाधान करने का विचार है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1978 और 1979 के दौरान धनवाद और गया के बीच के स्टेशनों पर जल्दबाजी में गाड़ी में चढ़ते समय कोई भी व्यक्ति नहीं मारा गया। 1980 के दौरान, केवल एक मामला ऐसा हुआ है, जिसमें 7-3-80 को हजारीबाग रोड स्टेशन पर जल्दबाजी में 130 डाउन वाराणसी-आसनसोल सवारी गाड़ी में चढ़ते समय एक पुरुष यात्री नीचे गिर गया और मर गया।

(ख) स्वतंत्रता के बाद पूर्व रेलवे के ग्रांड कार्ड के धनबाद-गया खंड में अनेक फास्ट एक्सप्रेस गाड़ियां चलायी गयी हैं। इस खंड में अधिक सवारी गाड़ियां चलाना वांछनीय नहीं समझा गया क्योंकि यह काफी लम्बे समय तक इस खंड को घेरे रखेगी और इस ग्रांड कार्ड की लाइन क्षमता को कम कर देगी जिसे आवश्यक माल यातायात की ढुलाई के लिए मुख्य रूप से सुरक्षित रखा गया है, यही कारण है कि 349/350 गया-मुगलसराय सवारी गाड़ी को गोमो तक नहीं चलाया जा सकता या पूजा और ग्रीष्मकालीन विशेष गाड़ियां नियमित रूप से नहीं चलायी जा सकती, जिससे ऐसा न हो कि इससे माल यातायात की ढुलाई पर बुरा प्रभाव पड़े।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पुनर्गठन करने के लिये समिति

4558. **श्री एन० ई० होरो** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का पुनर्गठन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके गठन और कार्यों के बारे में ब्यौरा क्या है और इसका प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत कर दिया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) । जी, हां ।

सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा अपनी 110 वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 120 में की गई सिफारिशों के अनुसार अप्रैल, 1980 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्य प्रणाली की भविष्य निधि अंशदायों की बढ़ती हुई बकाया राशि की समस्या के विशेष संदर्भ में पुनरीक्षा करेगी । उस आदेश की प्रतिलिपि संलग्न विवरण में है जिसके अधीन एक यह समिति गठित की गई, जिसमें इसके गठन, विचारार्थ विषय और अन्य ब्यौरे दर्शाए गए हैं ।

विवरण

सार्वजनिक लेखा समिति द्वारा अपनी 110 वीं रिपोर्ट के पैराग्राफ 120 में की गई सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया है कि एक उच्च स्तरीय समिति गठित की जाए जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कार्यप्रणाली की भविष्य निधि अंशदायों की बढ़ती हुई बकाया राशि की समस्या के विशेष संदर्भ में पुनरीक्षा करेगी । यह समिति कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई योजनाओं के वर्तमान व्यवस्थापकीय और दांडिक उपबन्धों की पर्याप्तता की भी जांच करेगी और जहां आवश्यक हो, संशोधनों का सुझाव देगी । इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :]

अध्यक्ष : श्री जी० रामानुजम

सदस्य

1. श्री एम० घोष
2. कुमारी कुसुम लता मित्तल,
   अपर सचिव,
   आर्थिक कार्य,
   नई दिल्ली ।
3. श्री ओ० वी० कुरूविल्ला,
   अध्यक्ष,
   केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
   नई दिल्ली ।
4. श्री आर० के० ए० सुब्रह्मण्या,
   अपर सचिव,
   श्रम मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।
5. श्री जी० वी० रामाकृष्णन,
   अपर सचिव,
   उद्योग मंत्रालय,
   नई दिल्ली ।

2. समिति में एक सदस्य -सचिव भी होगा जो पृथक रूप से नामजद किया जाएगा ।

3. इस समिति को अपनी रिपोर्ट छः महीनों के अन्दर प्रस्तुत करनी होगी ।

अनन्तिम रूप से यह निर्णय लिया गया है कि इस समिति की पहली बैठक 14 अप्रैल को 11-00 बजे सुबह श्रम शक्ति भवन में की जाए ।

(ह०)
(आर० के० ए० सुब्रह्मण्या)
अपर सचिव

नोट :—श्री आर० रामाकृष्णन संयुक्त सचिव, वाणिज्य मंत्रालय (कपड़ा विभाग) को भी अनुवर्ती समसंख्यक आदेश दिनांक 24 जून, 1980 द्वारा इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है ।]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

4559. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिशों को क्रियान्वित करने में विलम्ब पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिये कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों ने 18 जून से 20 जून, 1980 तक हड़ताल की थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में 18-6-1980 को हड़ताल हुई, परन्तु तत्पश्चात् श्रम मंत्री द्वारा की गई अपील पर 18-6-1980 को हड़ताल समाप्त कर दी गई। फिर भी कतिपय क्षत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में 18-6-1980 और 19-6-1980 को हड़ताल जारी रही।

(ख) सरकार को वेतन समिति की अन्तरिम सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं। धुलाई भत्ते, मकान किराया, भत्ते और छुट्टी के लिए नगद भुगतान संबंधी सिफारिशों पर निर्णय लिए गए हैं। अन्य सिफारिशों पर भी निर्णयों को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

"पी० एम० अर्जड टु स्पोर्ट तिब्बत काज" शीर्षक से समाचार

4560. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन का ध्यान दिनांक 17 जून, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में 'पी० एम० अर्जड टु स्पोर्ट तिब्बत काज' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या तिब्बतियन नेशनल वालंटरी डिफेंस फोर्स अथवा किसी अन्य संगठन से 16 जून, 1980 को सरकार को कोई पत्र या ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो उसमें क्या लिखा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : जी हां।

(ग) और (घ) : इस ज्ञापन की विषय-वस्तु का सारांश हिन्दुस्तान टाइम्स की संदर्भगत रिपोर्ट में दिया गया है। भारत सरकार की निरन्तर यह नीति रही है कि तिब्बत चीन लोक गणराज्य का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार किसी अन्य देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती।

पाकिस्तान द्वारा आणविक ईंधन शोधन संयंत्र को पूरा किया जाना

4561. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाकिस्तान द्वारा आणविक ईंधन शोधन संयंत्र के निर्माण के कार्य को पूरा हो जाने के समाचार से अवगत है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि परियोजना को पूरा करने के लिए फ्रांसीसी फर्मों/कम्पनियों ने संयंत्र और अन्य वस्तुएं दी हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पेरिस स्थित भारतीय दूतावास को इन गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए कहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) : सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं कि लाहौर के निकट चश्मा न्यूक्लीय कम्पलेक्स में एक न्यूक्लीय ईंधन पुनर्संसाधन संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और कुछ यूरोपीय कम्पनियां इस संयंत्र के लिए आवश्यक पुर्जे और उपस्कर भेजती रही हैं।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य

4562. **श्री सुधीर कुमार गिरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की सेवायें स्थानान्तरणीय हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय, खड़गपुर, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल के प्रधानाचार्यों को पिछले 6 वर्षों से उसी स्कूल में रहने दिया गया है ;

(ग) क्या उक्त प्रधानाचार्य ने रेलवे कर्मचारियों के और गैर-रेलवे अभिभावकों के दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को पश्चिम बंगाल सरकार तथा मुख्य कार्मिक अधिकारी, दक्षिण पूर्वी रेलवे के निदेशों का उल्लंघन करके जनवरी से मार्च 1980 तक के महीनों का पढ़ाई शुल्क देने के लिए मजबूर किया है ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि उन्होंने लगभग 1900 नियमित तथा 600 माध्यमिक और हायर सेकेण्डरी विद्यार्थियों को तथा तपेदिक की डाक टिकटें बेचकर जो धन एकत्रित किया था वह पूर्ण रूप में सम्बन्धित अधिकारियों के पास जमा नहीं कराया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। वह जनवरी, 1966 से दिसम्बर, 1973 तक तथा दुबारा मई, 1976 से खड़गपुर में है।

(ग) और (घ): सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1979 के दौरान हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण उत्पादन तथा लाभ की हानि

4564. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 के दौरान हड़तालों तथा तालाबन्दियों के कारण कितने उत्पादन तथा लाभ की हानि हुई ;

(ख) उक्त हड़तालें किन-किन कार्मिक संघों के नेतृत्व में हुई ; और

(ग) उक्त औद्योगिक विवादों के दौरान कितने तथा किन किन श्रमिकों अथवा नेताओं को गिरफ्तार किया गया ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) 1979 में हुई 3068 हड़तालों और तालाबन्दियों में से 1849 हड़तालों और तालाबन्दियों के संबंध में उपलब्ध अनन्तिम सूचना के अनुसार, उत्पादन में 397.91 करोड़ रुपये की हानि हुई। लाभों में हुई हानि के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) 1979 में केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के कारण हुई हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या तथा उनके परिणामस्वरूप नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या का विवरण संलग्न है।

(ग) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। अतः श्रम मंत्रालय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

वर्ष 1979 के दौरान केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के कारण हुई हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या तथा उनके परिणामस्वरूप नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या का विवरण (अ)।

केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठन	हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या	नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस	223	1,137,056
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस	232	2,642,377
हिन्द मजदूर सभा	93	402,325
यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस	10	92,202
बहुविधि यूनियन	112	9,088,076
असम्बद्ध और अन्य	2,398	30,503,241
योग	3,068	43,865,277

(अ) अनंतिम।

प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी

4565. **श्री चित्त बसु** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी की योजना को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सभी स्तरों पर लागू करने का है ;

(ख) इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या जिन प्रतिष्ठानों में यह योजनाएं लागू की गई हैं उनमें इनकी सफलता अथवा असफलता का मूल्यांकन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रत्येक मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ): सरकार ने सभी संबंधित पक्षों से आग्रह किया है कि वे 1975 और 1977 की योजनाओं को कारगर ढंग से लागू करें जिनमें शाप फ्लोर/यूनिट और प्लांट/डिवीजन

आदि स्तरों पर श्रमिकों की सहभागिता की व्यवस्था है। तथापि, 21 सदस्यीय श्रमिक सहभागिता संबंधी समिति की रिपोर्ट पर 19 जुलाई, 1980 को राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श करने का विचार है। इस रिपोर्ट में यह प्रस्ताव किया गया है कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सभी स्तरों पर श्रमिकों की सहभागिता होनी चाहिए। इस संबंध में कार्यवाही इस सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान को बोर्ड स्तर पर सहभागिता के संबंध में सरकारी क्षेत्र में योजनाओं के मूल्यांकन का काम सौंपा गया है।

पारादीप में शुष्क बन्दरगाह

4566. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री पारादीप में शुष्क बन्दरगाह के बारे में 13 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 390 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अध्ययन दल से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन की क्या मुख्य बातें हैं ;

(ग) क्या सरकार ने पारादीप में एक शुष्क बन्दरगाह के निर्माण के लिए पारादीप पत्तन न्यास के सुझाव पर इस बीच कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुटा सिंह) : (क) नहीं। देश में जहाज निर्माण की सुविधा स्थापित करने के बारे में आवश्यक चीजों आदि की जरूरत पर विचार करने के लिए अध्ययन करने के लिए सक्षम परामर्शकों की सूची तैयार कर ली गई है और इस काम के लिए टेंडर भरने के लिए सूचना जारी कर दी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

(ग) और (घ) : परामर्शकों से रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

महामारी फैलने की आशंका

4567. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में सूखे की गम्भीर स्थिति के कारण वहां पर महामारी फैल सकती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि योजना/गैर योजना व्यय से इस प्रकार की आकस्मिक घटनाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार से चौबीस लाख रुपये की मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सहायता दे दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां। वास्तव में स्वास्थ्य के प्रति खतरों तथा महामारी फैलने की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 1980-81 के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा राहत के लिए उड़ीसा सरकार को 80 लाख रुपये की बढ़ी हुई रकम स्वीकृत की है।

मत्स्य ग्रहण नौकाओं के लिए ऋण

4568. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजरानी विकास निधि समिति मत्स्य ग्रहण नौकाओं को खरीदने के लिए ऋण दे रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में दिए जा रहे ऋणों की इस समय शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या 1 जनवरी, 1980 के मत्स्य ग्रहण नौकाओं को खरीदने के लिए विभिन्न पार्टियों से नए ऋणों के लिए आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) क्या जहाजरानी विकास निधि समिति मत्स्य ग्रहण नौकाएं खरीदने के लिए बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारी व्यवहार की कम्पनियों को भी ऋण देती हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) 31 दिसम्बर, 1978 तक नौवहन विकास निधि समिति मछली पकड़ने वाले जहाजों की खरीद के लिए धन देती रही थी। यह समिति जिन नियमों के अंतर्गत समिति मछली पकड़ने वाले जहाजों को वित्तीय सहायता देती थी, उन्हें रद्द किया जा चुका है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं होता।

कम्पाला में भारतीय राजदूत की कार को पकड़ना

4569. **श्री चित्त महाटा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पाला में बदमाशों ने भारतीय राजदूत की कार को बन्दूक दिखा कर पकड़ लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) कम्पाला में हमारे हाई कमिश्नर की सरकारी कार 20 जून को शाम चार बजे सशस्त्र डकतों ने छीन ली थी जबकि हाई कमीशन का स्थानीय ड्राइवर कार के लिए पट्रोल लेने गया था। मशीन-गनों से लैस सादे कपड़े में चार व्यक्ति एक कार में इस कार के पास आए और कार रोक दी तथा बन्दूक दिखाकर ड्राइवर को बाहर निकाल दिया और कार लेकर चले गए।

इस सशस्त्र डकैती के तुरन्त बाद हमारे हाई कमिशनर ने कम्पाला में पुलिस को तथा सैनिक प्राधिकारियों को भी सूचना दे दी। उगांडा के प्राधिकारियों ने कार उगांडा के एक सीमावर्ती शहर से क्षतिग्रस्त स्थिति में ढूंढ ली है। कार हमारे हाई कमीशन को लौटा दी गयी है।

इंदौर की कपड़ा मिलों की ओर भविष्य निधि की बकाया राशि

4570. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन० टी० सी० मिल्स राजकुमार हुकुमचन्द तथा होम टेक्सटाइल मिल्स सहित इंदौर की विभिन्न कपड़ा मिलों ने कर्मचारी भविष्य निधि की अपनी अंशदान राशि जमा नहीं कराई है ;

(ख) क्या यह मामला सरकार के ध्यान में भी लाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

चीन, जापान तथा अमरीका के बीच सैनिक संबंध

4571. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवादी चीन गणतंत्र के प्रधान मंत्री तथा उपप्रधान मंत्री की हाल की जापान तथा अमरीका की यात्रा के दौरान उन देशों के बीच सैनिक संबंधों के बारे में बातचीत तथा आश्वासन सामने आए हैं जिनसे प्रशांत तथा विशेष रूप से हिंद महासागर की शांति तथा स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) चीन के उप प्रधान मंत्री जेंग बीआओ की संयुक्त राज्य अमरीका की हाल की यात्रा के दौरान अमरीकी रक्षा मंत्री, हेरल्ड ब्राउन ने चीनी नेताओं के साथ व्यापक बातचीत के बाद बताया कि अमरीका की सरकार ने चीन को भेजी जाने वाली युद्ध सामग्री की सूची की मदों के लिए अमरीकी कंपनियों से प्राप्त जो निर्यात लाइसेंस आवेदन-पत्र विचाराधीन थे, उनपर अपनी स्वीकृति दे दी है। इन मदों में, जिन्हें सहायक सैन्य सामग्री बताया गया है, सामरिक वायु सुरक्षा रेडार सैट, परिवहन हैलिकाप्टर, परिवहन विमान, संचार गियर और प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने वाली स्थिर युक्तियां शामिल हैं। बताया गया है कि चीन को अमरिकी हथियारों की बिक्री की संभावना के बारे में बात

करते हुए चीन के उप-प्रधानमंत्री ने कहा है, "मैं नहीं समझता कि अभी इसकी कोई संभावना है लेकिन भविष्य में हो सकती है।" अमरीकी प्रशासन ने कहा है कि चीन के साथ सैनिक गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन दोनों पक्ष एक समान मूल्यांकन की बात करते हैं।

चीनी प्रधान मंत्री हुआ गुओ फेंग ने मई 1980 में जापान की यात्रा की। हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनकी इस यात्रा के दौरान सैन्य संबंधी विषयों पर कोई बातचीत हुई थी या नहीं। इससे पहले जापान के प्रधान मंत्री ओहिरा ने दिसंबर, 1979 में चीन की अपनी यात्रा के दौरान कहा था :

"जापान सैनिक क्षेत्र में किसी भी देश को सहयोग नहीं देगा। चीन भी इसका अपवाद नहीं है।"

चीन के प्रधान मंत्री हुआ गुओ फेंग, जापान के दिवंगत प्रधान मंत्री श्री ओहिरा की अंत्येष्टि के अवसर पर पुनः टोकियो गए थे। टोकियो की इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर से हुई। समाचार ऐजेंसी की खबरों के अनुसार व्हाइट हाउस के प्रैस सचिव श्री जे० पावेल ने इस बैठक के बाद कहा था कि "यह बातचीत साधान और मूल्यवान" थी और यह भी कि "सामरिक परिप्रेक्ष्य के विषय में अमरीका और चीन लोक गणराज्य के बीच अनिवार्य सहमति थी।" इस बातचीत में किसी भी जापानी अधिकारी ने हिस्सा नहीं लिया था।

(ख) भारत सरकार ऐसी सभी घटनाओं पर निरंतर निगाह रखती है जिनका इस क्षेत्र पर आमतौर से और भारत पर विशेष तौर से प्रभाव पड़ता हो।

कालूपदाघाट में ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को ठहराने की व्यवस्था करना

4572. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस को पुरी जिला, उड़ीसा में कालूपदाघाट पर (हाल ही में बंद किये गये) ठहराने, सत्यबोर में जयनाथ एक्सप्रेस को ठहराने और उड़ीसा के पुरी जिला में बालगून पर कोणार्क सुपर फास्ट गाड़ी को ठहराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय करने में विलंब के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं। प्रसंगवश, इस समय सत्यबादी नाम का कोई स्टेशन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हवाना में गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन

4573. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने आगामी जुलाई में गुट-निरपेक्ष देशों के हवाना में होने वाले संमेलन में संमिलित होने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो संमेलन में किन-किन विषयों पर विचार किया जायेगा ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस वर्ष जुलाई में हवाना में गुट-निरपेक्ष देशों का कोई संमेलन आयोजित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'न्यू डिवाईस फार टर्मिनेटिंग प्रेगनेन्सी' शीर्षक समाचार

4574. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1980 के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में 'न्यू डिवाईस फार टर्मिनिंग प्रेगनेंसी' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : इस उत्पाद को आम इस्तेमाल के लिये पास कर दिया गया है। मैसर्स यूनिकेम लेबोरेट्रीज लिमिटेड, बंबई को इसका उत्पादन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के माध्यम से लाइसेंस दे दिया गया है। उन्होंने "डाइलेक्स-सी" नाम के ब्रांड से इस उत्पाद को बिक्री के लिए हाल ही में इसका उत्पादन शुरू कर दिया है।

दक्षिण अफ्रीका सरकार के दमनकारी कार्य

4575. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण आफ्रिका की जातिवादी सरकार द्वारा मूल तथा काले लोगों के विरुद्ध किये गये दमनकारी कार्य हाल में बढ़ गये हैं और उसके परिणामस्वरूप मानव स्वतंत्रता तथा सम्मान के लिए लड़ने वाले अनेक व्यक्ति मारे गए हैं ;

(ख) क्या इन दमनकारी कार्यों तथा हत्याओं के बारे में सरकार के पास कोई विस्तृत जानकारी है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) रंग भेद और जातिवाद के विरुद्ध आंदोलन में दक्षिण आफ्रिका के लोगों की भारत ने किस प्रकार सहायता की है और किस प्रकार सहायता कर रहा है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) : दक्षिण अफ्रीका की स्थिति पर रिपोर्टों से ऐसा लगता है कि जातीय पृथग्वासनवादी सरकार के दमनकारी उपाय जारी है जिनकी वजह से मूल मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है । दक्षिण अफ्रीका की जातिवादी सरकार ने बिना मुकदमा चलाए अनेक लोगों को बंदी बनाया, प्रतिबंधात्मक आदेशों के अंतगत अनेक पाबंधियां लगाई है तथा राजनीतिक मुकदमों के परिणामस्वरूप कैद की लंबी-लंबी सजायें दीं और इसमें कम से कम एक व्यक्ति को (युवा ए० एन० सी० प्रतिक्रियावादी श्री जेम्स मांगे के विरुद्ध) मौत की सजा दी गई है । दक्षिण अफ्रीकी प्राधिकारियों ने भी असमानता पर आधारित शिक्षा पद्धति के विरुद्ध अश्वेत लोगों, भारतीय तथा काले छात्रों द्वारा, किए गए विरोध के प्रति भी कड़ा रुख ही अपनाया है । दक्षिण अफ्रीका में पिछले दो महिनों के दौरान पुलिस द्वारा की गई गोली-बारी में कम से कम लोगों के मारे जाने का समाचार है ।

(घ) जातीय पृथग्वासन के बारे में, मूल मानवाधिकार तथा राजनीतिक अधिकार न दिए जाने के बारे में और दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक समुदाय के विरुद्ध दमनकारी उपायों के बारे में सरकार की नीति को दोहराने की जरूरत नहीं है । भारत दक्षिण अफ्रीका में संघर्षरत लोगों को राजनीतिक और नैतिक सहयोग तथा सामग्री की सहायता देता रहा है । हमने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को सहायता और सहयोग दिया है । भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के छात्रों को छात्रवृत्तियां तथा प्रशिक्षण सुविधायें दी हैं । भारत जातीय पृथग्वासन के शिकार लोगों की सहायता के लिए स्थापित विभिन्न संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यास निधियों में भी अंशदान करता है ।

खड़गपुर में दक्षिण पूर्वी रेलवे प्रेस में नहीं लगाई गई मशीनें

4576. **श्री नारायण खौबे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे प्रेस, खड़गपुर में कुछ मशीनें कई वर्षों से नहीं लगाई गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) इन मशीनों को कब खरीदा गया था और प्रत्येक मशीन का मूल्य क्या अदा किया गया था ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन के दबाव के बारे में सर्वेक्षण

4577. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लरी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजपथों पर सड़क परिवहन के बढ़ते हुए दबाव के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है, यातायात के परिणाम के विषय में वर्ष में दो बार आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं । इन आंकड़ों की योजना तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता है । इसके अलावा कुछ यातायात की संख्या संबंधी और विभिन्न गाड़ियों आदि का भार संबंधी अध्ययन भी लगातार किया जा रहा है ।

लन्दन में प्रेम चन्द शताब्दी

4578. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय हाई कमीशन की सहायता और सहयोग से लन्दन में प्रेम चन्द शताब्दी मनायी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस अवसर पर किसी प्रकाशन के निकाले जाने का विचार है ;

(घ) क्या ऐसे ही समारोह विश्व की सभी प्रमुख राजधानियों में आयोजित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी हां। लंदन के भारत-भवन में 31 जुलाई, 1980 को प्रेमचन्द शताब्दी समारोह आयोजित करने के लिए एक उच्चाधिकार समिति गठित की गयी है, जिसके सदस्यों में प्राच्य-विद्या में रुचि रखने वाले ब्रिटिश और भारतीय शिक्षा-शास्त्रियों के अतिरिक्त वहां के अनेक पत्रकार भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रख्यात विद्वान व्याख्यान देंगे और प्रेमचन्द को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस समारोह के अन्त में भारत के कार्यकारी हाई कमिशनर स्वागत-समारोह आयोजित करेंगे। हमारे हाई कमीशन के साप्ताहिक समाचार बुलेटिन में पहले भी प्रेमचन्द पर लेख प्रकाशित हो चुके हैं और इस साप्ताहिक का 24 जुलाई का अंक पूरी तरह प्रेमचन्द पर ही होगा।

(घ) और (ङ) : प्रेमचन्द शताब्दी समारोह के लिए मारीशस में बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है और इस सम्बन्ध में फीजी तथा अन्य कैरीबियाई आदि देशों से सूचना की अभी प्रतीक्षा है।

कुष्ठरोग के उन्मूलन के लिये उपाय

4579. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ रोग की रोकथाम और उन्मूलन के लिये राज्यवार क्या विस्तृत उपाय किये जा रहे हैं ; और इस तरह कितने लोगों की सेवा की जा रही है ;

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित उपायों पर गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई है ; और

(ग) क्या देश में कुष्ठ रोग के इलाज और उपचार के बारे में पूरी जांच करने के लिये कोई लघु समिति नियुक्त करने का विचार है ; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) कुष्ठरोग के उच्च तथा सामान्य स्थानिक मारी वाले इलाकों में रोगियों का आरम्भ में पता लगाने और उनका नियमित उपचार करने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाये जा चुके हैं। रोगियों का पता घर-घर तथा परिवार-परिवार में जाकर लोगों का आम सर्वेक्षण करके, स्कूलों में जाकर स्कूल सर्वेक्षण करके तथा बच्चों की जांच करके और कुष्ठ रोगियों के परिवार के सदस्यों की जांच कर के लगाया जाता है। रोगियों का इलाज यहां डेपसन की गोलियां खिला कर किया जाता है वहां कठिन तथा गंभीर रोगियों को अस्पतालों में दाखिल कर अन्य दवाओं, भौतिक चिकित्सा तथा शल्य क्रिया द्वारा भी किया जाता है। उच्च स्थानिक मारी वाले चुनिंदा इलाकों में 1980-81 से बहुऔषधीय उपचार जिसमें डेपसन शामिल है, शुरू किया जा रहा है ताकि संक्रामक रोगियों को शीघ्र संक्रमण रहित बनाया जाए और लोगों में रोग पर शीघ्र काबू पाया जा सके।

स्वास्थ्य शिक्षा सभी स्तरों पर, रोगियों का पता लगाने, उनका उपचार करने तथा उनके रोग का निवारण करने और उनकी शारीरिक कुरूपताओं को ठीक करने के लिए एक अभिन्न अंग है।

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन ऐसी सेवाएं कुष्ठ नियंत्रण की सरकारी तथा स्वैच्छिक यूनिट/केन्द्र स्थापित करके सुलभ की जा रही हैं।

कुष्ठ नियंत्रण यूनिटों तथा एस० ई० टी० केन्द्रों की राज्यवार संख्या, खोजे गये, दर्ज किए गये तथा उपचार किए जा रहे कुष्ठ रोगियों की संख्या क्रमशः विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के प्लान बजट के अधीन केन्द्र आबंटन के रूप में खर्च की गई कुल रकम इस प्रकार है :—

1977-78	. .	586.71 लाख रुपये
1978-79	. .	767.25 लाख रुपये
1979-80	. .	231.82 लाख रुपये

1979-80 में आबंटनों में कमी करने का कारण यह है कि 1974-75, 1975-76 तथा 1976-77 में जो यूनिट खोले गये थे वे 1979-80 में नान-प्लान मैंटेनैंस के अंतर्गत चले गये थे। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम बन गया जिसका खर्च केन्द्र और राज्यों के बीच आधा-आधा बांटा जाना था।

राज्यवार प्लान बजट आबंटन तथा सूचित किया गया व्यय विवरण-तीन में दिया गया है।]

(ग) जी नहीं। कुष्ठ के इलाज तथा उपचार संबंधी सलाह कुष्ठ रोग की कई एक वर्तमान विशेषज्ञ समितियों के विचार-विमर्शों में उपलब्ध है।

भारत सरकार की राष्ट्रीय कुष्ठ रोग सलाहकार समिति की उपसमिति ने हाल ही में इस बारे में विचार किया है और कुष्ठ रोग के लिए संशोधित उपचार अर्थात् संक्रामक कुष्ठ रोगियों के लिए बहु औषधीय नुस्खा सुझाया है जिसे भारत सरकार ने 1980-81 से लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया है।

विवरण 1

मार्च, 1980 तक राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग-अलग घटकों का विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कु० नि० यू०	स०शि० उ०केंद्र	कुष्ठ केंद्र नगरीय	पु०श० यू०	अ०अ० वार्ड	कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र	जिला कुष्ठ कार्यालय	कुष्ठ रोग के लिए पलंग
1	आंध्र प्रदेश	560	592	60	14	40	7	14	3,188
2	असम	5	150	9	..	2	1	4	1,262
3	बिहार	36	1,015	20	5	22	3	10	1,767
4	गुजरात	8	360	20	3	6	1	6	880
5	हरियाणा	..	2	..	..	..	..	..	120
6	हिमाचल प्रदेश	6	7	1	1	1	..	..	453
7	जम्मू व कश्मीर	5	30	2	..	2	..	..	226
8	कर्नाटक	21	615	40	5	6+9	4	9	1,169
9	केरल	2	331	15	1	3	1	..	2,735
10	मध्य प्रदेश	9	431	22	2	4	2	6	2,321
11	महाराष्ट्र	42	900	60	11	20	7	15	4,823
12	मणिपुर	3	10	1	1	1	..	1	150
13	मेघालय	2	16+5	1	..	1	.	1	20
14	नागालैंड	1	22	2	1	2	..	1	209
15	उड़ीसा	39	182	5	2	3	1	..	1,190
16	पंजाब	..	..	10	1	1	..	1	809
17	राजस्थान	1	50	4	..	1	..	..	171
18	सिक्किम	1	..	..	..	..	..	..	..
19	तमिलनाडु	64	132	48	10	25	6	12	3,807
20	त्रिपुरा	2	10	2	..	1	..	1	20
21	उत्तर प्रदेश	27	258	50	6	15	4	12	2,062
22	पश्चिम बंगाल	42	700	50	6	30	4	10	3,234
23	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	..	10	2	..	1	..	1	35
24	अरुणाचल प्रदेश	..	12	..	..	1	..	1	180
25	चंडीगढ़	..	..	..	..	..	..	..	..
26	दादरा व नगर हवेली	..	..	..	..	..	..	..	..
27	दिल्ली	..	..	1	..	..	..	..	519
28	गोवा, दमन व दीव	1	22	2	..	..	..	..	20
29	लक्षद्वीप	..	..	..	..	..	..	..	109
30	मिजोरम	1	7	1	1	1	1	1	20
31	पांडिचेरी	1	20	2	2	1	..	1	220
	भारत	381	6,595	430	71	199	41	107	31,899

कु० नि० यू०=कुष्ठ नियंत्रण यूनिट

स० शि० उ० के०=सर्वेक्षण, शिक्षा, उपचार केन्द्र

पु० श० यू०=पुनर्रचनात्मक शल्य क्रिया यूनिट

अ०, अ० वार्ड=अस्थायी अस्पताल वार्ड

विवरण 2

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

वास्तविक उपलब्धियां

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या (1971)	मार्च, 1980 तक रिकार्ड किए गए रोगियों, रोगमुक्त मामलों को छोड़कर, की संख्या	मार्च, 1980 तक जिन रोगियों, रोग मुक्त मामलों को छोड़कर, का इलाज शुरू किया गया उनकी संख्या
1	आंध्र प्रदेश	6.28	4.645	3.746
2	असम	0.12	0.045*	0.043*
3	बिहार	3.39	1.696	1.563
4	गुजरात	0.54	0.577	0.539
5	हरियाणा	0.01	0.001	0.001
6	हिमाचल प्रदेश	0.15	0.061	0.059
7	जम्मू व कश्मीर	0.05	0.051	0.042
8	कर्नाटक	1.74	1.199	1.174
9	केरल	0.75	0.371	0.331
10	मध्य प्रदेश	0.32	0.234*	0.234*
11	महाराष्ट्र	2.80	2.846	2.869
12	मणिपुर	0.06	0.054	0.034
13	मेघालय	0.06	0.017*	0.011*
14	नागालैंड	0.05	0.020	0.019
15	उड़ीसा	2.37	1.325	1.210
16	पंजाब	0.02	0.006*	0.006*
17	राजस्थान	0.10	0.051	0.038
18	सिक्किम	0.05	0.001	0.001
19	तमिलनाडु	7.83	7.107	5.023
20	त्रिपुरा	0.10	0.029	0.021
21	उत्तर प्रदेश	1.68	2.541	2.322
22	पश्चिम बंगाल	3.80	1.766*	1.252*
	संघ शासित क्षेत्र :			
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.01	0.005	0.005
24	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.008*	0.003
25	चंडीगढ़	...	...	...
26	दादरा और नगर हवेली	0.011	0.005	0.005
27	दिल्ली	0.01	0.047	0.046
28	गोआ, दमण व दीव	0.05	0.012	0.012
29	लक्षद्वीप	0.01	0.005	0.005
30	मिजोरम	0.01	0.003	0.003
31	पांडिचेरी	0.19	0.129	0.125
	अखिल भारत	32.45	24.857	20.742

*आंकड़े अपूर्ण हैं क्योंकि कई पत्र भेजने के बावजूद भी इन राज्यों से वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के आंकड़े नहीं मिले हैं।

विवरण 3

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम

व्यय विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1977-78 के आवंटन	1977-78 का खर्च	1978-79 के आवंटन	1978-79 का खर्च	1979-80 के आवंटन	1979-80 का खर्च
1 आंध्र प्रदेश	65.00	111.34	92.00	141.97	28.00	9.59(अनु०)
2 अरुणाचल प्रदेश	3.60	0.03	3.15	0.11	2.10	0.07 (अनु०)
3 असम	5.75	8.79	11.00	14.86	4.25	0.63(अनु०)
4 बिहार	25.00	24.82	50.30	55.36	17.65	50.71@
5 गुजरात	16.00	34.17	37.50	46.75	5.75	19.86@
6 हरियाणा	1.10	0.17	2.05	0.02	0.05	..
7 हिमाचल प्रदेश	1.10	0.98	3.10	2.79	0.60	0.97
8 जम्मू व कश्मीर	3.70	0.19	4.10	0.10*	0.45	0.20(अनु०)
9 कर्नाटक	23.00	38.11	52.00	48.35	9.50	3.70
10 केरल	8.00	6.00	11.00	11.17	2.30	0.81
11 मध्य प्रदेश	11.36	23.19	28.00	40.92	7.00	1.31(अनु०)
12 महाराष्ट्र	52.50	49.83	78.50	85.78	24.75	3.36(अनु०)
13 मणिपुर	2.10	4.07	4.05	7.66	0.53	7.46@
14 मेघालय	2.15	7.90	4.60	8.81	1.05	8.98@
15 नागालैंड	3.20	8.59	5.15	6.75	0.33	0.18
16 उड़ीसा	32.00	43.85	60.20	56.29	9.10	3.96
17 पंजाब	1.20	1.60	3.70	0.97*	0.27	0.40
18 राजस्थान	3.10	3.41	6.10	7.44	0.90	5.42@
19 सिक्किम	0.55	1.64	3.05	2.10	0.07	0.03(अनु०)
20 तमिलनाडु	61.25	79.09	88.00	85.74	18.00	3.76
21 त्रिपुरा	2.10	3.33	4.10	6.70	0.55	3.76
22 उत्तर प्रदेश	42.80	79.60	56.00	77.10	20.65	49.24@
23 पश्चिम बंगाल	48.15	50.22	73.75	49.28	15.85	2.56
संघ शासित क्षेत्र :						
1 अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1.50	1.48	1.60	1.78	0.10	0.03
2 दादरा व नागर हवेली	..	..	..	..	0.05	..
3 चंदीगढ़	..	..	..	..	..	..
4 दिल्ली	0.25	0.30	0.65	0.10	1.30	0.09
5 गोआ	1.00	0.70	1.15	0.07	0.65	0.37
6 लक्षद्वीप	0.25	0.03	0.50	0.00	1.05	0.04
7 मिजोरम	2.90	1.55	1.10	5.74	0.60	5.71
8 पांडिचेरी	1.50	2.23	3.00	2.03	0.80	0.25(अनु०)
	422.11	586.71	689.40	766.75	174.25	188.43
केन्द्रीय सैक्टर	27.89	..	10.60	0.50	57.57	1.80
योग	450.00	586.71	700.00	767.25	231.82	190.23

अनु० : अनुपलब्ध

*इन राज्यों ने खर्च की पूरी रिपोर्ट नहीं भेजी है।

@इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने पांचवीं प्लान यूनिटों/केन्द्रों के खर्च को छठी पोप्लाने खर्च रिपोर्टों में शामिल कर लिया है और सही प्लान खर्च सूचित नहीं किया है।

नोट :—बार-बार अनुस्मारक भेजने के बावजूद इन राज्यों ने खर्च की कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है। केवल केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को सप्लाई की गई दवा सामग्री और उपकरण की कीमत ही दिखाई गई है।

मलेरिया का उन्मूलन करने पर हुआ व्यय

4580. **श्री दौलत राम सारण :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था और इस पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश से मलेरिया रोग का उन्मूलन कर दिया गया था और यह घोषणा की गई थी कि मलेरिया का रोगी बताने पर इनाम दिया जाएगा ; और

(ग) इस रोग के दुबारा फैलने के क्या कारण है और इसको रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम पर 1958 से मार्च, 1980 तक कुल मिला कर लगभग 494.03 करोड़ रुपए खर्च हुए।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता। फिर भी मलेरिया के रोगियों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए पहली अप्रैल, 1977 से एक संशोधित कार्य-योजना चलाई जा रही है जिसकी मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

संशोधित कार्य-योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

1. राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की वर्तमान यूनिट का जिले की भौगोलिक सीमा के अनुरूप पुनर्गठन किया गया है। पहले जिलो के मुख्य चिकित्सा अधिकारियो को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया था लेकिन इन यूनिटो का पुनर्गठन हो जाने के कारण उन्हें जिले में इस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बताया गया है।

2. राज्यों को विभिन्न कीटनाशी दवाइयों, डी०डी०टी०, वी०एच०सी० मलेरियन की अधिक मात्रा सप्लाई की गई है/की जा रही है। जहां रोग वाहकों पर डी०डी०टी०, वी०एच०सी० का कोई असर नहीं होता, उन यूनिटो/जिलो को वैकल्पिक कीटनाशक/दवाइयां भी उपलब्ध की जा रही हैं।

3. उन सभी ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां प्रति हजार जनसंख्या के पीछे दो या इससे अधिक रोगी हैं, कीटनाशी दवाइयों का छिड़काव किया गया है।

4. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों को मलेरिया-रोधी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में सप्लाई की गई हैं/की जा रही हैं। औषधियां आसानी से उपलब्ध करने के लिए लगभग 3·40 लाख औषधि वितरण केन्द्रों/ज्वर उपचार केन्द्रो की स्थापना कर दी गई है। जिन क्षेत्रों में परजीवियो पर क्लोरोक्विन का कोई असर नहीं हुआ, वहां पर कुनीन जैसी वैकल्पिक मलेरिया रोधी दवाई सप्लाई की गई है।

5. नगरीय मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत लार्वा-रोधी कार्यो को तेज कर दिया गया है। 1979 में इस योजना को वर्तमान 103 शहरों के अलावा 12 और शहरों में लागू कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 17 और शहरों को लाने का प्रस्ताव है।

6. क्षेत्रीय स्टाफ के निगरानी कार्य को तेज कर दिया गया है।

7. मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के क्षेत्र में सैद्धांतिक और व्यावहारिक अनुसंधान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के तत्वावधान में 14 अनुसंधान योजनाए अर्थात् 8 आपरेशन अनुसंधान के लिए और 6 मलेरिया के प्रयोगशाला अनुसंधान के लिए आरंभ की गई है।

8. ब्लड स्मीयरो का तत्काल परीक्षण तथा सक्रिय रोगियों पर तत्काल इलाज करने के लिए प्रयोगशाला सेवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है।

9. प्लासमोडियम फाल्सीपरम के संक्रमण को, जिसके कारण मस्तिष्कीय मलेरिया हो जाने से मौत हो जाती है, फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के 18 जिलो में सघन कार्यक्रम आरंभ कर दिए गए हैं। यह कार्यक्रम 37 और जिलों में चालू किया जा रहा है।

10. रोग के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए और इसके नियंत्रण के लिए जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) क्लोरोक्विन की गोलियों के वितरण के लिए पंचायतों और स्कूल अध्यापकों को शामिल किया गया है।

(2) दूर-दराज वाले पिछड़े क्षेत्रों में दवाइयो के डिपुओ को खोल दिया गया है। कुछ राज्यों में यह कार्य जनजाति कल्याण विभाग के सहयोग से किया गया है।

(3) "दि थ्रेट" नामक एक फिल्म, जो हाल ही में तैयार की गई थी उसे चौदह क्षेत्रीय भाषाओं में सारे देश में दिखाया जा रहा है ।

(4) इस आशय के पोस्टर "बुखार-मलेरिया हो सकता है—क्लोरोक्विन गोलियां लीजिए" पंचायतों, स्कूलो, प्राइमरी हैल्थ सेंटरो और सब-सेंटरो में प्रदर्शित करने हेतु राज्य सरकारों को सप्लाई किए गए हैं ।

(5) क्षेत्रीय भाषाओ मे, मलेरिया में क्या-क्या करना चाहिए, नामक एक पैम्फलेट भी तैयार किया गया है, जिसमें मलेरिया के लक्षणो में क्लोरोक्विन की मात्रा, आदि का उल्लेख है और उसे पंचायतो, स्कूलों, अध्यापकों और अन्य स्वैच्छिक एजेंसियो में वितरित करने के लिए राज्यों को सप्लाई किया गया है ।

(6) पंचायतो के अध्यक्ष और मंत्रियों को मलेरिया के बारे में विषय परिचायक प्रशिक्षण देने का भी विचार है ।

(7) चिकित्सा व्यावसायिक के क्या-क्या कार्य होने चाहिए, इसके बारे में भी फोल्डर तैयार करके राज्यों को सप्लाई किए गए हैं ताकि वे उन्हें चिकित्सा व्यावसायिको में बांट दें । इसी प्रकार एक और पैम्फलेट "मलेरिया फिर क्यों" भी तैयार किया गया है और उसे उपायुक्तो, मुख्य चिकित्सा अधिकारियो और खंड विकास अधिकारियों में बांटन के लिए राज्यों को सप्लाई कर दिया गया है ताकि उपर्युक्त अधिकारियो को मलेरिया संबंधी मौजूदा समस्याओं और प्रस्तावित कार्यवाही करने के बारे में जानकारी दिलाई जा सके ।

(8) मलेरिया-रोधी संदेश का प्रचार करने के लिए डाक और तार विभाग द्वारा विशेष पोस्टल स्टेशनरी रिलीज की गई है ।

(9) मलेरिया की रोकथाम तथा इसके इलाज के बारे में लोगो को जानकारी दिलाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन ने भी कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं ।

देशी नियंत्रण प्रणाली

4581. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में देशी नियंत्रण प्रणाली आरम्भ की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मैसर्स इलेक्ट्रोनिकस कारपोरेशन आफ इंडिया लि० ने भारतीय रेलो के डब्लू एजी-1 टाइप के बिजली रेल इंजनो के लिए एक थैरिस्टर कनवर्टर उपस्कर तैयार किया है। शायद, माननीय संसद सदस्य का आशय बिजली लोको शेड, टाटानगर में एक बिजली रेल इंजन में हाल ही में लगाये गये इस उपस्कर से है ।

(ख) थैरिस्टर कनवर्टर उपस्कर विभिन्न अपेक्षित गतियो में बिजली रेल इंजनों के परिचालन को नियंत्रित करने में सहायक होता है । प्रथम प्रोटोटाइप उपस्कर का टाटानगर क्षेत्र में परीक्षण किया जा रहा है । प्रथम प्रोटोटाइप रेल इंजन पर विशेष उपकरणों परीक्षण प्रभो पूरे नहीं हुए हैं । प्रोटोटाइप के रूप में गहन सेवा परीक्षणों के लिए उपस्करो के और 9 सेटों की सुपुर्दगी की जानी है और उन्हें उपयोग मे लाया जाना है । इन परीक्षणो के पूरा हो जाने पर, उपस्कर का मूल्यांकन किया जायेगा । प्रोटोटाइप उपस्करो की सेवागत अनुभवो के आधार पर इस प्रणाली को नियमित रूप से उपयोग में लाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

रिलाएंस जूट मिल, कलकत्ता का बन्द होना

4582. **श्री नीरेन बोस** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला 24 परगना कलकत्ता में रिलाएंस जूट मिल कांकीनारा के प्रबंध ने त्रिपक्षीय बातचीत असफल हो जाने के बाद 22 फरवरी, 1980 को तालाबंदी घोषित कर दी ;

(ख) क्या प्रबन्ध तथा श्रमिको के बीच विवाद की बातो के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार संबंधित पार्टियो के बीच सौहार्द्रपूर्ण निपटारा कराने की दृष्टि से विवाद में हस्तक्षेप करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (घ) : उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स रिलाएंस जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, भाटपाड़ा ने 22 फरवरी, 1980 से अपनी जूट मिल में तालाबन्दी घोषित कर दी। यह सूचित किया गया है कि आप काप वाइंडरो द्वारा अपनाई गई अभिकथित धीरे काम करो नीति के कारण तालाबन्दी घोषित की गई ।

तालाबन्दी अभी भी जारी है। मुख्यतः यह पश्चिम बंगाल सरकार का काम है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन यूनिट के लिए समुचित सरकार है, कि वे विवाद को निपटाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। फिर भी भारत सरकार हमेशा मध्यस्थता करने के लिए तैयार है, जब कभी संबंधित पक्षकारों /राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किया जाता है।

चालक (ड्राइविंग) लाइसेंस

453. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 20 जून, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में बेयर टाइटस होल्ड स्वे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ये दलाल पड़ौसी राज्यों से कुछ राशि के भुगतान पर चालक लाइसेंस की व्यवस्था करते है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राजधानी में बहुत से ड्राइवरों के पास अन्य राज्यो; लिये गये चालक लाइसेंस हैं; और

(घ) यदि हां, तो चालक लाइसेंस की लेने संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी, हां। प्रत्येक राज्य में जारी किया गया ड्राइविंग लायसेंस सारे देश भर में वैध होता है।

(घ) सड़क प्रयोक्ताओ के हित में, ड्राइविंग लायसेंस कठिन परीक्षा के बाद दिए जाते हैं। राज्य सरकारो को भी ऐसे नियम बनाने की शक्तियां दी गयी है, जिनमें परिवहन गाड़ियां चलाने के लिए लायसेंन्स दिए जाने वालो की न्यूनतम योग्यता निर्धारित करना, जिस अवधि में यह योग्यता प्राप्त करनी है, और ऐसे व्यक्तियो का आचरण, उनकी ड्यूटी, कर्त्तव्य आदि सब बातें शामिल है।

मद्रास पत्तन के शैड और बेदर सैक्शन के कर्मचारी

4584. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास पत्तन के शैड और बेदर सैक्शन के कर्मचारी 9 जून, 1980 से हड़ताल पर हैं और उनकी मांग है कि 'शोर गैंग साइट' में रिक्त पदो पर उन्हें नियुक्ति किये जाने संबंधी एक पूर्व करार को क्रियान्वित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बुटासिंह) : (क) और (ख) : मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग के रोड और वार्फ सेक्शन के मजदूरों और मिस्त्रियों ने सिविल इंजीनियर्स विभाग के कन्जर्वेन्सी सिविल मेंटेनांस रोड्स एण्ड यार्डस एण्ड प्रोजेक्ट सेक्शन के मजदूरो तथा बिजली और यांत्रिक विभाग के मजदूरो ने 9 जन से 19 जून, 1980 तक काम बंद रखा। उनकी मांग यह थी कि उन्हें तटीय मजदूर की श्रेणी में स्थानांतरित किया जाए। इन मजदूरो को तटीय गैंग मजदूरो की रिक्तियो में खपाने के बारे में पहले कोई करार नहीं किया गया था। परन्तु कुछ समय पहले इस बारे में उक्त मजदूरो ने मांग जरूर की थी जब पत्तन प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। हड़ताल का आयोजन मद्रास पोर्ट यूनाइटेड लेबर यूनियन और मद्रास पोर्ट एण्ड डॉक एम्पलाइज यूनियन ने किया। इन यूनियनो ने हड़ताल का नोटस भी दिया था। 9, 10, 11, 12 व 16 जून, 1980 को समझौते की बातचीत शुरु की गई, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। बाद में, 18 और 19 जून 1980 को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), मद्रास द्वारा मध्यस्थता करने पर यह तय हुआ कि जितना जल्दी हो सके तटीय मजदूरो की रिक्तियो की संख्या आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी और पत्तन प्रशासन शीघ्र ही सभी यूनियनो के साथ सलाह-मशविरा करके मजदूरो को तटीय मजदूरो की श्रेणी में स्थानांतरित करने की उनकी मांग पर विचार करेगा। पत्तन प्रशासन उपरोक्त समझौते पर आगे की कार्रवाही कर रहा है।

उड़ीसा में मलेरिया के क्षेत्र

4585. **श्री के० प्रधानी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की उड़िसा के जिन क्षेत्रों में मलेरिया के सर्वाधिक रोगी हैं, उनका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : 1978 और 1979 के दौरान उड़ीसा में मलेरिया के रोगियों का जिले-वार तुलनात्मक विवरण संलग्न है। 1979 में कोरापुट, गंजम और संबलपुर जिलो में मलेरिया के सर्वाधिक रोगी हुये हैं।

विवरण

1978–79 के दौरान उड़ीसा में मलेरिया के रोगीयो का जिलेवार विवरण

क्रम० सं०	जिले का नाम	1978 पाजेटिव	1979 पाजेटिव
1.	धालसोड़	12421	8231
2.	बलंगीर	17937	7774
3.	कटक	11042	9516
4.	ढेनकनाल	25869	16260
5.	गंजम	38173	37733
6.	केंझगढ़	27178	25097
7.	कालाहांडी	29303	16284
8.	कोरापुट	64588	64868
9.	मयूरभंज	33406	30525
10.	पूरी	18853	14546
11.	फुलबरी	18402	17671
12.	सुन्दरगढ़	33805	27110
13.	सम्बलपुर	43614	35337
	योग :	374591	310952

ब्रिटेन के एक स्कूल में एक सिख लड़के को प्रवेश न दिया जाना

4586. **श्री के० मालन्ना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जून, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि वेस्ट मिड्लैंड के एक स्कूल में एक सिख लड़के को तब तक प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया था जब तक वह अपनी पगड़ी उतार नही देता ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, एगबस्टन, बरमिंघम के पार्क ग्रोव प्राइवेट स्कूल में श्री सेवा सिंह मंडला ने, जो कि एक सोलिसीटर हैं, 1978 में अपने पुत्र गुरिन्दर सिंह मंडला को प्रवेश दिलवाने की कोशिश की थी। स्कूल के मुख्य अध्यापक ने इस आधार पर उसे प्रवेश देने से इन्कार किया कि वह पगड़ी पहनकर स्कूल में आएगा जबकि स्कूल की वर्दी का उद्देश्य जाति, वर्ग या मत के अन्तर को कम करना है। यद्यपि गुरिन्दर सिंह ने दूसरे स्कूल में दाखिला ले लिया है तथापि सेवा सिंह मंडला ने जातीय भेदभाव के लिए उस मुख्य अध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की है। यह मामला बरमिंघम के काउन्टी न्यायालय में विचाराधीन है। सेवा सिंह मंडला और उनका पुत्र दोनों ही की निया के राष्ट्रीक हैं।

सरकार यह आशा करती है कि यह मामला सौहार्द पूर्ण ढंग से सुलझ जाएगा और ब्रिटेन में रहने वाले सिखों को, चाहे वे कहीं के भी नागरिक हों, अपने धर्म और रीति-रिवाजों का पालन करने में कोई बाधा नही आएगी।

रेल-भाड़ा की वसूली

4587. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूखी मछली या मछली भोजन की कुछ मदों के मामलों में रेल-भाड़ा की वसूली माल की बुकिंग के समय अनिवार्यतः अग्रिम रूप से वसूल कर ली जाती है ; और

(ख) यदि ,हां तो व्यापार को होने वाली असुविधा को देखते हुए भाड़े की वसूली लक्ष्य पर माल की सुपुर्दगी के समय करने की अनुमति दी जायेगी जैसी कि अधिकांश अन्य मदों के मामलों में किया जाता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) भाड़े की पूर्व-भगतान कुछ मामलों में सूखी मछली और भोज्य मछली के लिए अनिवार्य रखा गया है, जैसा कि नश्वर प्रकृति की और कम मूल्य वाली अन्य मदों के मामले में होता है क्योंकि गंतव्य स्टेशनों पर उनकी सुपुर्दगी न लिये जाने की स्थिति में यदि उन्हें आम नीलाम द्वारा बेचा जाये तो रेलवे द्वारा वस्तुतः प्राप्य भाड़े की रकम भी ऐसी वस्तुओं से नहीं मिल सकती । इसलिए वर्तमान शर्तों में किसी प्रकार की छूट देना वांछनीय नहीं होगा ।

हीथरों हवाई अड्डे पर भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार

4588. **श्री सी० चिन्नास्वामी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छुट्टियां मनाने अथवा व्यापार के काम पर ब्रिटेन जाने वाले भारतीयों को हीथरो हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारियों से परेशानी अथवा अपमान सहना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ब्रिटेन जाने वाले प्रति महीने औसतन 100 भारतीयों को हवाई अड्डे पर प्रवेश देने से इंकार कर दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) ब्रिटिश आप्रवासन अधिकारियों को इस बात का व्यापक अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी आगन्तुक को ब्रिटेन में प्रवेश की अनुमति देने से पहले अपने-आप को हर तरह से संतुष्ट कर ल । समय-समय पर ब्रिटन जाने वाले भारतीय राष्ट्रिकों ने आप्रवासन अधिकारियों द्वारा प्रश्न पूछे जाने और प्रवेश की अनुमति न दने क बारे म शिकायतें की हैं। तथापि ऐसी शिकायतों की संख्या काफी सीमित रही हैं। इस संबंध में प्राप्त विशिष्ट शिकायतों को ब्रिटिश प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाता है ।

(ख) और (ग) 1979 के दौरान, 182905 भारतीयों को ब्रिटेन में प्रवेश करने की अनुमति दी गयी जबकि 1206 भारतीयों को ब्रिटेन में प्रवेश करने से मना कर दिया गया । 1980 की पहली तिमाही में 36000 भारतीयो को प्रवेश की अनुमति दी गयी जबकि 270 भारतीयों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी ।

शिवकाशी के लिए वैगनों का आवंटन

4589. **श्री एन० सुन्दर राजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिवकाशी के लिए और अधिक रेलवे वैगन आवंटित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) प्रत्येक स्टेशन को माल डिब्बों की सप्लाई की व्यवस्था, अधिमान्य यातायात अनुसूचि की प्राथमिकता के अनुसार की जाती है । अप्रैल से जून, 1980 तक शिवकाशी में 309 माल डिब्बों का लदान किया गया है तथा जून, 1980 के अन्त तक केवल 6 मांग-पत्र शेष थे, जिससे पता चलता है कि जुलाई की मांग सफलतापूर्वक पूरी की जा रही है ।

बिहार शरीफ में बीड़ी कामगारों के लिए चिकित्सा सहायता

4590. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के नालन्दा जिले के बिहार शरीफ में कामगारों के लिए एक चिकित्सक तथा औषधियों की व्यवस्था कर ली है;

(ख) क्या यह सच है कि बिहार शरीफ में लगभग 12 हजार कामगार रहते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कामगारों की संख्या को देखते हुए दवाइयों के लिए जितने धन की व्यवस्था की गई है वह नगण्य है; और

(घ) यदि हां, तो वार्षिक अनुदान की राशि कितनी है और क्या सरकार का अनुदान की राशि में वृद्धि करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) : औषधियों के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई है । इस राशि को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया और केन्द्रीय सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुदान

4591. **श्री के० पी० सिंह देव :**

श्री के० प्रधानी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के आदिवासी जिलों में पी० फाल्सीपैरम मलेरिया के मामले बहुत अधिक होते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा भारत सरकार इस रोग का मुकाबला करने के लिए राज्य को विशेष सहायता देती है ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस रोग से प्रभावित क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और यदि हां, तो वे कौन-कौन से हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक ने क्या-क्या सहायता दी है और 1980–81 के लिए क्या-क्या सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां । उड़ीसा में पी० फाल्सीपैरम मलेरिया वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा चुका है और प्रभावित जिलों के नाम नीचे दिये गये हैं :—

1. सुन्दरगढ़;
2. सम्बलपुर;
3. फुलबैनी;
4. मयूरभंज;
5. कालाहण्डी;
6. कोरापुर;
7. कंझार;
8. गंजम;
9. धनकनाल;
10. बोलंगीर;
11. बालासोर और पुरी के कुछ भाग ।

(घ) मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भारत सरकार ने गत तीन वर्षों में तथा चालू वर्ष में उड़ीसा राज्य को जितनी धनराशि दी, वह नीचे दी गई है :—

वर्ष	आवंटित रकम (रुपये लाखों में)	
1977–78 . .	327.68	
1978–79 . .	440.90	
1979–80 . .	254.44	इन वर्षों में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार केन्द्र सरकार ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए खर्च का केवल 50 प्रतिशत हिस्सा दिया ।
1980–81 . .	241.23	

उड़ीसा उन राज्यों में से एक है, जो पी० फाल्सीपैरम केन्टेनमेंट प्रोजेक्टर जोन-2 के अन्तर्गत आकर किये गये हैं, जिसमें उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं । सम्पूर्ण जोन-2 में पी० फाल्सीपैरम के प्रकोप पर काबू पाने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 200,000 डालर खर्च किए जा रहे हैं । यह खर्च विश्व स्वास्थ्य संगठन के जरिए स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता से पूरा किया जाता है ।

सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में टेलीफोन आपरेटरों की वरीयता

4592. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में टेलीफोन आपरेटरों की वरीयता क्या है और टेलीफोन आपरेटरों को निम्न श्रेणी लिपिकों में विलय कर देने के बाद वे किस तारीख से उच्च श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नति के हकदार हो जायेंगे ;

(ख) क्या यह सच है कि सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली के टेलीफोन आपरेटरों को बिना किसी प्रोत्साहन राशि के प्रतिमास 176 घंटे की ड्यूटी देने के लिए मजबूर किया जा रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आपरेटरों ने इस जबरदस्ती की ड्यूटी के खिलाफ विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार यह देखने के लिए कि या तो आपरेटरों से केन्द्रीय सरकार के अन्य अस्पतालों के आपरेटरों के बराबर ड्यूटी करवाई जाये या उनके द्वारा प्रति मास की गई अतिरिक्त घंटों की ड्यूटी के लिए उन्हें समयोपरि भत्ता दिया जाए, क्या कदम उठाने का है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) उच्च श्रेणी लिपिकों के रूप में प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए टेलीफोन आपरेटरों की वरिष्ठता को केवल तभी अंतिम रूप दिया जा सकता है जब टेलिफोन आपरेटरों के पदों को लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक काडर में मिला लिया जाए ।

(ख) से (घ) : लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में एक पी० ए० वी० एक्स० टेलीफोन केन्द्र है जिसमें 10 लाइनें तथा 100 एक्स्टेंशन हैं । यह टेलीफोन केन्द्र इस प्रांगण में स्थित कालेज अस्पताल तथा विभिन्न रिहायशी होस्टलों को सेवा प्रदान करता है । क्योंकि यह केन्द्र मुख्यतया अस्पताल के लिए है इसलिए यह चौबीसों घंटे कार्य करता रहता है तथा टेलीफोन आपरेटरों की शिफ्ट ड्यूटी लगानी पड़ती है जिसमें रात्रि की ड्यूटी भी शामिल है । इस संस्था में कुल 5 टेलीफोन आपरेटर हैं । टेलीफोन आपरेटरों की रात के समय यात्रा करने की कठिनाइयों को देखते हुए उनकी रात्रि शिफ्ट का समय रात के 9.00 बजे से सवेरे के 7.00 बजे तक रखा गया है । अन्य दो शिफ्टें सुबह 7.00 बजे से दोपहर बाद 2.00 बजे तक तथा 12.00 बजे दोपहर बाद से रात के 9.00 बजे तक हैं । सुबह 10.00 बजे से लेकर 5.00 बजे शाम तक के अधिक कार्य के समय के दौरान टेलीफोन आपरेटरों की सहायता के लिए एक अन्य आपरेटर भी लगाया जाता है । शिफ्ट ड्यूटियां इस तरह रखी जाती हैं कि प्रत्येक टेलीफोन आपरेटर को पांच सप्ताह में एक सप्ताह रात्रि ड्यूटी, एक सप्ताह 7.00 बजे सुबह से 2.00 बजे दोपहर बाद तक की ड्यूटी, एक सप्ताह 2.00 बजे दोपहर बाद से 9.00 बजे रात तक की ड्यूटी, एक सप्ताह सुबह 10.00 बजे से 5.00 बजे शाम तक की ड्यूटी और एक सप्ताह सहायता ड्यूटी करनी होती है । दिन की ड्यूटी पर टेलीफोन आपरेटरों को खाना खाने / चाय पीने के लिए एक घंटे का समय दिया जाता है । एक महीने के दौरान टेलीफोन आपरेटर लगभग 170 घंटे कार्य करता है । जिन आपरेटरों को सामान्यतया शिफ्ट ड्यूटी पर नहीं लगाया जाता है वे महीने में लगभग 157 घंटे कार्य करते हैं । महीने में 13 घंटे अधिक काम करने के लिए टेलीफोन आपरेटरों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है ।

टेलीफोन आपरेटरों ने स्टाफ के अन्य वर्गों के मुकाबले में अधिक समय कार्य करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है । तथापि सितम्बर 1978 में टेलीफोन आपरेटरों ने मासिक रोस्टर के स्थान पर साप्ताहिक रोस्टर रखे जाने के संबंध में इच्छा प्रकट की थी । उन्होंने यह भी इच्छा प्रकट की थी कि उन्हें अन्य सरकारी अस्पतालों के टेलीफोन आपरेटरों के समान समझा जाए । लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज की प्रिंसिपल को उनके अनुरोध को मानने तथा यथासंभव अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है ।

श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में एक और टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए भवन का निर्माण किया जा रहा है । कलावती सरन वाल चिकित्सालय में 4 टेलीफोन आपरेटर हैं । नया टेलीफोन केन्द्र बन जाने से 9 आपरेटरों (लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल के 5 और कलावती सरन वाल चिकित्सालय के 4) की पूल की गई सेवाओं से ऐच्छिक राहत मिल पाएगी ।

खलासियों की सेवाएं समाप्त किया जाना

4593. **श्री मोतिलाल हंसदा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिस्ट्रिक्ट सिग्नल एण्ड टेली-कम्युनिकेशन इंजीनियर वर्क्स, ताम्ब्रम, पोडनूर रिमाडलिंग मद्रास एग्मोर और माइक्रोवेव यूनिट, पेरम्बूर के अधीन खलासियों की कुल संख्या कितनी है जिनकी सेवाएं ग्रुप-बी-1 के अधीन स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाये जाने के कारण समाप्त कर दी गयी हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति स्वास्थ्य की नीचली कोटि अर्थात बी-2 और सी-1 में योग्य पाये गए ;

(ग) सी एस टी ई/सी ओ एन / मद्रास के नियंत्रणाधीन एस एण्ड टी शाप्स पेरम्बूर और पोडनूर और अन्य एककों में कुल कितने रिक्त स्थान हैं जिनके लिए ग्रुप बी-II और सी-I पर्याप्त है ; और

(घ) स्वास्थ्य की दृष्टि से बी-1 में अयोग्य पाये गये इन व्यक्तियों की सेवाएं समाप्त किए जाने के क्या कारण हैं जब ऐसे व्यक्तियों को सेवा में रखने के लिए रिक्त स्थान उपलब्ध है जो बी-II और सी-I में योग्य पाये गए थे जैसा कि बोर्ड के निदेश ई(एन सी) II/71 सी एल 84 दिनांक 15-12-73 और इसी संख्या के निदेश दिनांक 10-5-73 में उल्लिखित हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 32

(ख) 18

(ग) 12

(घ) बोर्ड के 13-12-72 और 10-5-73 के पत्रों में उल्लिखित निदेशों के अनुसार, डाक्टरी की बी-1 कोटि में अनुपयुक्त पाये गये नैमित्तिक श्रमिकों को यथा संभव वैकल्पिक कोटि में समाहित किया गया है।

खलासियों की स्वास्थ्य परीक्षा

4594. श्री मतिलाल हंसदा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सी० एस० टी० ई० / सी० ओ० एन० एम० ए० एस० के नियंत्रणाधीन ई० एल०आर०/ खलासियों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति नियुक्ति की तारीख को स्वास्थ्य परीक्षा के लिए भेजे गए थे ;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति कुछ वर्षों के बाद स्वास्थ्य परीक्षा के लिये भेजे गए थे ;

(घ) कुछ वर्ष तक सेवारत रहने के बाद उनमें से कितने व्यक्ति मेडिकल ग्रुप बी-1 के अधीन अयोग्य पाये गए ;

(ङ) बी-1 में स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाये जाने के बाद भी कितने व्यक्ति वर्षों तक सेवा में रखे गये थे ; और

(च) उनको ऐसे स्थानों पर वैकल्पिक रोजगार न दिए जाने के क्या कारण हैं जिनके लिए वे स्वास्थ्य की दृष्टि से योग्य है जबकि सी०एस०टी०ई०/ सी०ओ०एन० / मद्रास के अधीन दक्षिण रेलवे में अनेक रिक्त स्थान उपलब्ध हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 845

(ख) 378

(ग) 464

(घ) 12

(ङ) 12

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास

4595. श्री चाम्नाई एम० करुणानिधि : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास को औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा बोनस अधिनियम के अन्तर्गत लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के कर्मचारियों को बोनस न देने के क्या कारण है हालांकि यह एक औद्योगिक संगठन है ; और उन्हें उक्त बोनस कब से दिया जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन्हें उत्पादकता से जुड़ा हुआ बोनस भी अदा नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्यों और यह कब अदा किया जायेगा ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) गवर्नमेन्ट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आता है, परन्तु यह डिपो बोनस संदाय अधिनियम, 1965 की धारा 32(IV) के कारण उसके उपबन्धों से बाहर है ।

(ग) और (घ) गवर्नमेन्ट मेडिकल स्टोर डिपो वर्कर्स यूनियन, मद्रास ने वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के लिए उत्पादन बोनस के रूप में 15 दिन की मजदूरी के भुगतान की मांग उठाई है। क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) मद्रास ने यूनियन को सलाह दी है कि वह पहले प्रबन्ध तंत्र से अनुरोध करें और यदि कोई समझौता नहीं होता, तब उनसे हस्तक्षेप करने के लिए कहें ।

दक्षिण दिल्ली की कालोनियों में गतिरोधक

4596. श्री एस० एम० कृष्ण : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मकानवासों और निर्माताओं ने राजधानी में शान्ति निकेतन [रडियां मोती बाग, नानकपुरा और आनन्द निकेतन कालोनियों से होकर जाने वाली राव तुलाराम मार्ग को आउटर रिंग रोड़ के साथ मिलाने वाली सड़क पर कोई गति रोधक नहीं बनाये;

(ख) क्या उनको पता है कि व्यस्त समय के दौरान बड़ी संख्या में मोटर गाड़ियों के यातायात विशेषकर स्कूल बसों की संख्या इतनी अधिक होती है कि सड़क को पार करना खतरनाक होता है और इन कालोनियों में रहने वाले बच्चों के लिए निरन्तर खतरा बना रहता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य उस सड़क का उल्लेख कर रहे हैं जो रावतुला राम मार्ग की रिंग रोड़ के साथ जोड़ती है। जहां तक यातायात नीति का प्रश्न है, बड़ी सड़कों पर स्पीड़ ब्रेकरों की व्यवस्था नहीं की जाती क्योंकि इनसे यातायात की आने-जाने में रुकावट आती है और दूसरी, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन जो इलाके बड़े ही नाजुक और असुरक्षित होते हैं, उनमें एहतियात के तौर पर एहतियाती बोर्डों इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। बढ़ते हुए यातायात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने पहले ही यह फैसला कर लिया है कि इस सड़क को चार लेनों में चौड़ा किया जाए और उसमें सड़क को बांटने वाले आने-जाने के रास्तों की व्यवस्था भी की जाए। उम्मीद है कि काम जल्दी शुरू हो जाएगा। सड़क चौड़ी हो जाने के बाद और जब इस पर उपयुक्त स्थानों पर जेबरा क्रासिंगों की व्यवस्था हो जाएगी, तब यह सड़क पैदल चलने वालों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों के लिये मजूरी

4597. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों को लाभप्रद रोजगार देते रहने की दृष्टि से उनके लिए स्थायी आधार पर मजूरी सुनिश्चित करने हेतु क्या विभिन्न कदम उठाये हैं ;

(ख) क्या कृषि श्रमिकों को औद्योगिक श्रमिकों के समान समझने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) खेतीहर श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें सम्बन्धित सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन समय-समय पर निर्धारित और संशोधित की जाती है। अप्रैल, 1980 में हुई श्रम मंत्रियों की बैठक में, यह स्वीकार किया गया कि अधिनियम का अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जानी चाहिए :—

(1) कृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों का कार्यान्वयन 20 सूत्री कार्यक्रम के एक मद के रूप में जोरदार ढंग से किया जाना चाहिए।

(2) सामान्यतः श्रम कानूनों के कार्यान्वयन और विशेष रूप से, जिला तथा तालूक स्तर पर, कृषि में न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन के लिए अलग तंत्र होना चाहिए। ऐसे तंत्र को राजस्व, पंचायत और अन्य विभागों की सहायता लेनी चाहिए जो प्रत्येक राज्य की स्थितियों पर निर्भर करेगी।

(3) कृषि में न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए राज्य के अन्दर विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय समितियां गठित की जानी चाहिए।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम को तेज किया जाना चाहिए, ताकि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन नियोजक द्वारा दी जाने वाली मजदूरी दरों के सम्बन्ध में खेतिहर श्रमिकों के बीच उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके।

(5) ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संगठन को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए, जिससे कृषि में न्यूनतम मजदूरी दरों के कार्यान्वयन में सहायता मिलेगी।

(ख) और (ग) फार्म श्रमिकों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी दरें व्यावहारिक रूप से उसी आधार पर निर्धारित की जाती है, जैसा कि औद्योगिक श्रमिकों के मामले में किया जाता है। ग्रामीण असंगठित श्रमिक संबंधी केन्द्रीय स्थायी समिति ने कृषि श्रमिकों के संगठित करने के संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। उनके बेहतर संगठन उनको उच्च मजदूरी प्राप्त करने में सहायता दे सकते हैं, जैसाकि संगठित औद्योगिक क्षेत्र में होता है।

गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो, मद्रास में विभागीय कैंटिन

4598. **श्री धाङ्गाई एम० करुणानिधी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास में चल रही विभागीय कैंटीन में कर्मचारी 8 वर्ष से अधिक अवधि से बहुत कम वतन पर काम कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि गृह मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) की दिनांक 11 दिसम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 6(2) 23/77/ वेल्फयर की गवर्नमेंट मडिकल स्टोर डिपो मद्रास पर लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक लागू किया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) जी, हां। इस कैंटिन में एक रसोइया और दो वेंडर काफी समय से कार्य कर रहे हैं। रसोइये को हर महीने एक सौ रुपये तथा प्रत्येक वेंडर को 55–55 रुपये वेतन दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इन तीनों कर्मचारियों को दो रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भोजन आदि के लिए दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त कर्मचारियों पर यह अधिसूचना लागू करने के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। अभी तक यह कैंटिन नियमित रूप से कार्य नहीं कर रही है। इसका पुनर्गठन किया जा रहा है और इस कैंटिन के कर्मचारियों पर इस अधिसूचना के उपबन्ध लागू करने का प्रश्न तभी उठगा जब यह कटिन ठीक ढंग से कार्य करने लगेगी।

दक्षिण-पूर्वी रेलवे और रायगदा नगर पालिका के बीच विवाद

4599. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी-पूर्वी रेलव अधिकारियों और रायगदा नगरपालिका के बीच होल्डिंग कर की अदायगी के बारे में एक विवाद 1960–67 से चल रहा है

(ख) यदि हां, तो इस विवाद को हल करने के लिए रलव अधिकारियों और रायगदा नगरपालिका द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या नगरपालिका ने हाल ही में रेलवे अधिकारियों के पास मांगी सूची भेजी है और नगरपालिका को करों की अदायगी करने का उनसे अनुरोध किया है ;

(घ) यदि हां, तो लगभग कितनी धन राशि की मांग की गई है और रेलवे अधिकारियों ने कितनी राशि अदा की है; और

(ङ) यदि करों का भुगतान अभी होना है, तो रेलवे अधिकारियों द्वारा यह विवाद कब तक निपटाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व, रायगाडा नगरपालिका पुरानी मद्रास प्रेसीडेन्सी का भाग थी और मद्रास लोकल बोर्ड अधिनियम, 1920 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सम्पत्तियों पर उद्ग्राह्य नगरपालिका करों का भुगतान 1956–57 तक निर्धारित दरों पर रेलों द्वारा किया जाता था। लेकिन, राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप रायगाडा नगरपालिका उड़ीसा राज्य का भाग बन गयी थी और उसने उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत 1957–58 से आगे स्थानीय करों का दावा करना प्रारम्भ कर दिया, तदुपरान्त, उड़ीसा राज्य सरकार, रायगाडा नगरपालिका और दक्षिण-पूर्व रेलवे के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसमें प्रतिवर्ष 5,000 रु० का भुगतान करने की शर्त थी और तद्नुसार 1965–66 तक इन रकमों का भुगतान किया गया।

लेकिन, नगरपालिका ने हाल ही में 1966–67 से 1980–81 तक की अवधि के लिए 2,04,020.10 रु० का दावा किया है। नगरपालिका को 1-4-1966 से 1977–78 तक की अवधि के लिए कुल 23,566.44 रु० की रकम का भुगतान कर दिया गया है।

ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिसके अन्तर्गत रायगाडा नगरपालिका भी आती है, नगरपालिका करों के भुगतान से सम्बन्धित समस्त मामलों पर वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है जो इस मामले में निर्णायक प्राधिकरण है। सरकार द्वारा निर्णय ले लिये जाने के बाद रायगाडा नगरपालिका के दावों का निपटारा कर दिया जाएगा।

खराब जलवायु भत्ता

4600. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने कोरापुट जिले (दक्षिण-पूर्वी रेलवे, वाल्टेयर डिवीजन) के किन क्षेत्रों को खराब जलवायु भत्ते के लिए निर्दिष्ट और स्वीकृत किया है ;

(ख) क्या इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के रेल-कर्मचारियों को मंजूरी के बाद से खराब जलवायु भत्ता मिला है ;

(ग) यदि हां, तो पात्रता वाले क्षेत्र कौन-से है और अब तक भुगतान किए गए भत्ते की दर क्या है ;

(घ) क्या यह सच है कि जिन क्षेत्रों को उनके मंत्रालय ने खराब जलवायु क्षेत्रों में शामिल नहीं किया है, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने इन क्षेत्रों को अपने कर्मचारियों को खराब जलवायु भत्ता देने के लिए शामिल कर लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों के रेल-कर्मचारियों को यदि कोई हों, तो 1978 से उक्त भत्ते की अदायगी बन्द कर दी गयी है, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) अनुपयुक्त जलवायु भत्ता की स्वीकृति के मामले में रेल मंत्रालय वित्त मंत्रालय के आदेशों का अनुसरण करता है। तदनुसार, अनुपयुक्त जलवायु भत्ता वित्त मंत्रालय की सहमति से प्राधिकृत किया गया था और 31-10-1978 तक उड़ीसा के कोरापुट जिले के निम्नलिखित 17 स्टेशनों में कार्यरत रेल कर्मचारियों को संदाय किया गया था :

1. डारलीपुट	2. पडुआ
3. भागा	4. मानखुर्द रोड
5. पालिवा	6. सुक्कु
7. कोरापुर	8. मानावार
9. जारटी	10. मालीगुडा
11. चैत्रीपुट	12. जयापर
13. धानापुट	14. खारपा
15. चारुमुलुकुसुमी	16. कोटपाद रोड़
17. आमगुरा	

वित्त मंत्रालय के अनुवर्ती अनुदेशों के आधार पर 25-3-1980 को सामान्य अनुदेश जारी किए गए थे जिसमें उन रेल-कर्मचारियों को अनुपयुक्त जलवायु भत्ता स्वीकार किये जाने की सिफारिश की गयी थी, जो सभी भारतीय रेलों पर अस्वास्थकर स्थानों पर तैनात किये गये हों। वहां अन्य बातों के साथ साथ वे स्टेशन भी शामिल है जो 1-11-78 से 30-4-1982 तक की अगली अवधि के लिए कोराकुट एजेन्सी (इलाटुत और कोरापाद के तालुका मुख्यालय को छोड़कर) में पड़ते हैं। दक्षिण-पूर्व रेलवे के प्राधिकारियों को इसके अनुसार भुगतान करने के अनुदेश दे दिए गए हैं। लागू दरें इस प्रकार हैं :—

(क) 329 रुपय तक वेतन का 5% ।

(ख) 330 रुपये से 900 रुपये तक वेतन का 4.5%, 16.45 रुपये की न्यूनतम राशि तक।

(ग) 900 रुपये से अधिक उतनी राशि जो वेतन एवं अनुपयुक्त जलवायु सहित 940.50 रुपये से कम हो।

ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

4601. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना आरम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन करने के लिए उसकी अर्हताएं क्या हैं तथा इसकी पाठ्य चर्या क्या है और नौकरी आरम्भ करने से पूर्व उसे कितनी अवधि का प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार समझती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में औषधियां आदि देने के प्रयोजन से यह प्रशिक्षण पर्याप्त है ; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा अर्जित अल्प ज्ञान और दक्षता के कारण लोगों को परेशानी न हो ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां, भारत सरकार ने अक्तूबर, 1977 में एक योजना आरम्भ की थी, जिसका नाम जन स्वास्थ्य रक्षक योजना था और जिसके अन्तर्गत जन स्वास्थ्य रक्षकों को गांव में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत जो उम्मीदवार चुना जाता है, उसे गांव का स्थायी निवासी होना चाहिए। निश्चित धन्धे के साथ-साथ ही उसकी नियमित आय का कोई साधन अवश्य होना चाहिए। उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक हो और उसकी औपचारिक शिक्षा छठी कक्षा तक होनी चाहिए। इस काम के लिए उपयुक्त महिला उम्मीदवारों तथा भूतपूर्व सैनिकों को वरियता दी जाती है। उन्हें 200 घण्टों का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज करने तथा स्वास्थ्य को बेहतर बनाये रखने और परहेज आदि बरतने के बारे में शिक्षा दी जाती है। यह प्रशिक्षण तीन महीने का होता है और निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र में दिया जाता है।

(ग) और (घ) जन स्वास्थ्य रक्षकों का यह प्रशिक्षण पर्याप्त समझा जाता है। प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षकों को बीमारियों के इलाज के लिए केवल वही दवाइयां देने की अनुमति दी जाती है, जो हानि रहित होती हैं और जिनकी ग्रामवासियों को उनकी प्रारम्भिक चिकित्सा परिचर्या/प्रथमोपचार में ज्यादा जरूरत पड़ती है। जन स्वास्थ्य रक्षकों को उन रोगियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है जिनका उन्हें स्वयं इलाज नहीं करना होता तथा जिन्हें डाक्टर के पास भेजना आवश्यक होता है।

राजदूतों की नियुक्ति

4602. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रख्यात नेताओं के नाम क्या हैं जिन्हें राजदूत/उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है तथा वे किन-किन देशों में नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कूटनीति के व्यवस्थाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा विदेश में मिशन प्रमुखों के रूप में नियुक्त सार्वजनिक जीवन के व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

राष्ट्रहित और जन-सेवा की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशों में हमारे मिशन-प्रमुखों की नियुक्ति की जाती है। सार्वजनिक जीवन के प्रख्यात व्यक्तियोंकी सेवाओं का उपयोग सरकार द्वारा हमेशा किया जाता रहा है, लेकिन परिस्थितियों और ऐसे व्यक्तियों की उपलब्धता के आधार पर उनकी संख्या समय-समय पर घटती-बढती रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान मिशन प्रमुखों के रूप म नियुक्त सार्वजनिक जीवन के व्यक्तियों की सूची

क्रम सं०	नाम	देश	तारीख	टिप्पणी
1	श्री एन० ए० पालकीवाला	संयुक्त राज्य अमरीका	24-9-77	त्याग पत्र देकर भारत वापस आ गए हैं ।
2	श्री आई० के० गुजराल	सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ	12-5-76	तीन वर्ष पूर्व नियुक्ति की गई थी।
3	श्री एन० जी० गोरे	यूनाइटेड किंगडम	19-10-77	त्याग-पत्र देकर भारत वापस आ गए हैं ।
4	श्री ए० के० हफीजका	सउदी अरब	27-6-78	..
5	जनरल टी० एन० रैना	कनाडा	5-2-79	मई, 1980 को मृत्यू हो गयी।
6	श्री ए० एन० बोस	बर्मा	27-6-78	शीघ्र वापस आने वाले हैं ।
7	श्री जी० जी० स्वेल	नार्वे	10-9-77	..
8	कैलास चन्द्र	मारिशस	1-8-77	त्याग-पत्र देकर भारत लौट आये हैं।
9	श्री ए० जी० गनी	जोर्डन	1-4-78	..
10	श्री आई० एम० कांगा	यमन जनवादी लोक गणराज्य	9-6-78	..
11	श्री जी० एस० जोधपुर	त्रिनिदाद एवं टोबेगो	9-6-78	त्याग-पत्र देकर भारत वापस आ गये हैं ।
12	श्री मनवेन्द्र शाह	आयरलैण्ड	21-4-80	..

मनखुर्द-पनवेल रेलवे लाइन

4603. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री मनखुर्द से पनवेल तक रेल लाइनों के बारे में 13 मार्च, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 300 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन को महानगरीय परिवहन परियोजना (रेलवे) संगठन, बम्बई का महाराष्ट्र में मनखुर्द से पनवेल क्रीक तक रेल लाइन बढ़ाने के लिए तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता सर्वेक्षण से सम्बद्ध कार्य पर प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या निष्कर्ष है ;

(ग) क्या प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें सरकार द्वारा मंजूर कर ली गई हैं ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय म उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

गाड़ी के आरम्भिक स्टेशन पर यात्रियों की प्रतीक्षा सूची

4604. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि लम्बी दूरी वाली प्रसिद्ध एक्सप्रेस अथवा मेल गाड़ियों में विशेष कर दक्षिण को जाने वाले गाड़ियों में, बीच के स्टेशनों से चढ़ने वाले यात्रियों अथवा आरम्भिक स्टेशनों से चलने वाले यात्रियों और रेल कर्मचारियों की सांठगांठ से नीचे बैठे हुए यात्रियों को भी बर्थ या सीट लेने के लिए काफी रिश्वत देनी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आरम्भिक स्टेशनों पर यात्रियों की प्रतीक्षा सूची रखने और फिर मार्ग में जहां कहां बर्थ उपलब्ध हो, उन यात्रियों को तरजीह दिये जाने की कोई प्रणाली है ;

(ग) मार्ग में रेल टिकट निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा ऐसे कदाचार रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) रेल कर्मचारियों द्वारा मार्ग में किए जाने वाले इस गोलमाल को रोकने के लिए रेल प्रशासन द्वारा क्या अन्य उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ऐसी रिपोर्टें मिली है कि कुछ यात्री प्रारम्भिक तथा मध्यवर्ती स्टेशनों में डाक एक्सप्रेस गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में इस उम्मीद से प्रवेश कर जाते हैं कि उन्हें निश्चित आरक्षण वाले यात्रियों के न आने के कारण उपलब्ध होने वाली शायिकाएं/सीटें मिल जायेंगी। यद्यपि आरक्षित डिब्बों में चल टिकट परीक्षक और यान परिचर तैनात रहते हैं फिर भी कभी-कभी अधिक संख्या में होने के कारण और कभी-कभी रेल कर्मचारियों के साथ सांठ-गांठ होने के कारण उनके लिए ऐसे यात्रियों को बाहर निकालना कठिन हो जाता है।

(ख) और (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रियों के न आने से उपलब्ध होने वाली शायिकाएं/सीटें डाक एक्सप्रेस गाड़ियों में प्रतिक्षा-सूची वाले यात्रियों को दी जाये, दूसरे दर्जे के 3-टियर शयन यान में तीन नीचे की शायिकाओं में प्रतीक्षा सूची के 14 यात्रियों के बैठने के लिए एक कक्ष अलग रखा जाता है तथा नीचे की दो शायिकाओं में पहले दर्जे के 8 यात्रियों को बैठने का स्थान उपलब्ध करने के लिए चार शायिकाओं वाला पहला दर्जा अलग से रहता है। यात्रियों के न आने के कारण उपलब्ध होने वाली शायिकाओं में पहले और दूसरे दर्जे में उनकी प्रतीक्षा सूची की प्राथमिकता के आधार पर इन यात्रियों को आरक्षित स्थान आवन्टित कर दिए जाते हैं।

(घ) समय-समय पर अचानक जांच की जाती है और आरक्षित डिब्बों में पाये गये अनधिकृत यात्रियों के साथ भारतीय रेल अधिनियम 1890 की धारा 109 के अनुसार कार्रवाई की जाती है। सांठ-गांठ या कर्मचारियों की ओर से जान-बूझकर असावधानी बरतने के मामलों को गंभीरता से लिया जाता है और उन पर समुचित कार्रवाई की जाती है। रेलों में अनियमित यात्रा करने वालों के विरुद्ध जांच करने के काम में तेजी लायी गयी है।

यात्रियों की भीड़-भाड़ कम करने के लिए यथा-संभव अतिरिक्त गाड़ियों चलायी जाती हैं। 125/126 के० के० एक्सप्रेस में अधिक स्थान की व्यवस्था करने के लिए इन्हें आगे-पीछे इंजन लगाकर चलाने का निर्णय किया गया है।

दिल पर दही के प्रभाव के बारे में अध्ययन

4605. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या स्वास्थ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल पर दही के प्रभाव के बारे में कोई प्रभावकारी अध्ययन किए गये हैं और क्या दो भिन्न-भिन्न मत हैं– एक पक्ष में और दूसरा विरोध में; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में अनुसंधान करवायेगी या सही स्थिति जानने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेगी ?

स्वास्थ मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) और (ख) महामारी रोग तथा शव परीक्षा प्रमाणों से यह पता चलता है कि मसाई नामक एक अफ्रीकी कबीले में ऐथिरोस्कलेरोसिस और हृदय रोग कम होते हैं। मसाई लोगों के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे केवल खमीर वाले दूध और दही का सेवन करते हैं। वालेंटियर्स पर किये गये अध्ययन से पता चलता है कि दही खाने से रक्त में कोलिस्टरोल की मात्रा कम हो जाती है। इस अप्रत्यक्ष प्रमाण से पता चलता है कि दही खाना लाभकारी हो सकता है। फिर भी इस बात का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि दही खाने से दिल की बीमारियां कम होती हैं। फिलहाल, सरकार का इस मामले में और आगे छानबीन करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का कोई विचार नहीं है।

बालासोर के निकट उपरि पुल

4606. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे में बालासोर की निकट रेलवे लाइन पर उपरि पुल का निर्माण कार्य पर्याप्त धनराशि और सीमेंट आदि सामग्री के न होने के कारण रुका पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इन बाधाओं को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इसको पूरा करने और इस पर यातायात की अनुमति के लिए निर्धारित की गई तारीख क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण-पूर्व रेलवे में बालासोर के निकट ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की प्रगति पर्याप्त धन-राशि और सामान के न होने के कारण रुकी नहीं पड़ी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पुल विशेष के निर्माण-कार्य को रेलवे द्वारा पूरा किया जाने की लक्ष्य तिथि 31-12-1980 है। उड़ीसा सरकार द्वारा पहुंच-मार्गों का काम पूरा कर लिये जाने पर इस पूल को सड़क यातायात के लिए खोल दिया जायेगा।

कर्मचारी भविष्य निधी, संगठन में किराये के भवन

4607. **श्री आर० पं० यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन सारे भारत में विभिन्न राज्यों में किराये पर लिए गए कई भवनों और आवासों पर किराये के रूप में बहुत बड़ी धनराशि व्यय कर रहा है और यदि हां, तो विभिन्न राज्यों तथा नई दिल्ली मुख्यालय में किराये पर लिये गये सभी भवनों पर गत तीन वर्षों में क्षेत्र-वार, राज्यवार और वर्ष-वार कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(ख) क्या सारे भारत में उपक्षेत्रीय तथा निरीक्षालय कार्यालयों के लिए किराये पर लिए गए स्थानों पर भी अत्याधिक राशि व्यय की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार निर्माण की ऊंची लागत को देखते हुए केंद्रीय क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय तथा निरीक्षालय कार्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहित करने और भवन निर्माण के लिए तत्काल उपाय करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

टाटानगर रेलवे स्टेशन पर प्रतिक्षालय

4608. **श्री आर० पी० यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर पहले दर्जे के प्रतिक्षालय में जगह की बहुत कमी है और वहां पर बहुत कुप्रबन्ध है अर्थात् अच्छे फर्नीचर आदि का अभाव है ;

(ख) क्या इसे अच्छा बनाने के लिए बहुत सुधार की आवश्यकता है ;

(ग) क्या पूछताछ काउन्टर पर डाक-तार विभाग की एक टेलीफोन लाइन है और वह प्राय: खराब रहती है तथा अब वह ठीक हो तो टेलीफोन का रिसीवर नीचे रख दिया जाता है और किसी के द्वारा नहीं उठाया जाता ; और

(घ) क्या सभी सार्वजनिक टेलीफोन भी खराब हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर यातायात के वर्तमान स्तर के लिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए बनाये गये उच्च श्रेणी के एक-एक प्रतिक्षालय में उपलब्ध वर्तमान स्थान, फर्नीचर एवं अन्य जुड़नार पर्याप्त हैं। प्रतीक्षालयों में उपलब्ध फर्नीचर एवं जुड़नार अच्छी हालत में है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पूछताछ कार्यालय में डाकतार की एक टेलीफोन है और यह आमतौर पर चालू हालत में होता है। रेल प्रशासन को कोई ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि पूछताछ कार्यालय में लगा डाक-तार का टेलीफोन आमतौर पर खराब रहता है या उसके रिसीवर को उठाकर अलग रख दिया जाता है। पूछताछ कार्यालय में कार्य सुचारु रूप से चलता रहे इसको सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक कर्मचारियों द्वारा अचानक जांच की जाती है।

(घ) ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

टाटानगर पटना एक्सप्रेस में सुविधाएं

4609. **श्री आर० पी० यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 87 अप तथा 88 डाउन टाटा नगर पटना एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के डिब्बों में बिजली के प्रकाश तथा शौचालय की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है और उसमें सुधार करने की गुंजाइश है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 87 अप और 88 डाउन टाटा नगर-पटना एक्सप्रेस में बत्तियों और शौचालय सज्जा का संतोषजनक ढंग से रखरखाव किया जाता है। तथापि, समय-समय पर चलती गाड़ी में त्रुटियां हो जाने की घटनाएं हुई हैं। इतना कहा जा सकता है कि सुधार की गुंजाइश है।

कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों का दिवालिया होना

4610. **श्री आर० पी० यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले कितने प्रतिष्ठान कई वर्षों की बाकीदारी के बाद दिवालिया हो गए हैं ;

(ख) दिवालियां हुए प्रत्येक प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में बकाया राशि लगभग कितनी होगी ; और

(ग) क्या मालिकाना विवरणी फार्म 5क में उपयुक्त संशोधन किए जाने का विचार है ताकि किसी एक अनुलग्नक में चल या अचल परिसम्पत्ति को शामिल किया जा सके और किसी प्रतिष्ठान के दिवालियां होने पर इन सम्पत्तियों को आसानी से कुर्क किया जा सके ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

रोजगार कार्यालय, कर्जन रोड, नई दिल्ली द्वारा चतुर्थ श्रेणी को रोजगार दिया जाना

4611. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार कार्यालय, कर्जन रोड़, नई दिल्ली-110 001 में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए बड़ी संख्या में लोगों के नाम दर्ज हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978, 1979 और 1980 मे अलग-अलग कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं ;

(ग) उपरोक्त अवधि में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ;

(घ) क्या इस रोजगार कार्यालय में वर्ष 1978 से 1980 के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता दी गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्राथमिकता देने का मानदण्ड क्या है और इन वर्षों के दौरान, वर्षवार, कुल कितने व्यक्तियों को प्राथमिकता दी गयी ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां ।

(ख) रोजगार कार्यालय द्वारा 1978, 1979 और 1980 (जनवरी-जून) के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 17,343, 17,592 और 7, 409 थी ।

(ग) रोजगार कार्यालय द्वारा वर्ष 1978, 1979 और 1980 (जनवरी-जून) के दौरान नौकरी में लगाए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 842, 891 और 543 थी ।

(घ) और (ङ) रोजगार कार्यालय की सामान्य सम्प्रेषण नीति यह है कि वह ऐसे उपयुक्त उम्मीदवारों को भेजे, जो न्यूनतम अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं तथा नौकरी के लिए भेजने हेतु पर्याप्त वरिष्ठ है। तथापि, जहां तक ऐसी रिक्तियों का सम्बन्ध है, जिनके लिए कोई कार्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है, 16 अक्तूबर, 1975 तक पंजीकृत व्यक्तियों को ही भेजा गया और नर्सिंग, अर्दली, पशु परिचर, रसोइया, बेरा आदि से सम्बन्धित रिक्तियों के मामले में जिसके लिए अनुभव की आवश्यकता है, 1978, 1979 और 1980 में भी पंजीकृत व्यक्तियों पर विचार किया गया है।

दिल्ली प्रशासन में तदर्थ ऐलोपेथिक चिकित्सक

4612. **श्री आनंद पाठक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के औषधालयों में नियुक्त 80 प्रतिशत ऐलोपेथिक चिकित्सक कई वर्षों की सेवा करने के बाद भी तदर्थ आधार पर नियुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, नहीं । तथापि दिल्ली प्रशासन ने बताया है कि ऐलोपैथिक औषधालयों में लगभग 69 प्रतिशत चिकित्सक तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए हैं। ऐसे चिकित्सकों ने 3–8 वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली है।

(ख) और (ग) : दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत सभी पद केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के ज्यूनियर क्लास-I अधिकारी नियुक्त करके भरे जाते हैं। इन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना होता है। चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए आयोग वार्षिक परीक्षा लेता रहता है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की समय समय पर प्राप्त सूचियों के आधार पर तथा जो अधिकारी आफर दिये जाने के बाद वास्तव में ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं उनके आधार पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जानी होती है।

सर्वोदय एक्सप्रेस को रोजाना चलाने का प्रस्ताव

4613. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सप्ताह में दो बार चलने वाली (नई दिल्ली-अहमदाबाद) सर्वोदय एक्सप्रेस को, इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन चलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है कि अहमदाबाद और दिल्ली के बीच यही एक मात्र सुपर फास्ट गाड़ी है ; और

(ख) क्या इस रेल लाइन के यात्रियों की सुविधा के लिए इस गाड़ी को सप्ताह में कम से कम चार बार चलाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं। मार्गवर्ती खण्डों पर लाइन क्षमता की तंगी के कारण 181/182 सर्वोदय एक्सप्रेस की आवृत्ति बढाना फिलहाल परिचालन की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है।

सागवाड़ा में आउट एजेंसी

4614. **श्री भीखाभाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डूंगरपूर जिले (राजस्थान) के सबसे बड़े शहर सागवाड़ा में डूंगरपूर के लिए एक रेलवे आउट एजेन्सी की आवश्यकता है ;

(ख) क्या इस बारे में सर्वेक्षण किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) 1961 में सागवाड़ा के निवासियों और वहां की व्यापारिक एसोसिएशनों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उदयपुर रेलवे स्टेशन द्वारा सेवित सागवाड़ा में आउट ऐजेन्सी खोलने के लिए विस्तृत जांच पड़ताल की गई थी और 1-11-1963 से इसका ठेका मैसर्स रोदजी जादव चन्द भण्डारी को दिया गया था। परन्तु 20-10-1964 से यह आउट एजेन्सी बन्द करनी पड़ी क्यों कि यातायत कम होने के कारण ठेकेदार ने आउट एजेन्सी को चलाना अलाभप्रद पाया। यह जानने के लिए कि क्या यातायात के वर्तमान स्थर के आधार पर आउट ऐजेन्सी को फिर से खोलने का औचित्य है, इस प्रस्ताव की फिर से जांच की जाएगी।

जनशक्ति का निर्यात

4615. **श्री एन० डेनिस** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों को जनशक्ति का निर्यात करने क लिए इस समय अनेक व्यक्तियों और फर्मों को लाइसेन्स दिए हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन आधारों पर लाइसेन्स जारी किए गए हैं ; और

(ग) अब तक राज्यवार कितने लाइसेन्स जारी किए जा चुके हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) : (क) 20 मार्च, 1979 के सुप्रिम कोर्ट के आदेशानुसार सरकार द्वारा अन्य देशों कों जनशक्ति का निर्यात करनें के लिए इस समय किसी व्यक्ति या फर्म को लाइसेंस दिए जाने की व्यवस्था नहीं है। कोई भी व्यक्ति या फर्म, जिसके पास विदेशी नियोक्ता से प्राप्त अधिप्रमाणित "पावर आफ अटार्नी" या मांग पत्र है, भारत से अन्य देशों को जनशक्ति भर्ती एवं निर्यात कर सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ट्रेवल एजेंटो द्वारा जारी की गई रसीदें

4616. श्री एन० डेनिस : क्या रेल मंत्री यह बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रेवल एजेंट फर्मो, ट्रेवल एजेटों और व्यक्तियों को रेलवे से तिकटों की खरीद पर रसीद जारी करने की अनुमति है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी विभाग और सरकारी उपक्रम राशि की प्रतिपूर्ति के दावों के मामले में इन रसीदों की मान्यता देते है; और

(ग) राशि प्रतिपूर्ति के दावेदारों के साथ सांठ-गाठ करने वाले एजेंटों को रोकने के लिए की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) इस मामले में क्षेत्रीय रेल प्रशासनों और संबंधित सरकारी विभागों के परामर्श से जांच की जा रही है और जांच का काम पूरा होते ही अपेक्षित सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

तमिलनाडू में रेल फाटकों पर दुर्घटनायें होना

4617. श्री एन० डेनिस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों में तमिलनाडु में रेल फाटकों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होने के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उनमें मारे गये स्थाई रूप से अपंग हुए आदि की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) इन दुर्घटनाओं में कितने पुरुष और महिलाएं हताहत हुई ;

(घ) कितने मामलों में मुआवजे पर विचार किया जा रहा है और कितने रद्द कर दिए गए हैं ; और

(ङ) उनको कितना मुआवजा दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1977-78 से 1979-80 तक, घटित समपार दुर्घटनाओं से सम्बन्धित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गयी हैं :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की कुल संख्या	जिन दुर्घटनाओं में घातक चोटें आयीं	जिन दुर्घटनाओं में गंभीर चोटें आयी	अन्य	व्यक्तियो की सं०			
					मारे गए		गंभीर रूप से घायल	
					पुरुष	महिलाएं	पुरुष	महिलाएं
1977–78 . .	8	1	2	5	1	..	2	..
1978–79 . .	7	2	1	4	2	..	2	2
1979–80 . .	6	2	..	4	1	..	1	1

ऐसे मामलों से संबंधित सुचना उपलब्ध नही है जिनमें गंभीर चोंटो के कारण यात्री स्थायी रूप से अपंग हो गये ।

(घ) और (ङ) समपार दुर्घटनाएं, सड़क वाहनों से टक्कर आदि जैसी दुर्घटनाएं, जिनमें यात्री शामिल नहीं है, भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं आती । अतः ऐसी दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियो अथवा घायल व्यक्तियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता । दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति अथवा उनके आश्रित क्षतिपूर्ति कानून के अधीन राहत के लिए दावा कर सकते है और यदि रेल प्रशासन अथवा रेल कर्मचारयों की लापरवाही प्रमाणित हो जाती है तो मुआवजे का भुगतान कर दिया

जाता है। प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर न्यायालय द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारित की जाती है। पिछले तीन वर्षों की अवधि के सम्बन्ध में ऐसे मामलों का विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है।

		1977-78	1978-79	1979-80
भुगतान	मृत्यू	..	..	..
	गम्भीर	..	..	..
	मामूली	..	..	..
विवादास्पद				
	मृत्यू	..	1	..
	गम्भीर	..	3	..
	मामूली	..	..	..
रद्द				
	मृत्यू	..	..	1
	गम्भीर	..	..	1
	मामूली	..	..	..

न्यायालय ने अभी तक इसमें से किसी भी मामले के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए रेल प्रशासनों को निदेश नहीं दिया है। अतः दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

परिवार कल्याण के लिए बजट प्रावधानों का उपयोग न किया जाना

4618. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के लिए उनके मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए दी गई निधि का उपयोग न किये जाने के कारण क्या है?*

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : पिछले तीन वर्षों के बजट व्यवस्था और व्यय (प्लान और नान प्लान) के वर्षवार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(रुपये लाखों में)

	बजट व्यवस्था	व्यय
1977-78 . . .	10767.34	9357.99
1978-79 . . .	12208.61	11073.73
1979-80 . . .	12754.32	12117.00*

*अनन्तिम

इस अवधि में राशि के कम इस्तेमाल किए जाने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) कार्यनिष्पादन के लक्ष्यों को पूरा न कर पाना।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के सहायता से "ग्रामीण और अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की सुविधाओं को मजबूत बनाने" के लिए परियोजना करार को अन्तिम रूप देने में देर होना।

(3) बचत सम्बन्धों हिदायतों के कारण वाहनों और उपकरणों को न मंगवा सकना।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के लिए भवन बनाने में "स्वैच्छिक नसबन्दी सुविधाओं की योजना" के अधीन सब-डिवीजनल अस्पतालों में नसबन्दी वार्डों तथा थिएटरों का निर्माण करने में प्रसवोत्तर सुविधाओं के लिए तथा सहायक नर्स मिडवाइफ प्रशिक्षण स्कूलों के भवन बनाने में और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उप-भवनों के निर्माण में देरी होना।

उपर्युक्त सारी गतिविधियों को तेज करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

भारतीय जहाजरानी निगम और मुगल लाइंस लिमिटेड के कर्मचारियों का मांगपत्र

4619. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाजरानी निगम और मुगल लाइन्स लिमिटेड के कर्मचारियों का मांगपत्र 1 जनवरी, 1975 से फैसले के लिए लम्बित पड़ा है ;

(ख) क्या भारतीय जहाजरानी निगम में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती तदर्थ वेतन के आधार पर की जा रही है जब कि मुगल लाइन्स लिमिटेड में प्रचलित वेतनमानों के अनुसार की जा रही है ;

(ग) 1 जनवरी, 1977 से 31 जनवरी, 1980 के दौरान तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर भर्ती की गयी है और इसी अवधि में मुगल लाइन्स लि० में विद्यमान वेतनमानों पर कितने कर्मचारियों की भर्ती की गयी; और

(घ) दो संगठनों में दो भिन्न-भिन्न मानदण्ड लागू किए जाने के क्या कारण है जब कि दोनों में वेतनमान और सेवा-शर्तें एक जैसी हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1-1-77 से 31-1-80 की अवधि के दौरान शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया में श्रेणी 3 और 4 के 127 कर्मचारियों की भर्ती तदर्थ आधार पर और 4 कर्मचारियो की भर्ती मौजूदा वेतनमानों पर की गई जबकि मुगल लाईन लिमिटेड में इतनी ही अवधि के दौरान उक्त श्रेणियों के 15 कर्मचारियों की भर्ती तदर्थ आधार पर और 5 कर्मचारियों की भर्ती मौजूदा वेतनमानों पर की गई। शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया में जिन 4 कर्मचारियों की भर्ती मौजूदा वेतनमानों पर की गई थी, वे पहले कार्पोरेशन के जहाजों पर काम कर रहे थे और उन्हें सहानुभूति के आधार पर अथवा बीमारी सम्बन्धी कारणों से तट पर काम करने की इजाजत दी गई। लेकिन मुगल लाइन्स लिमिटेड ने जिन 5 व्यक्तियों की भर्ती मौजूदा वेतनमानों पर 4-2-78 तक की, उसका प्रमुख कारण यह था कि कम्पनी को उस प्रथा की जानकारी नहीं थी जो शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया में उस वक्त तक अपनाई जा रही थी।

(घ) अब एक ही प्रकार के मानदण्ड दोनों कम्पनियों में समान रूप से लागू किए जा रहे हैं।

तंबाकू पर करों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन से सुझाव

4620. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विभिन्न देशों की सरकारों को इस आशय का कोई सुझाव दिया गया है कि तम्बाकू पर करों में वृद्धि की जाए और उसके विज्ञापनों पर रोक लगाई जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1974 की "धुम्रपान तथा स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव" नामक विशेषज्ञ समिति ने सदस्य सरकारों को यह सिफारिश की थी कि वे तम्बाकू के बारे में सभी प्रकार के विज्ञापनों तथा बिक्री प्रोत्साहनो पर प्रतिबन्ध लगाएं। इसने यह सुझाव भी दिया था कि सिगरेट की खपत को कम करने के लिए आवधिक कर वृद्धि समेत उपभोक्ता नीतियां भी अपनाई जाएं। "धुम्रपान महामारी नियंत्रण" पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की 1978 की विशेषज्ञ समिति ने भी यही सिफारिशें की हैं।

(ख) तम्बाकू के उत्पादकों के उपयोग को कम करने के लिए भारत सरकार कई वर्षों से इन उत्पादकों पर उत्पाद शुल्क उत्तरोत्तर बढ़ाती रही है। हाल ही के बजट प्रस्तावों में सिगरेटों पर 10 प्रतिशत का विशेष उत्पाद (बुनियादी उत्पाद शुल्क का) शुल्क लगाया गया है तथा तम्बाकू के अन्त उत्पादको पर 5 प्रतिशत का एक विशेष शुल्क लगाया गया है।

सिगरेटों तथा तम्बाकू के अन्य उत्पादों के विज्ञापनों पर पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सिगरेट (उत्पादन, सप्लाई तथा वितरण विनियमन) अधिनियम, 1975 के अनुसार, जिसे पहली अप्रैल, 1976 से लागू किया गया था, कोई भी व्यक्ति सिगरेटों के वितरण, बिक्री तथा सप्लाई को विज्ञापन तब तक नहीं देगा जब तक वह ऐसे विज्ञापनों में "सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" की विशिष्ट चेतावनी शामिल नहीं कर ली जाती।

केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रयोगशाला तकनीशियनों और नर्सों के वेतनमानों में विषमता

4621. **श्री चंद्रपाल शैलानी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले प्रयोगशाला तकनीशियनों और नर्सों के वेतनमानों में बहुत विषमता है;

(ख) क्या प्रयोगशाला तकनीशियनों के वेतनमान नर्सों के वेतनमानों की अपेक्षा कम है जब कि नर्सों का काम केवल इंजेक्शन लगाना है और प्रयोगशाला तकनीशियन सम्पूर्ण रोग-विज्ञान सम्बन्धी परीक्षणों, रक्त, पेशाब जांच आदि के लिए उत्तरदायी होत हैं और रोगियों का इलाज आरम्भ करने क लिए उनकी जांच रिपोर्ट आधार का काम करती है ;

(ग) क्या प्रयोगशाला तकनीशियनों के इस उत्तरदायित्व को देखते हुए, सरकार का विचार उनके वेतनमान का पुनरीक्षण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण ह ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत प्रयोगशाला तकनीशियन और नर्स ग्रेड-1 (स्टाफ नर्स) पदों के लिए मंजूर किए गए वेतनमान क्रमश: 380–12–500–द० रो०–15–560 रुपये तथा 425–15–560–द० रो०–20–640 रुपये हैं। इन दोनों पदों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में सुस्पष्ट भिन्नता है। संक्षेप में प्रयोगशाला तकनीशियन मूल रूप से प्रयोगशाला परीक्षणों और संबंधित रिकार्ड के रख-रखाव से संबंधित जबकि स्टाफ नर्स चिकित्सा अधिकारी को महिला रोगी की जांच करने में मदद और सफाई/स्वच्छता रखने में सहायता देती हैं। वह सिरिंज एम्पयूल आदि जैसे इंजेक्शन उपकरणों को ठीक-ठाक रखने और स्वयं टीका लगाने के लिए भी उत्तरदायी है। उसे अपने कार्य का पूर,-पूरा रिकार्ड रखना होता है।

(ग) और (घ) प्रयोगशाला तकनीशियन के वेतनमान तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। इस समय सरकार वर्तमान वेतनमानों को संशोधित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कर्मचारियों के लिए चयन ग्रेड

4622. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना क अन्तर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को चयन ग्रेड देने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी को चयन ग्रेड देने के बारे में उन्होंने क्या मानदण्ड अपनाया है; और

(ग) कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी/वर्ग को किस हद तक तथा कब चयन ग्रेड दिया जाएगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) ग्रुप 'ग' और 'घ' के सेलेक्शन ग्रेड के पद बनाने का मानदण्ड भारत सरकार द्वारा जारी की गई हिदायतों के अनुसार है। संक्षेप में इन आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद, जो 75 प्रतिशत से कम नहीं होते अथवा जिन पदों पर कर्मचारी लम्बे समय से रुके होते हैं, को ही चयन ग्रेड दिया जाता है। ऐसे पदों की संख्या, जिन पर किसी संवर्ग के कर्मचारी पदोन्नत किये जा सकते हैं, उस संवर्ग की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ग) निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए सेलेक्शन ग्रेड पदों का सृजन पहले से किया जा चुका है :–

1. फार्मास्यूटिकल स्टाफ ।
2. प्रयोगशाला तकनीशियन।
3. ड्रेसर ।
4. दफ्तरी ।
5. चपरासी ।

6. सफाईवाला ।

7. महिला परिचर ।

8. चौकीदार ।

9. आया ।

पात्रता की शर्तें पूरी हो जाते ही अन्य श्रेणियो में चयन ग्रेड के पदों का सृजन कर दिया जाएगा ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले प्रयोगशाला तकनीशियनों की पदोन्नति

4623. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्य कर रही रोग विज्ञान संबंधी (पैथोलोजिकल) प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले प्रयोगशाला तकनीशियनों की पदोन्नति के कोई अवसर हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो उन प्रयोगशाला तकनीशियनों की संख्या कितनी है जो अपने वेतनमान में अधिकतम प्राप्त कर रहे हैं और वे किस वर्ष से अधिकतम वेतन पा रहे हैं; और

(ग) वेतनमानों में गतिरोध के परिणामस्वरूप प्रयोगशाला तकनीशियनों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने हेतू सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन कार्य कर रहे 32 प्रयोगशाला तकनीशियनों में से केवल एक प्रयोगशाला तकनीशियन ही 1-11-78 से 380-12-500-द०रो०-15-560 रुपये के वेतनमान अधिकतम वेतन ले रहा है ।

(ग) प्रयोगशाला तकनीशियनों के लिए 425-15-560-द० रो०-20-640 रुपये के वेतनमान में पांच सेलेक्शन ग्रेड पद सृजित किए गए है ।

भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों द्वारा भविष्य निधि की राशि जमा न कराया जाना

4624. **डा० वसंत कुमार पंडित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि का अपना अंशदान जमा न कराने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है और 31 मार्च, 1980 को (एक) बिना छूट वाले (दो) छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों में भविष्य निधि की कितनी देय राशि जमा नहीं कराई है ;

(ग) भविष्य निधि की राशि वसूल करने के लिये दोषी नियोजकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या रामानुजम समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के कार्यकरण पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1979 को 5000 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों ने 22.34 करोड़ रुपये तक का भविष्य निधि अंशदान जमा कराना था । इस के अतिरिक्त, 90 छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों ने निर्दिष्ट समय-सीमा के अन्दर अपने-अपने न्यासी बोर्डों को 13.20 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित नहीं की है ।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा भविष्य निधि की देय राशियों की वसूली के लिए निम्नलिखित कार्यवाहियां की जाती हैं :—

(1) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 8 के अनुसार जिला कलक्टरों को राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए जात हैं ।

(2) अधिनियम की धारा 14 के अधीन दण्ड न्यायालयों में अभियोजन मामले दायर किए जाते हैं ।

(3) उपयुक्त मामलों में, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406/409 के अनुसार पुलिस प्राधिकारियों के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट, दायर की जाती हैं।

(4) इन दोषों को कर्मचारी यनियनों/नियोजनों के संगठनों के ध्यान में लाया जाता है ।

(5) अधिनियम की धारा 14-ख के अनुसार विलम्ब से भुगतान करने पर हर्जाने लगाए जाते हैं।

(6) उचित मामलों में, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों के अध्यधीन, नियोजकों को क्रमबद्ध तरीके के मासिक किस्तों में बकाया राशियों का भुगतान करने कि अनुमति दी जाती है।

(7) आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 110 के अधीन न्यायालयों से कहा जाता है कि वे दोषी नियोजकों को अच्छे आचरण के लिये बाध्य करें।

(8) जहां कहीं यह महसूस किया जाता है कि निचले न्यायालयों द्वारा दिए गए दण्ड कम और अपर्याप्त हैं, वहां दण्ड को बढ़ाने के लिये अपीलें की जाती हैं।

(घ) जी, नहीं।

भारत द्वारा परमाणु विस्फोट के संबंध में अमरीकी विदेश मंत्री द्वारा वक्तव्य

4625. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी उप-विदेश मंत्री श्री वारेन क्रिस्टोफर ने कहा है कि यदि भारत ने एक और "एटम बम" विस्फोट किया तो भारत के लिए सारे परमाणु लदान को रोक दिया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार ने इस वक्तव्य पर कोई ध्यान दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां। बताया जाता है कि सदन की वैदेशिक कार्य समिति के अध्यक्ष के एक प्रश्न के उत्तर में श्री वारेन क्रिस्टोफर ने यह कहा कि भारत द्वारा किसी भी प्रकार का नाभिकीय विस्फोट किए जाने पर भारत को भेजे जाने वाले अमरीकी नाभिकीय लदान को रोक दिया जायेगा।

(ख) और (ग) : सरकार परमाणु शक्ति के पूर्ण रूप से शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग की अपनी घोषित नीति के प्रति सतत वचनबद्ध रही है और इसमें विकासात्मक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्ण नाभिकीय प्रयोग भी शामिल है।

तेलंगाना क्षेत्र में रेल लाइनें

4626. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (तेलंगाना आन्ध्र प्रदेश) में नई रेल लाइन बिछाने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण पूरा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या कार्य आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) तेलंगाना क्षेत्र में पड़ने वाली निम्नलिखित लाइनों के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किये जा चुके है। इन लाइनों/सर्वेक्षणों से संबंधित स्थिति इस प्रकार है :—

1. नडिकुडे बीबीनगर (ब०ला०)
2. भद्राचलम-मानगुरु (ब०ला०)

इन लाइनों से संबंधित निर्माण-कार्य प्रगति पर है।

3. बोनाकालू-जगैयापेट्टै

सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस लाइन का निर्माण-कार्य 1980-81 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

4. तेलापुर-पाटनचेरु (ब०ला०)

सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इस लाइन को शुरू किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

5. पाटनेचेरु संगारेड्डी-मेडक-येड्डापल्ली (ब०ला०)

प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण के काम को 1980-81 के बजट में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा रिपोर्ट की जांच कर लिये जाने पर इस परियोजना के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

6. रामगुण्डम-निजामाबाद

प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन करने का काम 1980-81 के बजट में शामिल कर लिया गया है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और रिपोर्ट की जांच कर लिये जाने पर ही इस परियोजना के बारे में कोई विनिश्चय किया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग

4627. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में स्वतंत्रता के बाद एक किलीमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग भी नहीं बनाया गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य आरम्भ करने के लिए हाल में अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या-क्या निर्माण कार्य प्रस्तावित किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां। मुख्य रूप से मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर ध्यान दिया गया है। इन राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण पर 1953 में आन्ध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के बाद से निम्नलिखित व्यय हुआ :—

(1) विकास : 5680.06 लाख रुपए

(2) अनुरक्षण : 2487.42 लाख रुपए

सारे देश में फैले हुए राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कुल 29016 किलोमीटर है जबकि आन्ध्रप्रदेश में इनकी लम्बाई कुल 2299 किलोमीटर है।

(ख) और (ग) हाल में राज्य सरकार नीचे लिखी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव भेजा है :—

(1) नेल्लूर-बेलारी-बम्बई मार्ग

(2) नागपुर-चन्दा-सिरोंची-इंचापल्ली-लोथिपीठगंधी-वेंकटपुर-भद्राचल्लम-नेल्लिपाक-चिन्तूर-भरेदुमल्ली-रम्पा-छोडावर-राजमुंदरी मार्ग

(3) विशाखापत्तनम-जयदलपुर-भोलापत्तनम झेलना-नासिक-बम्बई मार्ग

(4) विजयवाड़ा-मसुलीपट्टनम मार्ग

(5) हैदराबाद-करीमनगर-चन्दा मार्ग

(6) हैदराबाद-नांदेड-अकोला माग

(7) हैदराबाद-निजामसागर-करीमनगर मार्ग

लोको रनिंग स्टाफ के लिये 10 घंटे की ड्यूटी

4628. श्री ए० के० राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे प्रशासन ने घोषित किया है कि पूर्व रेलवे में लोको रनिंग स्टाफ के लिये दस घंटे की ड्यूटी को बहुत पहले क्रियान्वित कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो लोको रनिंग स्टाफ द्वारा 1 जून, 1980 से 10 घंटे अधिकतम काम करना आरम्भ किये जाने के बाद पूर्व रेलवे में गाड़ियों के आवगमन में भारी गतिरोध आने के क्या कारण है ;

(ग) रोकी गई गाड़ियों तथा रद्द की गई गाड़ियों का पूरा ब्यौरा क्या है तथा उससे रेलवे को कितनी हानि हुई; और

(घ) 10 घंटे की ड्यूटी के उचित क्रियान्वयन के लिये इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

राख और कोयला लादने-उतारने वाले मजदूर

4629. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धनबाद लोकों शेड के राख और कोयल लादने-उतारने वाले गरीब मजदूरों (पुरुषों और महिलाओं) की किस स्थिति के कारण धनबाद के रेलवे और सिविल अधिकारियों के आगे बहुसंख्या में याचिकाएं, ज्ञापन आदि भेजकर और प्रदर्शन करके अपना आन्दोलन जारी रखना पड़ा ;

(ख) इन मजदूरों की मांगे क्या है; और

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय म उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक पेंटर को धनबाद से चोपन लोकों शेड में स्थानान्तरित किये जाने और इस शेड के फायरमैन तथा कोल चेकर द्वारा कोयला और राख लादने और उतारने वाली ठेकेदार की महिला श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने के कारण, 15-5-80 को मण्डल रेल प्रबन्धक के कार्यालय के सामने श्रमिकों द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था। श्रमिकों ने एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था जिससे स्थानान्तरण आदेश को रद्द किये जाने तथा दुर्व्यवहार करने के लिये फारमैन और कोल चेकर के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गयी थी।

(ग) पेंटर को प्रशासनिक कारणों से एक लोको शेड से दूसरे शेड में स्थानान्तरित किया गया था और इसका कोयला तथा राख उतारने-चढ़ाने वाले श्रमिकों से कोई संबंध नहीं था। फायरमैन और कोल चेकर के विरुद्ध कथित दुर्व्यवहार के अभियोगों की जांच की गयी थी किन्तु उनमें कोई तथ्य नहीं पाया गया।

गुजरात राज्य को कोयला पहुंचाना

4630. **श्री अमर सिंह वो० राठवा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य के लिए कोयला पहुंचाने हेतु कितने माल डिब्बे लगाये गये;

(ख) क्या डिब्बों की संख्या आवश्यकता से कम है; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात राज्य की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए सरकार का अधिक माल डिब्बों को देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) गुजरात या किसी अन्य राज्य को कोयले की ढुलाई करने के लिए किसी माल डिब्बे को विशिष्ट रूप से अलग नहीं रखा गया है। कोयले/परिवहन के लिए मांग वर्तमान उपलब्धता से अधिक है, इसलिए विभिन्न राज्यों की कोयले की आवश्यकता को पूर्णतः पूरा करना भी संभव नहीं है। सरकार गुजरात सहित सभी राज्य को कोयले की सप्लाई बढ़ाने की इच्छुक है।

मोती खाओदी-वडिनार पोर्ट लाइन

4631. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी क्षेत्र में मोती खाओदी को रेलवे लाइन द्वारा वडिनार पोर्ट से जोड़ने के बारे में कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि वरास्ता मोती खाओदी कनालुस से सिक्का तक मीटर लाइन है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे बड़ी लाइन में बदलने और वडिनार पोर्ट तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रस्ताव की जांच करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) मोती खाओदी के रास्ते कनालुस तथा सिक्का के बीच की मीटर लाइन को, वीरमगाम और ओखा/पोरबन्दर के बीच मुख्य आमान-परिवर्तन परियोजना के चरण II के एक भाग के रूप में, बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है। सिक्का या मोती खाओदी से वडिनार पोर्ट तक नयी लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली परिवहन निगम में सहायक यातायात अधीक्षकों की भर्ती

4632. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम में गत तीन वर्षों के दौरान सहायक यातायात अधीक्षकों के पदों पर कितने व्यक्तियों की (वर्षवार) सीधी भर्ती की गई और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की अलग-अलग संख्या कितनी थी :

(ख) क्या विभाग के कुछ कर्मचारियों ने भी सहायक यातायात अधीक्षक के पद के लिए आवेदन दिए थे

(ग) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या यह सच है कि विभागीय उम्मीदवारों को परीक्षा/साक्षात्कार के लिए इस आधार पर नहीं बुलाया गया कि स्नातक परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशतता कम थी; और

(ङ) यदि हां, तो विभागीय उम्मीदवारों को उनके अनुभव एवं वरिष्ठता के कारण अंकों में छूट न दिए जाने के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1977 में एक और 1978 में भी एक ।

(घ) जी, नहीं । जिस विभागीय उम्मीदवार ने सीधी भर्ती के पद के लिए 1977 और 1978 में आवेदन किया था, उसके पास अपेक्षित अनुभव और शैक्षणिक योग्यता नहीं थी । बाद में, विभागीय उम्मीदवार होने के नाते उसकी शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गयी, लेकिन निगम के नियमों के अन्तर्गत अनुभव में कोई छूट नहीं दी जाती और इसलिये अपेक्षित अनुभव न होने की वजह से उसे टेस्ट/इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया ।

(ङ) प्रश्न नहीं होता, क्योंकि ऊपर प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हृदय शल्य चिकित्सा

4633. **श्री फुसूम कृष्ण मूर्ति** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में हृदय शल्य चिकित्सा (ओपन हार्ट सर्जरी) के विकास की अनिवार्य आवश्यकता को अनुभव किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में हृदय शल्य चिकित्सा (ओपन हार्ट सर्जरी) के अग्रेतर विकास के लिए अब तक किस प्रकार के प्रयास किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) जी हां । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्डियो थोरेसिक तथा वास्कुलर-शल्य-चिकित्सा विभाग कई वर्षों से हृदय शल्य चिकित्सा (ओपन हार्ट सर्जरी) का कार्य करता रहा है । अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हृदय शल्य चिकित्सा (ओपन हार्ट सर्जरी) के लिए एक पूर्ण-विकसित कार्डियो थोरेसिक केन्द्र खोला जा रहा है ।

(ख) इस विषय (ओपन हार्ट सर्जरी) का भारत में कई स्थानों पर अच्छी तरह विकास किया गया है । जिन केन्द्रों में हृदय शल्य चिकित्सा अच्छी तरह की जाती है उसमें से कुछेक नीचे दिए गए हैं :—

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
के० ई० एम० अस्पताल, बम्बई, जे० जे० अस्पताल, बम्बई
सिम्रोन अस्पताल, बम्बई, जसलोक अस्पताल, बम्बई,
बम्बई अस्पताल, बम्बई, सी० एम० सी० अस्पताल, वेलूर,
मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास, रेलवे अस्पताल, मद्रास
चितरा त्रिवेन्द्रम केन्द्र, त्रिवेन्द्रम तथा सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पूना ।

बहादुरगढ़ में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोला जाना

4634. **श्री दया राम शाक्य** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहादुरगढ़ (हरियाणा) में रहने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये वहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस संबंध में सर्वेक्षण किया था और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) उस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायगा और उक्त नगर में केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा औषधालय कब तक कार्य करना आरम्भ कर देगा ; और

(घ) विलम्ब के मुख्य कारण क्या है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां। यह प्रस्ताव जून, 1979 से विचाराधीन है।

(ख) जी हां। नवम्बर, 1979 में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें की थीं :-

(1) बहादूरगढ़ में औषधालय खोलने से पहले, विशेषज्ञ, परामर्श विशेष प्रयोगशाला अन्वेषण, रोगात्मक सेवायें तथा अस्पताल में भर्ती करने की सुविधाओं के लिये पर्याप्त स्थानीय प्रबंध किये जाने चाहिये।

(2) चूंकि निर्माण और आवास मंत्रालय ने कोई आवास नहीं बनाये है इसलिये केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली को बहादुरगढ़ के प्रस्तावित औषधालय को शुरु करने से पहले कर्मचारियों के लिये पर्याप्त क्वार्टरों का निर्माण करना चाहिए।

(ग) और (घ) किराये पर उपयुक्त भवन न मिलने के कारण अभी तक बहादूरगढ़ औषधालय को नहीं खोला जा सकता। यह औषधालय तथा कार्य करना आरम्भ करेगा जब कोई उपर्युक्त मकान उपलब्ध हो जायेगा और अन्य आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी।

पाक परमाणु परियोजनाओं के लिए अरब देशों की सहायता

4636. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखरमूर्ति।**

श्री पी० एम० सईद :

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पक्के तौर पर पता लगा लिया है कि अरब देश पाकिस्तान की परमाणु परियोजना में रुचि ले रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनेक देशों में परमाणु परियोजना का निर्माण करने के लिए पाकिस्तान को धन दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या भारत ने उनसे अनुरोध किया अथवा कहा है कि इस निर्णय से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में उनकी प्रतियोगिता क्या है; और

(ङ) क्या पाकिस्तान बहुत शीघ्र अपनी परमाणु उर्जा का विकास करने की स्थिति में होगा और वह 14 से 18 महीनों में बम की विस्फोट करने की स्थिति में भी होगा जैसा कि ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ने घोषणा की है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० बी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) सरकार को इस बात की कोई पुष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है कि पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम में पश्चिम एशियाई देश शरिक हैं। इस सन्दर्भ में लिबिया का अवसर उल्लेख किया जाता है, लेकिन वास्तव में इस देश ने भी पाकिस्तान को उसके नाभिकीय-कार्यक्रम के लिए किसी भी प्रकार की सहायता देने का खंडन किया है। लेकिन सरकार यह जानती है कि सऊदी अरब और कुवेत जैसे कुछ पश्चिम एशियाई देशों से पाकिस्तान को आर्थिक सहायता मिल रही है।

(ङ) सरकार ने बी० बी० सी० द्वारा प्रसारित इस आशय की रिपोर्ट देखी है। यह मामला पाकिस्तान सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया गया है जिसमें हमें यह आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान का नाभिकीय कार्यक्रम केवल शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और उनका कोई अशांतिपूर्ण इरादा नहीं है। आशा है कि पाकिस्तान सरकार अपने आश्वासनों पर दृढ़ रहेगी।

बम्बई पत्तन न्यास के निपटान न किए गए गोदामों और शैड

4637. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन न्यास के गोदामों और शैडों में करोड़ों रुपयें मूल्य के लाखो पैकज महीनों तक बिना निपटाये पड़ें रहतें हैं जिससे वहां पर और भीड़भाड़ हो जाती है, ;

(ख) क्या यह सच है कि पत्तन प्राधिकारियों को, यदि उतरने की तारीख से दो महीने के अन्दर आयातकर्ताओं द्वारा माल का निपटान न किया जाये, इस सामान को नीलामी करके निपटान करने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन के प्राधिकारी माल की नीलामि करके अपने गोदामों/शैड़ों का निपटान करने में सफल नहीं हुए है; और

(घ) इसके क्या कारण है और सरकार का विचार बम्बई पत्तन न्यास के गोदामों का शीघ्रता से निपटान करने में सहायता देने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1-7-80 के अनुसार बम्बई पत्तन पर 3,77,261 गांठें पड़ी हुई थीं जो उठाई नहीं गई। ये गांठें तीन अलग-अलग श्रेणियों में की हैं :—

(1) जो मुक्त अवधि में आती है	54,741
(2) जो 2 महीने से कम समय से पड़ी हैं	158,929
(3) जो दो महीने से अधिक समय से पड़ी हैं.	163,591

इन गांठों की कीमत अभी निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि माल के बीजक पेश नहीं किए गए हैं।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : बम्बई पतन यद्यपि पिछले लगभग एक वर्ष से नियमित रूप से माल की नीलामी कर रहा है। इसपर भी इस से कोई अच्छे परिणाम नहीं निकले। पर्याप्त रूप से माल न उठाए जाने का कारण यह है कि नीलामी का बड़े पैमाने पर प्रचार किए जाने के बावजूद भी समुचित बोलियां नहीं लगाई गई। इसके अलावा, सीमाशुल्क अधिकारियों से अपेक्षित अनुमति न मिलने के कारण नीलामी से कुछ गांठ वापस निकालनी पड़ी। इन गांठों के शीघ्र ही निपटाने के लिए पत्तन प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। पत्तन प्रशासन से कहा गया है कि वे उक्त माल के बारे में सरकारी उपक्रमों से सम्पर्क करें और जो इनके उपयोग का हो वह इन्हें उचित मूल्य पर बेच दिया जाए।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिये विदेशी सहायता

4630. **श्री राम लाल राही** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिये प्राप्त सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसका उपयोग किस ढंग से किया गया और इस बारे में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) पिछले तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों (विदेशी ऐजेंसियों से सहायता की जितनी-जितनी राशि प्राप्त हुई है, उसका विवरण दे दिया गया है।

(ख) अनुबंध में वर्णित प्रयोजनों के लिये इस सहायता का उपयोग किया गया है तथा प्रत्याशित परिणाम प्राप्त हो गये है।

विवरण

1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान मिली वित्तीय सहायता का विवरण

क्रम सं०	अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/ विदेशी ऐजेंन्सी का नाम	सहायता किस प्रयोजन के लिये उपलब्ध की गई	जो सहायता प्राप्त हुई (रुपये लाखों में) 1977-78	1978-79	1979-80
1	2	3	4	5	6
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी/ स्वीडीश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण	पहली भारतीय जनसंख्या परियोजना	374.24	383.71	284.07*
2.	नार्वेजियन अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण	प्रसवोत्तर कार्यक्रम . .	462.53	520.00	504.81
3.	यूनिसेफ . .	वेक्सीन आदि की सप्लाई . .	53.60	23.00	128.99

विवरण--जारी

1	2	3	4	5	6
4.	डेनिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण	1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के भवनों का निर्माण	35.39	66.00	58.44
		2) क्षेत्रीय परियोजनायें .	—	—	1.80
5.	विश्व स्वास्थ्य संगठन .	1) मातृ एंव शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम	52.00	72.00	80.00
		2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के लिये उपकरण और रसायन	—	—	0.12
6.	जनसंख्या संबंधी कार्यकलापों लिये संयुक्त राष्ट्रीय फंड	परिवार कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने संबंधी विभिन्न परियोजनायें	592.52	1208.12	1269.12
7.	स्वीडिश अन्तर्रा ष्ट्रीय विकास प्राधिकरण	1) निरो ध की सप्लाई . .	343.16	—	—
		2) विटामीन ए की सप्लाई .	—	21.44	—
8.	जर्मन संघीय गणतंत्र .	मास मेलिंग यूनिट तथा फिल्म यूनिट के लिए उपकरण	21.10	—	—
9.	ब्रिटेन . .	ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में नसबंदी सुविधाओं का सुदृढीकरण	92.44	232.43	—
		योग	2026.98	2526.70	2327.35

*इन आकड़ों में प्रस्तुत किए गये वे दावे भी शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति अभी नहीं हुई है ।

बिहार में बीड़ी श्रमिकों के वेतन और भत्ते

4639. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) बिहार राज्य में एक हजार बीड़ियों के बनाने पर एक बीड़ी श्रमिक को मंहगाई भत्ते सहित कितना वेतन मिलता है;

(ख) बिहार के नालन्दा जिले में बीड़ी श्रमिकों की मंहगाई भत्ते की कितनी राशि मार्च,1980 तक बीड़ी कारखानों के मालिकों की ओर बकाया थी; और

(ग) सरकार द्वारा बीड़ी श्रमिकों को मंहगाई भत्ते की बकाया की अदायगी कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ।

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) 1.4.1980 की स्थिति के अनुसार मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम मजदूरी की राशि क्षेत्रानुसार 5.56 रूपयें से 6.56 रूपये के बीच है ।

(ख) और (ग) बिहार राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

4640. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने के की कृपा करेंगें कि :

(क) केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों की गत तीन वर्षों के दौरान "चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति" के रूप में प्रतिवर्ष कितनी धनराशि अदा की गई ;

(ख) गत तीन वर्षों में कितने कर्मचारियों को झूठे चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पाया गया और;

(ग) उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

शिक्षित बेरोजगार

4641. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार में वर्ष 1978 और 1979 के दौरान शेष शिक्षित बेरोजगारो की संख्या को कम करने के लिए कोई विशेष प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार/स्वनियोजन देने के लिए 1978 और 1979 के दौरान केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं। कुछ मुख्य योजनाएं निम्नलिखित थीं :—

1. जिला उद्योग केन्द्र ।
2. स्व-नियोजन के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करने की राष्ट्रीय योजना (टी०आर०वा०ई०एस०ई०एम०)
3. पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में संभावित उद्यमियों के लिए समेकित प्रशिक्षण केन्द्र (उद्योग) निलोखेरी द्वारा आयोजित ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम ।
4. लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा आयोजित इंजीनियरों के प्रशिक्षण संबंधी योजना ।
5. इंजीनियर उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम (ब्याज अर्थ सहायता योजना)
6. गैर-इंजीनियरों के लिए उद्यम विकास कार्यक्रम ।
7. उर्वरकों, बीजों और कीटकनाशक दवाओं के वितरण के लिए शिक्षित बेरोजगारों द्वारा बिक्री केन्द्रों की स्थापना ।
8. लघु डेरी एककों के स्थापन के माध्यम से शिक्षित पुरूषों/महिलाओं के लिए स्व-नियोजन ।
9. अर्हकर औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में उपलब्ध केन्द्रीय निवेश अर्थ सहायता योजना ।
10. अधिसूचित पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में परिवहन अर्थ सहायता ।

अधिकारियों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात का दौरा

4642. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आप्रवासियों को विनियमित करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करने वाले सरकारी अधिकारी अपने मिशन में सफल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में संयुक्त अरब अमीरात में उनके प्रवास का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार के एक सचिव के नेतृत्व में भारतीय अधिकारियों के एक प्रतिमंडल ने फरवरी, 1980 में संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी। इस प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त अरब अमीरात सरकार के अधिकारीयों से मुलाकात की और उनके साथ इस बारे में बातचीत की कि संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने आप्रवासियों के बारे में जिन नयी नीतियों की घोषणा की है उनका संयुक्त अरब अमीरात मे रहने वाले भारतीय राष्ट्रिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार का कहना यह था की वे उपाय पूर्णतया उनके आंतरिक मामले है और भेदभावपूर्ण नहीं है। भारतीय प्रतिनिधियों मंडल ने इस बात पर बल दिया कि इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है और संयुक्त अरब अमीरात के प्राधिकारियों ने उन्हें इस बात से आश्वस्त किया कि इन नए उपयो को क्रियान्वित करते समय किसी भी भारतीय राष्ट्रिक को कोई अनुचित कठिनाई नहीं होगी ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में प्रशासनिक कर्मचारी

4643. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापतनम (आंध्र प्रदेश) में इसके प्रथम पोत के उद्घाटन से प्रशासकीय कर्मचारियो का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रशासकीय कर्मचारियों पर वर्ष-वार कितना व्यय हुआ ; और

(ग) इसके परिचालन व्यय की कुल लागत की तुलना में इसके प्रशासकीय व्यय का वर्ष-वार अनुपात क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित पहला जहाज मार्च, 1948 में जल में उतारा गया। सरकार ने फरवरी 1952 में इस शिपयार्ड को सिंधिया से अपने नियंत्रण में ले लिया। 1952 से प्रशासनिक स्टाफ की श्रेणी-वार स्थिति नीचे दी गई है :—

वर्ष	प्रशासनिक स्टाफ			
	अधिकारी	कर्मचारी	चतुर्थश्रेणी कर्मचारी	कुल
1952 . . .	13	157	94	264
1957 . . .	20	277	125	422
1962 . . .	27	352	129	508
1967 . . .	35	380	333	748
1972 . . .	61	420	372	853
1977 . . .	66	449	398	913
1980 . . .	187	443	467	1097

(अद्यतन स्थिति के अनुसार)

(ख) और (ग) : 1970-71 से लेकर 1979-80 तक प्रशासनिक खर्च और कुछ परिचालन खर्च की तुलना में उसका अनुपात नीचे दिया गया है :—

वर्ष	प्रशासनिक खर्च (लाख रु०)	कुल परिचालन खर्च की तुलना में प्रशासनिक खर्च का अनुपात
1970-71	39.50	1:21
1971-72	36.81	1:24
1972-73	60.17	1:21
1973-74	70.92	1:21
1974-75	103.04	1:22
1975-76	176.51	1:18
1976-77	101.10	1:29
1977-78	68.32	1:38
1978-79	108.52	1:25
1979-80	147.51	1:21

1970-71 से पहले की सूचना उपलब्ध नहीं है।

मत्स्य ट्रालरों को घाट पर लगाने का वृद्धिगत शुल्क

4644. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने हाल ही में मत्स्य ट्रालरों के लिए लगभग डीज़ल के 50 प्रतिशत प्रतिटन द्वारा तेल के भंडारण शुल्क में वृद्धि की है;

(ख) क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने भी मत्स्य ट्रालरों को घाट पर लगाने के शुल्क में वृद्धि की है,

(ग) यदि हां, तो क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ने मत्स्य ट्रालरों के लिए तेल के भंडारण के अधिक शुल्क निर्धारण करने में नौकाओं के मालिकों से परामर्श किया था; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ट्रालरों के मालिकों से परामर्श करेंगे और निर्णय पर पहुंचने के लिए इस मामले पर निर्णय लेंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। मछली पकड़ने के जहाजों को बंकरों में ठहराने के लिए आरंभ में 15-11-1979 से प्रति लिटर 0.04 रुपए का जो सर्विस चार्ज अधिसूचित किया गया था उसमें वृद्धि नहीं की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जहाज परिचालन संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए पत्तन के यातायात प्रबंधक हर महीने नियमित रूप से ट्रालर आपरेटरों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करते हैं जिनमें उक्त समस्याओं की समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं होता।

कालका-शिमला सैक्शन पर पहले दर्जे का किराया

4645. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका-शिमला स्टेशन पर पहले दर्जे का किराया दोनों स्टेशनों के बीच वास्तविक किलोमीटर दूरी से दोगुना दूरी के लिये लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या दूसरे दर्जे के मामले में यह किराया तीन गुणा दूरी के लिये लिया जाता है;

(ग) यदि हां, तो दूसरे दर्जे के यात्रीयों के साथ इस भेदभाव के क्या कारण है;

(घ) क्या दूसरे दर्जे के यात्रियों का किराया भी कम करके जो दोगुणा दूरी तक किया जायेगा;

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (च) हिल/घाट खंडो में परिचालन और अनुरक्षण की ऊंची लागत के कारण इन खंडों पर प्रभार के लिए बढ़ी हुई दूरी के आधार पर किराया प्रभारित किया जाता है। 1976 से, कालका-शिमला खंड पर पहले दर्जे के यात्रियों के प्रभारों के लिए दूरी वास्तविक दूरी की तिगुनी से कम करके दुगनी कर दी गयी थी। यह कदम इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक था कि पहले दर्जे के किराये में पहले की गयी पर्याप्त वृद्धि से यातायात सड़क से होने लगा जिसके कारण इस खंड पर उपलब्ध स्थान का कम उपयोग होने लगा। यह विचार किया गया था कि पहले दर्जे के किराये में कमी करने से सड़क के बजाय रेल द्वारा यात्रा करने के लिए अधिक यात्रियो को आकर्षित किया जा सकेगा और इस प्रकार रेलवे द्वारा उठायी जाने वाली हानि के अनुपात में कमी लायी जा सकेगी।

दूसरे दर्जे के मामले में, स्थान का पूरा उपयोग किया जाता था और इसलिए अधिक यातायात आकर्षित करने के लिए दूसरे दर्जे के किराये में कमी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

इस समय दूसरे दर्जे के किराये को कम करके वास्तविक दूरी से दुगनी दूरी के किराये तक करने के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जैसा पहले दर्जे के किराये के संबंध में है।

रेलवे लाइनों का सर्वेक्षण/उद्घाटन किया जाना

4646. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पंचवार्षीय योजना 1978-83 तथा वर्ष 1992-93 तक की 15 वर्षीय संशोधित समवेत योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यह है कि "वित्तीय संसाधनो के उपलब्ध होने पर नई रेल लाइनों को बिछा कर पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाये";

(ख) यदि हां, तो रेलवे बोर्ड द्वारा पिछड़े क्षेत्रो में और विशेष रूप से पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों में नई रेल लाइनो को बिछाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) रेलवे पंच वर्षीय योजना के प्रारंभ होने से अब तक इस विचार से किन-किन नई रेल लाइनों का सर्वेक्षण/उद्घाटन किया गया है ;

(घ) प्रत्येक मामले में अब तक क्या प्रगति की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। पिछड़े क्षेत्रों के विकास की सरकारी नीति का उचित ध्यान रखते हुए जिन क्षेत्रों में रेल परिचालन से अर्थव्यवस्था को अधिकतम लाभ प्राप्त होता है, ऐसे क्षेत्रों की

मांग को पूरा करने के लिए यात्रियों और माल दोनों के लिए पर्याप्त रेल परिवहन की व्यवस्था करना भारतीय रेलो के सामूहिक उद्देश्यों में से एक उद्देश्य है ।

पिछड़े क्षेत्रों में लाइनों सहित नयी लाइनों के निर्माण के लिए युक्तियुक्त नीति तैयार करने के लिए, 1978 में नियुक्त की गयी राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट पेश की है जिसकी सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) : उन नयी रेल लाइनो के नाम, 1978-79 से जिनका सर्वेक्षण/उद्घाटन किया गया है अथवा जिन पर काम हो रहा है, इस प्रकार हैं :—

नाम	लम्बाई कि० मी० में	टिप्पणी
1. रोहतक-भिवानी (नयी लाइन) . .	49.3	3-6-1980 को खोल दी गयी है
2. कपड़वंज-मोडासा (ब० ला०) (नयी लाइन)	60.50	वर्तमान प्रगति 7 प्रतिशत
3. रामपुर-न्यू हल्द्वानी (ब०ला०) (नयी लाइन)	78.40	वर्तमान प्रगति 0.5 प्रतिशत
4. जगाधरी-पांवटा-राजवन (नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण)		वर्तमान प्रगति 37 प्रतिशत
5. कालका-परवानू (नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण)		नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण कार्य को 1980-81 की बजट में शामिल कर लिया गया है।
6. नंगल डैम-तलवाड़ा (नयी लाइन के लिए सर्वेक्षण)		पिछले सर्वेक्षण को आधुनिक बनाने का कार्य 1980-81 के बजट में शामिल कर लिया गया है।

विदेशी मिशनों में मजूरी विषमता

4647. **श्री बृज मोहन महंती** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित विदेशी मिशनों में नौकरी के मामले में एक ही काम के लिए एक जैसी मजदूरी न देकर जातीय और रंग-भेद की नीति अपनाई जा रही है और विदेशी मिशनो में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियो को इसका शिकार बनना पड़ रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि जापानी और बौन मिशनों में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों को अपने बराबर वालों से कम मजूरी मिलती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस जातीय और रंग-भेद की नीति को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) भारत स्थित विदेशी मिशनो द्वारा जातीय अथवा रंगभेद की नीति अपनाये जाने के बारे में किसी विशिष्ट शिकायत की जानकारी भारत सरकार को नहीं है । जहां तक वेतन का संबंध है, उसका निर्धारण कर्मचारी तथा नियोक्ता के बीच सीधी बातचीत के द्वारा होता है ।

(ख) ऐसी किसी घटना की ओर इस मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारत के पड़ोसी देशों को शस्त्रों की सप्लाई

4648. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ बाहरी देश हमारे पड़ोसी देशों को शस्त्रों की सप्लाई कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) संयुक्त राज्य अमरीका और चीन द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई तथा हाल के महीनों में चीन और संयुक्त राज्य अमरीका के संबंधो में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बारे में प्रकाशित समाचारों की ओर भारत सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

यह भी रिपोर्ट मिली है कि संयुक्त राज्य द्वारा सैनिक साज-सामान सप्लाई करने के प्रस्ताव को पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया है ।

पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई करने के संयुक्त राज्य के इरादों के बारे में सरकार ने उच्चतम स्तर पर संयुक्त राज्य की सरकार को अपनी चिंता से अवगत कराया है। हमें विश्वास है कि इस विषय में भारत के दृष्टिकोण को बेहतर ढंग से समझा गया है ।

जहां तक चीन द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रों की सप्लाई का प्रश्न है, हमने चीन की सरकार को अपनी इस चिंता से अवगत करा दिया है कि इस प्रकार की कार्रवाई से इस क्षेत्र के तनाव में वृद्धि होगी जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। इसके उत्तर में चीन की सरकार ने बताया है कि पाकिस्तान को दी गई उनकी सहायता भारत के विरुद्ध नहीं है। उन्होंने अपनी यह आशा भी व्यक्त की कि भारत-पाकिस्तान और भारत चीन संबंधों में सुधार होगा ।

अमरीका और चीन की रक्षा स्थापनाओं के बीच बहुत से आदान-प्रदान हुए हैं। संयुक्त राज्य सरकार ने चीन को द्वि-उद्देश्यीय प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने और चीन को कुछ ऐसी वस्तुओं के निर्यात के लिए, जिन्हें सहायक उपस्कर कहा गया है, लाइसेंस आवेदन-पत्र अनुमोदित करने के लिए भी अपने तत्परता व्यक्त की है। इसमें कुछ वर्ग के माल-वाही जहाज/विमान और हेलीकाप्टर, कुछ प्रकार के इलक्ट्रोनिक उपस्कर जैसे कि अन्वेषक रडार पद्धति, संचार पद्धति आदि शामिल हैं ।

लेकिन संयुक्त राज्य प्रशासन ने कहा है कि चीन के साथ सैनिक संधि का कोई इरादा नहीं है और न ही इस समय चीन को शस्त्र बेचने की अनुमति देने का संयुक्त राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव है। फिर भी दोनों पक्ष एक समान मूल्यांकन करने की बात करते हैं ।

इसमें संदेह नहीं कि इन घटनाओं का सामान्य रुप से एशिया के और विशेष रुप से भारत की सुरक्षा की परिस्थितियों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रकार की सभी घटनाओं की भारत सरकार द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है ताकि भारत की सुरक्षा के हितों के लिए आवश्यक कदम उठाये जा सकें।

बीड़ी श्रमिक और न्यूनतम मजूरी

4649. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, बीड़ी श्रमिकों की (महीला और पुरुष) संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का विचार देश भर में बीड़ी श्रमिकों के लिए प्रति हजार बीड़ी के लिए 10 रुपये 50 पैसे की समान न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) विभिन्न राज्यो में बीड़ी श्रमिको की संख्या दर्शाने वाला विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) और (ग) : न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन, राज्य सरकारें बीड़ी उद्योग में मजदूरी की न्यूनतम दरों को निर्धारित/संशोधित करने के लिए "समुचित सरकार" है। विभिन्न राज्यों द्वारा निर्धारित की गई वर्तमान दरें-II में दिखाई गई हैं। राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि इस नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम-दरों को संशोधित किया जाए, जहां कहीं इनका संशोधन नहीं हुआ है।

विवरण 1

विभिन्न राज्यों में बीड़ी श्रमिकों (घरखाता सहित) की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(लाखों में)

भुवनेश्वर क्षेत्र	
(क) उड़ीसा	1.60
(ख) पश्चिम बंगाल, (ग) असम, (घ) त्रिपुरा, (ङ) मेघालय	4.50

विवरण 1—जारी

भीलवाड़ा क्षेत्र	
(क) राजस्थान	0.22
(ख) गुजरात	0.12
इलाहाबाद क्षेत्र	
(क) बिहार	3.5
(ख) उत्तर प्रदेश	4.5
जबलपुर क्षेत्र	
(क) मध्य प्रदेश	5.00
(ख) महाराष्ट्र	2.50
(ग) गोवा	0.02
बंगलौर क्षेत्र	
(क) आन्ध्र प्रदेश	2.50
(ख) तमिलनाडु	2.00
(ग) कर्नाटक	3.00
(घ) केरल	1.50

विवरण 2

बीड़ी उद्योग में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन संबंधी स्थिति

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1000 बीड़ियों को लपेटने के लिए मजदूरी दरें	वह तारीख जब से मजदूरी दरें संशोधित की गईं	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	ओजों तथा बीड़ियों के प्रकार के अनुसार 5.00 रु० से 5.85 रु०	7-5-79	..
2	असम	5.00 रु०	1-8-77	
3	बिहार	*क्षेत्रों के अनुसार 5.56 रु० से 6.56 रु०	30-11-74	*1-4-80 से 1.66 रु० की दर से महंगाई भत्ता शामिल है।
4	गुजरात	क्षेत्रों के अनुसार 4.50 रु० से 5.00 रु०	15-7-75	संशोधन का सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है।
5	कर्नाटक	5.75 रु०	28-3-79	..
6	केरल	2.30 रु० और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में 5 पाइंट की प्रत्येक वृद्धि पर 2 पैसे	15-12-69	क्षेत्रों के अनुसार 17-6-60 से कुल मजदूरी दरें 6.44 रु० से 7.26 रु० के बीच है।
7	मध्य प्रदेश	6.00 रु०	27-12-79	कतिपय शर्तों के अध्यधीन 4.00 रु० प्रतिदिन की गारंटी-शुदा न्यूनतम मजदूरी।
8	महाराष्ट्र	क्षेत्रों के अनुसार 6.00 रु० से 8.00 रु०	6-3-79	—यथोक्त—

विवरण 2—जारी

1	2	3	4	5
9	उड़ीसा . .	4.50 रुपये	1-1-76	मजदूरी दरों में संशोधन के लिए एक समिति नियुक्त की जा रही है।
10	राजस्थान . .	5.50 रु० (सादा बीड़ी) 6.80 रु० (स्पेशल बीड़ी)	1-1-80	,,
11	तमिलनाडु . .	5.40 रु० (जर्दा बीड़ी) 5.25 रु० (सादा बीड़ी)	1-1-79	,,
12	त्रिपुरा . .	3.20 रु०	मई, 1974	तथापि बातचीत के फलस्वरूप मजदूरी दर को बढ़ाकर 3.80 रु० तक कर दिया गया है।
13	उत्तर प्रदेश . .	4.75 रु० से 5.00 रु० क्षेत्रों के अनुसार	2-1-76	6.00 रु० से 6.20 रु० की रेंज म मजदूरी दरों में संशोधन करने के प्रस्ताव को 7-8-79 को अधिसूचित किया गया।
14	पश्चिम बंगाल .	क्षेत्रों के अनुसार दरें 5.80 रु० से 11.00 रु० के बीच है। (कलकत्ता, हावड़ा, 24-परगना के लिए महंगाई भत्ते के परिवर्तन की दर प्रति पाइंट 2.5 पैसे है और अन्य जिलों के लिए 2 पैसे है)	,,	,,

बख्तियारपुर जंक्शन पर डीलक्स और तिनसुखिया मेल का रुकना

4650. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिलक्स और तिनसुखिया मेल तथा अन्य अति द्रुतगामी रेलगाड़ियां बख्तियारपुर जंक्शन पर नहीं रुकती हैं जिससे यात्रियों को भारी कठिनाई और असुविधा होती है ;

(ख) क्या सरकार का विचार बख्तियारपुर जंक्शन पर उपरोक्त रेलगाड़ियां रोकने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) 103/104 वातानुकूल एक्सप्रेस और 155/156 तिनसुखिया मेल को बख्तियारपुर स्टेशन पर ठहराने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ये मार्ग में सीमित ठहराओं वाली लम्बी दूरी की तेज गाड़ियां हैं। यदि इन गाड़ियों को बख्तियारपुर में ठहराया जाना मान लिया जाय तो अन्य स्टेशनों से भी इसी प्रकार की मांग आएगी। इस सब का प्रभाव यह होगा कि इन गाड़ियों का चालन समय बढ़ जायेगा, इसलिए ऐसा करना वांछनीय नहीं है।

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

4651. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में किन रेल लाइनों का विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ख) इन रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) इन रेल लाइनों के विद्युतीकरण के कार्य में अनुमानतः कितना व्यय आयेगा ;

(घ) क्या इन रेल लाइनों का विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गयी विद्युतीकरण योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:—

भाग (क)	भाग (ख)	भाग (ग)	भाग (घ)	भाग (ङ)
		(करोड़ रु० में)		
1. दिल्ली मथुरा जिसमें दिल्ली परिहार लाइन शामिल हैं (इसे 1977–78 के रेलवे बजट में शामिल किया गया, लेकिन योजना आयोग द्वारा इसे दिसम्बर, 1978 में मंजूरी दी गयी।	प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है। शिरोपरि उपस्करों की सप्लाई तथा उनको लगाये जाने के ठेके दिये जा चुके हैं।	20.20	अभी पूरा नहीं हुआ है	1983–84
2. बड़ोदरा-रतलाम जिसमें गोधरा-आनन्द और अहमदाबाद साबरमती शामिल हैं। (1979–80 के रलवे बजट में शामिल कर लिया गया है।)	प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है शिरोपरि उपस्करों की सप्लाई तथा उनको लगाये जाने के लिए टेन्डर मांगे गये हैं।	35.83	अभी पूरा नहीं हुआ है	1984–85
3. तिरुवल्लूर-अरकोणम (इसे 1979–80 के बजट में शामिल किया गया लेकिन योजना आयोग द्वारा इसे फरवरी, 1980 में मंजूरी दी गयी।)	प्रारम्भिक कार्य प्रगति पर है।	2.75	अभी पूरा नहीं हुआ है।	1982–83

कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यकरण की समीक्षा

4652. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यकरण की समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) उक्त योजना के कार्यकरण में क्या-क्या सुधार किए जाने की आशा है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संचालन की विशेष रूप से पुनरीक्षा नहीं की है। तथापि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, जो एक त्रिपक्षीय निकाय है, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संचालन की लगातार पुनरीक्षा कर रहा है, ताकि इसमें और सुधार किए जा सके। वे संचालन प्रक्रिया और तरीकों को सरल बनाने का पहले ही प्रयास कर रहे हैं, ताकि बीमा शुदा व्यक्तियों को सुविधा हो सके और इस योजना के अन्तर्गत मिलने वाली चिकित्सा सेवाओं की कोटि और स्तर में सुधार हो सके। पिछले एक वर्ष में किए गए कुछ सुधार इस प्रकार है :—

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालें/औषधालयों में उपकरणों की व्यवस्था के मानकों में संशोधन किया गया है।

(2) 585 पलंगों वाले तीन पूर्ण विकसित अस्पताल, 104 पलंगों वाली 8 एनेकिसयां और 13 औषधालय निर्मित किए गए ; और चालू किए गए ; और

(3) अंशदानों की वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से अंशदान स्टैम्पों की बजाय अंशदानों के नकद भुगतान की प्रणाली को कुछ क्षेत्रों से प्रारम्भ किया गया है।

माल डिब्बों की उपलब्धता

4653. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनों में भारतीय रेलवे के पास कुल कितने माल डिब्बे उपलब्ध हैं और भारतीय रेलवे के पास प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा शायिकाओं आदि के कितने सवारी डिब्बे उपलब्ध है ;

(ख) 1976 से लेकर 1980 तक प्रति वर्ष कितने सवारी और माल डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं; और

(ग) राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार माल-डिब्बों की संख्या बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यक्रम है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) (1) 1-6-80 को भारतीय रेलों पर (रेलवे-वार) माल-डिब्बों की संख्या इस प्रकार थी :—

रेलवे	चौपहियों के हिसाब से	
	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
मध्य रेलवे	69712.5	1447
पूर्व रेलवे	91832.0	..
उत्तर रेलवे	63835.5	10116
पूर्वोत्तर रेलवे	1750.5	25917
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	5442.5	20197
दक्षिण रेलवे	17082.5	12998
दक्षिण-मध्य रेलवे	31681.5	12504
दक्षिण पूर्व रेलवे	100559.5	..
पश्चिम रेलवे	33122.0	27169
कुल	415018.5	110548

(2) 31-3-80 को रेलों पर विभिन्न कोटियों के यात्री डिब्बों की संख्या नीचे दी गई है :—

	वातानुकूलित दर्जे तथा वातानुकूलित शयनयान सहित पहला दर्जा	पहले और दूसरे दर्जे के शयनयान सहित पहला और दूसरा दर्जा	दूसरा दर्जा	शयनयान
बड़ी लाइन	1705	1084	9555	3420
मीटर लाइन	701	860	7402	1202
छोटी लाइन	68	153	1086	..
जोड़	2474	2097	18043	4622

(ख) 1976 के बाद के वर्ष में प्रति वर्ष बढ़ाये गए सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की संख्या नीचे दी गयी है :—

वर्ष	सवारी डिब्बे	माल डिब्बे (यूनिट में)
1975-76	871	8668
1976-77	485	6492
1977-78	727	5561
1978-79	676	5906
1979-80	689	7733

(ग) माल-डिब्बा बेड़ें में वृद्धि का कार्यक्रम नीचे दिया गया हैं :--

(चौपाहियों के हिसाब से)

1978-79	18056	(वास्तविक)
1979-80	10827	(वास्तविक)
1980-81	13000	(अनुमानित)
1981-82	13000	(की गई अग्रिम कार्रवाई)

छठी पंचवर्षीय योजना, 1980-85 का प्रतिपादन करने के लिए योजना आयोग ने हाल ही में रेलों के कार्य-दल का पुनर्गठन किया है। इस दल द्वारा अपनी रिपार्ट को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात, योजना आयोग के परामर्श से पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम को अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया जायेगा ।

बिहार में परामर्श देने वाले अस्पताल

4654. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के सहयोग से कितने परामर्श देने वाले अस्पताल बनाये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने ऐसे स्थान हैं जहां परामर्श देने वाले अस्पतालों के लिए बनाए गए भवनों में अस्पतालों ने अभी कार्य करना आरम्भ नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या कन्द्रीय सरकार इन 30 बिस्तरों वाले अस्पतालों के लिए कुछ वार्षिक अनुदान देगी ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ग्रामीण क्षत्रों में तीस-तीस पलंगों वाले रेफरल अस्पताल खोलने के लिए कोई सहायता नहीं दे रहा है। वैसे, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर, उन्हें तीस-तीस पलंगों वाले ग्रामीण अस्पतालों में परिवर्तित करने का विचार है। इस प्रयोजन के लिए धन का आवन्टन न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सेक्टर योजना आयोग द्वारा किया जाता है। बिहार में कितने ग्रामीण रेफरल अस्पताल खोले जा चुके हैं, यह सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हज के लिए आवेदन पत्रों की संख्या

4655. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976 से आगे राज्य वार तथा वर्षवार हज के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और समुद्री मार्ग वाले कितने आवेदन स्वीकार तथा अस्वीकार किये गये ;

(ख) वर्षवार कितनी विदेशी मुद्रा दी गई ;

(ग) सभी भारतीयों को निर्बाध हज पर जाने के लिए अनुमति देने के बारे में सरकार की नीति क्या है; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) वर्षवार विवरण संलग्न है ।

(ख) प्रत्येक हज यात्री के लिए निम्नलिखित विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गई :--

वर्ष		विदेशी मुद्रा सऊदी रियाल में
1976		1,950
1977		2,000
1978		2,500
1979	(1) 91 से 105 दिन तक ठहरने के लिए	3,110
	(2) 106 से 120 दिन तक ठहरने के लिए	3,230
1980	(1) 91 से 105 दिन तक ठहरने के लिए	3,110
	(2) 106 से 120 दिन तक ठहरने के लिए	3,230

(ग) और (घ) सरकार की हमेशा से यह नीति रही है कि हज-यात्रा के इच्छुक व्यक्तियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं और वह अब भी इस नीति का अनुसरण कर रही है।

विवरण

वर्ष 1976 में राज्य वार प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या

राज्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत आवेदन पत्र
उत्तर प्रदेश	5,357	3,758	1,599
पश्चिम बंगाल	963	829	134
बिहार	957	694	263
महाराष्ट्र	1,961	1,570	391
केरल	2,011	1,166	845
असम	448	352	96
आन्ध्र प्रदेश	1,129	660	469
जम्मू एवं कश्मीर	1,169	1,169	..
मैसूर	679	454	225
गुजरात	1,669	1,249	420
तमिलनाडु	532	354	178
मध्य प्रदेश	638	472	166
राजस्थान	1,089	598	491
पंजाब	32	32	..
हरियाणा	49	49	..
त्रिपुरा	23	23	..
उड़ीसा	60	60	..
मणिपुर	80	75	5
हिमाचल प्रदेश	4	4	..
नागालैण्ड	..	2	..
मेघालय	7	7	..
संघ राज्य क्षेत्र--			
दिल्ली	204	182	22
लक्षद्वीप, मिनीकाय एवं अमीनदीवी द्वीप	60	50	10
पांडिचेरी	10	3	7
गोआ, दमन एवं दीउ	12	4	8
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	9	2	7
दादरा एवं नागर हवेली	..	..	..
चण्डीगढ़	..	..	..
अरुणाचल प्रदेश	..	..	..
सिक्किम	1	1	..
कुल	19,153	13,817	5,336

वर्ष 1977 में राज्यवार प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या

राज्य	प्राप्त आवेदन-पत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत आवेदन-पत्र
उत्तर प्रदेश	4,173	3,121	1,052
पश्चिम बंगाल	770	603	167
बिहार	866	637	229
महाराष्ट्र	1,873	1,471	402
केरल	5,784	3,400	2,384
असम	240	240	..
आन्ध्र प्रदेश	1,418	986	432
जम्मू एवं कश्मीर	1,050	1,043	7
मैसूर	1,547	963	584
गुजरात	912	647	265
तमिलनाडु	1,347	760	587
मध्य प्रदेश	411	288	123
राजस्थान	707	527	180
पंजाब	18	18	..
हरियाणा	39	39	..
त्रिपुरा	1	1	..
उड़ीसा	92	92	..
मणिपुर	30	30	..
हिमाचल प्रदेश	6	6	..
नागालैण्ड	1	1	..
मेघालय	..	..	..
संघ राज्य क्षेत्र—			
दिल्ली	211	211	..
लक्षदीव, मिनीकाय एवं अमीनदीव द्वीप	36	36	..
पांडिचेरी	78	30	48
गोआ, दमन, दीव	93	36	57
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप	12	12	.
दादरा एवं नगर हवेली	..	..	..
चण्डीगढ़	..	..	..
सिक्किम	..	..	..
अरुणाचल प्रदेश	..	..	..
कुल	21,715	15,198	6,517

वर्ष 1978 में राज्य वार प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त आवेदन-पत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत आवेदन-पत्र
1	आन्ध्र प्रदेश	1,638	952	686
2	असम/मणिपुर	496	468	28
3	बिहार	803	658	145
4	गुजरात	1,120	814	306
5	हरियाणा/दिल्ली/पंजाब	339	276	63
6	जम्मू और कश्मीर	951	951	..
7	कर्नाटक	992	860	132
8	केरल	9,626	1,883	7,743
9	मध्य प्रदेश	370	340	30
10	महाराष्ट्र/गोआ	2,109	1,514	595
11	उड़ीसा	147	103	44
12	राजस्थान	942	743	199
13	तमिलनाडु	1,010	651	359
14	उत्तर प्रदेश	4,334	3,767	567
15	पश्चिम बंगाल	637	563	64
	कुल	25,504	14,543	10,961

वर्ष 1979 में राज्य वार प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त आवेदन-पत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत आवेदन पत्र
1	आन्ध्र प्रदेश	1,851	1,017	834
2	असम/मणिपुर	594	509	85
3	बिहार	969	928	41
4	गुजरात	1,244	717	527
5	हरियाणा/दिल्ली	314	211	103
6	जम्मू और कश्मीर	..	1,112	..
7	कर्नाटक	2,785	989	1,796
8	केरल/लक्षदीप	11,564	2,100	9,464
9	मध्य प्रदेश	501	424	77
10	महाराष्ट्र	2,602	1,304	1,298
11	उड़ीसा	86	77	9
12	राजस्थान	1,328	595	745
13	तमिलनाडु	1,796	843	953
14	उत्तर प्रदेश	5,334	3,403	1,931
15	पश्चिम बंगाल/अण्डमान	798	786	12
	कुल	31,766	15,005	17,873

वर्ष 1980 में राज्यवार प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या

क्रम सं०	राज्य	प्राप्त आवेदन पत्र	स्वीकृत	अस्वीकृत आवेदन पत्र
1	आन्ध्र प्रदेश	1,223	870	353
2	असम/त्रिपुरा/मणिपुर/नागालैण्ड/मेघालय/अरुणाचल/सिक्किम	320	774	..
3	बिहार	913	913	..
4	गुजरात/दादरा, नगर हवेली	1,346	556	790
5.	दिल्ली	185	65	120
6	जम्मू और कश्मीर	..	1,032	..
7	कर्नाटक	677	677	..
8	केरल/लक्षदीव	3,439	1,071	2,368
9	मध्य प्रदेश	474	449	25
10	महाराष्ट्र/गोआ, दमन एवं दीव	2,256	1,053	1,203
11	उड़ीसा	27	27	..
12	राजस्थान	1,209	439	770
13	तमिलनाडु/पांडिचेरी	581	526	55
14	उत्तर प्रदेश	6,105	3,379	2,726
15	पश्चिम बंगाल/अण्डमान, निकोबार	737	757	..
16	हरियाणा/पंजाब/हि० प्रदेश/चण्डीगढ	118	118	
	कुल	19,630	12,706	8,410

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में नई रेल लाइनें

4656. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलो और विशेष कर बदायू जिले में नई रेल लाइनें बिछाने का निर्णय किया है जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1977 में सिफारिश की थी और पुनः 4 जून, 1980 को परामर्श दात्री समिति की बैठक में सिफारिश की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कब किया जाएगा और काम कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ;

(ग) क्या वजीर गंज, उधियानी, बिसोली, बिलसी, सहसवन. आदि क्षेत्रो को लेते हुए वैकल्पिक मार्गों के लिए भी सर्वेक्षण किया गया है ; और

(घ) इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और मिलों में लम्बाई कितनी होगी तथा कौन-कौन से टर्मिनस बनेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार बदायूं के रास्ते मीरनपूर-कटरा और बहजोई के बीच नवी रेल लाइन बिछाने के लिए विगत में कोई जांच पड़ताल नहीं की गयी थी। प्रस्तावित रेल सम्पर्क लगभग 135 मि० मी० लम्बा (बड़ी लाइन) होगा और निर्माण की वर्तमान लागत दर से अनुसार इस पर लगभग 19.00 करोड़ रुपये लागत आएगी। संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण जो अनुमोदित कार्यों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है, इस समय, इस रेल सम्पर्क का सर्वेक्षण अथवा निर्माण शुरू करना सम्भव नहीं है।

श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

4657. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ रेलवे विभागों में पदोन्नति के अवसर न होने के कारण श्रेणी तीन तथा चार के अनेक कर्मचारी अपने ग्रेड़ो में रुके पड़े हैं ;

(ख) क्या रेलवे में राजपत्रित अधिकारियो को वरिष्ठता के आधार पर पांच वर्ष के भीतर पदोन्नति प्राप्त होती है ;

(ग) यदि हां, तो उसी अवधि में श्रेणी तीन तथा चार के कर्मचारियों को पदोन्नतियां देने के रास्ते में क्या दिक्कतें हैं ; और

(घ) इस प्रकार एक स्थान पर रुके कर्मचारियों को पदोन्नति देने के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ग) और (घ) रेलों के सभी विभागों में कर्मचारियों की सभी कोटियों के लिए पदोन्नति की पर्याप्त सारणियां हैं, पदोन्नति के अवसरों में और सुधार लाने के उद्देश्य से हाल ही में श्रेणी–III और IV की कोटियों में अनेक पदों के ग्रेड बढ़ाए गए थे। जहां कहीं व्यावहारिक होता है, कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की सम्भावनाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से श्रमिक संघटनों के साथ परामर्श करके विभिन्न संवर्गों की समीक्षा की जाती है, लेकिन किसी भी कोटि में कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नतियां निर्धारित करना न तो व्यावहारिक है और न ही सम्भव है।

(ख) प्रवर वेतनमानों के पदों पर सामान्यत: कनिष्ठ वेतनमान में 4 वर्ष से अन्यून सेवा वाले अधिकारियों को वरिष्ठता क्रमानुसार लेकिन अनुपयुक्त को छोड़कर, पदोन्नत किया जाता है। प्रवर वेतनमान से कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान में और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से प्रवर प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए उन अधिकारियों में से गुण-दोष के आधार पर चयन किया जाता है, जिन्हों ने अपने-अपने ग्रेड में सामान्यत: कम से कम पांच वर्ष की सेवा की हो।

अमरीका में कार्य कर रहे भारतीयों के हित

4658. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 जून, 1980 के टाइम्स आफ इंडिया, नई दिल्ली संस्करण में इंडियन इन यू० एस० थिन्स केस अगेंस्ट एम्पलायर्स नामक शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि अमरीकी श्रम विभाग ने यह दोषारोपण करते हुए मुकदमा किया था कि प्रभाकरन से प्रतिदिन 17 घंटे काम कराया गया और उसे प्राय: गुलाम बना लिया गया था ;

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) यदि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कार्य कर रहे भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) श्री वी० प्रभाकरन ने अगस्त 1972 में एक अतिथि-वीजा के आधार पर संयुक्त राज्य अमरिका में प्रवेश किया और वीजा विनियमों का उल्लंघन करके उन्होंने श्री रोमेश चन्द्र दत्त के यहां रोजगार प्राप्त कर लिया। श्रम प्रमाण-पत्र उन्होंने नवम्बर, 1977 में प्राप्त किया जिसमें उन्हें उस देश में कार्य करने का कानूनी तौर पर अधिकार मिला। दूसरी ओर श्री दत्त अमरीका में ही बस गये हैं और वहां की नागरिकता ले ली है। संयुक्त राज्य के श्रम विभाग के श्रम मंत्री ने श्री प्रभाकरन की ओर से 'द फेयर लेबर स्टैंडर्डस एक्ट' के अंतर्गत न्यूयार्क के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि श्री प्रभाकरन ने हर दिन साढे तेरह घंटे काम किया है। न्यायालय ने श्री दत्त को सामान्य समय का वेतन 25,498.26 अमरीकी डालर, समयोपरि वेतन 7,183.24 अमरीकी डालर और कुल पिछला वेतन 32,333 अमरीकी डालर देने के लिए आदेश दिया।

(ङ) भारतीय राजदूतावास विदेशों में रहने वाले भारतीयों को, जब कभी सहायता मांगी जाती है, सभी संभव सहायता प्रदान करता है। लेकिन इस मामले में श्री प्रभाकरन ने न तो वाशिंगटन स्थित भारत का राजदूतावास और न न्यूयार्क स्थित भारत का प्रधान कौंसलावास से किसी प्रकार की सहायता के लिए कहा।

चीन द्वारा जलग्राफ संबंधी आंकड़ों की सप्लाई

4659. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके तिब्बत में स्रवण क्षेत्र हैं, के संबंध में 1962 तक भारत को नियमित रूप से जलग्राफ संबंधी सही आंकड़े सप्लाई किया करता था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीन के पास ब्रह्मपुत्र तथा अन्य क्षेत्रों में पूर्ण साज सामान युक्त जलग्राफ डाटा केन्द्र है जो हमारे बाढ़ नियंत्रण प्रयासों में अत्यधिक सहायक हो सकते हैं; और

(ग) चीन के साथ मिलकर प्रयास करने और चीनी संसाधनों का उपयोग करने के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) यह सच है कि 1955 से 1962 के बीच भारत सरकार को इस बात के आंकड़े मिलते रहे हैं कि चीन में ब्रह्मपुत्र से कितना पानी छोड़ा गया है ।

(ग) सरकार की घोषित नीति के अनुरूप हम इस बात पर निरन्तर विचार करते रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में चीन के साथ आदान-प्रदान के क्या सर्वोत्तम उपाय हो सकते हैं । दोनों सरकारों द्वारा किये गये विभिन्न प्रस्तावों पर इस समय बातचीत जारी है । जल-सर्वेक्षण संबंधी आंकड़ों पर हमें अभी विचार करना है । बाढ़ की पूर्व सूचना देने से सम्बद्ध हमारी व्यवस्था अब काफी अच्छी हो गई है और यद्यपि ये आंकड़े लाभदायक हो सकते हैं फिर भी इन्हें अब आवश्यक नहीं समझा जाता ।

कटक भुवनेश्वर सड़क को चौड़ा किया जाना

4660. **श्री रास बिहारी बेहरा** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कटक भुवनेश्वर सड़क को चौड़ा करने तथा बार-बार होनेवाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए चार लेनों का निर्माण करने के लिए उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) वित्तीय कठिनाइयों के कारण कटक भुवनेश्वर मार्ग को चार लेनों में चौड़ा करने के काम के बारे में पंचवर्षीय योजना (1978–83) में शामिल करने पर विचार नहीं किया जा सका । लेकिन इसे छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में शामिल करने पर विचार किया जाएगा जो धन के उपलब्ध होने और अन्य प्राथमिकताओं पर निर्भर है ।

दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर बेटिकट यात्रियों की गिरफ्तारी

4661. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 और 24 जून, 1980 को दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनो पर बहुत बड़ी संख्या में बेटिकट यात्रियों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियो को गिरफ्तार किया गया और इन दो दिनों में उनसे कुल कितनी राशि वसूल की गई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 23 और 24 जून, 1980 को दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर कोई बेटिकट यात्री गिरफ्तार नहीं किया गया था । तथापि, बेटिकट या अनधिकृत टिकट वाले 57 व्यक्तियों को पकड़ा गया था और रेलवे की प्राप्य रकम के रूप में उनसे 890 रुपये 20 पैसे वसूल किये गये ।

प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं की संख्या

4662. **श्री भीकू राम जैन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) उत्तरोत्तर वर्षों में उनकी संख्या कम करने के क्या कारण है ; और

(ग) अधिक संख्या में लोगों को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण देने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) पिछले तीन वर्षों के संबंध में मार्च के अन्त में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षुओं की संख्या निम्न प्रकार है :—

1977	. . .	1.58 लाख
1978	. . .	1.41 लाख
1979	. . .	1.25 लाख

(ख) और (ग) बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं को भर्ती करने से उन के प्रशिक्षण के स्तर तथा उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की रोजगार प्रत्याशाओं पर प्रभाव पड़ता है। इस असन्तुलन को सुधारने के लिए, प्रशिक्षुता सलाहकारों तथा नियोजकों पर इस बात का जोर दिया गया कि प्रशिक्षण के लिए भर्ती किए जाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या को प्रत्येक प्रतिष्ठान में उपलब्ध वास्तविक प्रशिक्षण सुविधाओं से वस्तुतः सह-संबंधित रखा जाए।

मारकंडा पुल

4663. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा :**
श्री के० लक्कप्पा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाला दिल्ली राजमार्ग पर 1250 फूट लंबा मारकंडा पुल, जिसका हाल में उद्घाटन हुआ था, यातायात के लिए बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके ठोस कारण क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उक्त पुल जी० टी० रोड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर यातायात की सुरक्षा के लिए बंद किया गया है क्यों कि सारी मशीनरी 'शुल्क संग्रह केन्द्र' का निर्माण करने के लिए नए पुल की अप्रोच सड़कों पर काम कर रही है।

(ग) शुल्क संग्रह केन्द्र का निर्माण पूरा हो जाने के बाद पुल यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। फिलहाल, यातायात पहले की तरह पुराने पुल से हो रहा है।

यौन रोगों की संख्या में वृद्धि

4664. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यौन रोगी की संख्या मे कोई वृद्धि हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में विदेशी पर्यटकों पर भी नजर रखी है और यदि हां, तो क्या भारत में इस रोग के फैलाने में उनका भी योगदान रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस रोग के फैलने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) सम्भोग जनित रोग (जिन्हें पहले रतिज रोग कहा जाता था) अधिसूच्य रोग नहीं है। अतः इन रोगों के प्रकोप सम्बन्धी पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं है। फिर भी देश में स्थापित संभोग जनित रोग क्लिनिकों की रिपोर्टों से यह पता चलता है कि इन रोगों में वृद्धि हो रही है।

(ख) सम्भोग जनित रोगों से पीड़ित विदेशी पर्यटक अधिकतर प्राइवेट चिकित्सकों के पास जाते हैं, जो इनकी सूचना राज्य सरकारों अथवा केन्द्र सरकार को नहीं देते हैं। विदेशी पर्यटकों में संक्रमण की मात्रा कम है तथा देश में इन रोगों के फैलने में उनका योगदान कितना है, इस संबंध में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) इस रोग पर काबू पाने के लिए सरकार ने जो विभिन्न कदम उठाये हैं वे अनुबन्ध में दिए गये है।

विवरण

(1) देश में इस रोग के विरुद्ध नैदानिक तथा चिकित्सीय सेवायें सुलभ करने के लिये लगभग 239 क्लिनिक खोले जा चुके है। ये क्लिनिक संभोग जनित रोगों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिये निःशुल्क दवाइयां सप्लाई करते हैं।

(2) संभोग-जनित रोग संस्थान, मद्रास मेडिकल कालेज, मद्रास तथा एस० टी० डी० प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में रतिज रोग विषय में चिकित्सा अधिकारियों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डाक्टरों के लिये नियमित पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं ताकि वे रोगियों की अच्छी देखभाल कर सकें। ऐसा प्रशिक्षण पाने वाले सेवा कालीन चिकित्सा अधिकारियों को सरकार स्टाइपेंड देती है ताकि उन्हें इस प्रशिक्षण से लाभ उठाने के लिये प्रेरित किया जा सके।

(3) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी गर्भवती महिलाओं में वी०डी०आर०एल० की जांच करे और यदि उन्हें री-एक्टिव पाया जाये तो उन्हें तत्काल सेफिलिटिक-रोधी उपचार दिया जाये।

(4) लोगो में ब्रोशर और पोस्टर आदि बांटकर उन्हें सम्भोग जनित रोगों के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है।

सेवानिवृत होने वाले रेल कर्मचारियों के बच्चों को नौकरियां

4665. **श्री के० प्रधानी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होते ही उनके बच्चों को नौकरियां देने का कोई निर्णय किया है; और

(ख) क्या अपने कर्मचारियों की दयानतदारी तथा वफादारी को ध्यान में रखते हुए सरकार कम से कम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये उनकी सेवानिवृत्ति के समय, उनके बच्चों को, कम से कम चतुर्थ श्रेणी में नौकरियां देने की व्यवस्था करेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) चतुर्थ श्रेणी में नियमित भरती अधिकतर छानबीन के बाद नैमित्तिक श्रमिकों में से की जाती है । केवल कारखानों में, बाहर से सीधी भरती की जाती है । विधिक राय यह है कि नियुक्ति के मामले में रेल कर्मचारियों के बच्चों को किसी प्रकार की विशेष अधिमान्यता देना संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा ।

अन्य उपभोक्ता उद्योगों के लिये कोयले की ढुलाई

4666. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तापीय बिजली घरों के लिये कोयले की ढुलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के केन्द्रीय सरकार के आदेशों के बाद रेलवे ने सीमेंट, कागज, रसायन, रेयन और सूती कपड़ा जैसे निरन्तर प्रक्रिया वाले अन्य उपभोक्ता उद्योगों के लिये कोयले का लदान कम अथवा बंद कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि न्यूनतम आवश्यकता में इस कटौती से न केवल सीमेंट उद्योग पर दुष्प्रभाव पड़ा है बल्कि बहुत से भट्टे बन्द हो गये हैं और कागज, भारी रसायन कारखानों, कपड़ा मिलों तथा कोयले पर निर्भर अन्य एककों पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) भयंकर सूखे के कारण होने वाली उदजन-जनित्रण की कमी के कारण देश में बिजली की कमी की स्थिति से निपटने के लिए, रेलों को बहुत थोड़े समय में ताप बिजलीघरों को कोयले की सप्लाई 500 मालडिब्बा प्रतिदिन से बढ़ाकर 600 मालडिब्बे करनी पड़ी । इसके परिणामस्वरूप, अन्य उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई करने में अस्थायी कमी हुई है परन्तु सरकार उनको कोयले की अधिक सप्लाई करने के लिए भी कार्रवाई कर रही है ।

तपैदिक (टी० बी०)

4667. **श्री एन० ई० होरो** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अप्रैल, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि चिकित्सा शिक्षा में तपैदिक (टी०बी०) की समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है और यहां तक कि विद्यार्थियों को इस बीमारी की मूल बातें भी नहीं पढ़ाई जाती है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बीमारी को फैलाने से रोकने के विद्यमान तरीके भी पर्याप्त नहीं हैं ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सरकार को क्षय रोग के बारे में 20 अप्रैल, 1980 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे समाचार की जानकारी है । क्षय रोग की पढ़ाई सम्बन्धी सिफारिशें भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित स्नातकपूर्व पाठ्यचर्या में दी गई हैं लेकिन सभी मेडिकल कालेजों द्वारा इन सिफारिशों का पढ़ाई और समान रूप से पालन नहीं किया जाता है तथा इस स्थिति में सुधार करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

(ख) जी नहीं ।

नसबंदी के बाद की समस्याएं और उनकी देख-भाल

4668. **श्री एन० ई० होरो** :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पुरुषों और महिलाओं की नसबंदी के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में डाक्टरों ने आपरेशन (नसबंदी) के बाद कोई रुचि नहीं दिखाई है और रोगियों की उचित देख-भाल नहीं की गई है ;

(ग) क्या सरकार की जानकारी में नसबंदी के बाद की समस्याओं वाले कोई मामले आये हैं और यदि हां, तो ऐसे मामलों की राज्यवार कितनी संख्या है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार डाक्टरों को ये अनुदेश देने का है कि वे उन पुरुषों और महिलाओं के घरों पर जाकर उनकी जांच करें जिन्होंने नसबंदी करवाई है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) परिवार कल्याण के अन्तर्गत नसबंदी सहित गर्भ रोधन के सभी तरीकों पर समान बल दिया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) यह सूचना राज्य स्तर पर ही एकत्र की जाती है और भारत सरकार इसे इकट्ठा नहीं करती है ।

(घ) सारे राज्यों की सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को यह स्पष्ट अनुदेश/दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने फील्ड स्टाफ द्वारा उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य की नियमित रूप से पैरवी करवाएं जिनका नसबंदी आपरेशन हो चुका हो और यदि आपरेशन के पश्चात् कोई जटिलताएं उनके ध्यान में आएं तो उसकी सूचना संबंधित डाक्टर को तत्काल दें ।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राज मार्गों के लिए मंजूर की गई सड़के

4669. **श्री के० मालन्ना** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में मंजूर की गई सड़कों का ब्यौरा क्या है, तथा ऐसी कितनी सड़के अभी तक पूरी नहीं हुई है अथवा निर्माणाधीन है; और

(ख) इन सड़कों के कब तक पूरी होने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कर्नाटक राज्य में से सात राष्ट्रीय राजमार्ग (अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, 4 ए, 7, 9, 13, 17 और 48) गुजरते है । राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हमेशा किया जाता रहा है । किसी विशेष भाग में सुधार का काम उस भाग में हुई खराबी के पता लगने और यातायात की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाता है जो धन के उपलब्ध होने पर निर्भर है । 31-3-80 तक इन राजमार्गों पर 182 निर्माण-कार्य जारी थे जो विभिन्न चरणों में पूरे हो रहे थे ।

(ख) कुछ निर्माण कार्यों को छोड़कर जो 1982-83 तक पूरे किये जायेंगे, छठी योजना के पूर्व के सभी निर्माण कार्य 1981-82 के अंत तक पूरे कर लिये जायेंगे । छठी योजना के जो निर्माण कार्य 1978–80 में मंजूर किए गए थे उनके मंजूर होने की तारीख से 4-5 वर्षों की अवधि में पूरे हो जाने की संभावना है ।

यातायात कक्षों की स्थापना

4670. **श्री के० मालन्ना** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यातायात में भीड़भाड़ तथा सड़क दुर्घटनाओं की समस्याओं को हल करने के लिए सभी संघ-राज्य क्षेत्रों में यातायात-कक्ष स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) यातायात इंजीनियरिंग कक्ष खोलने का सुझाव भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिया है । इन कक्षों को वास्तविक रूप से खोलने की कार्रवाही राज्य सरकारों/राज्यों क्षेत्र प्रशासनों को करनी है । यदि कोई वित्तीय कठिनाई हो तो उसे हल करने में उनकी सहायता करने के लिए राज्यों/संघीय क्षेत्रों को यह भी सुझाव दिया गया है कि वे इन कक्षों का खर्च शुरु के पांच वर्षों के लिए अपने केंद्रिय सड़क कोश में उनके लिए रखी गई धन राशि से पूरा करने पर विचार करें । दादर और नगर हवेली, पांडिचेरी, मिजोरम और लक्षद्वीप के संघीय प्रशासनों ने बताया कि उन्हें इस तरह के कक्षों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके क्षेत्र छोटे हैं और यातायात की भीडभाड़ भी कम है और दुर्घटनाओं की समस्या भी वहां कम ही है । अंडमान और निकोबार प्रशासन ने यातायात नियमों आदि की विभिन्न समस्याओं की देखरेख के लिए एक यातायात सलाहकार समिति बनाई है और वे एक अलग यातायात इंजीनियरिंग कक्ष बनाने की जरुरत नहीं समझते । दिल्ली प्रशासन इस प्रश्न पर अभी विचार कर रहा है । बहुत से राज्यों ने ये कक्ष पहले ही बना लिए हैं और शेष राज्यों द्वारा ऐसे कक्ष बनाए जाने की संभावना है ।

हड़ताल के दौरान स्वामीभक्त रहे रेल कर्मचारियों के लड़कों को नौकरियां

4671. **श्री के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल हड़ताल के समय पर सरकार ने कोई ऐसा नीति-निर्णय लिया था कि उन रेलवे कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय उनके लड़कों को नौकरियां दी जायेंगी जो हड़ताल के समय ड्यूटी पर रहे थे और अपनी ड्यूटी के प्रति निष्ठा दिखाई थी तथा सरकार के रवैये का समर्थन किया था ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस योजना से श्रेणीवार के किन कर्मचारियों को लाभ हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उनके मामले में सहानभुतिपूर्वक विचार करने और कम से कम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय उनके लड़कों को नौकरियां देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) चतुर्थ श्रेणी में नियमित भरती अधिकतर छानवीन के बाद नैमित्तिक श्रमिकों में से की जाती है । केवल कारखानों में, बाहर से सीधी भर्ती की जाती है, विधिक राय यह है कि नियुक्ति के मामले में रेल कर्मचारियों के बच्चों को किसी प्रकार की विशेष अधिमान्यता देना संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध होगा ।

खानों से कोयले की ढुलाई

4672. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला खानों से कोयले की ढुलाई के लिये प्रति दिन वैगनों की मांग का ब्यौरा क्या है, और उन्हें औसत प्रतिदिन कितने वैगन सप्लाई किये गये ;

(ख) क्या गत छह महीनों के दौरान सप्लाई में कमी हुई है ;

(ग) क्या सरकार ने कोयला खान-वार कोई नई पद्धति शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1978 और 1979 के दौरान मांगे गये और सप्लाई किये गये माल डिब्बों की दैनिक औसत संख्या इस प्रकार थी :—

	मांग*	सप्लाई*
1978	11439	9350
1979	10016	8045

*'मांग' के आंकड़ों में आवृत्तिमूलक तत्व शामिल है ।

(ख) पूर्वी क्षेत्र में बिजली सप्लाई की स्थिति अत्यंत असंतोषजनक होने की वजह से पहले के महीनों की तुलना में अप्रैल, मई और जून/80 के महीनों में लदान में कमी आयी थी ।

(ग) और (घ) कोयले के पूरे गाड़ी-भार के लदान को उपयुक्त बनाने के लिए कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात कोयला खान साइडिंगों का युक्तिकरण किया गया है । रेल लदान प्रबंधों को अनुकूल बनाने के लिए अपेक्षित सीमा तक आंवटन नियमों को बदल दिया गया है । उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं, खदानों की सुविधाओं और रेल परिचालनिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए माल-डिब्बों के आंवटन को सुविधाजनक बनाने के लिए मांग-पत्रों को 48 से 72 घंटे पहले स्वीकार किया जा रहा है ।

डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी का लेखा विभाग

4673. **श्री निहाल सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी के लेखा विभाग श्रेणी-तीन के कितने स्थायी और अस्थायी कर्मचारी हैं तथा उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो गत पांच वर्ष से कार्य कर रहे हैं और अब तक स्थायी नहीं किए गए हैं और इसके कारण क्या हैं ; और

(ख) डीजल लोको वर्क्स, वाराणसी के लेखा विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी-तीन और दो के कितने पदों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है और कितने पद खाली पड़े हुए हैं और उनको भरने के के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) डीज़ल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी के लेखा विभाग में श्रेणी III के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या क्रमशः 100 और 71 है। 71 अस्थायी कर्मचारियों में से 19 कर्मचारी पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं और अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं। स्थायी न किये जाने का कारण यह है कि इस बारे में डीज़ल रेल इंजन कारखाना ने रेल मंत्रालय में कुछ स्पष्टीकरण मांगा था, स्पष्टीकरण दे दिया गया है और डीज़ल रेल इंजन कारखाना प्रशनाधीन कर्मचारियों के शीघ्रतापूर्वक स्थायीकरण के बारे में प्रबंध कर रहा है।

(ख) श्रेणी 3 कर्मचारी कोटि में अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए क्लर्क ग्रेड-I का एक पद और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित अनुभाग अधिकारी (लेखा) का एक पद तथा श्रेणी 2 कोटि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक-एक पद अनारक्षित घोषित कर दिये गये हैं। डीज़ल रेल इंजन कारखाना के लेखा विभाग में श्रेणी 2 और श्रेणी 3 का फिलहाल कोई पद खाली नहीं पड़ा है।

कुछ मार्गों पर नये किस्म के वाहन चलाने के लिए परमिट

4674. **श्री निहाल सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए किस्म के वाहन कुछ मार्गों पर जिनका इस प्रयोजन के लिए चयन किया गया था, चलाने हेतु परमिट जारी करने के लिए दिल्ली प्रशासन का क्या मानदंड अपनाने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार परिमिट धारियों, व्यक्तियों और संगठनों को ऋण सुविधाएं देने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस मामले में, राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली परमिट देगा और ऐसा करते समय, प्राधिकरण उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जिसकी व्यवस्था मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1939 में की गई है।

(ख) जी नहीं।

दोहद-इन्दौर लाइन

4675. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने दोहद से इंदौर तक रेल लाइन बिछाने के बारे में कभी सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानित कितना व्यय करने का विचार है ;

(ग) क्या सर्वेक्षण के बाद दोहद से इन्दौर तक रेल लाइन बिछाने सम्बन्धि योजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी थी ; और

(घ) क्या आदिवासी और पिछड़े इलाकों में रेल लाइनें बिछाने के कार्य को प्राथमिकता देने के बारे में सरकार की कोई नीती है और क्या दोहद-इन्दौर रेल लाइन के कार्य को इस आधार पर आरम्भ किया जा सकता है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अपनी सिफारिशें योजना आयोग को प्रस्तुत कर दी हैं। योजना आयोग द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। दोहद-इन्दौर रेलवे लाइन के निर्माण के प्रश्न पर इस समिति की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

हज समिति अधिनियम में परिवर्तन

4676. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हज समिति अधिनियम में परिवर्तन सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन मुख्य परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) संशोधनकारी विधेयक कब पुनः स्थापित किये जाने की संभावना है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) सरकार का उद्देश्य यह है कि हज समिति अधिनियम, 1959 के स्थान पर एक नया कानून बनाया जाये ताकि इसे अधिक व्यापक आधार प्रदान किया जा सके। इसमें उन राज्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके जिनमें मुसलमानों की काफी आबादी है, बेहतर क्षमता के उद्देश्य से हज समिति के कार्यात्मक और परामर्शदायी दायित्वों को अलग-अलग किया जा सके, समिति को आवश्यक कानूनी अधिकार दिये जा सकें, ताकि वह चल अथवा अचल सम्पत्ति ले सके अथवा इसे बेच सके और एक धर्मार्थ न्यास अथवा स्थायी निधि कायम कर सके और सामान्यतः हज और जियारत से सम्बद्ध प्रशासनिक प्रबंधों के होने को सुचारु रूप देने की दिशा में प्रयत्न कर सके और इस तरह हमारे हज यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दे सकें।

(ग) इस बारे में आवश्यक विचार-विमर्श चल रहा है और नये बिल का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और निकट भविष्य में सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

भारत-पाक सहयोग के लिए नया पाकिस्तानी फार्मूला

4677. **श्री आर० एल० भाटिया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मलयेशिया के दिनांक 3 जून, 1980 के "स्ट्रेट टाइम्स" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति, श्री जिया ऊल हक ने अफ्गानिस्तान में सोवियत रूस की सेनाओं की विद्यमानता के संदर्भ में अपने देश तथा भारत के बीच सहयोग के लिए एक नया फार्मूला सुझाया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) "स्ट्रेट टाइम्स" में छपी खबर के अनुसार जनरल जिया ने इस बात की गारंटी के लिए पाकिस्तान-अफ्गानिस्तान सीमा पर भारतीय सैनिकों के अड्डे स्थापित करने अथवा गुट-निरपेक्ष सैन्य दलों की टुकड़ियों रखने की पेशकश की है कि पाकिस्तान में घुस आए अफगानिस्तानी शरणार्थी सीमा के पार सोवियत सैनिकों पर आक्रमण न करें।

(ग) समाचार पत्र की खबरों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सरकार के लिए वांछनीय नहीं है।

अम्बाला में रेल कर्मचारियों तथा उन के परिवारों पर लाठी प्रहार

4678. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 16 जून, 1980 की रात्रि को अम्बाला में अनेक रेलवे कर्मचारी और उनके परिवारों के सदस्य पुलिस द्वारा उन पर किए गए लाठी प्रहार से घायल हो गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सलेम में डिवीजनल कार्यालय खोला जाना

4679. **श्री के० अर्जुनन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में डिवीजनल कार्यालय खोलने के लिए क्या मानदण्ड है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के सलेम जंक्शन पर एक डिवीजनल कार्यालय खोलने का है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों के मंडल कार्यालयों की स्थापना करने के लिए वर्तमान तथा प्रत्याशित कार्य-भार, रेल उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप यातायात की प्रवृत्ति के आधार पर परिचालनिक प्रवाह में वांछित कुशलता लाने की आवश्यकता और राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क जैसी बातों को ध्यान में रखा जाता है।

(ख) जी नहीं।

दैनिक यात्रियों को दिल्ली और मथुरा के बीच एक्सप्रेस गाडियों में यात्रा करने की अनुमति देना

4680. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यालयों में काम करने के लिये मथुरा से दिल्ली आने वाले सीजन टिकट धारियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उनको जी० टी० एक्सप्रेस, डीलक्स अथवा पश्चिम एक्सप्रेस और कुतुब एक्सप्रेस में, जिनका समय उनके लिए अधिक उपयुक्त रहता है, यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाती ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनको इन गाड़ियों से यात्रा करने की सुविधा दी जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उनकी सुविधा के लिये शटल गाड़ी चलाई जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। इन एक्सप्रेस गाड़ियों द्वारा भी दैनिक यात्रियों को मथुरा से दिल्ली तक यात्रा करने की अनुमति दिये जाने के लिए कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि उन्हें मथुरा और निजामुद्दीन के बीच 149 डाउन कुतुब एक्सप्रेस द्वारा यात्रा करने की अनुमति दी जा चुकी है। जी० टी० एक्सप्रेस और डीलक्स/पश्चिम एक्सप्रेस मूल रूप से लम्बी दूरी के यात्रियों को सम्हालने के लिए निर्दिष्ट की गयी हैं और वे पूरी तरह से भरी हुई चल रही हैं। अतएव, लम्बी दूरी के यात्रियों को असुविधा से बचाने की दृष्टि से सीजन टिकट-धारियों को इन गाड़ियों द्वारा यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गयी है ।

(ग) टर्मिनल कठिनाइयों और कोचिंग स्टाक एवं रेल इंजनों की तंगी के कारण इन दो स्टेशनों के बीच शटल गाड़ियां चलाना परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है ।

सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में नियुक्तियां

4681. **श्री राम विलास पासवान** : क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न वर्गों के कुल कितने पदों को भरा गया है तथा उनकी नियुक्ति की तिथियां क्या हैं ;

(ख) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए कितने पद आरक्षित हैं ;

(ग) रोस्टर में नियत स्थानों के अनुसार शुरू से लेकर अब तक तदर्थ पद पुनर्ग्रहण अधिकार के आधार पर कैसे कितने पदोंका सामान्य उम्मीदवारों को दिया गया है जोकि अन्यथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को दिए जाने चाहिए थे ; और

(घ) यदि कुछ पदों का आरक्षण समाप्त किया गया है, तो उनकी संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"डी ब्लाक" जनकपुरी में नई दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए भवन का निर्माण

4682. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या स्वास्थ्य मंत्री 'डी ब्लाक', जनकपुरी में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के निर्माण के बारे में 22 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4240 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डी' ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए भवन का निर्माण आरंभ हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब आरंभ होने की संभावना है और यह किस तारीख तक पूरा हो जाएगा ?

स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण को भवनों के जो नक्शे भेजे गए थे उन्होंने कुछ तकनीकी आपत्तियों के कारण उनको पास नहीं किया है। संशोधित नक्शे तैयार करके उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास भेज दिया गया है। उनके पास हो कर आने की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) भवन निर्माण का काम तभी आरंभ किया जा सकता है जब कभी प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं और धन उपलब्ध हो ।

देहरादून एक्सप्रेस का जबरन रोका जाना

4683. डा० वसंत कुमार पंडित : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29 जून, 1980 को अथवा उसके आस-पास बम्बई के निकट सशस्त्र चोरों के एक द्वारा देहरादून एक्सप्रेस को जबरदस्ती रोकने का दुस्साहस किया गया था ;

(ख) क्या लूटेरों ने द्वितीय श्रेणी के सभी डिब्बों को लूट लिया था और वे 12,000 रुपये नकद तथा मूल्यवान वस्तुएं लेकर भाग गये थे ;

(ग) क्या उन में से कोई दोषी व्यक्ति पकड़ा गया है ; और

(घ) सुरक्षा में उक्त भूल के लिए कौन उत्तरदायी था ?

रेल संचालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 11,134 रुपये की सम्पत्ति को लूटा गया था ।

(ग) आठ अपराधियों को पकड़ा गया है ।

(घ) पुलिस इस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है ।

दिल्ली परिवहन निगम के अंतर्गत चल रही प्राइवेट बसों की सीटें

4684. श्री निहाल सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चल रही प्राइवेट बसों की सीटों इस तरह की हैं कि इन बसों में खड़े होकर यात्रा करने वालों की संख्या दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वालों के मुकाबले आधी रहती है और जिसके फलस्वरूप सरकार को बड़ा घाटा होता है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के प्रबंध करने का है कि केवल उन्हीं प्राइवेट बसों को लगाया जाए जिनमें सीटें दिल्ली परिवहन निगम की बसों की सीटों जैसी हों अथवा जिनकी क्षमता उतने यात्री ले जाने की हो, जितने यात्री दिल्ली परिवहन निगम की बसें ले जाती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) दिल्ली परिवहन निगम के अधीन चलने वाली प्राइवेट बसों में बैठने के लिए 54 से 56 तक सीटें होती है जबकि निगम की अपनी बसों में इनकी संख्या सिर्फ 36 होती है। इसी कारण, प्राइवेट बसों में खड़े होने की क्षमता दिल्ली परिवहन निगम की बसों की अपेक्षा कम होती है। लेकिन, इससे राजस्व की कोई हानि नहीं होती क्योंकि दोनों प्रकार की बसों में सफर करने वाले यात्रियों की कुल संख्या लगभग बराबर होती है और बस रूटों पर ड्यूटी देने वाले जांच अधिकारियों और यातायात अधिकारियों ने भी पुष्टि की है कि बसों में खड़े होने की क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जाता है ।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम ने इस संबंध में कोशिश की थी और इसने प्राइवेट आपरेटरों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा है कि यदि वे दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मौजूदा बैठने की व्यवस्था के अनुसार अपनी बसें निगम को देने के लिए राजी हों तो निगम उनके साथ तीन साल के लिए एक-मुश्त समझौता करने को तैयार है। अब तक निगम को ऐसी 51 बसें मिल चुकी हैं जिनमें बैठने की व्यवस्था वैसी-हीं है जैसी कि दिल्ली परिवहन निगम की बसों में है।

जहाजरानी कंपनियों द्वारा निर्यात किया गया सामान

4685. श्री निहाल सिंह : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाजरानी कंपनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान बाहरी देशों को निर्यात किए गए सामान की वर्ष-वार मात्रा क्या है ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां भारतीय जहाजरानी कंपनियों द्वारा माल सीधे ले जाया गया है और उन देशों के नाम क्या हैं जहां समुद्री मार्ग द्वारा माल ले जाये जाने की अनुमति न मिलने के कारण सामान दूसरे देशों से होकर ले जाया गया है ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विदेशी कंपनियों को क्षतिपूर्ति तथा भाड़े के रूप में कितनी राशि अदा की गई है ?

वहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क)

(आंकड़े लाख टन में दिए गए हैं)

वर्ष	भारतीय नौवहन कंपनियों द्वारा	विदेशी नौवहन कंपनियों द्वारा
1976-77	82.67	284.61
1977-78	78.23	242.04
1978-79	63.44	251.32

(ख) भारतीय नौवहन कंपनियां विश्व व्यापार के सभी देशों को सीधे अथवा ट्रांसशिपमेंट द्वारा माल भेजती हैं। इनमें वे देश शामिल नहीं हैं जिनके लिए भारत के पास सीधी नौवहन मार्ग की सुविधा उपलब्ध नहीं है या जिनके साथ व्यापार करना मना है और इसीलिए भारतीय नौवहन कंपनियों को इन देशों के पत्तनों पर आने की अनुमति नहीं है।

(ग) इस संबंध में जानकारी किसी खास रजिस्टर में एक स्थान पर नहीं रखी गई है।

ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड]

4686. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का गठन कब किया गया था और इसके उद्देश्य क्या थे ;

(ख) इसके निदेशक बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) इसके प्रबंध निदेशक अथवा चीफ एग्जीक्यूटिव के चयन के लिए प्रक्रिया और निर्दिष्ट अर्हताएं क्या थीं ;

(घ) वर्तमान प्रबंध निदेशक अथवा चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है और उसका वेतनमान तथा पदावधि और अर्हताएं क्या हैं ;

(ङ) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया का पूंजी परिव्यय कितना है और ड्रेजर्स आदि की संख्या के संदर्भ में इसकी वास्तविक आस्तियां क्या हैं ; और

(च) विभिन्न अधिकारियों और निम्न वर्ग के पदों के चयन के लिए अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया क्या है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि० पूरी तरह से सरकार की कंपनी है, जो भारत सरकार से एम० ओ० डी० ड्रेजर और अन्य क्राफ्ट उपकरण प्राप्त करने और देखरेख के लिए एक समेकित निकर्षण सेवा चलाने के लिए 29 मार्च, 1976 को रजिस्टर्ड की गई थी।

(ख) इसके निदेशकों के बोर्ड का गठन इसके संगमन की नियमावली के अन्तर्गत किया जाता है। जैसा कि कम्पनी की नियमावली के अनुच्छेद 18 और 19 में निर्धारित है, कम्पनी के निदेशकों की संख्या 4 से कम नहीं और 12 से अधिक नहीं होगी।

(ग) और (घ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का चयन सरकारी उद्यम चयन बोर्ड की सिफारिश पर किया जाता है। कैप्टेन एस० के० सोमेयाजुलु जिनके पास मास्टर डिग्री (फारेन गोइंग) और सर्टिफिकेट आफ कम्पीटेन्सी है, इस समय इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वे अब 2500-100-3000 रु० के वेतनमान में वेतन ले रहे हैं।

(ङ) 31 मार्च, 1979 के अनुसार निगम की प्रदत्त पूंजी 28 करोड़ रु० थी जबकि इस की प्राधिकृत पूंजी 30 करोड़ रु० थी। इसके पास 8 ट्रैलर, 4 ड्रिलिंग सक्शन ड्रेजर और 4 कटर सक्शन ड्रेजर, 3 टग, 3 हापर बजरे, 2 स्पिलिट बजरे और राक ड्रिलिंग का एक सेट तथा नार्थ में बने ब्लास्टिंग इक्विपमेंट हैं।

(च) निगम ने भर्ती की जो पद्धति अपनाई हुई है, वह कम्पनी अधिनियम, 1976 के उपबंधों और लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा समय समय पर जारी किए अनुदेशों के अनुरूप है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा बनाये गये जहाज

4687. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान शिपयार्ड, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) द्वारा उस समय से लेकर जब इसके पहले जहाज का उद्घाटन स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था अब तक बनाये गए जहाजों की वर्ष-वार संख्या क्या है ;

(ख) भारतीय जहाज रानी उद्योग के लिए कितने जहाज चालू किए गए और कितने जहाज विदेशी खरीददारों के लिए बनाये गए और इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी लाभ व हानि का यदि कोई लेखा-जोखा है तो वह क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अब तक हिन्दुस्तान शिपयार्ड द्वारा 78 जहाज बनाये और डिलीवर किये जा चुके हैं। वर्षवार सूचना नीचे दी गयी है :—

वर्ष	जहाजों की संख्या
1948–49	1
1949–50	3
1950–51	2
1951–52	2
1952–53	3
1953–54	–
1954–55	2
1955–56	2
1956–57	2
1957–58	5
1958–59	1
1959–60	4
1960–61	2
1961–62	2
1962–63	3
1963–64	2
1964–65	2
1965–66	4
1966–67	2
1967–68	3
1968–69	2
1969–70	2
1970–71	3
1971–72	4
1972–73	2
1973–74	3
1974–75	3
1975–76	4
1976–77	3
1977–78	2
1978–79	1
1979–80	2

(ख) ये सभी जहाज भारतीय खरीददारों के लिए बनाये गए थे।

(ग) कम्पनी को 1978–79 के वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल जमा 73.66 लाख रुपये का लाभ हुआ।

23 और 24 जून, 1980 की विशेष गाड़ियों की व्यवस्था

4688. **श्री आर० के० महालगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 और 24 जून, 1980 को देश के विभिन्न भागों में नई दिल्ली के लिए विशेष गाड़ियों की व्यवस्था की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन गाड़ियों को चलाने के लिए एक विशेष आदेश जारी किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो आदेश का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उन विशेष गाड़ियों की संख्या कितनी थी तथा वे कहां से चलायी गयी और इन दिनों में वे नई दिल्ली कब पहुंची ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) अतिरिक्त भीड़ की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए 23-6-80 की शाम/रात को 7 विशेष गाड़ियां वाराणसी, इलाहाबाद, चंडीगढ़, अमृतसर, अजमेर, कोटा और झांसी से एक-एक चलायी गयी थीं जो दिल्ली/नई दिल्ली स्टेशन पर 24-6-1980 को प्रातः पहुंची ।

भारत-ब्रिटेन संबंध

4689. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति**

श्री पी० एम० सईद :

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1980 में नई सरकार द्वारा प्रशासन संभाले जाने के बाद से भारत को ब्रिटेन के बीच अच्छे संबंध नहीं रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटिश सरकार के हाल ही के रवैये से स्पष्टतः सिद्ध हो गया है कि इन संबंधों में ह्रास हो रहा है ?

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जनवरी, 1980 के बाद भारत और ब्रिटेन के संबंधों में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं आया है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की परम्परा पर कायम हैं। नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद, ब्रिटिश विदेश मंत्री, लार्ड कैरिंगटन ने जनवरी में भारत की यात्रा की और ब्रिटेन की प्रधान मंत्री श्रीमती थेचर मई में बेल्ग्रेड में हमारी प्रधान मंत्री से मिली ।

सदस्य की गिरफ्तारी

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे एक सूचना देनी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, आपने मेरी अनुमति नहीं ली है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर का दिनांक 16 जुलाई, 1980 का निम्नलिखित बेतार संदेश मिला है :—

"इस जिले के बुलन्दशहर निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य श्री महमूद हसन खां को भारतीय दण्डसंहिता की धारा 188 के अन्तर्गत 16-7-1980 को गिरफ्तार किया गया और बुलन्दशहर जेल में उच्च श्रेणी में रखा गया ।"

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री क० लकप्पा (टुमकुर) : खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : इस समय मैं खड़ा हूं, आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या हम सदन की कार्यवाही चलाने का विचार रखते हैं अथवा नहीं ? यह प्रश्न हमारे सामने है। मैं नहीं समझता . . .

कुछ माननीय सदस्यगण : जी हां, श्रीमान् ।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष की अनुमति नहीं लेता । हर आदमी अपना राग अलापने लगता है । मैं नहीं समझ पाता कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए । यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न है तो मैं उसे एक-एक करके सुन सकता हूं । परन्तु यदि एक साथ 10 सदस्य खड़े होते हैं—इस समय एक ओर 15 अथवा 20 सदस्य खड़े हैं । हम सदन में क्या कार्यवाही कर सकते हैं । आप बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं । आप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के कम-से-कम 10 लाख लोगों द्वारा निर्वाचित होकर इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्य बने हैं । क्या कार्य करने का यही तरीका है ? हमें इस प्रकार का व्यवहार क्यों करना चाहिए ? हम विचार व्यक्त करने संबंधी सभी प्रकार की आजादी देते हैं । मैं इस सदन में प्रत्येक मद पर चर्चा करने की अनुमति देता हूं । मैं नहीं जानता कि फिर इस प्रकार का हल्ला-गुल्ला करने की क्या आवश्यकता है। आप इस तथ्य को क्यों नहीं समझते ? आप मुझसे सहयोग क्यों नहीं करते ?

आपको जो बात पसन्द नहीं है, हम उस पर चर्चा कर सकते हैं । आप मेरे कक्ष में आएं । हम एक बैठक कर सकते हैं। मैं कल दोपहर बाद 3 बजे विपक्षी नेताओं तथा सरकारी पक्ष की बैठक कर रहा हूं । तब हमें इस पर चर्चा कर सकते हैं। यदि कोई बात आपके मस्तिष्क को उद्वेलित कर रही है तो इसका क्या यह अर्थ है कि बिना मेरी अनुमति के आप सब मिलकर सदन में इस पर बोलने लगें । जी नहीं कार्य करनेका यह तरीका ठीक नहीं है । मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं । मुझे पता है कि कुछ बातें आपके मस्तिष्क को उद्वेलित करती हैं । परन्तु इसके लिए अन्य अनेक उपाय हैं । प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों में सब कुछ है तथा हम उनका उल्लेख कर सकते हैं । मैं शान्तिपूर्वक आपकी बात सुन सकता हूं . . . कृपया धीरज रखिए । आपको भी धीरज रखना चाहिए । हमें मिलकर इसका हल निकालना चाहिए ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे चैम्बर में भी मिल कर बात कही थी . . . (व्यवधान) . . . डबवाली आपके क्षेत्र के भी नजदीक है, हरियाणा और पंजाब बार्डर पर है । वहां पर एक महिला के साथ सरकारी कर्मचारी का लेकर . . . (व्यवधान) . . . पुलिस कर्मचारी ने उसके साथ . . . (व्यवधान) . . . उसको डाक्टरी मुआयने के बहाने से ले जाकर, उसका कत्ल किया . . . (व्यवधान) . . . डिप्टी कमीशनरका ब्यान है . . . (व्यवधान) . . . अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रहा हूं । यह सिर्फ स्टेट मैटर नहीं है, इसमें पंजाब के भी आदमी गोली से मारे गए हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बातें न करें ।

श्री सूरज भान : **

(श्री सूरज भान सदन से उठकर बाहर चले गए)

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जाएगी । (व्यवधान)**

स्थगन प्रस्ताव के बारे मे

अध्यक्ष महोदय : मुझे हरियाणा के सिरसा जिले में डबवाली पुलिस स्टेशन के कतिपय सिपाहियों द्वारा एक महिला के साथ कथित बलात्कार तथा तत्पश्चात् उसकी मृत्यु से सम्बन्धित समाचार के विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसके कारण 16 जुलाई, 1980 को डबवाली में जनता द्वारा प्रदर्शन तथा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से अनेक व्यक्तियों के घायल होने का समाचार है ।

एक माननीय सदस्य : 22 व्यक्तियों के घायल होने का समाचार है ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है, परन्तु इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

इस सदन में महिलाओं के साथ बलात्कार पर, विशेषकर पुलिस के सिपाहियों द्वारा किए गए बलात्कार पर, अनेक बार मैं गम्भीर चिन्ता व्यक्त कर चुका है तथा मैं सदस्य सर्वश्री मनीराम बागड़ी, के० के० गोयल, सतीश अग्रवाल, जयपाल सिंह कश्यप, चन्द्रपाल शैलानी तथा रामविलास पासवान की चिन्ता को अच्छी प्रकार समझता हूं, जिन्होंने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी हैं।

यह बताया गया है कि उप-आयुक्त तथा वरिष्ट पुलिस अधिकारी-गण पहले से ही इस विषय में कार्यवाही कर रहे हैं। चूंकि यह मामला कानून तथा व्यवस्था का विषय है इसलिये यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अतः मैं स्थगन प्रस्ताव के द्वारा मामले को उठाए जाने की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं। मैं आशा करता हूं कि सम्बन्धित अधिकारी सदस्यों में व्याप्त चिन्ता की ओर समुचित ध्यान देंगे।

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1977–78 के लेखाओं की समीक्षा

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० डी० स्वामीनाथन) : मैं श्री वीरेन्द्र सिंह राव की ओर से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1977-78 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई—देखिए संख्या एल०टी० 1088/80]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1978–79 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समाज कल्याण मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द) : मैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई —देखिए संख्या एल०टी० 1089/80]

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगे

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं वर्ष 1980-81 के लिए पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई—देखिए संख्या एल० टी० 1090/80]

संघ सरकार के वर्ष 1977–78 के वित्त लेखे

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बारोत) : मैं संघ सरकार के वर्ष 1977-78 के वित्त लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई—देखिए संख्या एल०टी० 1091/80]

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कही गई किसी भी बात को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : निदेश 116—सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र भाग (3) सदन के समक्ष प्रस्तुत मद अर्थात् सभा पटल पर रखे जानेवाले पत्रों से संबंधित है। अभी-अभी हमें एक अनुपूरक सूची प्राप्त हुई है। निदेश 116(3) में यह उल्लिखित है: "सभा-पटल पर रखे जानेवाले पत्र मंत्रालयों द्वारा साधारणतया उस दिन से, जिस दिन कि उन्हें रखने का विचार हो, दो दिन पूर्व भेजे जाने चाहिए। तथापि विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष किसी मंत्री के प्रार्थना करने पर कम समय की सूचना पर पत्र पटल पर रखने की अनुमति दे सकेगा।" यह सच है कि आपको विशेष अनुमति देने का अधिकार है। परन्तु मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ सप्ताहों से इस सदन में हमें सभा-पटल पर रखे जाने वाले अनुपूरक पत्र प्राप्त हो रहे हैं। मुझे इनका कारण समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपवादस्वरूप ही इसकी अनुमति दी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लगभग प्रत्येक दिन यह हमें मिल रहे हैं तथा यह अपवाद के स्थान पर नियम ही बन गया है। दूसरे, जहां तक मद संख्या 5 (ख) का संबंध है, सदन मंत्री महोदय से वक्तव्य की अपेक्षा रखता है। मंत्री महोदय यहां उपस्थित है। ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है।

---

*राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे 17 मार्च, 1980 को सभा पटल पर रखे गये थे।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री वारोत के पत्रों को समिति की सिफारिश के अनुसार सभा-पटल पर रखा जा रहा है, इन्हें आज ही सभा-पटल पर रखा जाना है। यह एक अपवाद है। मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत होंगे . . .

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जहां तक 5(ख) का संबंध है, यह अधिक अच्छा होता कि . . .

अध्यक्ष महोदय : आपकी चिन्तापर ध्यान दिया गया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उनसे वक्तव्य देने के लिए क्यों नहीं कहते हैं . . . **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : * *

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई वारोत) : मैं काफी पर निर्यात-शुल्क में कमी करने के बारे में एक व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 143-सीमा-शुल्क/80 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 जुलाई, 1980 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1104/80]**

पाकिस्तान के विदेश मंत्री की यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं पाकिस्तान के विदेशमंत्री महामहिम श्री आगा शाही की भारत यात्रा के समाप्त होने पर जारी की गई संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। **[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1105/80]**

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : . . .**

(श्री मनीराम बागड़ी तथा कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गये)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : . . .**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी गई है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपत्तियां रद्द की जाती हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) : **

अध्यक्ष महोदय : मैंने ओवर-रूल कर दिया है, फिर भी आप बोल रहे हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही में कुछ भी शामिल न किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, इस तरह से कैसे काम चलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी बात की अनुमति नहीं दे रहा। कृपया अब बैठ जाइए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वे कहें, उसे संसद की कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाए। विधान सभा में इस बात की ओर ध्यान दिया जा रहा है। इस मामले को यहां उठाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह राज्य का विषय है। यह मामला विधान सभा में है। आप इसे अभी उठाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं?

श्री राम विलास पासवान को अनुमति दी गई थी। मैंने उनकी आपत्ति को रद्द कर दिया। अब उन्हें बैठ जाना चाहिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना संसद के कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल न किया जाए।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : उस निर्वाचन क्षेत्र के संसद सदस्य यहां मौजूद हैं। यह घटना श्री देवीलाल के निर्वाचन क्षेत्र में हुई है। अतः यह सदन यह मत नहीं बना सकता कि हमारा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वे एक संसद-सदस्य हैं। वे इसके बारे में चिन्तित हैं। वे इसके बारे में उत्तेजित हैं। आपको उनकी बात सुननी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री राम विलास पासवान : अभी आपने सुना नहीं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यह मामला बहुत सीरियस है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी बात सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह घटना उनके निर्वाचन क्षेत्र में हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह घटना श्री मनी राम बागड़ी के निर्वाचन क्षेत्र में हुई है। श्री मनी राम बागड़ी उस निर्वाचन क्षेत्र से है।

श्री देवी लाल (सोनीपत) : इस में कांस्टीटुयेन्सी का सवाल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री देवी लाल : वहां पर इतना बुरा काम हुआ है। यह मेरे इलाके की बात है और आप की ससुराल का भी सवाल है। जहां का मैं रहनेवाला हूं, वहां यह वाकया हुआ है। . . . **(व्यवधान)** . . . ग़लत बयान दिया गया है। वहां पर 35 आदमी जख्मी हुए हैं। . . . **(व्यवधान)**. . . मरने वालों का अभी तक पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह सारा पता है। मैंने गृह मंत्री महोदय से कहा है कि वे इसकी जांच करें। मैंने इसे गंभीर रूप से लिया है।

श्री देवी लाल : मैं यह समझता हूं कि आप के चलते ऐसा नहीं होना चाहिए। . . . **(व्यवधान)** . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने बता दिया है देवी लाल जी, सारा कुछ कर दिया है। . . . **(व्यवधान)** . . . अब आप बैठिये।

मैंने इसे ध्यान में रखा है। मैंने उसे अपनी स्वीकृति नहीं दी है। मैंने यह भी कहा है कि मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नागिरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 376 के अन्तर्गत आपने अभी कहा है . . .

अध्यक्ष महोदय : यह मुद्दा विचाराधीन नहीं है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : माननीय संसद सदस्य को प्रश्न उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह मामला उनके निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं दी जा सकती। अब आप बैठिए।

उनकी कांस्टीटुयेन्सी का इस से ताल्लुक नहीं है। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि श्री देवी लाल का उस निर्वाचन क्षेत्र से कोई सम्बंध नहीं है।

(व्यवधान)

मैंने यह डिस्प्यूट नहीं किया कि आप कुछ नहीं कह सकते। उनकी कांस्टीटुयेन्सी से यह सम्बंधित नहीं है। माननीय सदस्य इसके बारे में कुछ संदिग्ध थे।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना संसद के कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

(व्यवधान)**

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 376 में व्यवस्था है कि सदन की एक कार्यसूची होगी और किसी अन्य मामले पर जो इस कार्यसूची में नहीं है, सदन में विचार नहीं किया जा सकता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाए रखिये। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर बंगाल में सामाजिक तनाव तथा पृथक गोरखालैण्ड और उत्तराखंड की मांग से उत्पन्न गंभीर स्थिति का समाचार

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"उत्तर बंगाल में सामाजिक तनाव तथा पृथक गोरखालैंड और उत्तराखंड की मांग से उत्पन्न गंभीर स्थिति का समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना संसद के कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : **

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री महोदय ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाना) : उत्तर बंगाल के पांच जिलों की जनसंख्या का एक काफी बड़ा प्रतिशत अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा राजवन्सियों का है। उनमें से कुछ ने अधिकतर राजवन्सियों ने अपने को उत्तराखण्ड दल के छत्र के नीचे संगठित किया है। जून के शुरू में किये गये, उत्तराखण्ड के नेताओं के दो दिन के सम्मेलन में "कामतापुर मुक्तदेश" नामक एक अलग राज्य की मांग को दोहराया गया क्योंकि वे उत्तर बंगाल में पर्याप्त विकास कार्यों की कमी पर खिन्नता महसूस करते थे। कूचविहार में स्थानीय लोगों से यह कहने के लिए जलूसों को संगठित किया गया कि वे राज्य सरकार के कानूनों का पालन न करें और राज्य के आर्थिक विभाग को करों के भुगतान का बहिष्कार करें। उत्तर बंगाल में उसी क्षेत्र के लोगों के लिए नौकरियों का 90% आरक्षण करने की उनकी मांग के समर्थन में लगाये गये नारे भी ध्यान में आये हैं। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से हिंसा के कोई कार्य नहीं किये गये हैं फिर भी आक्रमक प्रचार के परिणामस्वरूप कुछ क्षेत्रों में बंगालियों और राजवन्सियों के बीच कुछ तनाव उत्पन्न हो रहा है।

असम से विदेशियों के निष्कासन के आन्दोलन के परिणामस्वरूप उत्पन्न पूर्वी क्षेत्र से हाल में बड़ी संख्या में नेपालियों के प्रस्थान ने अखिल भारतीय गोरखा लीग के एक पृथक दल प्रान्तीय मोर्चा को गोलपाड़ा (असम में) जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों (पश्चिम बंगाल में) और गलगालिया (बिहार में) के नेपाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर एक पृथक "गोरखालैंड" बनाने हेतु आन्दोलन प्रवर्तित करने की प्रेरणा दी है।

दोनों आन्दोलन अभी तक आन्तरिक रूप से कमजोर हैं लेकिन प्रान्तीयता की उभरती लहर और इस क्षेत्र की सामरिक प्रकृति उनकी अनिष्टकारी संभाव्यता में काफी वृद्धि कर देती है।

पश्चिम बंगाल सरकार स्थिति से अवगत है और बताया जाता है कि उसने इससे निपटने के लिये उपयुक्त निरोधक तथा अन्य उपाय किये हैं।

सरकार का विचार है कि किसी राज्य में आर्थिक विकास के क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना अनिवार्यतः ऐसा मामला है जिसका हल राज्य सरकार द्वारा नियोजन के माध्यम से किया जाना चाहिए और पृथक राज्य का निर्माण समस्या का निदान नहीं होगा।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : महोदय, यह अत्यंत ही चिंता का विषय है कि एक तरफ हम असम की समस्या का समाधान नहीं कर पाये हैं और दूसरी ओर भी इसी तरह की प्रान्तीयता की भावना उभरती हुई दिखायी दे रही है। पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों म वहां के कुछ लोगों न उत्तराखंड दल के रूप में अपने को संगठित किया है जिससे निश्चित रूप से वहां के लोगों में काफी तनाव का और असंतोष का वातावरण भर गया है। कुछ जातियों के लोग वहां संगठित हो रहे हैं और अपना एक संगठन बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक तरह से खतरनाक रूप धारण करने वाला है।

अध्यक्ष महोदय, आज पश्चिम बंगाल में जो सरकार सत्तारूढ़ है उसने उस क्षेत्र की बहुत ही उपेक्षा की है। वहां मार्क्सवादी सरकार के जो मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु हैं उन्होंने भी यह बात स्वीकार की है कि वे इस आन्दोलन को दबाने के लिए आर्थिक कार्यक्रम पूरे करने जा रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने वहां के लोगों की, जिनमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा राजवन्सियों की बहुत बड़ी संख्या है, बड़ी उपेक्षा की है और इसी कारण से वहां के लोगों ने अपने को उत्तराखण्ड दल के रूप में संगठित किया है। वहां पर गोरखे भी हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

मैं केन्द्रीय सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसको राज्य का मसला समझ कर तो नहीं छोड़ेगी ? असम में आज जो कुछ हो रहा है उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप बंगाल में भी यह हो रहा है । इसलिए इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को भी समय रहते सचेत रहने की आवश्यकता है और वहां जो असन्तोष है उसको दूर करने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है ।

मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में वहां कोई कार्यवाही की है या नहीं की है ? राज्य सरकार ने जो इकोनोमिक सुधार करने का निर्णय लिया है उसकी रूपरेखा क्या है ? क्या आप इस उत्तराखंड क्षेत्र के मसले को राज्य सरकार का मसला समझ कर छोड़ तो नहीं देना चाहते हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या कारगर कदम उठाने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि वहां के लोगों में जो असन्तोष है, उसको दूर करने के लिए क्या वहां की मार्क्सवादी सरकार को भंग करके केन्द्रीय सरकार वहां की सत्ता अपने हाथ में लेगी और उत्तराखंड जो आज तक उपेक्षित रहा है, उसके असंतोष को दूर करने के लिए सरकार की क्या कारगर योजना है या कोई कारगर योजना सरकार बनाने जा रही है ?

श्री योगेंद्र मकवाना : माननीय सदस्य महोदय ने ठीक ही बताया है कि ये आन्दोलन इस कारण हो रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास नहीं हुआ है तथा वहां क्षेत्रीय असन्तुलन है । अन्ततोगत्वा यह कार्य राज्य सरकार का है कि वह अपने राज्य के प्रत्येक भाग का आर्थिक विकास करने के लिए उचित ढंग से योजना बनाए । यह कार्य केन्द्रीय सरकार का नहीं है । सरकार का वहां की वर्तमान सरकार को बदलने की कोई कार्यवाही करने का कोई इरादा नहीं है ।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा): आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये, यह इस देश में जो पिछले कुछ महीनों से पृथकतावादी घटनाएं घट रही हैं, उनके क्रम में एक नई कड़ी है । इस देश में पिछले कई महीनों से असम आन्दोलन चला आ रहा है । उसके साथ त्रिपुरा की घटनाएं जुड़ गई हैं और इस देश की एकता के लिए खतरा पैदा कर रही हैं । अब पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में उत्तराखंड की मांग जो उठ रही है, वह भी एक भयंकर स्थिति की ओर इंगित कर रही है । जम्मू काश्मीर में शेख अब्दुल्ला के बयान ने भी चिन्ता पैदा कर दी है . . .

डा० फारुक अब्दुल्ला (श्रीनगर) : **

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी गई ।

श्री नवल किशोर शर्मा : मैंने तो सिर्फ उस वक्तव्य का जिक्र किया है जो समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है तथा मेरी अधिकतम जानकारी में अब तक इसका खंडन नहीं किया गया है . . .* *

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने की अनुमति केवल उन्हीं सदस्यों को दी जाएगी जिनके नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : स्थिति के व्यापक संदर्भ में मुझे कश्मीर का भी जिक्र करना पड़ेगा ।

अध्यक्ष जी, मैं निवेदन कर रहा था कि देश के अन्दर जो हालात पैदा होते जा रहे हैं, इनको केन्द्रीय सरकार को गंभीरता से लेना चाहिये । मंत्री जी का जवाब बहुत ही कसरी है । माफ करें, वह मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक बहुत कैजुअलनैस का और स्टीरिओ टाइप का उनका जवाब है । जितनी समस्या भयंकर है, उस के सन्दर्भ में उनको एक अच्छा सोच-समझकर, तैयार कर के जवाब देना चाहिये था ।

मुझे इस जवाब को पढ़ने से ऐसा भी लगता है कि शायद मंत्री जी को इस बारे में राज्य सरकार से कुछ सूचना भी नहीं मिली है, क्योंकि मंत्री जी कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल सरकार स्थिति से अवगत है और "बताया जाता है" यह नहीं, कि यह स्थिति है, उन्होंने कहा है कि— "बताया जाता है कि उसने इससे निपटने के लिये उपयुक्त निरोधक तथा अन्य उपाय किये हैं ।" मैं जानना चाहता हूं कि वह उपयुक्त निरोधक उपाय क्या हैं ? वह अन्य उपाय क्या हैं ? आखिर, यह सदन है, और देश की संसद है, देश की इन्टैग्रिटी के बारे में, देश की एकता के बारे में पूरी जानकारी देने का दायित्व मंत्री महोदय का है । कालिंग अटेंशन नोटिस अपने आप में एक गंभीर मसला है । जब गंभीरता होती है, ऐसे मसलों पर कालिंग अटेंशन नोटिश के जरिये जानकारी मिलने का मौका दिया जाता है । इस तरह का स्टेटमेंट हम लोग

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

[श्री नवल किशोर शर्मा]

को संतुष्ट नहीं कर सकता है और न करता है और यह इस बात का द्योतक है कि या तो राज्य सरकार और उनके बीच में तारतम्य नहीं है, या राज्य सरकार स्थिति को छिपाना चाहती है, उसने कोई कदम नहीं उठाया है इस हालत को रोकने के लिये और मुझे त्रिपुरा की घटना के सम्बन्ध में याद आ जाता है, जो केन्द्र और राज्य सरकार के बीच में कशमकश चली थी, राज्य सरकार ने त्रिपुरा की घटना के सम्बन्ध में यह कहा कि हमने केन्द्रीय सरकार को सूचित कर दिया था, होने वाले हालात के बारे में और केन्द्रीय सरकार ने यह कहा कि राज्य सरकार ने हमें सूचना नहीं दी । इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में एक जरूरी जो तारतम्य है, उसका अभाव है । यह इरादतन है या कैसे है, यह मैं नहीं जानता ।

एक बात सही है कि त्रिपुरा की घटना अपने आप में एक विवाद का विषय है । कुछ लोगों का मानना है कि त्रिपुरा में जो कुछ हुआ वह सी० पी० एम० गवर्नमेंट के द्वारा कराया गया । सी०पी०एम० वाले यह चाहते हैं । आज वेस्ट बंगाल में उत्तराखंड की मांग के बारे में भी (व्यवधान), मैं ईल्ड नहीं कर रहा हूं ।

अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड की मांग के बारे में भी जो समाचार अखबारों में छपे है, उससे ऐसा लगता है कि सी०पी०एम० गवर्नमेंट उत्तराखंड के लोगो की उपेक्षा कर रही है (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कार्यवाही में कुछ भी शामिल नहीं किया जाए ।

श्री नवल किशोर शर्मा : इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि उत्तराखंड के इन 3 जिलों के अन्दर जो राजवंशी लोगो की तरफ से पृथकतावादी आन्दोलन किया जा रहा है, उसका कारण वहां की मार्कसिस्ट गवर्नमेंट द्वारा जो जमीन का बंटवारा किया गया है, और उसमें अपने चहेतों को जमीन देकर, गरीब लोगों को, आदिवासियों को उससे वंचित किया गया है, यही असंतोष का कारण है ?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं । (व्यवधान) मैं आपका संरक्षण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, अखबारों में कुछ सूचनायें आई हैं, उनके बारे में मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बहुत बड़ी तादाद में नेपाल से नेपाली-स्पीकिंग लोग उत्तराखंड के एरिया में दाखिल होते जा रहे हैं, और क्या यह भी सही है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को आने से रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि सी०पी०एम० गवर्नमेंट की मान्यता के अनुसार देश में जितना कनफ्यूजन हो, उतना ही रेवोल्यूशन थ्राइव करेगा, और उसी आधार पर वे यह नहीं चाहते कि देश मे शान्ति और व्यवस्था कायम हो । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उनका विचार है । आप अपने विचार पर दृढ रहिये ।

माननीय सदस्य अपने वक्त में अपनी बात कह सकते हैं और जो कुछ कहा जा रहा है, उसको ठीक कर सकते हैं । (व्यवधान) मेम्बर साहबान ऐसा न करें । (व्यवधान) बैठ जाइये । एसे काम नहीं चलगा । यह गलत बात है । (व्यवधान)

श्री नवल किशोर शर्मा : क्या गोरखा, नेपाली, लोगों की, जो उत्तराखंड के दो जिलों में रहते हैं, बहुत दिनो से मांग चली आ रही है कि वहां नेपाली भाषा का प्रचार तथा प्रसार हो और उसे शिक्षा तथा राज-काज में इस्तेमाल किया जाये ? अगर यह बात सही है, तो सरकार उन लोगों के सेंटीमेंटस् को संतुष्ट करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

इस सारे संदर्भ में मैं एक अहम सवाल पर आना चाहता हूं । आज सारे देश में हमारे ट्राइबल लोगों में एक एवेकनिंग पैदा हुई है, उनमें एक जाग्रति आई है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे ट्राइबल भाई देश की आम धारा के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं । वे बहुत दिनो तक पिछड़े रहे है ।

अध्यक्ष महोदय : सवाल पूछिये ।

श्री नवल किशोर शर्मा : माई क्वेस्चन इज मोस्ट रेलिवेंट । आई एम नाट ट्राइंग टु बी इरैलिवेंट ।

आज देश में ट्राइबल्ज में आम असंतोष है, जिसके कारण सोशल टेन्शन्ज बढ़ती जा रही हैं । कुछ लोगों ने उनकी जमीनों पर जबर्दस्ती कब्जा कर लिया है, या उन्हें खरीद लिया है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरावट की ओर चली गई है । इस संदर्भ में क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाने पर विचार करेगी, जिससे भविष्य में ट्राइबल्ज की जमीनों पर नान-ट्राइबल्ज का कब्जा न हों, और जो अबतक हो गया है उसे एक निश्चित अवधि के अंदर वापस दिया जा सके ये मेरे सवाल है ।

श्री योगेंद्र मकवाना : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि उनकी आशा के अनुकूल मैंने पूरी सूचना नहीं दी है । मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अभी तक केन्द्रीय सरकार को कोई सूचना नही दी है ....(**व्यवधान**) .... यह सूचना मैंने समाचार पत्रों से एकत्रित की है ।

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़) : क्या आपने राज्य सरकार से सूचना मांगी है ?

श्री योगेंद्र मकवाना : मैं राज्य सरकार को कई बेतार के संदेश भेज चुका हूं । यहां तक कि मेरे संयुक्त सचिव ने भी राज्य सरकार के मुख्य सचिव से बात की है । इसके बावजूद राज्य सरकार से मुझे कोई सूचना नहीं मिली है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : माननीय मंत्री महोदय का उत्तर सुनकर मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को बर्खास्त करने पर विचार करेगी ...(**व्यवधान**)

श्री योगेंद्र मकवाना : इसका मुख्य कारण है कि प्रान्तीय मोर्चा उस क्षेत्र में पर्याप्त विकास कार्यों के अभाव के बारे में व्याप्त असंतोष को उभारने का प्रयत्न कर रहा है । अपने नारो, भाषणों तथा सम्मेलनों में मोर्चे ने राज्य की मार्क्सवादी सरकार पर पर्वतीय लोगों के प्रति भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप भी लगाया है और कहा है कि उसने हाल में पूर्वोत्तर क्षेत्र से विस्थापित नेपालियों के कल्याण में वैसी रूचि नहीं ली जैसी कि बंगाली विस्थापितों के लिए ली थी । अतः प्रान्तीय मोर्चे ने पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कहा है कि वे उत्तराखण्ड दल के झण्डे के नीचे एकत्रित होकर पृथक गोरखालैंड की मांग करें । यह मुख्य मांग है ।

माननीय सदस्य ने जनजातीय भूमि के जनजातीय लोगों को लौटाए जाने के बारे में पूछा है । यह राज्य का विषय है । केन्द्रीय सरकार इस बारें में कुछ नहीं कर सकती । हम केवल कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करके राज्य सरकारों से प्रगतिशील भूमि सुधार कानून बनाने का अनुरोध कर सकते हैं । परन्तु अन्ततः यह राज्य का विषय है और इस संबंध में कार्यवाही करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है ।

जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, वह जनजातियों के विकास की ओर बहुत ध्यान दे रही है. विशेषकर जनजातियों के आर्थिक तथा सामाजिक विकास की ओर बहुत ध्यान दिया जा रहा है । अतः केन्द्रीय सरकार ने एक जनजाति उप-योजना नामक स्कीम बनाई है और अनुसूचित जातियों की तरह जनजातियों के विकास के लिए भी हम राज्य सरकारों को विशेष सहायता प्रदान कर रहे है ।

श्री नवल किशोर शर्मा : वह मेरा जवाब नहीं दिया डिसमिसल आफ दि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में ।

श्री जैनुल बशर (गाज़ीपुर) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे दोस्त जो सी०पी०आई० एम० पार्टी से जीत कर आए हैं ...(**व्यवधान**)... हां, मेरी तरह ही जीतकर आए हैं वे इस हाउस में बैठ कर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट की रक्षा करना ही अपना काम समझते हैं, देशहित से इन से कोई मतलब नहीं है (**व्यवधान**) वे केवल राज्य सरकार को बचाना चाहते हैं । देश में क्या हो रहा है इसकी उन्हें कोई चिन्ता नहीं । यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जिसके सुधार के लिए हम सबको इस सदन

[श्री जैनुल बशर]

में ही नहीं इसके बाहर भी प्रयत्न करने चाहिए । यह बहुत गम्भीर मामला है । पृथकतावादी आन्दोलन आसाम में शुरू हुआ और बंगाल तक चला आया । पूरा नार्थ ईस्टर्न इंडिया इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल, आज इस आन्दोलन की चपेट में शामिल हो गए हैं (व्यवधान) चाहे गोरखा लैण्ड, चाहे आपरेशन ब्रम्हपुत्र जिसके बारे में हमने आज चर्चा की है, झारखण्ड भी इसमें है, यह सारे के सारे पृथकतावादी आन्दोलन जो शुरू हो रहे है इनके पीछे केवल तीन शक्तियां हैं । हमारे देश में तीन विघटनकारी शक्तियां हैं जिनपर सरकार ने कड़ी नजर रखनी चाहिए । अभी परसो मकवाना जी ने बहुत खुलकर तो नहीं लेकिन हमारे मित्र श्री तारिक अनवर साहब के आरोप के सिलसिले में कि आर० एस० एस० आसाम के आन्दोलन के पीछे है और उन सारे आन्दोलन को वह पर्दे के पीछे से चला रहा है, मकवाना जी ने माना कि उनकी बात सही है । अगर उनकी बात सही है तो आर० एस० एस० के खिलाफ अबतक कौन सी कार्यवाही की गई है ? तो इस आन्दोलन के पीछे एक तो आर० एस० एस० है ।

दूसरे इसके पीछे वह आर्गेनाईजेशन्स हैं चाहे वह आनन्दमार्गी हों, जय गुरूदेव हो, चाहे वे बहुत से जो सन्यासी लोग हैं जो जगह जगह आश्रम खोले हुए हैं । इसी प्रकार से चर्च मिशन में बहुत लोग काम करते हैं धर्म के नाम पर काम हो रहा है चाहे वह किसी भी धर्म के नाम पर हो—इस प्रकार के जो आर्गेनाईजेशन्स बने हैं उनकी तरफ भी कड़ी निगाह रखनी चाहिए । वह चाहे मिशनरीज हो, मठ हो या कोई भी हों, उनकी तरफ निगाह रखनी चाहिए ।

इस आन्दोलन के पीछे तीसरी शक्ति है कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सिस्ट) । कम्युनिस्ट आइडियालोजी यही है कि विघटन पैदा करो, कंफ्यूजन पैदा करो, लड़ाई-झगड़ा पैदा करो, उथल-पुथल पैदा करो और गड़बड़ पैदा करो ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कीजिये । परिकल्पनाओं को छोड़िए । इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है ।

श्री जैनुल बशर : ये लोग गड़बड़ी पैदा करके सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं । उत्तराखण्ड का आन्दोलन भी आसाम के आन्दोलन की तरह से ही है । कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहां पर कम्युनिज्म के साथ साथ क्षेत्रीयता की भावना भी पैदा कर रही है । वहां पर गैर-बंगालियों के साथ आज सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है । चाहे नौकरियों में, चाहे इण्डस्ट्रीज में, चाहे कल-कारखानों में और चाहे जीवन के किसी भाग में हो, आज वहां पर गैर-बंगालियों के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल क्यो नहीं करते ? (व्यवधान)

श्री जैनुल बशर : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि वेस्ट बंगाल में कम्यूनिस्ट (मार्कसिस्ट) पार्टी की सरकार है, जो बंगालियों में क्षेत्रीयता की भावना पनपा रही है ? क्या सरकार को यह भी पता है कि ... (व्यवधान) ... वेस्ट बंगाल की कम्यूनिस्ट (मार्कसिस्ट) पार्टी की सरकार गैर बंगालियो के साथ सौतेले-पन का व्यवहार कर रही है । क्या सरकार को बंगाल के अनेक संगठनों द्वारा, बड़े इम्पार्टेन्ट आदमियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा वेस्ट बंगाल सरकार के खिलाफ....(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : जब आप अपनी बात कहना चाहेंगे तो आपको भी हक होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि एक साथ 20 आदमी बोल रहे हैं... यह तरीका नहीं है । मैं ऐसा नहीं करने दूंगा । जब आपकी बात आयेंगी तब बोलिएगा । ... मेरी बात सुनिए ... आपको मैंने बहुत वक्त दिया है । यदि आप अब सवाल करना चाहते है, तो सवाल करिए । विषय से हटकर बात न करे । कृपया जो प्रश्न है उसी के बारे में बोले ।

श्री जैनुल बशर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि वेस्ट बंगाल की कम्यूनिस्ट (मार्कसिस्ट) पार्टी की सरकार ... व्यवधान) ...)

अध्यक्ष महोदय : आप चूप क्यों नहीं रहते । मुझे अपनी बात कहने दो । आपको भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा ।

श्री जैनुल बशर : क्या भारत सरकार को इस बात की शिकायत मिली है कि गैर बंगालियों के साथ वहां की सरकार सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है ...)व्यवधान) ...

अध्यक्ष महोदय : यह उचित तरीका नहीं है । कृपया बैठ जाइए ।

श्री जैनुल बशर : बंगाल के संगठनों द्वारा, वहां के जन-प्रतिनिधियों द्वारा, वहां के व्यक्तियों के द्वारा वेस्ट बंगाल की सरकार के खिलाफ शिकायतें मिली हैं और क्या वेस्ट बंगाल में कानून और व्यवस्था की हालत इन सारे मामलों को लेकर . . . (**व्यवधान**) . . . गोरखा लैंड की भावना असम से निकलने के बाद जैसा कि स्टैटमेंट में दिया हुआ है, गोरखा लोगों के दिल में आई है और वे बिहार, बंगाल व असम के कुछ क्षेत्रों में गोरखा लैंड की मांग कर रहे हैं । इसलिए क्या सरकार असम के मामले में जो शक्तियां वहां पर कायम हो रही हैं, खास कर आर०एस०एस०, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? इन बातों को देखते हुए और खासकर इस बात को देखते हुए कि वैस्ट बंगाल सरकार केन्द्र की सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही है, यहां तक कि उसने इन्फार्मेशन देने से भी मना किया है और वह इस बात को दबाना चाहती है । क्या सरकार वैस्ट बंगाल की सरकार को बरखास्त करने का इरादा रखती है ? अगर नहीं रखती है तो क्यों नहीं रखती है ?

श्री योगेंद्र मकवाना : महोदय, मैंने शुरू में ही कहा था कि उस क्षेत्र में अपर्याप्त विकास के कारण से आंदोलन हो रहे हैं । माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि कुछ नारे लगाए जा रहे हैं । वे नारे हैं . . . (**व्यवधान**) कुछ में वे लोगों को कह रहे हैं कि राज्य सरकार के कानून का पालन न करें । हमारे एक वक्ता ने कहा है कि वहां पर्याप्त विकास नहीं हुआ है । यह मुख्य कारण है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बैठ कर बातें करना अच्छी आदत नहीं है । व्यवधान न डालें ।

श्री योगेंद्र मकवाना : प्रान्तीय मोर्चे द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों के बारे में माननीय सदस्य ने सदन को बताया है । परन्तु मैं उन आरोपों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री जैनुल बशर : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिकली पूछा था कि क्या कोई शिकायत आई है ।

श्री योगेंद्र मकवाना : यह बात उन्होंने दोहराई है । मुझे दोहराने के लिए क्यों कह रहे हैं । उन्होंने लोगों से कहा है कि कर न दें तथा राज्य सरकार के कानूनों का पालन न करें । यह उस क्षेत्र में हो रहा है । इसके कारण उस क्षेत्र में कुछ बंगाली विरोधी भावना भी जागी है । यह तब शुरू हुआ जब पूर्वी बंगाल से आए विस्थापितों को उन्होंने वहां से जाने के लिए कहा ।

श्री जैनुल बशर : मने पूछा था—क्या पश्चिम बंगाल में उनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है ?

श्री योगेंद्र मकवाना : केन्द्रीय सरकार का राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री धनिकलाल मण्डल ।

श्री जैनुल बशर : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ।

(**व्यवधान**) **

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कोई नहीं बोल सकेगा । कृपया व्यवधान न डालें । मंत्री महोदय उनका उत्तर नहीं दे सकते । व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । किसी को अनुमति नहीं है । श्री मंडल

(**व्यवधान**) **

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कोई बात रिकार्ड न की जाए । श्री धनिकलाल मंडल बोलने के लिए खड़े हैं । अन्य सदस्य क्या कर रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए । मेरी समझ में नहीं आता कि वे क्यों शोर मचा रहे हैं ।

मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में पांच सदस्यों के नाम हैं । केवल वे ही पांच सदस्य बोल सकते हैं । अन्य सदस्यों की बात रिकार्ड नहीं की जाएगी । वास्तविकता का कोई प्रश्न नहीं है । प्रश्न प्रक्रिया का है । श्री मंडल ।

श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर) : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने इस सदन को बतलाया कि उत्तराखंड की घटनायें जो घट रही हैं, वह आसाम का फाल-आउट है, उस का विस्तार है, उस का परिणाम है । लेकिन, महोदय इस तरह तो माननीय मंत्री जी जितनी घटनायें घट रही हैं, उन सभी को आसाम की घटनाओं से जोड़ सकते हैं, समय का सिलसिला बना कर

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

[श्री घनिकलाल मंडल]

सभी को जोड़ सकते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। उत्तराखण्ड में दो तरह की बातें हैं—एक तो आदिवासियों की बातें हैं। माननीय मंत्री जी ने बतलाया है कि वहां जो हरिजन और शेड्यूल्ड कास्ट्स हैं, खास कर राजवंशी लोग, इन लोगों की ओर से मांगें आ रही हैं और दूसरे जो नैपाली लोग हैं, नैपाल-मूल के लोग उत्तराखण्ड में है, उन लोगों की ओर से मांगें आ रही हैं। हम ने जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यहां पर रखा है मंत्री जी दोनों को मिला कर एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं, जिस में कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आदिवासियों के संबंध में बातें नहीं हुई हैं, गोरखा लैंड के बनने के बारे में यह है और माननीय मंत्री जी दोनों बातों को जोड़ रहे हैं, जिस के कारण किसी बात की सफाई नहीं होती और अन्धेरा ही अन्धेरा फैल रहा है। हम लोगों ने जो प्रश्न किया है, वह गोरखा लैंड की मांग के बारे में किया है और हम जानना चाहते हैं कि किन लोगों की ओर से यह मांग दी गई है और क्या यह बात सही है कि जब से यह मांग उठी है, तब से दूसरे देशों के कुछ लोग यहां पर इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं और उस इलाके में किसी दूसरी शक्ति के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं? इस तरह से वे इस इलाके में अस्थिरता की बात पैदा करना चाहते हैं, यह मूल प्रश्न है लेकिन इस का कहीं भी उत्तर नहीं दिया गया है कालिंग एटेंशन के जवाब में। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और जैसा कि मैं ने कहा कि यह सीमा का सवाल है और सीमा का मामला बहुत ही सेंसेटिव हुआ करता है और सीमा के बारे में जवाब देने में जो सावधानी बरतनी चाहिए, कोई भी जवाब देने से पहले हम लोगों को और खास तौर से सरकार को क्योंकि हम लोग तो सदस्य हैं लेकिन सरकार को ऐसा जवाब देने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए लेकिन माननीय मंत्री जी सदस्यों की चिन्ता को दूर करने के लिए यहां पर स्टेट-सेन्टर की बात ले आए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान है, वह एक फेडरल कांस्टीट्यूशन है और उस में राज्यों की एक गरिमा है, उन का महत्व है और उन की एक परसनालिटी है, जिस का आदर सेन्टर को करना चाहिए लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी जोश में आ गये और कुछ ऐसी-वैसी बात कह गये, जिन से राज्य सरकारों को धक्का लगता है। सेन्टर और स्टेट्स की जो नाजुक रिलेशनशिप है, उस पर इस का असर पड़ सकता है। तो यह अच्छी बात नहीं है।...(**व्यवधान**)...जब आप बोल रहे थे, तो मैं चुपचाप सुन रहा था, आप भी मेरी बातों को सुनिये। मैं यह कह रहा था कि सीमा का जो मामला है, वह एक नाजुक मामला हुआ करता है, एक सेन्सेटिव मामला हुआ करता है और ऐसे मामले पर बहुत सावधानी से और जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जिस से सीमा पर अस्थिरता आ जाए और देश को खतरा पैदा हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल पूछिये।

श्री घनिकलाल मंडल : मैं सवाल पर ही आ रहा हूं। मंत्री जी इस सवाल को आसाम से जोड़ कर जवाब दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि कांग्रेस (आई) के लोग इस आन्दोलन के पीछे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि 22 अप्रैल, 1980 को उत्तराखंड के नेता श्री पंचानन मलिक और दूसरे कांग्रेस (आई) के सदस्यों ने प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी और उन को एक मेमोरेण्डम दिया था और अगर दिया था तो वह क्या था और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने उन को क्या कहा, इस सरकार का उत्तराखण्ड की जो मांगें हैं, उन के बारे में क्या रुख है, यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वहां पर इस तरह के जो आन्दोलन हो रहे हैं, अभी हो सकते है और हो सकते क्या है, हो रहे हैं, वे इस देश में जो आदिवासी हैं, जिन को लांग टाइम से निगलेक्ट किया गया है, एक बहुत लम्बे अर्से से उन की उपेक्षा की गई है और कोई विकास उन का नहीं किया गया है, यह हर जगह की बात है और केवल उत्तराखण्ड की ही बात नहीं है, तमाम देश में, सभी जगहों पर उन की समस्याओं को हल न करने की वजह से एक असंतोष व्याप्त है और वह असंतोष अब फूट रहा है। हो सकता है कि आसाम की घटना से इस में और बढ़ावा मिल गया हो लेकिन यह पूरे देश में हो रहा है। उन की जो मांग उठ रही है, उस समस्या को ठीक-ठाक करने के लिए जब बंगाल की सरकार ने चेष्टा की, तो उस में केन्द्रीय सरकार अपनी नाक क्यों घुसेड़ रही है और जबर्दस्ती दखलान्दाजी कर रही है, यह मैं जानना चाहता हूं। ... गृह मंत्री की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से जब वहां की सरकार इस मामले को ठीक करने में लगी हुई है ... दखलान्दाजी क्यों की जा रही है, जिस से समस्या और विस्फोटक बनती जा रही है?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जो इस देश में पृथकतावादी प्रवृत्तियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, चूंकि और किसी ने भी उनका नाम नहीं लिया, जो पृथकतावादी तत्व हैं जो कि पृथथतावादी आन्दोलन चलाते हैं, जो ऐसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं ऐसे तत्वों के विरुद्ध जब राज्य सरकार कोई कार्यवाही करती है तो क्या उसमें केन्द्रीय सरकार दखलान्दाजी नहीं करती है? क्या यह बात सही नहीं है?

चौथे, जो इन्फीलट्रेटर्स की बात कही जाती है कि बाहर से लोग आ रहे हैं और विदेशी शक्तियों के इशारे पर आ रहे हैं तो क्या यह सही है ?

श्री योगेंद्र मकवाना : महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सदस्य ने मेरी बात को अच्छी तरह नहीं समझा है। मेरा वक्तव्य बिलकुल स्पष्ट है। उनकी तथा सदन की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि ये राजवंशी भी राजपूत जनजातियां हैं जो समूचे कूच विहार पर राज्य करती थीं।... (व्यवधान)... महोदय, माननीय सदस्य को, जो केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में बहुत जोश दिखा रहे थे, मुझे इस बारे में सलाह नहीं देनी चाहिए। मैं अपना कर्तव्य जानता हूं तथा केन्द्र-राज्य के क्या संबंध होने चाहिए यह भी जानता हूं। मैंने माननीय सदस्यों को दिये गये उत्तरों में बार-बार कहा है कि केन्द्रीय सरकार का राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। हम हस्तक्षेप करना नहीं चाहते और कोई कार्यवाही भी नहीं करना चाहते। इसके विपरीत केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए सलाह दी है। केवल यहीं नहीं, बल्कि केन्द्र सरकार आवश्यकतानुसार सहायता करती रहती है। माननीय सदस्य ने अनावश्यक रूप से मेरे और मेरे दल के विरुद्ध अनेक आरोप लगाए हैं जो सत्य से परे हैं। मैं इन्हें स्वीकार नहीं करता।... (व्यवधान)... महोदय, आरोप लगाना बहुत आसान है परन्तु उन्हें सिद्ध करना बहुत कठिन होता है। ऐसे आरोप मार्क्सवादियों द्वारा भी लगाये जाते हैं। परन्तु इन आरोपों का कोई आधार नहीं है।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सलेम (तमिलनाडु) में एक नया रेलवे डिवीजन बनाने की आवश्यकता

***श्री सी० पलानीअप्पन** (सलेम) : अध्यक्ष महोदय, केरल राज्य के ओलावाक्कोड रेलवे मंडल में 1019 मीटर लम्बी रेलवे लाइन में रेलवे के 17,250 मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

ओलावाक्कोड रेलवे मंडल में तमिलनाडु के धार, मापुरी, सलेम, कोयम्बतूर, नीलगिरि तथा तिरुचिरापल्ली जिले भी आते हैं। केरल राज्य में 2 अक्तूबर, 1979 से त्रिवेन्द्रम मंडल नामक एक नया मंडल भी बनाया गया है। वट्टीकाट्टेरी से कोचीन बंदरगाह तक की रेलवे लाइन इस मंडल के अधीन रखी गयी है। अब केरल राज्य में दो रेलवे मंडल हैं। इन में एक मंडल ओलावाक्कोड तथा दूसरा त्रिवेन्द्रम में है।

सन् 1956 तक तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में पोजनूर में एक रेलवे मंडल था। चूंकि केरल राज्य में उस समय कोई रेलवे मंडल नहीं था, इसलिये इस पोजनूर मंडल को ओलावाक्कोड में स्थानांतरण कर दिया गया था। चूंकि तमिलनाडु के छः जिलों में भारी संख्या में रहने वाले रेलवे मजदूरों को ओलावाक्कोड स्थित मंडलीय मुख्यालय के प्रबंध पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उनके कार्य करने के स्थान से बहुत दूर है, इसलिए बहुत सी बार उनकी परेशानियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सन् 1963 में ही उनकी परेशानियों को महसूस करते हुए रेलवे बोर्ड ने सलम में एक नये रेलवे मंडल की स्थापना करने के लिये सलेम जंक्शन के पास कंदमपट्टी में भूमि का अधिग्रहण किया था। लेकिन यह मामला आजतक भी वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। सलेम एक औद्योगिक नगर बन गया है। सलेम इस्पात कारखाना भी तेजी से प्रगति कर रहा है। सलेम से ठीक 50 किलोमीटर की दूरी पर मैट्टूर के मैट्टूर अल्मीनियम कम्पनी, इसके अतिरिक्त मैट्टूर कैमिकल्स लि० तथा अन्य बड़े-बड़े औद्योगिक उपक्रम हैं। सलेम के पास मोहनुर में एक सहकारी-चीनी मिल तथा एक कागज मिल आदि हैं। इन मिलों को अपनी वैगनों की आवश्यकताओं का पंजीकरण कराने के लिये ओलावाक्कोड जाना पड़ता है। उपर्युक्त परिस्थितियों में सलेम में एक नये रेलवे मंडल का गठन करना बहुत आवश्यक है। इस सम्बंध में मैं माननीय रेल मंत्री महोदय से एक विवरण की मांग करता हूं।

(दो) गोंडा (उत्तर प्रदेश) स्थित बमनान शुगर मिल्स को ऋण दिया जाना

श्री आनंद सिंह (गोंडा) : बमनान शुगर मिल जिला गोंडा उत्तर प्रदेश की आर्थिक दशा जर्जर हो जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र के गन्ना किसानों और मिल मजदूरों का करोड़ों रुपया बाकी हो गया, जिस के कारण भारत सरकार ने दिनांक 13 मार्च, 1979 से मिल का अधिग्रहण कर मिल की संचालन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया और जिलाधिकारी गोंडा को कस्टोडियन नियुक्त कर दिया तभी से यह मिल भारत सरकार की प्रबन्ध व्यवस्था में संचालित है।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आनंद सिंह]

मिल की आर्थिक दशा वर्ष 1978 में इस कदर खराब हो गई कि लगभग 80 लाख रुपया गन्ना किसानों का कई वर्षों का मिल पर बाकी रह गया जिसके फलस्वरूप किसानों में गन्ना उत्पादन के प्रति भारी उदासीनता उत्पन्न हो गई। मिल की आर्थिक दशा खराब होने से मिल मशीनों की मरम्मत का काम भी सीजन 1977-78, 1978-79 में ठीक प्रकार से नहीं हो सका । इस बीच भारत सरकार ने जो भी इसको धन दिया वह मिल के पुराने बकाए के भुगतान के लिए भी पर्याप्त नहीं रहा । सीजन 1979-80 के चलने के पहले जो भी धन दिया गया वह तब दिया गया जब मिल की मशीनों की मरम्मत का समय काफी गुजर चुका था । दिनांक 25 नवम्बर, 1979 को धन प्राप्त होने पर सामानों के मंगाने व मरम्मत शुरू कर सीजन चलाने की तैयारी होने लगी । मजबूरन इस क्षेत्र का पूरा गन्ना उत्तर प्रदेश केन कमिशनर को पड़ोस की अन्य मिलों को देना पड़ा और जब दिनांक 1 जनवरी, 1980 को मिल चालू होने के लिए तैयार हुई तो जो गन्ना शेष बचा था उसी को पेर कर मिल को एक माह के अन्दर बन्द कर देना पड़ा ।

इस वर्ष अधिकारीगण अगला सत्र चलाने के प्रयास में जुटे हैं किन्तु धन के अभाव में इस वर्ष भी यह कठिन दिखाई पड़ रहा है । ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष भी धन समय निकल जाने पर ही प्राप्त होगा और मिल इस वर्ष भी समय से किसानों का गन्ना खरीदने में असमर्थ रहेगी ।

अतः सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मिल के संचालन हेतु जो भी अग्रिम धन की आवश्यकता बताई गई है उसका तत्काल भुगतान दिलाने की व्यवस्था करने की कृपा की जाए ताकि किसानों एवं मजदूरों में एक विश्वास की भावना उत्पन्न हो और गन्ने के उत्पादन को बल मिले ।

(तीन) बंगलौर तथा कर्नाटक के अन्य भागों में सीमेंट उपलब्ध न होने का समाचार

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक खेद का विषय है कि पिछले दो या तीन महीनों से बंगलौर शहर तथा कर्नाटक के दूसरे स्थानों पर सीमेन्ट एक दुर्लभ वस्तु हो गयी है । सीमेन्ट की कमी के कारण जनता को बहुत परेशानी हो रही है । बहुत सी निर्माणाधीन इमारतों का निर्माण कार्य बंद हो गया है । यह कहा जाता है कि अम्मा संड्रा सीमेंट फैक्टरी, जो मैसूर सीमेन्ट का उत्पादन कर रही है (जो सीमेंट बंगलौर को सप्लाई करने के लिये नियत किया गया है) बंगलौर को सीमेंट देने में असमर्थ है । वहां कुछ दिनों तक बिजली में कटौती रही है तथा अब वहां मजदूरों की हड़ताल है । मुझे बताया गया है कि बंगलौर तथा अन्य स्थानों पर सीमेन्ट की कमी का यही कारण है। यह आश्चर्य की बात है कि यह सब कुछ होते हुए भी जितना आप चाहें उतना सीमेन्ट 44 रुपये या 45 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से उपलब्ध है ।

मुझे सीमेन्ट की कमी की व्यक्तिगत जानकारी है तथा बंगलौर शहर की जनता ने मुझसे इस बात को सरकार के नोटिस में लाने तथा बंगलौर शहर तथा कर्नाटक के अन्य स्थानों पर सीमेन्ट की तत्काल सप्लाई कराने के लिये कहा है।

मैं सरकार से इस सभा के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि बंगलौर को सीमेन्ट की सप्लाई का प्रबंध किया जाये ।

(चार) बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड का राष्ट्रीयकरण करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता

श्रीकृष्णा चंद्र हालदर (दुर्गापुर) : श्रीमानजी, मैं नियम 377 के अंतर्गत निम्नलिखित विषय उठाना चाहता हूं :

भारत सरकार ने 16-12-1977 को औद्योगिक विकास विनियम व अधिनियम के अंतर्गत बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटीकल वर्क्स लि० के प्रबंध का अधिग्रहण किया था । यह कंपनी भारी तथा बढ़िया किस्म के रसायन तथा फार्मास्यूटीकल उत्पाद, जिनमें जीवन रक्षक दवाईयां तथा कूष्ट रोग रोधी औषधि आदि भी शामिल है, तैयार करती है। इस कंपनी में 2,000 से ज्यादा मजदूर तथा कर्मचारी है । अधिग्रहण के पश्चात् मजदूरों तथा कर्मचारियों के पूरे सहयोग से इस कंपनी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई । इस तथ्य का यह प्रमाण है कि इस कंपनी के अधिग्रहण करने के समय से ही इस कंपनी में औद्योगिक संबंध अच्छे रहे हैं । उत्पादन की इस प्रकार की स्थिति के फलस्वरूप ही वर्ष 1979-80 में इस कंपनी के उत्पादों की बिक्री लगभग 8.50 करोड़ रुपये आंकी गयी तथा वर्ष 1980-81 के उत्पादन के लक्ष्य की अनुमान 2 करोड़ रुपये लगाया गया है । तत्कालीन पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री श्री हेमवती नंदन बहुगुणा ने इस कंपनी का राष्ट्रीयकरण करने का वचन दिया था तथा इस सम्बंध में संसद में एक विधेयक लाने का आश्वासन भी दिया था । लेकिन इस संबंध में अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। इस कम्पनी के मजदूरों तथा कर्मचारियों की इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने की मांग एक पुरानी मांग है । लेकिन इसके राष्ट्रीयकरण में विलम्ब होने से मजदूरों तथा कर्मचारियों में बहुत ज्यादा असंतोष तथा डर पैदा हो गया है । इसलिये सरकार से निवेदन है कि वह इस उपयोगी कम्पनी को बचाने तथा 2,000 मजदूरों तथा कर्मचारियों के रोजगार को संरक्षण देने के लिये इस सत्र में ही इस कम्पनी के राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में एक विधेयक लाये ।

(पांच) बदायूं (उत्तर प्रदेश) के तारघर के कार्यकरन में सुधार करने के लिए अच्छी सेवाएं देने की आवश्यकता

श्री जयपाल सिंह कश्यम (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

बदायूं उत्तर प्रदेश का अत्यन्त पिछड़ा जिला है । बदायूं में टेलीग्राफ व्यवस्था अत्यंत बिगड़ी हुई है और लोगों के तार 75 प्रतिशत डाक या व्यक्तियों द्वारा बरेली भेजे जाते हैं, जिससे बदायूं जिले के नागरिकों, व्यापारियों, सरकारी कार्यालयों और विशेषकर पत्रकारों व संवाददाताओं द्वारा भेजे गये महत्वपूर्ण समाचार भी बहुत विलम्ब से जा पाते हैं । बदायूं शहर में तीन पोस्ट व टेलीग्राफ आफिस (तारघर) हैं ।

पहला है प्रधान तारघर (हैड टेलीग्राफ आफिस) जो नवनिर्मित है और तीन साल पहले बनकर पूरा हो गया है । परन्तु इसको इसलिये प्रारंभ नहीं किया जा सका है क्योंकि अभी तक उसका उद्घाटन नहीं किया गया है ।

दूसरा तारघर 6-सड़का बदायूं में स्थित है जिसमें पिछले 3 साल से अब तक कोई टेलीग्राफ क्लर्क (तार-बाबू) नहीं है और टेलीग्राम की सुविधा नागरिकों को इतने लम्बे अर्से से उपलब्ध नहीं हो पा रही है । केवल एक छोटा तारघर शेष रहता है जिसकी संचार व्यवस्था बराबर खराब बनी रहती है और कुल तार टेलीग्राफ तरीके से न जाकर अधिकांश तार डाक द्वारा दूसरे स्थानों को भेजे जाते हैं तथा तार भेजने में शीघ्रता के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती ।

बदायूं का नवनिर्मित मुख्य तारघर तुरन्त प्रारम्भ किया जाये, और 6-सड़का स्थित तारघर पर तुरन्त तार बाबू की नियुक्ति कर 24-घंटे तार सुविधा प्रदान की जाये । शेष तारघरों की संचालन-व्यवस्था व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से की जाये ।

बदायूं टेलीग्राफ के संचार का सम्बन्ध बरेली होकर है, बरेली का लखनऊ और दिल्ली से है । इस तरह बदायूं के तारों का सही संचार नहीं हो पाता । बदायूं का सीधे द्वारा सम्बन्ध कर दिया जाये ताकि बदायूं की टेलीग्राफ संचार व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके ।

(छः) पटना शहर में हैजे की महामारी को रोकने के लिए उपाय करने की आवश्यकता

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, पटना नगर के आधे हिस्से को पटना सिटी के नाम से पुकारा जाता है । यह जग-जाहिर है कि सम्पूर्ण पटना नगर में प्रारंभ से ही गंदगी का साम्राज्य है । आखिर बरसात शुरू होते ही गन्दगी ने कमाल दिखलाना शुरू कर दिया है । फलस्वरूप पूर्वी पटना यानी पटना सिटी के कई गंदे और ग़रीब महल्लों में हैजे का भयंकर प्रकोप शुरू हो गया है, जिसके फलस्वरूप 22 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और सैकड़ों व्यक्ति उससे पीड़ित हो कर जीवन-मरण का संघर्ष कर रहे हैं ।

पटना सिटी के नागरिकों में इस बात से बड़ा आक्रोश है कि पटना नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और जन-स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग की लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के कारण ही कई महल्लों के नागरिकों को इस प्राणघातक रोग का शिकार होना पड़ा है । रोगियों को जब संक्रामक रोग अस्पताल, गुलज़ारबाग में ले जाया जाता है, तो उन्हें शय्या नहीं मिलती, उन्हें जमीन पर रखा जाता है तथा दवा-दारू और देखभाल की व्यवस्था बड़ी ही असंतोषजनक है । अस्तु, मरने वालों की संख्या बढ़ना स्वाभाविक है ।

पटना नगर निगम के कुछ पार्षदों ने हैजे के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति पर चिन्ता प्रकट करते हुए जांच की मांग की है ।

पटना नगर के 6 लाख से अधिक नागरिकों की हैजे की महामारी से रक्षा करने के लिए यह जरूरी है कि सम्पूर्ण नगर में युद्ध-स्तर पर सफ़ाई अभियान चलाया जाये, पीने के शुद्ध जल की व्यवस्था की जाये, हैजे की रोक-थाम के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाये, संक्रामक रोग अस्पताल में मरीजों के लिए शय्याओं का इन्तजाम किया जाये, पर्याप्त मात्रा में दवा की व्यवस्था की जाये, देखभाल का उचित प्रबन्ध हो और लापरवाही करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाये ।

अगर शीघ्र इन कदमों को नहीं उठाया गया, तो हैजे की महामारी को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता । अतः स्वास्थ्य मंत्री से मेरा अनुरोध होगा कि वह इस दिशा में राज्य सरकार की सभी सम्भव तरीके से मदद करें ।

(सात) दिल्ली में लूटमार की घटनाएं

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : दिल्ली में अपराध की घटनाओं में कोई कमी हुई प्रतीत नहीं होती है। राजधानी में डकैती तथा लूटमार की घटनायें बराबर हो रही है। यह एक बड़ी विचित्र स्थिति है कि खारीबावली तथा जनकपुरी में 24 घंटों के भीतर घटी घटनाओं को देखते देखते मॉडल टाउन में दो डकैतियां पड़ी हैं। पुलिस में इस मामले में आत्म-तुष्टि की भावना दिखाई देती है तथा उसने उस क्षेत्र में 15 जुलाई को पड़ी पहली डकैती, जिसमें पति तथा पत्नी और उनके बच्चें गंभीर रूप से घायल हुए थे, के पश्चात् कोई सावधानी नहीं बरती। दूसरी डकैती 16 जुलाई को सुबह पड़ी।

समय की मांग है कि पुलिस गश्त को बढ़ाने के लिये प्रभावकारी कदम उठाये जांय, तथा डकैतों क दल को गिरफ्तार करके दिल्ली की भयभीत जनता को रात में सुख की नींद सोने में राहत पहुंचाई जाय।

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1980-81--जारी

कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर और चर्चा तथा उनपर मतदान लेंगे। श्री डी० एम० पुत्ते गौडा।

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा (चिकमगलूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कल तथा परसों कृषि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं अब अपना ज्यादा ध्यान ग्रामीण पुनर्निर्माण की ओर ही दूंगा और कृषि के संबंध में कुछ प्रश्न रखूंगा। ग्रामीण पुनर्निर्माण का सम्बंध हमारी जनसंख्या के 75 प्रतिशत भाग से है। ग्रामीण पुनर्निर्माण कृषि, कुटीर उद्योग, परिवार नियोजन, नशाबंदी के अतिरिक्त ग्रामीण स्तर की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में विशेषतौर से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, संचार तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के समस्त क्षेत्रों में हर दृष्टि से अनिवार्य है।

आजकल हम जिस ग्रामीण पुनर्निर्माण विषय पर विचार कर रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस विषय पर जोर देना चाहता हूं। इस संबंध में मेरा कहना है कि ग्रामीण पुनर्निर्माण राष्ट्रीय स्तर पर सभी दृष्टियों से किया जाये और सभी अन्य विभागों में एक ही समय में ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था का भी गठन किया जाये।

हम जानते हैं कि औसत ग्रामीण परिवार की आय में कोई महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले वर्षों में पर्याप्त राशि व्यय की जा चुकी है, परंतु उसका क्या परिणाम निकला है? सरकार को स्थिति का जायजा लेना चाहिए, यह देखना चाहिए कि कितनी राशि व्यय हुई है और वर्तमान स्थिति के कारणों का पता लगाना चाहिए। कम से कम भविष्य में तो सरकार को सोचना चाहिए कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण कार्यक्रमों में कितनी राशि व्यय हुई तथा उस की क्या उपलब्धियां हैं। कम से कम हम पिछली भूलों का सुधार तो कर सकते हैं।

ग्रामवासियों के समक्ष सबसे बड़ा मुद्दा है उनकी वस्तुओं का उचित मूल्य प्राप्त होना। मैं जोर देकर कहूंगा कि विपणन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के निकाय अथवा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए ताकि उचित विपणन हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शिक्षा और उस को लागू करना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। प्रत्येक कृषि परिवार के पास कितनी भूमि है यह हम जानते हैं। यदि किसी परिवार के पास सन चालीस में पांच एकड़ भूमि थी, तो अब सन 80 में घट कर वह एक एकड़ का एक अंश रह गई है। ग्रामीण जनता को परिवार नियोजन लागू करने की शिक्षा देने के संबंध में अधिक कार्य नहीं किया गया है। परिवार नियोजन की वर्तमान प्रगति को देखते हुए मैं नहीं समझता कि हम जनसंख्या विस्फोट की चुनौती का सामना कर पाएंगे। इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए विशेषतया उन इलाकों में जहां भूमि का विभाजन किया जा रहा है और परिवार की आय बहुत कम है। वे अपने बच्चों को भोजन या उचित कपड़े नहीं दे पा रहे हैं और न हीं उन्हें अच्छे स्कूलों में भेज पा रहे हैं या उचित प्रशिक्षण दे पा रहे हैं।

ग्रामीण इलाकों में दूसरी समस्या शराब की है। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। अधिकतर राज्यों के एक ताल्लुक में लगभग 80,000 से 1,00,000 तक वालिग और लगभग 30,000 परिवार रहते हैं। जहां शराब पीने की इजाजत है, वहां प्रति वर्ष दो से चार करोड़ रुपये की शराब पी जाती है जबकि सरकार विकास कार्यों पर 10 से 20 लाख रुपये खर्च कर रही है। लगभग 50 लाख रुपये राज्य सरकारों को कर और उत्पादन-शुल्क के रूप में जाते हैं, लगभग एक करोड़ की राशि का कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता। बाकी के 50 लाख रुपये का हिसाब मिल जाता है। हमारी

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की यह बहुत बड़ी कमी है। इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है। यदि शराब पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा तो ग्रामीण क्षेत्रों का युवक इसे फुरसत की आदत बना कर अपना लेता है, जबकि बड़ों की तो यह आदत बन चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की भी समस्या होती जा रही है। यह आंकड़े एक ताल्लुक के हैं जिले के नहीं। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाइए।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, जहां तक ग्रामीण पुनर्निर्माण का संबंध है राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाएं काफी अर्से तक कारगर सिद्ध नहीं हो पाती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। मैं ताल्लुक बोर्ड का अध्यक्ष था। उस पद पर मैं 6 वर्ष रहा हूं। प्रत्येक ताल्लुक में जो विकास हुआ है वह मुझे मालूम है। एक ऐसा ही कार्यक्रम था व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्रों, विशेषकर ग्रामीण स्कूल के बच्चों, को पौष्टिक आहार सप्लाई करना था। यह पौष्टिक आहार सब्जियों, फलों और मछली आदि के रूप में दिया जाना था। करोड़ों रुपया कुओं के निर्माण, पंपों, बाड़ा और मछलीपालन के तालाबों के निर्माण में लग गया। इस कार्यक्रम पर पर्याप्त धन व्यय किया गया है। निरीक्षण के लिए विशेष जीपों की व्यवस्था की गई। इन सब चीजों के बावजूद जहां भी इस कार्यक्रम का दौर पूरा हो चुका है वहीं हम देखते हैं कि न तो सब्जियां व ताजे फल हैं और न ही मछली है। मुझे नहीं मालूम कि सब कहां गया। सब कुछ खत्म हो गया है। यदि हम किसी कार्यक्रम को लागू करते हैं, तो कम से कम निकट भविष्य में तो उसका लाभ होना चाहिए अथवा ग्रामीण जनता पर उसका कुछ प्रभाव पड़ना चाहिए ; अन्यथा वह कार्यक्रम केवल आंकड़ों और प्रचार के उद्देश्यों का ही रहा। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस पर ध्यान दें। ऐसे कई कार्यक्रम हैं। चूंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं एक के बाद एक उनका वर्णन नहीं करूंगा।

अब एक अन्य योजना बोलें जो है रोजगार अभिपुष्टि योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम। इस बजट में भी इनके लिए पर्याप्त राशि अलग रखी गई है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस कार्य की देखभाल के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं क्योंकि इस उद्देश्य के लिए काफी बड़ी रकम—340 करोड़ रुपये—अलग से रखी गयी है।

धनराशियां वर्ष के अंतिम दिनों में दी जाती है। अधिकतर राज्यों में सामुदायिक विकास अनुदान फरवरी या 15 मार्च अथवा 30 मार्च तक दिया जाता है और तब उनसे इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कहा जाता है। इससे सारा कार्यक्रम बिगड़ जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि खण्ड विकास अधिकारी कैसे सरकार के निदेशों का पालन कर सकते हैं और कैसे कार्यक्रम को लागू कर सकते है। ऐसी परिस्थितियों में मैं नहीं जानता कि रकम कार्य-निष्पादन पर व्यय की जाती है अथवा किसी की जेब में चली जाती है। यह चिन्ता का विषय है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस पर ध्यान दे और यह देखें कि अनुदान वर्ष के पहले अथवा दूसरे भाग में दे दिया जाए जिससे कि कार्यक्रम शुरू किया जा सके और लागू हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : ग्रामीण संचार व्यवस्था पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है। विशेषतया गांवों की सड़कों का अभी तक निर्माण नहीं किया गया है। पिछले सप्ताह मैंने उत्तरी राज्यों का दौरा किया। अत्यधिक बारिश से वहां कीचड़ हो गई है और अब वहां, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, कोई नहीं जा सकता। मैं उस इलाके से हूं जहां वर्षा 100 से 200 इंच होती है। हमारे यहां उपयुक्त सड़कें नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें। आप पहले ही पन्द्रह मिनट ले चुके हैं। आप समय-सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं। कई वक्ताओं को मौका ही नहीं मिल रहा है। तब वह मुझे गलत समझते हैं। जब आप अधिक समय लेते हैं, तो उसका अर्थ है कि आप अपने दल के अन्य सदस्यों का समय ले रहे हैं।

श्री डी० एम० पुत्ते गौड़ा : मैं केवल दो मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया एक मिनट में समाप्त करें।

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन सब मामलों पर ध्यान दें और ग्रामीण पुनर्निर्माण के काम को देखने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय का गठन करें। मुझे आशा है कि सरकार ऐसा करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चिरंजी लाल शर्मा। आप दस मिनट का समय लेंगे। आप आखिरी वक्ता होंगे। उसके बाद मैं मंत्री महोदय को बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब स्थिति यह है कि सभी दलों ने अपना अपना नियत समय समाप्त कर लिया है। चूंकि अन्य वक्ताओं ने अधिक समय लिया है। अतः अब कोई मौका नहीं है। हमें इसे आधे-घंटे में समाप्त करना है। अब श्री शर्मा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : जब यह सब खड़े हुए हैं और बाधा पहुंचा रहे हैं, तो मैं कैसे बोल सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी ये लोग कहेंगे उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप बोलना शुरू करें।

(व्यवधान)**

श्री ए० टी० पाटिल (कोलाबा) : मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृषि मंत्रालय और ग्रामीण पुनर्निर्माण की मांगें पूरे बजट का 50 प्रतिशत हिस्सा ले लेती हैं। इसलिए, यह सभा और देश के हित में होगा कि इस के लिए अधिक समय आवंटित किया जाए। दस घंटे पर्याप्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा दस घंटे के आवंटन की स्वीकृति दे चुकी है। मैं सभा के निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकता। अब, श्री शर्मा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय की अनुदान की मांग का समर्थन करता हूं जिसपर पिछले दो तीन दिन से चर्चा हो रही है। यह बहुत बड़ा विभाग है जिसमें कृषि, वन, पशु-पालन, मछली पालन, सहकारिता और न जाने क्या-क्या आता है। मैं मछली पालन या सूअर-पालन या मुर्गी पालन पर नहीं बोलूंगा। मैं केवल कृषि के बारे में बोलूंगा।

विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कल इस सभा में हरियाली की बात की थी। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि वे पूरे देश में फैली हुई हरियाली को देखना भूल गए हैं। कांग्रेस शासन के पिछले 30 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। मैं पिछले तीन वर्षों की बात नहीं कर रहा।

सबसे पहले मैं कृषि सम्बन्धी सुधार पर बात करूंगा। स्वाधीनता के काफ़ी वर्षों बाद भूमि सम्बन्धी अधिनियम पारित किए गए। परंतु इन भूमि सम्बन्धी अधिनियमों का पूरी तरह से कार्यान्वयन नहीं किया गया। क्यों ? कारण स्पष्ट हैं। इसके तीन चार-कारण हैं। (1) अधिकारी-वर्ग की शिथिलता (2). व्यक्तिगत, राजनैतिक और स्थानीय दबाव और (3) कानूनी अड़चनें।

मैं कानूनी अड़चनों की चर्चा करूंगा। मैं विशेष रूप से विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में, दायर की जाने वाली रिट का उल्लेख करुंगा। यदि आप उच्च न्यायालय में रिट दायर करते हैं तो उच्च न्यायालय में काम की अधिकता और अन्य बहुत से कारणों से मामला वर्षों तक लटका रहता है। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम शामील किए जाने के बावजूद इच्छित परिणाम संमुख नहीं आए। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री महोदय स्वयं कृषक है। वे वहां की समस्यायें से भली भांति परिचित हैं। सौभाग्य से, जब से उन्होंने पद संभाला है, अद्भुत परिवर्तन हुए हैं। कृषक प्रसन्न हैं। कृषकों के लिए उन्होंने पहला काम यह किया कि उन्होंने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की, जिसका मूल्य जनता शासन के दौरान लगभग शून्य हो गया था। परंतु मेरा यह निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय को भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ मामले पर विचार करना चाहिए। इसका अर्थ न्यायपालिका में किसी भी प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। दूसरी ओर भारत के मुख्य न्यायाधीश विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से इस मामले में कहेंगे कि वे अपने उच्च न्यायालयों में कृषि संबंधी लंबित मामलों का तेजी से निपटान करें। केवल इसी तरह वांछित परिणाम प्राप्त हो सकता है।

इस सिलसिले में मेरी दूसरी बात चकबंदी के बारे में है। चकबंदी से उत्पादन पर हितकारी प्रभाव पड़ा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यह चकबंदी की गई थी। यदि मेरी जानकारी गलत नहीं है तो अब तक पूरे देश में चकबंदी योग्य भूमि में से केवल एक चौथाई की चकबंदी की गई है। यदि हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में चकबंदी करना संभव हो सकता है तो देश के अन्य राज्यों में यह संभव क्यों नहीं है ? इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करुंगा कि वे सभी राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर विचार करें क्योंकि इससे उत्पादन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। चकबंदी करने से, भूमि को नया रूप दिया जाता है और नई योजना बनाई जा सकती है जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है। इन तीन राज्यों में चकबंदी इस बात का ठोस प्रमाण है कि इसके द्वारा इन राज्यों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। यदि मेरी जानकारी गलत नहीं है, तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी करते है। और यह भी एक कारण है कि ...

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उत्तर प्रदेश देश के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता पूरी नहीं कर रहा है, उत्तर प्रदेश तो बहुत पिछड़ा हुआ प्रदेश है और चकबंदी पुरानी बात हो चुकी है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : कृषि उत्पादन के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं—पानी, बिजली और उर्वरक । पानी की बात करते हुए, हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ इस बारे में कितना अन्याय किया गया है । संभवत: 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने रावी-व्यास परियोजना से हरियाणा को 35 लाख एकड़ फुट पानी देने का पंचाट दिया था जिसके अंतर्गत हरियाणा में पानी ले जाने के लिए 214 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जानी थी जिसके लिए हरियाणा सरकार को पंजाब सरकार के पास एक करोड़ रुपया भूमि के मुआवजे के रूप में जमा करना था । यह शायद 4 या 5 वर्ष पहले की बात है । परंतु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस दिशा में कुछ भी नहीं हुआ है । हमें नहीं मालूम कि उस पंचाट का क्या हुआ । हम जानते हैं कि जनता शासन के दौरान पंजाब में अकाली सरकार थी, यहां जनता सरकार में भी अकाली प्रतिनिधि था । हमें यह आशंका थी कि 1977 के चुनावों के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा दिया गया पंचाट लागू नहीं किया जाएगा । हमारी आशंका सही निकली । हमने इसके खिलाफ आवाज उठाई मगर सफलता नहीं मिली । इस मामले में हमारे अधिकारों पर गहरा आघात लगाया जा रहा है । हरियाणा को परेशानी उठानी पड़ रही है । हमें 1966 से अर्थात् पिछले 14 वर्षों से अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है । अत: मैं अत्यन्त विनम्रता तथा दृढ़ता के साथ कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे प्रधान मंत्री के साथ इस मामले पर बातचीत करें और जो पंचाट दिया गया था उसे बिना समय नष्ट किए हुए लागू करवायें ।

वस्तुत: पानी के बारे में यह स्थिति है कि अधिकारी छोटी परियोजनाओं पर ध्यान नहीं देते । वे बड़ी योजनाओं पर अधिक ध्यान देते हैं । महोदय, छोटी परियोजनाओं से मेरा मतलब यह है कि निचले इलाकों में, विशेषकर बरसात के दिनों में, टंकियों, जलाशयों और तालाबों में पानी जमा किया जा सकता है । महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ऐसे तालाबों से ही सिंचाई की जाती है । इसी तरह पहाड़ी इलाकों में सिंचाई के लिए टंकियों और तालाबों में पानी जमा किया जा सकता है । इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि भारत सरकार राज्य सरकारों को अनुदेश दे कि उनके अधिकारी इन छोटी परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दें ।

इस बारे में मैं फिर निवेदन करता हूं कि सिंचाई अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमें बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है । वे उचित समय पर बांध मजबूत बनाने पर ध्यान नहीं देते । अभी कुछ दिनों पहले यमुना नदी में लगभग 60 फुट या गज लम्बी दरार आ गई जिससे सोनीपत जिले के बहुत से गांवों को क्षति पहुंची । इस तरह की कई दरारें आ चुकी हैं । दरअसल होता यह है कि जब बरसात शुरू होती है तब वे बांध मजबूत करवाना आरम्भ करते हैं और इस तरह उसकी सदाशयता शंका का विषय बन जाती है । वे केवल पैसा बरबाद करते हैं और कहते हैं कि हमने इतना धन खर्च किया है ।

मैं काम के बदले अनाज कार्यक्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । जैसा कि इस सभा में बताया जा चुका है, काम के बदले अनाज केन्द्रीय सरकार का कार्यक्रम है जो 1975 में आरम्भ किया गया था । परन्तु वास्तव में तत्कालीन जनता सरकार ने यह कार्यक्रम अप्रैल, 1977 में आरम्भ किया । इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ? मैं 1979-80 के प्रतिवेदन की 3-4 पंक्तियां उद्धृत कर रहा हूं :

> "काम के बदले अनाज कार्यक्रम अप्रैल, 1977 से चालू है । इसका मुख्य उद्देश्य देश में उपलब्ध खाद्यान्न के भंडार का देश के ग्रामीण समुदाय के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को भूख से छुटकारा दिलाने के लिये उपयोग करना है । इसके साथ ही कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मुदृढ़ करना है ताकि लोगों के हित के लिए हम अपनी प्राकृतिक संपदा का भरपूर प्रयोग कर सकें ।"

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि :

> "निश्चित कार्यों को करने के लिए लगाये गये श्रमिकों के पूरे या आंशिक पारिश्रमिक के रूप में खाद्यान्न का उपयोग किया जाता है..."

इस संबंध में मैं सभा के समक्ष यह बताना चाहता हूं कि बहुत से स्थानों पर इन खाद्यान्नों का दुरुपयोग किया गया है । खंड विकास अधिकारी, सरपंच, पंचायत सचिव, पंचायत के सदस्य और स्थानीय प्रभावशाली लोग खंड विकास अधिकारी के कार्यालय से खाद्यान्न ले आते हैं तथा निर्धन और दलित लोगों को काम नहीं दिया जाता है । गांवों में रहने वाले समाज के निर्धन वर्गों की पूरी तरह से उपेक्षा कर दी गयी है और उन्हें कष्ट झेलना पड़ता है । इसका अर्थ है कि इस कार्यक्रम का मूल प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है । कार्यक्रम तो यह प्रशंसनीय है, किंतु क्या इसे अपेक्षित ढंग से लागू किया जा रहा है ? मेरा यह निवेदन है कि भारत सरकार, कृपया राज्य सरकारों से कहे कि वे व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर उत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से और विश्वास के साथ मेरे द्वारा लगाये गए अभियोगों की जांच करें ।

[श्री चिरंजी लाल शर्मा]

विरोधी दल के कुछ मित्रों ने व्यंगात्मक ढंग से 20-सूची कार्यक्रम के बारे में बातें की हैं। यह आपात्-स्थिति में शुरू किया गया एक क्रांतिकारी कार्यक्रम था जो गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के स्तर में परिवर्तन लाने वाला था। इसमें एक सूत्र था भूमिहीनों को आवासीय प्लाट प्रदान करना। मैं हरियाणा में राजस्व मंत्री था। डेढ़ वर्ष की अवधि में हमने गांवो में हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों को 2,14,000 प्लॉट दिये थे। केवल आवंटन का कार्य ही नहीं किया वरन् पंजीकृत विलेखों के माध्यम से प्लाटों के मालिकाना अधिकार भी उनको दिये गये। स्टाम्प के प्रभार से छूट दी गई। यही नहीं उन्हें भूमि राजस्व अभिलेखों में भी मालिक के रूप में दर्ज किया गया, जमीनें उनके नाम दर्ज की गयीं थीं, और बैंकों से उन्हें ऋण देने के लिए कहा गया। उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया था, किंतु उसके बाद क्या हुआ? यह कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ था। यह चल रहा था और तभी जनता शासन आ गया। जनता शासन के क्रूर तरीके और भारी दबाव से प्रोत्साहित होकर गांवों में जमींदारों ने कांग्रेस शासन में गरीबों को दिये गये प्लाटों पर भी कब्जा कर लिया।

मैं कुछ प्रोत्साहनों के बारे में भी कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं संक्षेप में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें लिखित क्यों नहीं दे देते?

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैंने उसे टाइप नहीं करवाया है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं ने लिखीं हैं।

किसानों को डीजल बहुत अनियमित और अपर्याप्त ढंग से दिया जा रहा है। मुझे यह निश्चित रूप से ज्ञात है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को ये अनुदेश दिए थे कि वे किसानों को 70 से 80 प्रतिशत तक डीजल दें, किंतु वास्तव में क्या हुआ? मैं ने जिला शिकायत समिति के समक्ष मामला उठाया था कि जिला औद्योगिक केंद्र कम महत्व के प्रयोजनों के लिए उद्योगपतियों को डीजल दे। मैं ने मुख्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इसकी निंदा की जानी चाहिए और इसे निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

किसानों को, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को, सस्ती दरों पर उर्वरक दिया जाना चाहिए। गन्ना, गेहूं और धान के लिए किसानों को लाभकर मूल्य दिए जाने चाहिएं। गन्ने के मामले में कृषि मंत्री ने मंत्रालय संभालते ही कार्रवाई करने का कष्ट किया।

किसानों को उस गन्ने का मूल्य नियमित रूप से नहीं मिल रहा है, जो वे चीनी के कारखानों में ले जाते हैं। अभी तक भी वे अधिकारियों के आगे पीछे घूम रहे हैं। राज्य सरकारों को यह अनुदेश दिए जाएं कि वे उनका शीघ्रातिशीघ्र भुगतान कर दें। भारतीय खाद्यान्न निगम भी खरीदने में देर न करे।

मिट्टी में सुधार लाने की योजनाएं शुरू की जाएं। यह सही है कि ये योजनाएं 15 या 20 वर्षों से चालू हैं। किंतु इस बात की जांच की जानी चाहिए कि कितनी खेती-योग्य भूमि बेकार पड़ी है।

सैकड़ों कृषि स्नातक विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं। वे कृषि स्नातक जो निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के पद पर कार्य कर रहे हैं वे, वह काम नहीं कर रहे जिसके लिए उन्हें बहाल किया गया है। कृषि सलाहकारों और कृषि विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। उन्हें कुछ गांव या गांव के कुछ परिवारों के लिए कार्य करना चाहिए और कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

अंततः मैं प्रोत्साहन मूल्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। कृषि मूल्य आयोग जो कि भारत सरकार का कानूनी निकाय है, गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए प्रति वर्ष खरीद मूल्यों की तथा पटसन और कपास जैसी व्यापारिक फसलों के लिए तथा यथावश्यक आलू और प्याज जैसी वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करता है। संभवतः कृषि मूल्य आयोग जिन मूल्यों की सिफारिश करता है उसको निर्धारित करने के लिए वह कई बातों पर ध्यान देता है, यथा देश में कृषकों ने उत्पादन में जो लागत लगाई है; कृषकों के लिए कुछ निश्चित लाभ की सीमा तथा देश के बाहर और भीतर मांग और पूर्ति। यह खरीद मूल्य होता है। अवधारणा की दृष्टि से भिन्न एक और प्रकार का मूल्य है जिसे प्रोत्साहन मूल्य कहते हैं। इन दो प्रकार के मूल्यों के विभिन्न लक्ष्य हैं। समर्थन मूल्यों का एकमात्र लक्ष्य निम्नतम स्तर अर्थात् उत्पादन की लागत से कम मूल्य के हो जाने पर, जिसके कारण मजबूरन उन्हें कम कीमत पर बिक्री करनी पड़ती है—किसानों को सहारा देना है जबकि प्रोत्साहन मूल्य का लाभ किसानों को उच्चतर लाभ सीमा के रूप में आवश्यक प्रेरणा प्रदान करना होना चाहिए ताकि वे अधिकाधिक भूमि पर इच्छित फसल की खेती करें अथवा और अधिक सघन खेती में धन और परिश्रम

का निवेश करें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री प्रोत्साहन मूल्य के उस पहलू पर ध्यान देंगे, जिसके बारे में मैंने निवेदन किया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे अवसर प्रदान कर वास्तव में आपने मेरा उत्साह वर्द्धन किया है।

कृषि विभाग यह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर आधारित है। हमारे देश की अधिकांश जन संख्या कृषि पर निर्भर करती है। हमारे यहां यह मान्यता है कि अन्न ब्रहम का स्वरुप है, अन्नम् ब्रह्म। इस वास्ते अन्न उत्पादन के बारे में पर्याप्त समय न मिले, यह अच्छी बात नहीं होगी। खैर, जो भी समय आपने मुझे दिया है, उसमें मैं कुछ बुनियादी मुद्दों को आपकी सेवा में रखना चाहूंगा। वास्तव में किसान जो पैदा करता है, उसका सही मूल्य उसे मिलना चाहिये। किस मुश्किल में रहकर वह अपने बच्चों को पालता है, उसके तन पर कपड़ा नहीं होता और खाने के लिये दो समय का भोजन उसे नहीं मिलता, जब कि "अन्नदाता" कहलाता है लेकिन मजबूरी में वह रहता है। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि किसानों को खाद, बीज, उर्वरक और कीटनाशक औषधियां सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराई जायें। फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन, तालाब और उद्वहन सिंचाई दरों में समानता लाई जाये। डीजल और विद्युत् प्रदाय में कृषकों को प्राथमिकता दी जाये। पावर सप्लाई न करने की स्थिति में किसानों को क्षति पूर्ति दी जाये। पावर कंजम्पशन पर मिनिमम चार्ज मासिक नहीं, वार्षिक निर्धारित किया जाये।

पावर केपिसेटर लगाने की व्यवस्था विद्युत् मंडल करे और उसका खर्च विद्युत् मंडल वहन करे, न कि किसान से लिया जाये। 5 एकड़ के छोटे कृषकों को सिंचाई और ऊर्जा की दरों में रियायत दी जाये।

नर्वदा ट्रिब्यूनल बना है, उसका जो फैसला हुआ है उसके क्रियान्वयन के लिये कार्यवाही की जाय जिससे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को सिंचाई और विद्युत् की सुविधा उपलब्ध हो सके और वह लाभान्वित हो सकें।

कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं को समाप्त कर वैज्ञानिकों को शोध कार्य करने के अधिक अवसर उपलब्ध कराय जायें। अभी अभी एनसाइक्लोपीडिया आफ ब्रिटेनिया में 1978 की इयर बुक में एक लेख प्रकाशित हुआ है प्रोब के जुलाई, 80 के अंक में जो इस बारे में छपा है कि एक वैज्ञानिक डा० एम० एस० स्वामीनाथन ने अपने गलत अन्वेषण के आधार पर पुरस्कार प्राप्त किया है। इससे हमारी वैज्ञानिक छवि धूमिल हुई है। मेरा कहना यह है कि पुरस्कार वैज्ञानिकों को सही काम के लिये दिये जाने चाहियें और अच्छे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया जाये और वैज्ञानिकों की प्रतिमाओं का यथोचित सम्मान किया जाये।

तटबन्ध और भूमि के समतलीकरण की व्यवस्था के लिये सरकार यांत्रिकी और आर्थिक सुविधा उपलब्ध करावे। खेतिहर मजदूरों को पर्याप्त संरक्षण देकर उसकी मेहनत का सही मुआवजा देने की व्यवस्था की जाये।

बिहार के छोटा नागपुर और मध्य प्रदेश में उज्जैन में भूगर्भ जल अन्वेषण के रीजनल कार्यालय खोले जायें।

मैं यह भी आग्रह करूंगा कि महिदपुर रोड और जावरा के शक्कर कारखानों के मालिकों ने कृषकों के गन्ने का कई लाख का भुगतान नहीं किया है, साथ ही कर्मचारियों का कई माह का वेतन जो लाखों रुपये में है, भुगतान नहीं किया है। इन मिलों का शासन को अधिग्रहण करना चाहिये और कृषकों व कर्मचारियों का बकाया भुगतान करवाना चाहिये। माननीय कृषि मंत्री जी ने 10 अप्रैल के पत्र में मुझे आश्वासन दिया था कि अधिग्रहण की कार्यवाही में इन मिलों को सम्मिलित किया जायेगा। माडर्न बेकरीज इंडिया के कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। मैं आग्रह करूंगा कि उनको नौकरी में वापिस लेकर सेवा करने का ठीक से मौका दिया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं कृषि मंत्री की सफलता की शुभ कामना करता हूं। माननीय कृषि मंत्री काफी योग्य हैं, उनके नेतृत्व में और अधिक विकास की संभावनाएं प्रतीत होती हैं। कृषकों को समृद्ध बनाने के लिये जो अनुसंधान होते हैं, उनको केवल कागजों और प्रयोगशालाओं तक सीमित न रखकर उन तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाये तभी इन अन्वेषणों का लाभ मिल सकेगा। मैं चाहता हूं कि कृषि विभाग सफल हो। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो थोड़ा समय मुझे बोलने के लिये दिया है, उसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री वीरेंद्र सिंह राव) : उपाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रालय की मांगों पर हुआ वाद विवाद बहुत शुभ शकुन के साथ समाप्त हो रहा है, क्योंकि जब हम मांगों के बारे में चर्चा कर रहे थे तो बाहर वर्षा हो रही थी।

[श्री वीरेन्द्र सिंह राव]

मैं अपने उन मित्रों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने कृषि मंत्रालय और ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग की मांगों पर विचार व्यक्त किए । उन्होंने अत्यंत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इस तथ्य से कि इतने अधिक माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बोला और इससे अधिक ने बोलना चाहा, किंतु उन्हें समय नहीं मिल सका । यह स्पष्ट है कि वे किसानों के कल्याण के प्रति विशेष रुचि रखते हैं और उनका विश्वास है कि इस देश का चरम विकास हमारी कृषि के भरपूर विकास से ही हो सकता है । मेरे सहयोगी श्री स्वामीनाथन ने ग्रामीण पुनर्निर्माण, पशु पालन, मत्स्य-पालन, भूमि सुधार विभागों और कुछ अन्य मामलों के बारे में उठायी गई बातों का उत्तर दिया है । मंत्रालय के ये विभाग उन्हीं के पास है ।

मैं विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा जिन्हें माननीय सदस्यों ने उठाया है । महोदय, यह अत्यंत विस्तृत विषय है और मुझे इसके लिए जितना समय दिया गया है वह मेरे विचार से पर्याप्त नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से धैर्य की अपेक्षा करता हूं । यदि मैं प्रत्येक सदस्य द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर नहीं दे पाऊं तो सदस्यों द्वारा उठाए गए उचित और उपयोगी मुद्दों पर लिखित उत्तर भेजने का प्रयास करूंगा ।

पिछले खरीफ मौसम के दौरान सुरूआत बहुत बुरी हुई । जहां तक हमें याद है पिछले वर्ष जैसा भीषण अकाल कभी नहीं पड़ा था । लगभग 22 करोड़ लोगों पर इसका दुष्प्रभाव हुआ । इस अकाल से 3 करोड़ 80 लाख एकड़ भूमि पर बुरा असर पड़ा । बहुत भारी नुकसान हुआ था, किंतु भारतीय किसानों की बहादुरी और कृषि प्रबंध के लिए भारत द्वारा बनाए गए आधारभूत ढांचे के कारण इस कठिन काल पर भी हमने नियंत्रण प्राप्त कर लिया । यदि मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा कि विश्व भर में इतने बड़े पैमाने पर किसी भी देश की सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर आई ऐसी विशाल आपदा के विरुद्ध कार्य नहीं किया होगा ।

सरकार अत्यंत चिंतित थी और प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के सूखाग्रस्त राज्यों के दूर दराज के देहातों का खूब दौरा किया । मेरे अधिकांश साथियों ने दूर दराज के क्षेत्रों का दौरा किया है और भोजन तथा पीने के पानी की सप्लाई और अन्य राहत कार्यों के लिए जो व्यवस्था की गयी है, उसको देखा है ।

हमने जो उपाय किये हैं विपक्ष के मेरे कुछ साथियों के विचार से काफी नहीं हैं । मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 1979-80 के दौरान पिछली सरकार ने राहत कार्यों के लिए केवल 157 करोड़ रुपये स्वीकृत किये । उनके विचार से शायद यह राशि काफी थी । लेकिन इस सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद यह सोचा है यह राशि अपर्याप्त है । सभी स्थानों को राहत नहीं मिल रही थी । लोगों को मुसीबतें उठानी पड़ रही थीं । आप को यह जानकर हर्ष होगा कि पिछले वर्ष स्वीकृत की गयी 157 करोड़ रुपये की धनराशि के अलावा, हमने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए 193 करोड़ रुपये की धनराशि और स्वीकृत की । यह वृद्धि हमारे केन्द्रीय दलों द्वारा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के दूसरी बार दौरे और अपेक्षित राहत कार्यों का जायजा लिये जाने के बाद की गयी । काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अंतर्गत जो अनाज दिया गया है, उसके अलावा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम विशेष रूप से चलाने के लिए 20 लाख टन और अनाज दिया गया ।

रिगों की बड़े पैमाने पर सप्लाई की गयी । प्रधान मंत्री द्वारा स्वयं दी गयी हिदायतों के अनुरूप सभी उपलब्ध रिगें जरूरत वाले क्षेत्रों में लगा दी गयी हैं ताकि लोगों को बचाया जा सके । इस समय 160 से अधिक तीव्र रिगें और लगभग एक हजार धीमी रिगें सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं । पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए उनके द्वारा प्रति माह 4,000 कुएं खोदे जा रहे हैं । यह कार्य प्रधान मंत्री और उनकी सरकार के पक्के इरादे और मुसीबत में पड़े लोगों के प्रति सहानुभूति का सूचक है । इसमें संदेह नहीं कि गंभीर सूखे के कारण हमारे खाद्यान्न उत्पादन को धक्का लगा है । लेकिन हमने रबी की फसल को बचाने की भरपूर कोशिश की है ।

पहली बार ये हिदायतें दी गयीं कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उपलब्ध कुल डीजल में से 70% डीजल किसानों को दिया जाय ताकि वे अपनी फसल को बचा सकें । राज्यों से यह अनुरोध भी किया गया कि वे कुल उपलब्ध बिजली में से 60% बिजली कृषि कार्यों के लिए दें । अन्य उपाय भी किये गये । आप को यह जानकर हर्ष होगा कि, और इसका श्रेय हमें प्राप्त है, हालांकि इतना बड़ा क्षेत्र भयंकर सूखे की लपेट में है, लेकिन इस सूखे से एक भी व्यक्ति के मरने का समाचार नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : नहीं, यह बात नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : आप को तो मालूम नहीं होगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह सरकार का दावा है, वास्तविकता नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : वास्तविकता यही है ।

श्री रामावतार शास्त्री : बिहार में असेम्बली कम्युनिस्ट ग्रुप के फार्मर लीडर ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है इंग्टा-सेज देते हुए कि ये लोग मरे हैं, नाम भी दिया है... (**व्यवधान**)... यह आप का दावा है, आप यह दावा कीजिए... (**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य : यह दावा सही है।

श्री घनिक लाल मंडल : जरा स्टार्वेशन डैथ की परिभाषा कर दें।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : जब मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं तब तो जरा मेहरबानी कर दें।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : सरकार द्वारा किये गये उपाय इतने कारगर सिद्ध हुए हैं कि इनकी विश्व भर में प्रशंसा की गयी है। यहां तक कि विश्व बैंक ने यह कहा है कि यह गत दशक में, न कि गत तीन वर्षों के, लगातार प्रयासों से भारतीय कृषि में पैदा हुई क्षमता का सूचक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से शास्त्री जी इससे भी सहमत नहीं हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : उन्होंने यह कहा कि भूख से एक भी व्यक्ति नहीं मरा। यह सही नहीं है। बहुत से लोग भूख से मरे हैं।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : खाद्य उत्पादन का जहां तक सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा, इसमें आयी कमी को चालू वर्ष में पूरा करने का प्रयास हम कर रहे है। 1978-79 में 1313.7 लाख टन खाद्यान्न पैदा हुआ। आगामी वर्ष में 1350 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का लक्ष्य हमने अपने सामने रखा है।

गन्ने का उत्पादन भी कम हो गया। 1978-79 में 1564.5 लाख टन गन्ना पैदा हुआ; 1979-80 में यह घट कर 1284.2 लाख टन रह गया। विपक्ष में बैठे मेरे साथियों के सहयोग से बनी पिछली सरकार इसकी जिम्मेदार है।

श्री रामावतार शास्त्री : हमने जनता सरकार का समर्थन नहीं किया। आप गलत कह रहे हैं। ये लोग बार-बार गलत बात करते हैं। क्या आप तथ्यों को जानते हैं। कम से कम तथ्यों का पता लगाइये।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : मैं तथ्यों को विशेष रूप से आप के बारे में तथ्यों को भलि भांति जानता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : कृपया अपने विषय पर बोलिये।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : उस सरकार और इस सरकार का अन्तर आसानी से देखा जा सकता है। इस समय जब हम कृषि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार कर रहे हैं, तो वर्षा हो रही है और गत वर्ष जब आप इन मांगों पर विचार कर रहे थे तो लोग सूखे की गिरफ्त में थे।

श्री रामावतार शास्त्री : आप यह सब कह सकते हैं, लेकिन हमें बीच में मत डालिये।... (**व्यवधान**)

श्री वीरेंद्र सिंह राव : महोदय, उन्होंने जो स्वयं को इससे अलग किया है और खंडन किया है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

तिलहनों के उत्पादन को धक्का लगा। इनका उत्पादन जो 1978-79 में 102 लाख टन था, 88 लाख टन रह गया। इस वर्ष हमने 110 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य अपने सामने रखा है। कपास के उत्पादन को भी धक्का लगा है। 1978-79 में 79 लाख गांठ कपास पैदा हुई जो 1979-80 में घट कर 77 लाख गांठ रह गयी। हमें आशा है कि हम उत्पादन को बढ़ा सकेंगे और चालू वर्ष में हमने 82 लाख गांठ कपास पैदा करने का लक्ष्य अपने सामने रखा है। पटसन के उत्पादन में अधिक अन्तर नहीं आया है। इस वर्ष अच्छे उत्पादन की आशा है।

महोदय, 1980-81 के लिए कार्यक्रम और बजट बनाते समय हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा है कि हम गत वर्ष उत्पादन में जो कमी आयी है, उसे पूरा करें और साथ ही उत्पादन को बढ़ायें। महोदय लोक सभा तथा इसके पहले राज्य सभा के विपक्ष के बहुत से संसद सदस्यों ने बजट पर वाद-विवाद के दौरान यह तर्क दिया कि केन्द्रीय योजना बनाते समय नयी सरकार ने कृषि की उपेक्षा की। मैं कुछ आंकड़े उद्धृत करना चाहता हूं। गत वर्ष अर्थात् 1979-80 के केन्द्रीय बजट, में सभी क्षेत्रों की योजनाओं के लिए 4,808 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णयों के अनुसार, इसमें से 400 करोड़ रुपये की धनराशि राज्यों को दी गयी। अतः वास्तव में, संशोधित केन्द्रीय बजट केवल 4,411 करोड़ रुपये का था। इसके विपरीत 1980-81 का केन्द्रीय योजना बजट 5,322 करोड़ रुपये का है। दूसरे शब्दों में, केन्द्रीय योजना बजट 4,411 करोड़ रुपये से बढ़कर 5,322 करोड़ रुपये का हो गया है। हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए यह 21 प्रतिशत की वृद्धि है। कृषि और उसके सहयोगी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय बजट राशि का जहां तक सम्बन्ध है, यह पांच क्षेत्रों के अंतर्गत दी गयी है।

[श्री वीरेन्द्र सिंह राव]

पांच विभागों, अर्थात् कृषि और सहकारिता विभाग, खाद्य विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग और आर्थिक कार्य विभाग, अर्थात् बैंकिंग प्रभाग, इन पांचों विभागों के लिए मिला कर 1979-80 के लिए मूल केंद्रीय योजना बजट 974 करोड़ रुपये था। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजनाओं को, केंद्रीय योजना से राज्य योजना के अंतर्गत लाए जाने के कारण तथा आर्थिक ढांचे में परिवर्तनों के कारण संशोधित बजट की राशि घट कर 728 करोड़ रुपये हो गई। इसके मुकाबले 1980-81 के बजट में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय योजना बजट में 1980-81 के लिए 1026 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। इसमें पिछले वर्ष के संशोधित बजट में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान है। मैं यह बताना चाहता हूं कि जबकि योजना के सभी क्षेत्रों में, केन्द्रीय बजट में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के केन्द्रीय योजना बजट में लगभग 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे साफ जाहिर है कि 1980-81 का बजट बनाते समय कृषि और संबद्ध क्षेत्रों को काफी महत्ता दी गई है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उन विभागों का अलग अलग विवरण दे सकता हूं जिन्हें पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा राशि दी गई है। लेकिन, मेरे खयाल में मुझे इतना समय नहीं दिया गया है तथा मैं कुछेक अन्य विषयों की चर्चा करूंगा, जिन में माननीय सदस्यों की रुचि है।

महोदय, कृषि उत्पादन में वृद्धि तभी हो सकती है, जब हम इस बारे में एक नीति बनाएं और, उस का दृढ़ता से पालन करें। हमने इस बारे में कुछेक कदम उठाए हैं। हम अपने सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाना चाहते हैं, हम उर्वरकों की खपत बढ़ाना चाहते हैं, हम प्रमाणित बीजों की उपलब्धता बढ़ाना चाहते हैं तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों का उपयोग अधिक क्षेत्र में करना चाहते हैं, प्रौद्योगिकी अन्तरित करने के लिए विस्तार सेवाओं को मजबूत बनाना है। जहां तक सिंचित क्षेत्र के बढ़ाए जाने का संबंध है, 1979-80 के अन्त तक इस देश में कुल लगभग 529 लाख हेक्टेर क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाए जाने का अनुमान है। इसमें 3 करोड़ हेक्टेयर मझौली सिंचाई का क्षेत्र शामिल है। 1980-81 में सिंचित क्षेत्र को, बढ़ा कर 27 लाख हेक्टेयर किए जाने का हमारा अनुमान है। यह संख्या अपने आप में काफी महत्त्वपूर्ण है। संसार में अब तक, इस प्रकार की उपलब्धि बहुत ही कम देशों ने प्राप्त की है। अगर हम इसी गति से बढ़ते रहे, तो मुझे पूरा विश्वास है, भारत एक दिन अनाज पैदा करने वाला बहुत बड़ा देश होगा। इस 27 लाख हेक्टेयर में से, 13 लाख हेक्टेयर हमारे भूमिगत जल संसाधनों द्वारा और बाकी भूमि तल सिंचाई द्वारा पूरा किया जाएगा। जैसा कि मैंने कहा है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली नीति का एक महत्त्वपूर्ण भाग अधिक, उपज देने वाली किस्म से संबंधित है। 1978-79 तक, अधिक उपज देने वाली किस्म का क्षेत्र, 4 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर हो गया। 1979-80 में, सूखे के कारण, यह क्षेत्र घट कर 350 लाख रह गया। चालू वर्ष में, न केवल अधिक उपज देने वाली किस्म के क्षेत्र में आई कमी को पूरा करने का हमारा विचार है, अपितु इस क्षेत्र को बढ़ा कर 4 करोड़ 80 लाख हेक्टेयर किए जाने का हमारा अनुमान है। इसमें से, 2 करोड़ हेक्टेयर धान के लिए, 1 करोड़ 80 हेक्टेयर गेहूं और बाकी क्षेत्र ज्वार, बाजरा और मक्का के लिए होगा। हमें उर्वरक की खपत को भी आवश्यक रूप से बढ़ाना है। अब मैं बीजों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अब तक, उत्पादन वृद्धि में बाधक प्रमुख कारणों में से एक था बीज की अनुपलब्धता अथवा कम उपलब्धता जिस वजह से किसानों को प्रमाणित बीज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सके। हम इस बारे में कारगर प्रबंध करने की सोच रहे हैं तथा राष्ट्रीय बीज निगम को यह जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वह सीधे ही कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केन्द्रों से संपर्क करे। राष्ट्रीय बीज निगम से भी यह कहा गया है कि वह बीज की आवश्यकता को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए स्वयं प्रयत्न करे।

हमारी नीति का एक अन्य पहलू है विस्तार व्यवस्था को मजबूत बनाना। उपलब्ध प्रौद्योगिकी से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस के लिए अनुसंधान केन्द्रों से खेतों तक प्रौद्योगिकी को पहुंचाने के लिए ज्यादा प्रभावकारी व्यवस्था की आवश्यकता है। देश में बहुत से राज्यों ने, विस्तार प्रणाली पुनर्गठित करने और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए हैं तथा प्रशिक्षण देने एवं सम्पर्क कार्यवाही शुरू की है, जिसमें विस्तार कार्यकर्ताओं को और अधिक जल्दी जल्दी प्रशिक्षण देना तथा किसानों से जल्दी जल्दी व्यक्तिगत रूप से मिलना शामिल है।

मेरे कुछ माननीय मित्रों ने उर्वरकों और कीटनाशकों के मूल्यों में वृद्धि किए जाने की बात कही है। उर्वरक हमारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक सामग्रियों में से एक है तथा हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पिछले मार्च में, खाद्य और कृषि संगठन के 15 वें क्षेत्रीय सम्मेलन में उर्वरकों के मूल्य उचित स्तर पर नियंत्रित और स्थिर रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उस समय, अपने भाषण में उन्होंने कहा था :

"समृद्ध देशों की गरीबी से फायदा उठाने की प्रवृत्ति काफी बलवती रही है। वर्ना पिछले एक वर्ष में उर्वरक जैसी आवश्यक सामग्री को मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या एक छोटा किसान, जो इतना

ज्यादा गरीब है कि वह इस आवश्यक सामग्री को खरीद नहीं सकता, और जोखिम नहीं उठा सकता, इस की लागत वहन कर सकता है ? मैं खाद्य और कृषि संगठन से यह अनुरोध करती हूं कि वह इस महत्वपूर्ण कृषि सामग्री के मूल्य नियंत्रण के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करें और इस बारे में कदम उठाए जिससे कि आम किसान भी उन्हें आसानी से खरीद सके ।''

इससे पता चलता है कि श्रीमती गांधी की सरकार , खेती और गरीब किसान के बारे में कितनी चिंतित है । हमने मामले के बारे में अंतर्राष्ट्रीय उर्वरक आयोग से आगे बातचीत की है । कुछ दिन पहले, रोम में आयोग, विकासशील देशों को उर्वरक की सप्लाई उचित मूल्यों पर किए जाने संबंधी समस्या को विस्तार से जानने के लिए एक सलाहकार कार्यदल गठित करने पर सहमत हो गया है ।

जहां तक संभव हुआ, हमने आयातित उर्वरक सहित, उर्वरक उपलब्ध करवाया है । पिछले कुछ वर्षों में न केवल उवरक की खपत में बहुत तजी से वृद्धि हुई है, बल्कि इस साल भी हमें यही उम्मीद है कि मूल्यों में वृद्धि के बावजूद खपत में कमी नहीं आएगी ।

प्रो० एन० जी० रंगा : जबरदस्त वृद्धि हुई है ।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : मैं आप को इस वृद्धि के कारणों की जानकारी दूंगा । पैट्रोलियम पदार्थ, जो कि नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन का प्रमुख आधार हैं, के भाव बढ़े हैं । आयातित उर्वरकों, कच्चे माल जैसे सल्फर फास्फोरिक एसिड और रॉक फास्फट के भाव तेजी से बढे हैं । तैयार उर्वरकों, जिनकी खरीद हम हमेशा अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही करते हैं, के भाव भी पिछले एक साल या कुछ पहले से काफी बढ़ गए हैं ।

आम तौर से, पिछले दो वर्षों में 50% से 100%[1] तक मूल्यवृध्दि हुई है। मालवाही जहाजों के किराये भी पिछले दो वर्षों में दुगुने हो गये हैं; और मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है । परिणामतः उर्वरकों पर दी जाने वाली राज-सहायता जो कुछ वर्षों पहले तक 100 करोड़ रुपये से कुछ ही अधिक थी और वर्ष 1979–80 में 600 करोड़ रुपये से कम थी, इस वर्ष के दौरान, 7200 करोड़ रुपये हो गई है । यह एक कल्पनातीत बोझ है, और मुझे विस्वास है कि माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि सरकार इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती । परन्तु यह कहना गलत है कि उर्वरको पर दी जाने वाली राज सहायता रोक दी गई है । वर्ष 1977–78 में उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता की राशि 266 करोड़ रुपये थी । 1978–79 में यह 341 करोड़ रुपये थी, 1979–80 अर्थात् पिछले वर्ष यह राशी 562 करोड़ रुपये थी । लेकिन यदि हमने मूल्य में वृद्धि न की होती तो इस राज सहायता की राशि 1250 करोड़ रुपये हो गई होती । परन्तु इस मूल्य वृद्धि से केवल 665 करोड़ रुपये की ही बचत हुई है जिसका मतलब है कि सिर्फ अकेले उर्वरकों पर दी 585 करोड़ रुपये की राज सहायता अभी भी दी जायेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बहु राष्ट्रीकों और दूसरों के कारण...

श्री वीरेंद्र सिंह राव : बसू के बावजूद, बहु-राष्ट्रीक भी हमें तंग कर रहे है । जिस तरह से उर्वरको की कीमतें बढी हैं, मैं उसके बारे में सिर्फ यही कह सकता हूं कि जनवरी 1978 के डी० ए० पी० का मूल्य 129 डालर प्रति टन था, 1 जनवरी 1979 में अर्थात् एक वर्ष के भीतर ही यह बढ़कर 160 डालर हो गया और दिसम्बर 1979 में यह बढ़कर 260 डालर हो गया । यह उस कीमत से लगभग दोगुणा है जो 2 साल पहले थी । पोटाश का भी यही हाल है । जनवरी 1979 में, इसकी कीमत 63 डालर थी और जनवरी 1980 में अर्थात् एक वर्ष में ही यह बढ़कर 115 डालर से 120 डालर तक पहुंच गई । यह और भी अधिक बढ़ेगी, पिछले कुछ सप्ताहों अथवा कुछ दिनों में ही यह और भी बढ़ गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया, यदि इन कीमतो की दुसरे देशो में प्रचलित कीमतों से तुलना की जाय तो आप यह पायेंगे कि यह कीमतें हमारे यहां सबसे अधिक है ।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : माननीय सदस्य यह ध्यान रखेंगे कि इन परिस्थितियों में उर्वरको की कुछ हद तक कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई चारा नहीं था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस देश की कृषि अमरीकनों के हाथों में है । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उनके लिये सबसे बढ़िया स्रोत है ।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : मैं तो सदन को केवल यही आश्वासन दे सकता हूं कि हम किसानों को बेहतर मूल्य दिलाकर उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतो के प्रभाव को समाप्त कर देंगे । हम उनकी पूर्ण रुपेण क्षतिपूर्ति करेंगे जैसा कि मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है । कुछ उपाय जो हम अभी कर रहे हैं वे हैं :—कृषि मूल्य आयोग से 1980 से शुरू होने वाली खरीफ की फसलो की जैसे घास, गेहूं, ज्वार आदि प्रमुख कृषि उत्पादो के मूल्यो की फिर से जांच करने को कहा गया है ताकि किसानो का उस अतिरिक्त निवेश की पूरी तरह क्षतिपूर्ति की जा सके जो उसे उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतों पर करना पड़ा है । छोटे किसानो को उर्वरकों पर राज सहायता वर्ष 1980–81 में देश के सभी सूखा पीड़ित क्षेत्रों को दी जाती रहेगी । इसलिए, उर्वरको की कीमतों में यह बढ़ोतरी छोटे किसानों और सीमान्त किसानो, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियो के लोगों पर कोई कुप्रभाव नहीं डालेंगी ।

भारत सरकार द्वारा दिये जा रहे अल्प कालीन ऋणों की मात्रा भी चालू खरीफ मौसम के लिये दोगुनी कर दी गई है। यह दूसरा कदम है जो हमने किसानो की सहायता के लिये उठाया है । सरकार ने एक और भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है । किसानों के प्रतिनिधियो ने कल यहां बताया था कि भीतरी इलाकों के गरीब किसान उन वितरक केन्द्रों से अपनी सप्लाई नहीं ले पाते हैं जो अभी तक रेल लाइनों के आस पास स्थित हैं । श्री नगीना राय और श्री लक्ष्मण मलिक ने उन मुद्दों को विशेष रुप से उठाया था । मैं उनकी बात से बिलकुल सहमत हूं कि ऐसी कठिनाइयां है यह किसानों तक नहीं पहुंच पाती, उन्हें लम्बी दूरी पैदल तय करनी पड़ती है या यातायात के दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है । व्यापारी (डिलर्स) इसका लाभ उठा लेते हैं; वे अपने वितरण केन्द्रों को रेल्वे लाइन के आसपास ही बनाते हैं । लेकिन अब एक निर्णय किया गया है कि देश भर में सभी प्रखंड (ब्लाक) मुख्यालयों को उर्वरकों के प्रयोजन के लिये रेलवे लाइन के आस पास ही ले जाया जायेगा, और यह व्यवस्था देशी और विदेशी उर्वरको दोनों के लिये ही की जायेगी । कुछ राज्य कुछ खास किस्म की कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं । देश के 5000 प्रखंडो (ब्लाक) में से 2900 प्रखंड किसी भी रेल लाइन से किसी भी तरह जुड़े हुए नहीं है । उदाहरण के लिये उड़ीसा में 314 प्रखण्डों में से 245 प्रखण्डो के आस पास कोई रेलवे लाइन नहीं है । मध्य प्रदेश के कुल 417 प्रखण्डों में से 319 प्रखंडो के आस पास कोई रेल लाइन नहीं है । उत्तर प्रदेश में 540 प्रखण्डों में से 375 रेलवे लाइन से दूर हैं । इसी प्रकार कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा ही है; आंध्र प्रदेश में 324 प्रखण्डों में से 227 रेलवे लाइन से बहुत दूर स्थित हैं । महाराष्ट्र में कुछ हद तक इस प्रकार की कठिनाइयां नहीं हैं । परन्तु यह निर्णय सभी राज्यो के लिये किया गया है । (व्यवधान) । आपको भी उससे फायदा होगा ।

सरकार ने यह निर्णय किया है कि उर्वरक के व्यापारियो, और वितरकों द्वारा वहन की गई सारी अतिरिक्त लागत जो उस अतिरिक्त दूरी के लिये उन्हें उठानी पड़ेगी जो उर्वरक को किसानों तक पहुंचाने के लिये की गई हैं, सरकार द्वारा अदा की जायेगी । माननीय सदस्य को विशेष रूप से प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री श्री वेंकटरामन का आभारी होना चाहिये जिन्होने माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गयी इस मांग पर तत्काल ध्यान दिया और बिना किसी विलम्ब के यह निर्णय किया ।

उर्वरकों की खपत के मामले में, जैसा कि मैंने बताया हैं, हमें उम्मीद है कि कोई गिरावट नहीं आयेगी, हमे आशा है कि चालू वर्ष के दौरान वास्तविक रुप से 6-8 लाख टन अधिक उर्वरक की खपत होगी । तिलहन एक महत्वपूर्ण फसल है जिसके बारे में बहुत से सदस्यों ने वक्तव्य दिये हैं । 1979-80 में हमने 83.6 लाख टन (तिलहन) पैदा की थी और 1980-81 के लिये हमने 102 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है यह खाद्य तेलों की फसलों के लिये है गैर-खाद्य तेलों की फसलों के लिये भी हमने चालू वर्ष के लिये 7.5 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया है । सदस्यों ने पौधा संरक्षण और बीजों की उपलब्धता तथा ऐसे ही और विषयो पर वक्तव्य दिये हैं । तिलहन विकास की केन्द्रीय प्रायोजित चालू योजनाओं को सभी प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों के 100 जिलों में विस्तृत किया जायगा ताकि इस क्षेत्र में किये गये अनुसंधान कार्यों के आधार पर बढ़िया से बढ़िया उपलब्ध तकनीकी को लागू किया जा सके और जो विशिष्टतः सिंचित तथा असिंचित दोनो ही दशाओं के अनुकूल हों ।

सोयाबीन भी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण फसल है। सोयाबीन और कुछ दालों तथा तिलहनो की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास पर अनुसंधान कार्य पूरे जोरो पर हैं (व्यवधान) तिलहन के अनुसंधान आधार को भी सुदृढ़ बनाया गया है और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तत्वावधान में देश के विभिन्न भागो में कुछ अनुसंधान केन्द्रो की स्थापना की गई है इसी प्रकार देश में दालों का उत्पादन भी सरकार के लिये चिन्ता का विषय है। जो पिछले कुछ सालों के दौरान अवरुद्ध रहा है, विशेषकर कमजोर वर्गों और हमारी अधिकांश आबादी के लिये दालें प्रोटिन

का महत्वपूर्ण स्रोत है; उन पर भी उचित ध्यान दिया जायेगा। हमारे यहां कम अवधि में पैदा होने वाली मूंग, उड़द पूसा वैसाख, पूसा चमन, आदि जैसी कुछ नई किस्म की दालें भी हैं। ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं और हमें आशा है कि दालो के उत्पाद में भी हमारी योजनाओं के अनुसार ही वृद्धि होगी।

एक और विषय है जिसमें माननीय सदस्यों की विशेष रुचि है, वह है कृषि उपजों का विपणन। मैं इस बात से सहमत हूं कि किसान को सबसे बड़ा प्रोत्साहन उसे उसके उत्पादन का उचित मूल्य देना है। माननीय सदस्य यह जानते ही हैं कि इस सरकार द्वारा कार्य भार संभालने के तुरन्त बाद ही, कृषि मूल्य आयोग के निदेश पदों में संशोधन कर दिया गया है। पहले कृषि मूल्य आयोग विविध संगठनों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर तथा सूचना इकट्ठी करके और उनके अध्ययन के बाद ही मूल्यों की सिफारिश करता था। अब उसे अपने अनुसंधान-अध्ययन स्वयं करने की अनुमति दे दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके कृषि मूल्य आयोग को और अधिक अधिकार दिये गये हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसे पुनर्गठित किया जाना चाहिये; कृषि मूल्य आयोग में कृषि मजदुरों और किसानो के प्रतिनिधि भी शामिल किये जाने चाहिये।

श्री वीरेंद्र सिंह राव : कृषि मूल्य आयोग में किसानो का एक प्रतिनिधि है इस सरकार ने सत्ता में आने के तुरन्त बाद कृषि मूल्य आयोग के निदेश पदों में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, वह यह है कि इस आयोग से कहा गया है कि यह कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तों को भी ध्यान में रखे। बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि गैर कृषि वस्तुओं के मूल्य बहुत बढ़ गए हैं जबकि कृषि उपज के मूल्य लगभग वही रहे हैं। परन्तु जैसा मैंने कहा था, कृषि-मूल्य आयोग को अपनी सिफारिशो की पुनरीक्षा करने के लिए कहा गया है। नई रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और सरकार शीघ्र ही कृषि उपज के लिए ऊंचे मूल्य निर्धारित करने का निर्णय लेगी . . .

एक माननीय सदस्य : कितनी जल्दी ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, अगली फसल आने से काफी पहले हो जाएगा।

मैं इस बात से सहमत हूं कि अधिकतर कृषि-उपज का लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए और हम मूल्यों में संशोधन करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा सारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। मेरे मित्र, श्री कुम्मारम आर्य, श्री दिगम्बर सिंह, श्री सिन्हा, श्री रणधीर सिंह, श्री मुशीर अहमद और श्री मिर्धा ने किसानों को बेहतर मूल्य देने की सिफारिश की है। जैसाकि मैंने कहा है हम निश्चित रूप से देखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्यों को यथासम्भव बढ़ाया जाए।

श्रीमती निर्मला कुमारी और श्री चतुर्भुज की उस मांग पर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जिसमें उन्होंने पोस्त के लाभप्रद मूल्यों की मांग की है ताकि और अधिक क्षेत्र में पोस्त उगाई जा सके। मैं नहीं समझता कि हम अपने देश को अफीमचियों का देश बनाना चाहेंगे और मेरे विचार में पोस्त के लिए सहायता देना उचित नहीं है। जितना कम इसका उत्पादन हो उतना ही अच्छा है और उतना ही अधिक मेहनत से हम काम करेंगे। इसके अलावा यह मामला हमारी पार्टी के नशाबन्दी कार्यक्रम से भी मेल नहीं खाता।

हमारी कृषि-अर्थ व्यवस्था के विकास में तथा कृषि-उधार के साथ-साथ किसानों को अन्य सुविधाएं देने में सहकारी समितियां बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। जल्दी बिगड़ने वाली कृषि-वस्तुओं जैसे सब्जियां, फल, आलू और प्याज, का विपणन बहुत आवश्यक है। इसे वर्षानुवर्ष बहुत अधिक उतार चढ़ावों से हानि हुई है। लेकिन राष्ट्रीय कृषि एवं खाद्य वस्तु निर्यात विकास (नेफड) जो सहकारी संगठन है, के माध्यम से इस वर्ष हम प्याज उगाने वालों को सहायता दे पाये हैं। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे की मूल्य जब बहुत गिर गए तो उक्त सहकारी संगठन को महाराष्ट्र तथा गुजरात में तुरंत प्याज खरीदने के लिए कहा गया था। केवल प्याज संबंधी पणन पर सरकार ने इस वर्ष छः करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : बिहार का क्या हुआ ?

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : हम बिहार का भी ध्यान रखेंगे, आप इससे सहमत हों या न हों। हम मूल्य स्थायीकरण आरक्षित निधि के रूप में नेफड को 6.21 करोड़ रुपये पहले ही दे चुके हैं।

जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है चीनी उद्योग के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं ने, विशेषकर महाराष्ट्र में, बहुत अच्छा काम किया है। सहकारी संस्थाओं का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है और वे निश्चित रूप से जानते हैं कि किसानों तथा ग्रामीणों का उद्धार केवल सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे आयोजन के शुरू होने से पहले सहकारी

[श्री बीरेन्द्र सिंह राव]

संस्थाओं द्वारा केवल उसे 4 प्रतिशत कृषि उधार दिया जाता था। 97 प्रतिशत उधार साहूकारों या कुछ स्थानीय बैंको ने दिया था। अब हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि हमारे देश में 60 प्रतिशत धन सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि-उधार के रूप में दिया जाता है। इससे हमारी सहकारी संस्थाओं के विकास का पता चलता है। इनमें करोड़ो व्यक्ति हैं और बहुत तेजी से इन का विस्तार हो रहा है।

मैं वानिकी के विषय में भी कुछ कहुंगा। श्री मुरू गैयन (तिरुपाट्टर) श्री दास, श्री मनोरंजन भक्त और कुछ अन्य मित्रों ने हमारे वनों की सुरक्षा की आवश्यकता के विषय में कहा है। मैं मानता हूं कि यह महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिस पर सरकार द्वारा ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि 1980-81 के दौरान हमने इंधन की लकड़ी के लिए पेड़ लगाने के कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय बजट में 4.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। यह नई योजना है। इसके अन्तर्गत 31,500 हेक्टर भूमि आएगी। इंधन के लिए पेड़ लगाने का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत लाभदायक कार्यक्रम है। इससे इंधन की लकड़ी की वार्षिक मांग में तथा जो वास्तव में अन्य साधनों से उपलब्ध है उसमें अन्तर को पूरा किया जाएगा। हम वानिकी संबंधी विधि में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधान मंत्री के कहने पर यह मामला हाथ में लिया गया है। प्रधान मंत्री हमारे वन साधनो के क्षय के बारे में बहुत चिन्तित हैं। हमारे सामने ऐसे उदाहरण आए हैं कि राज्यों ने वातावरण तथा पारिस्थिति की पर उचित ध्यान नहीं दिया है। पहाडो से वनों को समाप्त किया जा रहा है। हम शीघ्र इस माननीय सभा के सामने संशोधन विधेयक लाएंगे। हम यह देखना चाहते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में तथा सड़कों, रेलवे लाइनों और नहरों के साथ साथ निजी भूमि पर लगे पेडों की अंधाधुंध कटाई न हो।

माननीय सदस्य अन्य उन योजनाओं के बारे में भी जानने को उत्सुक होंगे जिनपर हम कार्य करना चाहते हैं। फिलिप्पाइन्स में 'इपिल इपिल' नाम का एक वृक्ष होता है। इससे चारा तथा इंधन की लकड़ी दोनों ही मिलते है। इस वृक्ष के 2.5 टन बीज आयात किये गए हैं। इस वर्ष हम इस वृक्ष को 50,000 एकड़ भूमि में लगाना चाहते हैं। यदि यह सफल हो जाता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह हमारे वानिकी कार्यक्रम में क्रान्ति होगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि वानिकी, पशुपालन, आदि जैसे विकासशील कार्यक्रमों पर बजट विनिधान का काफी हिस्सा इस्तेमाल किये बिना छोड़ दिया गया। लेकिन ऐसा पिछले वर्ष हुआ था। विपक्ष से भी कई माननीय सदस्यों ने स संबंध में कहा है। निश्चित रूपसे इसके लिए वर्तमान सरकार पर दोष नहीं लगाया जा सकता। हम प्रयत्न कर रह हैं कि इस प्रकार छोड़ी गई राशि भी इस वर्ष विनिधान की गई राशि के साथ-साथ इस्तेमाल की जाए। विकास कार्यक्रमों के लिए किये गए विनिधानों में निश्चित रूपसे वृद्धि हुई है।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : यह कहा गया है कि केन्द्रीय मछली-उद्योग निगम के कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है। वे बरोजगार हो गए हैं तथा भूखों मर रहे हैं। क्या आप इस संबंध में कुछ शें बताएंगे ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : कर्मचारियों के कल्याण के बारे में यह सरकार भी उतनी ही चिन्तित है जितना कि इस सभा का कोई भी दूसरा माननीय सदस्य। हम उनका ध्यान रखेंगे। अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। आज दिन तक वह निगम विद्यमान है। कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश दे दिया गया है क्योंकि पिछली बार मुझे यह जानकर दुःख हुआ था कि उन्हें 4 या 5 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। निगम को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने तक उन्हें समय पर वेतन दिया जाना चाहिए था।

एक माननीय सदस्य : आप इसे फिर से चालू करिये।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यदि पश्चिम बंगाल सरकार ने हमें सहयोग दिया तो हम इसे फिरसे चालू करने का प्रयत्न करेंगे। यदि पश्चिम बंगाल सरकार इसे अपने हाथ में लेना चाहे तो हम इस बात पर भी विचार कर सकते है क्योंकि हम इन कार्यचारियों तथा निगम के बारे में बहुत चिन्तित हैं। मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि जब भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस निगम को अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। (व्यवधान)। लेकिन यह सरकार इस बात पर विचार करेगी कि इस निगम को फिर से चालू किया जा सकता है या नहीं और कामगारों की देखभाल की जा सकती है या नहीं। संभवतः इसके कार्यों में वृद्धि करनी होगी।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : समस्य तो यह है कि पश्चिम बंगाल राज्या की सरकार के पास सीमित साधन हैं। स्पष्ट है कि वे इसे अपने हाथ में नहीं ले सकते। इसी कारण से वे इसे अपने हाथ में लेने से हिचक रहे है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना मछली उद्योग निगम, राज्य मछली उद्योग निगम स्थापित किया है और इसे उसके साथ मिलाया जा सकता था। कोई कठिनाई नहीं होती यदि इस निगम को चलाने और कामगारों को अपनी स्थापना पर लेकर उन्हें काम देने की इच्छा होती।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : आप पश्चिम बंगाल सरकार पर दोष लगा रहे हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं तो आपको केवल सूचना दे रहा हूं। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं।

वन्य-जीवन भी एक महत्वपूर्ण विषय है। अधिकतर माननीय सदस्यों ने इस संबंध में चिन्ता व्यक्त की है। वनों के साथ-साथ हम वन्य-जीवन पर भी अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं और मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि भारतीय वन्य-जीवन बोर्ड की अध्यक्ष बनने के लिए किये गए मेरे अनुरोध से प्रधान मंत्री सहमत हो गई हैं। वे बाघ परियोजना की भी अध्यक्ष होंगी। इससे तथा प्राकृतिक साधनों के संरक्षण के लिए हमारी चिन्ता और हमारे इरादे स्पष्ट हो जाते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वन्य-जीवन बोर्ड में सी०आई०ए० के बारे में क्या है। इन सज्जन से, श्री कर्णसिंह, पूछिये ये बताएंगे।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यदि श्री बसु चाहें तो हम वन्य-जीवन कार्यक्रम को श्री बसु के लिए भी लागू कर सकते हैं। (व्यवधान)। हम सदैव नई जातियों के बारे में सोच सकते हैं।

श्रीमन् कुछ माननीय सदस्यों ने सहकारिता विभाग की वर्तमान पद्धति तथा प्रबंध के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं कि अधिक बहु-राज्य सहकारी समितियां बनाने के लिए यह सरकार इस सभा के सामने जल्दी ही एक संशोधन विधेयक लाना चाहती है।

मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि यह सरकार और अधिक बहु-राज्यीय सहकारी समितियां बनाने, वर्तमान नियमों में विद्यमान ऐसी कमियों को दूर किए जाने, जो सहकारी समितियों के सुधार में बाधक हैं, तथा विभिन्न अधिनियमों में उल्लिखित पद्धतियों और प्रावधानों की जांच किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए शीघ्र ही इस सदन के समक्ष एक संशोधनकारी विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : एक बहु राज्यीय सहकारी समिति विधेयक पिछली बार संयुक्त समिति को सौंपा गया था।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हम इस कार्य को पिछली सरकार की अपेक्षा अधिक गंभीरता से हाथ में लेना चाहते है।

किसी दूसरे विषय को लेने से पूर्व, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि सहकारी क्षेत्र में जिस प्रकार आई० एफ०० सी० ओ० (इफको) से अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार हम के०आर० आई० बी० एच० सी०ओ० के अधीन एक और उर्वरक कारखाना स्थापित करना चाहते हैं। उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए सहकारी क्षेत्र में हम एक और संगठन स्थापित करना चाहते हैं।

डा० कर्ण सिंह (उधमपुर) : यह कारखाना कहां स्थापित किया जाएगा।

श्री बीरेंद्र सिंह राव : इसे गुजरात में हजीरा में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए संविधान तैयार कर लिया गया है और अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। हमें आशा है कि संयंत्र शीघ्र ही बन कर तैयार हो जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम की भारी आलोचना की गई है। श्री मुशीर अहमद मेरी ओर घूर रहे हैं। खाद्य मंत्री बनने और एफ०सी०आई० की कार्य प्रणाली का समीप से अवलोकन करने से पूर्व मेरा भी शायद यही विचार था। इस संगठन को किए गए कार्य के लिए उचित सराहना नहीं मिलती। यह देश का शायद सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है। इसका व्यापार अब लगभग 4200 करोड़ रुपये मूल्य का है। इसकी नकद ऋण सीमा, केवल खाद्यान्नों के लिए 2350 करोड़ है; उर्वरकों के लिए 300 करोड़ और इस प्रकार चीनी का भी कार्य यह उपक्रम संभालता है। इस उपक्रम द्वारा किए जाने वाले बड़े-बड़े सौदों तथा व्यापक कार्यों को देखते हुए स्टाफ के कुछ सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कुछ गलत कार्यों का किया जाना स्वाभाविक ही है। परंतु इस वजह से हम सारे संगठन को ही दोषी नहीं ठहरा सकते। सूखे के इस कठिन समय में इसने सराहनीय कार्य किया है। भारत के दूर-दराज के इलाकों में भी खाद्यान्न पहुंचा है। कई कठिनाईयों के बावजूद चीनी की सप्लाई कायम रखी गई है। माननीय सदस्य रेलवे पर पड़ रहे दबाव से अवगत हैं। कभी कोयले की आवश्यता होती थी तो कभी डीजल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, कभी खाद्यान्न तो कभी चीनी और यहां तक कि पीने का पानी तक रेलों द्वारा राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में रेलों द्वारा ले जाया गया। एफ० सी० आई० द्वारा किए जाने वाले व्यापक कार्यों ने मुझे यह विश्वास करने पर बाध्य कर दिया है कि इस संगठन ने बहुत

[श्री विरेन्द्र सिंह राव]

ही अच्छे कार्य किये हैं। माननीय सदस्यों के कुछ भय एवं आशंकाएं बे-बुनियाद हैं। परन्तु यह बात निश्चित है कि सुधार के लिए सदैव ही गुंजाईश होती है। हमने माननीय सदस्यों के सुझाव नोट कर लिए हैं। एफ०सी०आई० द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्न वितरण संबंधी कार्य पर होने वाले ऊपरी खर्चों के बारे में कुछ गलत-फहमी विद्यमान है। मैं कुछ आंकडे देना चाहूंगा जो मैंने एकत्र किए हैं। गेहूं पर 33 रुपये की राज सहायता प्रदान की जाती है। यह दिखने में बहुत अधिक लगती है। परंतु गेहूं का मूल्य जो 117 रु० मूल्य पर खरीदने के बाद लगभग 162 रुपये पड़ता है, से रक्षित भंडार में ढुलाई परही अकेले लगभग 26 रुपये खर्च पड़ता है, जिसमें वहन, संग्रह संबंधी खर्च, भाड़ा, गोदाम में खर्च, संग्रह व्यय शामिल हैं। वास्तव में वितरण लागत 23.41 रुपये हैं इसमें से 2.46 रुपये वहन और संग्रह खर्च, भाड़ा 10.24 रुपये, गोदाम संबंधी खर्च 1.46 रुपये, संग्रहण 2रु० और ब्याज 5.54 रुपये है। इतना खर्च करने के बाद केवल 1.71 रुपये शेष बचता है जो कि प्रशासनिक मामलों पर खर्च किया जाता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप ब्याज प्रभारों को कम कर सकते हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : उन्हें बैंकों को ब्याज देना पडता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इस बारे में बातचीत की जा सकती है।

एक माननीय सदस्य : कुल ऊपरी व्यय कितना है ?]

श्री विरेंद्र सिंह राव : 23.41 रुपये। इसी प्रकार चावल के लिए औसत खरीद मूल्य 156 रुपये है। आकस्मिक व्यय 11.1 रुपये है तथा वितरण लागत 23.04 रुपये है। 181 रुपये प्रति क्विंटल रियायती मूल्य पर तीन किस्मों पर औसतन 154.05 रुपये वसूल किए जाते हैं तथा वितरण के लिए 26.06 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है। आंकड़े देखने पर आपको मालूम हो जाएगा कि प्रशासनिक अतिरिक्त व्यय बहुत अधिक नहीं है। मुख्यतः इसके अंतर्गत मंडी खर्च, ब्याज, भाड़ा, गोदाम के खर्चे ही आते हैं। हमें तो 150 से 200 लाख टन की भारी मात्रा में खाद्यान्नों के जिन्हें गोदामों में रखना है, बारे में सोचना है। हमारा विशाल भंडार इतना है। आप निश्चित रूप से कल्पना कर सकते हैं कि खाद्यान्न की इतनी भारी मात्रा, जिस पर कई सो करोड़ रुपये लागत आती है, पर कुछ घाटा भी हो सकता है। परंतु हम चोरी और क्षति से होने वाले घाटे को कम करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए गोदाम बनाने के एक व्यापक कार्यक्रम को भी हाथ में लिया जाना है। हम खाद्यान्नों, उर्वरक और अन्य वस्तुओं की भारी मात्रा के लिए पूर्णतया गोदामों की व्यवस्था करने के लिए समुचित वित्तीय साधन नहीं जुटा पाये हैं। परंतु हमारे पास एक कार्यक्रम है जिसे हम तेजी से कार्यान्वित कर रहे हैं। सहकारी क्षेत्र में भी संग्रह क्षमता को 45 लाख टन से बढ़ा कर 90 लाख टन करने का उद्देश्य है। केन्द्रीय भाण्डागार निगम अपनी क्षमता को बढ़ाएगी। एफ० सी० आई० के पास अपने गोदाम हैं। वे और गोदाम बना रहे हैं। परन्तु अधिकांश अनाज, गेहूं, धान और दूसरी चिजे अभी भी खुले में पड़ी हैं। यह प्रबन्ध वास्तव में बहुत अधिक संतोषजनक नहीं है। परन्तु आर्थिक प्रतिबन्धों के कारण, जिनका इस देश में अब तक सामना किया है, एफ० सी० आई० द्वारा संग्रहीत समस्त वस्तुओं के लिए पूर्ण आवरणयुक्त संग्रहालय की व्यवस्था करने में अभी समय लगेगा।

अब मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई० सी० ए० आर०) के विषय में संक्षिप्त से कुछ कहूंगा। आई० सी० ए० आर० एक अन्य बड़ा संगठन है। मैं हर्ष के साथ कहता हूं कि इस संगठन को समस्त विश्व भर से प्रशंसा प्राप्त हुई है; आम जनता से नहीं वरन विख्यात वैज्ञानिकों से। यह 36 संस्थान चला रहा है जिनके कोई 800 केन्द्र हैं। यह 21 कृषि विश्वविद्यालयों की देख-रेख करता है। इस संगठन ने गेहूं, चावल, चरी, मूंग, उड़द, मक्का और बाजरे इत्यादि की बहुत अच्छी और अधिक पैदावार देने वाली किस्में विकसित की हैं।

एक माननीय सदस्य : तिलहनों के बारे में क्या किया जा रहा है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : तिलहन भी। वे अभी इस बारे में प्रयोग कर रहे हैं। परन्तु यह स्वीकार करना होगा कि अभी तक तिलहनों के बारे में कोई उपलब्धि नहीं हुई। परन्तु वे भरसक प्रयास कर रहे हैं।

केवल आई० सी० ए० आर० द्वारा विकसित अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के कारण ही गत कोई 15 वर्षों के भीतर ही हमारे खाद्यान्न उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है कि भारत न केवल आत्म-निर्भर हो गया है बल्कि उसके पास चावल का अतिरिक्त भण्डार भी है।

मैं श्री पी० वी० जी० राजू के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि भारत में चावल की पैदावार बहुत कम है। हमने बहुत अच्छी प्रगति की है। उन्होंने फिलिपिन, जापान और दूसरे देशों के आंकड़े दिए कि वहां एक हैक्टेयर जमीन से 8 टन तक चावल पैदा किया जाता है। भारत में भी, हमारी इस क्षेत्र में कम उपलब्धि नहीं है। आई० सी० ए० आर०

द्वारा विकसित चावल की 'जय' किस्म से 50 से 60 क्विंटल तक धान प्रति हैक्टेयर प्राप्त की है। यह एक बहुत ही अच्छी पैदावार है। अच्छी परिस्थितियों में, हम भी खेतों में प्रति हैक्टेयर 5 टन चावल प्राप्त करने में सफल हुए हैं। कुछ राज्यों में हमारी औसत बहुत ही अच्छी है। परन्तु निश्चित रूप से भारत भर में औसत अधिक नहीं है, जैसी कि गेहूं के मामले में है। हम नए बीजों की लगभग 35 किस्में तैयार कर पाये हैं। इनमें से कुछ बीज तो प्रति हैक्टेयर 50 क्विंटल तक पैदावर देते हैं। परन्तु अभी अखिल भारतीय औसत प्रति हैक्टर 14 क्विंटल ही है। इसी प्रकार, चावल के मामले में, भी यद्यपि हम अपनी नई किस्मों से दुगुनी से तिगुनी अधिक पैदावर ले पाये हैं तथापि औसत पैदावर अभी 13 क्विंटल ही है। हमने चालू वर्ष के दौरान 550 लाख टन चावल की पैदावर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हम अपने "प्रयोगशाला-से-खेत तक कार्यक्रम" को प्रत्येक किसान के खेत तक ले जा रहे हैं। बजट प्रावधान भी, माननीय सदस्य शायद जानना चाहें, हमारे अनुसंधान कार्य के लिए पर्याप्त हैं।

अपने समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम में हमने पिछले वर्ष के संशोधित प्राक्कलन की केवल, 10.28 करोड़ रु० की राशि की तुलना में 14.93 करोड़ रु० की धनराशि की व्यवस्था की है। वर्तमान बजट में काफी वृद्धि की गई है। इसी प्रकार, हमारे अधिकांश अन्य कार्यक्रमों के लिए हमने काफी मात्रा में धनराशी का प्रावधान किया है। यह कहना गलत है कि पर्याप्त मात्रा में धन राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। परन्तु एक बात के बारेमें मुझे खुशी है। किसी भी माननीय सदस्य ने यह सुझाव नहीं दिया है कि कृषि मंत्रालय की मांगों में कटौती की जाय; उन सभी सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि अधिक मात्रा में धनराशि उपलब्ध की जाय। इससे पता चलता है कि माननीय सदस्यों की हमारी कृषि और कृषक कल्याण में कितनी रूचि है।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : गरीब खेतहर व्यक्तियों और कृषकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के बारे में भी कृपया कुछ बताएं। . . .

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : आप इसे क्रियान्वित करने का प्रयास कीजिए। हम देखेंगे कि क्या होता है। **(व्यवधान)**

मैं अनेक मुद्दों के उत्तर देना चाहता था, परन्तु समय ही नहीं है। कुछ सदस्यों ने भूमि सुधार के बारे में कहा है और यह कहा है कि भूमि सुधारों के बारे में यह सरकार गम्भीरता से कार्य नहीं कर रही। मैं पूछना चाहता हूं कि भूमि सुधार किसने शुरू किया, भारत में किस पार्टीने शुरु किया ? हमारी पार्टी, हमारी सरकार भूमि सुधारों को द्रुत गति से क्रियान्वित करने के लिए बहुत उत्सुक है। भारत के स्वतन्त्र होने के तत्काल बाद, लगभग दो करोड़ कृषकों को भूमि का मालिक बना दिया गया। इसके बाद 30 लाख से अधिक उन व्यक्तियों को, जिनके पास जमीन का कब्जा था, इस सरकार द्वारा और इसी पार्टी द्वारा बनाये गये कानूनों के अधीन जमीन का मालिक बना दिया गया, जिसका नेतृत्व पहले स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू कर रहे थे और अब जिसका नेतृत्व श्रीमती इन्दिरा गांधी कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के सदस्यों ने काफी . . .

एक माननीय सदस्य : शोर मचाया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : . . . आलोचना की है कि भूमि सुधारों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। मैं उनसे यह अनुरोध करना चाहुंगा कि बाकी देश की चिन्ता करने से पहले वे अपने राज्य की देखभाल करें। **(व्यवधान)** पश्चिम बंगाल में 1.3 लाख एकड़ भूमि को फालतू घोषित किया गया था, जिसमें से केवल 40,000 एकड़ भूमि वितरित की गई है। **(व्यवधान)** यही नहीं, वे भूमि में काश्तकारों के अधिकारों को स्वीकार करन से भी इन्कार कर रहे हैं, वे उस जमीन के वितरण के लिए काश्तकारों के अधिकारों को मान्यता नहीं दे रहे हैं, जिसे वे जोत रहे हैं; वे जमीन को सरकार के कब्जे में रखे हुए हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : कौन कहता है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : फालतू भूमि का गलत वितरण।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर): यह जानकारी पश्चिमबंगाल के जमीदारों ने आपको दी है। वे तो आपके दोस्त हैं।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : वह मेरी जानकारी है। अगर आप चाहें तो निश्चित रूप से मुझे सही जानकारी दे सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : हम आपको सदैव सही जानकारी दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर आपको कुछ समय का नोटिस दिया जाना चाहिए । आप उन्हें तत्काल उत्तर न दें । पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श कीजिए और यहां जानकारी दीजिए । आप इस प्रकार कैसे उत्तर दे सकते हैं ?

श्री नारायण चौबे : मंत्री महोदय को सही जानकारी देनी चाहिए । वह ऐसी जानकारी दे रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल के जमीदारों ने उन्हें दी है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : यह जानकारी मेरे विभाग ने दी है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : उन्होंने आपको गुमराह किया है ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अगर आप जानना चाहेंगे कि इस बारे में हमने क्या किया है । 38 लाख एकड़ भूमि को पहले ही फालतू घोषित किया जा चुका है । 24 लाख एकड़ भूमि सरकार के कब्जे में है और 16 लाख एकड़ भूमि का वितरण किया जा चुका है और वर्तमान कानून से पहले, 19 लाख एकड़ फालतू भूमि का पहले ही वितरण किया जा चुका था । कुछ कठिनाइयों हैं . . .

श्री इन्द्रजोत गुप्त (बसिरहाट) : भूमि वितरित कि गई है या केवल पट्टे दिए गए हैं ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : हमारे सर्वश्रेष्ठ इरादों के बावजूद कठिनाइयों पैदा हो जाती हैं, क्योंकि क्रियान्वयन राज्य सरकारों पर निर्भर करता है । गुजरात में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानून के लागू होने के बावजूद अभी हाल में पिछली गुजरात सरकार ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर दीया था । कि किसी भी भूमि पर दखल न किया जाय और न ही किसी फालतू भूमि का वितरण किया जाय । अब, चूंकि हमारी पार्टी की सरकार सत्ता में आ चुकी है कार्य फिर से शुरु हो गया है । . . .

श्री नारायण चौबे : बहुत अच्छी बात है आप यह काम कीजिए. . .(व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : कभी-कभी कठिणायां पैदा हो जाती है—अप्रत्याशित कठिनाइयां सामने आ जाती है । केवल आदमी ही नहीं कभी-कभी ईश्वर भी हस्तक्षेप करता है । मैं आप को एक उदाहरण दूंगा । मध्य प्रदेश में एक मामला हुआ है, जहां फालतू भूचि का वितरण करने के लिए राजस्व विभाग के स्वीकृत अधिकारियों ने देवता के लिए 4 यूनिटों की मंजूरी दी, जो भगवान राम थे । यह एक धार्मिक संदान था और इसलिए उसने आदेश लिए—भगवान राम—1 यूनिट । इस मामले के लिए कानून के अन्तर्गत देवता एक व्यक्ति है और लव और कुश—2 अतिरिक्त यूनिटें बना दी . . .

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : लक्ष्मण के बारे में क्या हुआ ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : उन्हें इतने लम्बे समय तक नाबालिग नहीं माना जा सकता । आज उन्हें वयस्क माना जाता है और पृथक यूनिटें बनायी जानी चाहिए और चौथी यूनिट माता सिता के लिए भी बनाई गई । वह भी एक यूनिट रख सकती हैं, क्योंकि वह अलग हो गई थीं ।

इसलिए, इन अप्रत्याशित बाधाओं के बारे में आप क्या कर सकतें हैं।

एक माननीय सदस्य : हनुमान के बारे में क्या हुआ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : एक अन्य आदेश है। एक अन्य धार्मिक संदान मामले में, भगवान शिव को 3 यूनिटों की स्वीकृति दी गई—एक भगवान शिव के लिए, एक कार्तिकेय के लिए और एक भगवान गणेश के लिए और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मामला राजस्व बोर्ड तक गया, जो भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों के अन्तर्गत सर्वोच्च राजस्व प्राधिकरण है और उसे स्वीकार किया गया। इन बातों के बारे में आप क्या कर सकतें हैं ? आप यह सुनिश्चित करन के लिए अधिक उपाय ढूंढ़ सकते हैं कि लोग कानूनों क कुछ उपबन्धों का गलत फायदा उठाने का प्रयास न करें और न गलत फायदा उठायें। ये कुछ उदाहरण है । फिर भी हम यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगें कि भूमि संबंधी कानूनों का ईमानदारी से और द्रुत गति से क्रियान्वयन किया जाय ।

श्रीमान् जी, मैंनें अधिक समय ले लिया है . . .(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : श्री भोला पासवान शास्त्री, अनुसूचित जाति, और अनसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने स्वंय कहा है कि पश्चिम बंगाल ही एक मात्र ऐसा राज्य है, जिसनें प्रगतिशील भूमि सुधारों को क्रियान्वित किया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसी पर विचार क्यों कर रहें हैं? अगर आप की आलोचना की जाती है, तो आपको उसका स्वागत करना चाहिए। आप आलोचना क्यों सहन नहीं करते? अगर वह आपकी आलोचना करते हैं, तो आपको इससे सीख लेनी चाहिए और अनुभव से आप आगे बढ़ते है। जब आप की आलोचना होती है, तो आप पूरी तरह बेचैन क्यों हो जाते हैं। क्या आप यह आशा करतें हैं कि जब आप उनकी आलोचना करते हैं तो वे सहनशील होने चाहिए? जब उन्होंने पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ कहा है, तो आप उस पर क्यों सोच रहें है? आप अपना भाषण जारी रखें। जब आपकी आलोचना की जा रही है, तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के रूप में, एक राजनीतिज्ञ के रुप में आपको इस बात का स्वागत करना चाहिए।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमान् जी, मेरे कुछ मित्रों ने ग्रामीण सड़कों के बारे में चर्चा की है। माननीय सदस्यों को यह जानकारी देते हुए मुझे खुशी है कि यद्यपि ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, परन्तु यह सरकार अगली योजना के लिए नीति निर्धारित करती है। ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए हमने पर्याप्त यात्रा में धनराशी आवंटित करने का निर्णय किया है। हमारी नीति के अनुसार, भारत में 1500 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी-गांवों के लिए हमें सड़कों की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए और गाँवों को मुख्य सड़कों के साथ जोड़ देना चाहिए। अगले पाँच वर्षों के दौरान अर्थात् चालू योजना के बाद पाँच वर्षों में 1000 और 1500 के बीच की आबादी वाले सभी गाँवों को, हमें सड़कों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए इसलिए, यह हमारी नीति है। मैं पूरी तरह सहमत हूं कि किसान दुखी हैं और उनके नेताओं ने इस सदन में अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं; भूमि अधिग्रहण के लिए उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता है। हम केन्द्रीय कानून का संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में हम एक संशोधन करने वाले विधेयक को शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत करेंगे।

हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसानों की जो कृषिभूमि राज्य द्वारा अधिग्रहण की जाती है उसके लिए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाये, महोदय इस संबंध में मैं अपने अधिसंख्य माननीय मित्रों के साथ हूं। इनमें बहुत से मेरे काफी पुराने साथी है और मैं जानता हूं कि वे किसानों के हितचिंतक है जिसका दावा मैं नहीं करता। मैं तो एक मामूली किसान हूं। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि यदि वे भारतीय किसान को सम्मानित दर्जा देना चाहते हैं, उसे समाज में उचित स्थान दिलाना चाहते हैं और देश के नेताओं के प्रति उनके विश्वास को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो वे इसके लिए प्रयास करें कि अन्य संगठित क्षेत्रों की तरह किसान भी एकजूट हो। उन्हें जाति के आधार पर एक-दूसरे से अलग करने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु अधिकांश नेतागण—हमारी पार्टी के लोगों को छोड़कर—जो यहां पर बोले (व्यवधान) जिन्होंने किसानों के बारे में बोला, वे ही लोग जब इस सभा से बाहर जाते हैं तो किसी जाति विशेष की बात करने लगतें हैं। इसपर भी वे किसानों के नेता और हिमायती होने का दावा करते हैं। लगभग सभी क्षेत्रों की अपनी-अपनी यूनियनें हैं—मजदूरों की भी अपनी यूनियन है। उनके मजदूर आन्दोलन में शक्ति है। रिक्शेवालों, तांगे वालों तक के पास अपनी मांगें मनवाने की शक्ति है। किंतु किसानों के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। ऐसा क्यों है? किसानों के इन्हीं तथाकथित नेताओं के कारण। (व्यवधान) कसूर उनका ही है। यदि उन्हें किसानों के प्रति सहानुभूति है, तो उन्हें इससे सबक लेने की कोशिश करनी चाहिए . . . (व्यवधान) उन्हें किसानों को एक वर्ग—भारत के एक महत्वपूर्ण वर्ग—के रूप में देखना चाहिए जिनकी संख्या में बहुत बड़ी है। (व्यवधान) जब लोग गुमराह किये जा रहें हों तो किसी न किसी तरह तो उन्हें समझाया जायेगा। (व्यवधान) अगर कोई बहुत वरिष्ठ बूढ़ा नेता, पालिटिक्स में तो पता नहीं क्या करता होगा, हम बहुतसों को देखते रहे है, अपनी बात बदलते रहे, लेकिन बात बदलते बदलते जात बदलने पर भी आ गये। (व्यवधान) बिहार में जाकर एक नेता ने कहा, शास्त्री जी आप भी मौजूद होंगे शायद आपने भी सुना होगा, कि मैं हिन्दुस्तान का सबसे बुढ़ा यादव आ गया हूं, इस बार मेरे कहने से वोट दे दो। वोट मांगें इस बात पर, हाई कोर्ट में रिट पैटीशन में यह बात आई है। फुलपरास में कहा। (व्यवधान) तो आपको तो सारा मालूम होगा। (व्यवधान) आपने इस पर एतराज नहीं किया। लोग उन पंजों से निकल रहें हैं।

किसानों ने कैसे अपने सद्विवेक से काम लिया, यह इस बार नौ राज्यों में हुए चुनावों में बता दिया है और अब यह भी मालूम हो जायेगा कि किसानों को हमेशा गुमराह नहीं किया जा सकता।

[श्री वीरेन्द्र सिंह राव]

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहुंगा, मैं सभा का काफी समय ले चुका हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इन मांगो को जिससे हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार देश के कृषक क्षेत्र की अधिक से अधिक सहायता करना चाहते है, अपनी स्वीकृति दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये गये सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ मतदान के लिए रखता हूं। यदि कोई माननीय सदस्य यह चाहे कि उसक किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिए रखा जाए तो ऐसा किया जा सकता है।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं कृषि मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है —

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई कृषि मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 1 से 9 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1980 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
	कृषि मंत्रालय				
1	कृषि और सहकारिता विभाग	1,17,53,000	..	1,67,34,000	..
2	कृषि . .	24,82,92,000	299,80,23,000	66,29,95,000	703,78,60,000
3	मीन उद्योग .	6,55,35,000	6,16,65,000	12,75,24,000	14,44,35,000
4	पशु पालन और डेरी विकास।	40,05,15,000	6,18,97,000	92,49,80,000	17,80,96,000
5	वन . .	4,58,18,000	24,50,000	16,41,35,000	49,00,000
6	सहकारिता .	8,72,16,000	17,25,69,000	17,50,84,000	35,09,56,000
7	खाद्य विभाग .	205,36,60,000	15,67,69,000	410,77,45,000	31,35,39,000
8	कृषि अनुसंदान और शिक्षा विभाग।	6,60,000	...	13,22,000	..
9	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को संदाय	30,20,30,000	..	65,59,60,000	..

उपाध्यक्ष महोदय : अब में ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के नियंत्रनाधीन अनुदान की मांग पर प्रस्तुत किये गये सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं। यदि कोई माननीय सदस्य चाहे कि उसके किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से मतदान के लिए रखा जाये तो ऐसा किया जा सकता है।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 74 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखायी गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1980 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदानों की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांग की रकम	
मंत्रालय		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
74, ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय		140,00,00,000	28,32,23,000	413,34,45,000	56,64,47,000

रक्षा मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 20 से 25 पर चर्चा और मतदान करेगी जिसके लिए 6 घंटे का समय नियत किया गया है ।

अनुदानों की मांगों पर जिन सदस्यों के कटौती प्रस्ताव परिचालित किये गये हैं, वे यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहें तो 15 मिनट के भीतर उन कटौती प्रस्तावों की क्रमसंख्या बताने वाली पर्चियां सभा पटल पर भेज दें । केवल उन्हीं कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किया गया माना जायेगा ।

अब श्री राम विलास पासवान बोलेंगे । आपको 23 मिनट का समय दिया गया है । जैसे ही आपका समय समाप्त होगा मैं घंटी बजा दूंगा ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कल एक प्रश्न के जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने कहा था कि वह हमेशा प्रत्येक बात की रीव्यू करते हैं, स्वयं हर बात को देखने की कोशिश करते हैं और जहां सुधार की आवश्यकता होती है, वह करते हैं । लेकिन मैंने देखा है कि डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट्स, 1980-81 के पेज 86 पर डिमांड नंबर 25 में ओरिजिनल कैपिटल आउट ले दिखाया गया है 235.56 करोड़ रुपये और उसको रिवाइज्ड कर के दिखाया गया है 204.1 करोड़ रुपये । यह डिमांड आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में है । इसमें शार्टफाल 31.55 करोड़ रुपये है । इस शार्टफाल का कोई कारण नहीं बताया गया है ।

(श्री शिवराज वी० पाटील पीठासीन हुए)

सरकार बजट बना कर जनता पर टैक्स लगाती है, मगर उसके बाद भी शार्टफाल हो रहा है । इसी बुक पेज 99 पर बताया गया है कि वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 3.96 करोड़ रुपये रखे गये थे, लेकिन खर्च हुए केवल 3.67 करोड़ रुपये । इसमें भी शार्टफाल का कारण नहीं बताया गया है ।

आज हमारी पश्चीमी सीमा पर पाकिस्तान तैयार खड़ा है । उसके पास एम-47 और एम-48 टैंक और 105 एम एम गन हैं, जो सीमा पर तैनात हैं । पूर्वी सीमा पर मिजो रेबल सक्रिय है, जिनके पास एंटी-टैंक रॉकेट्स हैं । पाकिस्तान एक इस्लामिक एटामिक बम बना रहा है । चीन को यू एस ए आयुधों को अपग्रेड कर रहा है । एक तरफ तो यह सब कुछ है और दूसरी तरफ यहां पर जो बजट बनाया जाता है, वह भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं ।

मैंने एक रिपोर्ट देखी है । पता नहीं, वह कहां तक सही है । अगर वह सही है, तो हमारे देश के लिए एक बहुत खतरनाक बात है । सरकार की ओर कहा जाता है कि हम सब मामलों में आत्म-निर्भर हो गये हैं, हमारा सैन्य-बल बढ़ गया है । मैं चीन और हिंदुस्तान के तुलनात्मक आंकड़े देख रहा था । कोई भी ऐसा आइटम नहीं है, जिसमें हम चीन से आगे बढ़े हों ।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : हौसले में आगे हैं।

श्री राम विलास पासवान : उसमें मैं आपके साथ हूं । रहना भी चाहिए। जनसंख्या के आंकड़े तो सर्व विदित हैं। हमारा प्रतिरक्षा व्यय 3,000 करोड़ रुपये है और चीन का प्रतिरक्षा व्यय 29,000 करोड़ रुपये है। भारत की सेना 10.96 लाख है, जबकि चीन की सेना 43.25 लाख है। फिर उसी तरह आर्म्स डिवीजन है, इंफैन्ट्री डिवीजन है, माऊंटेन डिवीजन है, इंडिपेंडेंट आर्म्स है, इंडिपेंडेंट रेजिमेंट है, पैरा ब्रिगेड है, काम्बैट एयर क्राफ्ट है, वह सब पूरी लिस्ट है और उस की फिगर भी है, ये सारे जो हैं, लाइट बांबर्स, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, हेलिकाप्टर्स, सबमैरिन एयर क्राफ्ट्स, कैरियर सबमैरिन्स, क्रूजर्स, कारवेट्स ये जितने हैं, में देख रहा था, कोई भी आइटम कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस में उससे ज्यादा आप के पास शक्ति हो। सिर्फ हौसला है आप के पास लेकिन युद्ध के मैदान में हौसला भी चाहिए और हथियार भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। मैं आप से इतना ही कह रहा था कि आप उस को देखिए और जो लोग बजट बनाते हैं वह उस को देखें।

मैं एक बात डिफेंस की कहता हूं एक पैरा मिलिट्री फोर्स आप के पास काम करती है, सी आर पी है, आसाम राइफल्स है, जिसे डिफेंस ने ले हि लिया है, बी एस एफ है, और भी बहुत हैं, इंडो तिबत फोर्सेज हैं, इन तमाम को आप ने ले रखा है। आज एक नया टेकनिक चल रहा है सब को एक कर के चलने की, हर मर्ज को एक ही दवा से ठीक करने की, डिफेंस चाहता है कि वह सारे का सारा मामला अपने पास ले कर चलें रहे। उस में क्या होता है कि एक विभाग की मोनोपली हो जाती है। मैं तो आप से आग्रह करुंगा कि देखिए सब चीजों को हम लोग इस आधार पर न कह दिया करें कि यह डिफेंस का मामला है, यह पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं खोला जा सकता है। जब सारी चीजों पर बहस होती है और एक एक चीज से हम रोजमर्रा जुड़े हुए हैं तो सब चीजों को यह कह कर कि यह डिफेंस का मामला है, यह सीक्रेट चीज है, इस को खोला नहीं जाय या, मैं कहुंगा कि इस नीति पर पूनर्विचार कीजिए और यह जो आप का डिफेंस का बल रहा है कि सब को मिला कर हम अपने कब्जे में कर लें, यह ठीक नहीं है। क्योंकि 1962 में युद्ध हुआ, 1962 के युद्ध में आप को कोई पता नही चला और जब युद्ध हार गए तो अधिकारियों ने कह दिया कि हमारे पास साज सामान की कमी थी, हमारे पास में हथियार नहीं थे, उस के नाम पर फिर उन को रिवार्ड दीजिए। जब 1965 का युद्ध हुआ तो कुछ आप ने दिया और कुछ आप ने लिया, सब मिला जुला कर बराबर रहा, लेकिन आप ने कह दिया कि हम जीतें हैं । ठीक है जीते हैं, फिर आप ने रिवार्ड दे दिया । 71 का युद्ध हुआ, फिर आप ने रिवार्ड दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि यह सारी चीज जो चल रही है इस को आप देखें।

अभी में एक पेपर देख रहा था, मंत्री जी ने शायद यह पेपर देखा होगा, यह "आर्गनाइजर" है, इस में अभी निकला है कि 400 करोड़ रुपये का आप ने सबमैरिन का कांट्रैक्ट किया । अब वह तो टीम गई थी, वह दो देशों में घूमी, स्वीडन में भी घूमी और पश्चिमी जर्मनी में भी घूमी । उस टीम ने स्वीकार किया कि स्वीडन की सब चीज अच्छी है पश्चिम जर्मनी के मुकाबलें में, कम दाम में भी है और वह जो आप एक एग्रीमेंट करते हैं वह सारी चीज जनवरी माह में हो कर के भेज दी। यहां से जो टीम गई थी उस टीम ने भी रिकमंड किया लेकिन फिर आप ने पश्चिम जर्मनी के साथ ऐग्रीमेंट किया । यह आप का मामला है, मैं यह नहीं कहता कि कौन सही है, कौन गलत है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वह बतलाएंगे । लेकिन इस में एक लाइन जो दिया गया है वह इतनी खतरनाक लाइन है, मैं पढ़ कर सुनाता हूं, इस में आप का नाम लिया गया है, इस में दिया गया है :

**

श्री सी० पी० एन० सिंह : एक क्लैरिफिकेशन मैं आप से चाहता हूं क्या जिस अखबार को आप कोट कर रहे हैं वह हिंदुस्तान में माना जाना अखबार है ?

श्री रामविलास पासवान : आप की लाइब्रेरी में है, भारत की संसद में रखा जाता है ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या समाचार-पत्र में छपी खबर को इस सभा में महत्व दिया जायेगा ।

**रिकार्ड नहीं किया गया, कृपया पृष्ठ 138 पर सभापति के आदेश देखें।

श्री राम विलास पासवान : हम यह कहते हैं कि आप इस का जवाब दिजिए कि यह सही है या गलत है? हस अखबार आप की पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा हुआ है। जब जवाब देंगे मंत्री जी तो मैं आप से आग्रह करुंगा... ,(व्यवधान)...

सभापति महोदय : पासवान जी, हमारी पार्लियामेंट में ऐसा हुआ करता है कि आप किसी न्यूजपेपर को कोट कर रहे हैं तो वह उस में जो कुछ लिखा गया है वह सही है या सावित करने की जिम्मेदारी आप पर होती है।

श्री राम विलास पासवान : नहीं, ऐसा नहीं हैं।

सभापति महोदय : प्लीज हीयर मी। मैं आप से कह रहा हूं कि जब भी कभी किसी पेपर को, किसी न्यूजपेपर को, किसी किताब को यहां पर आप कोट करते हैं तो सिर्फ उस किताब में लिखा गया है इसलिए उस को आप कोट नहीं कर सकते।

श्री राम विलास पासवान : क्यों ?

सभापति महोदय : उस में जो कुछ लिखा गया है वह सही है यह बताने की जिम्मेदारी आप को लेनी पड़ती है। अगर आप नहीं ले सकते हैं तो उस को आप को कोट नहीं करना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : मैंने आप को पढ़ कर सुना दिया। मैंने अखबार का नाम पढ़ कर सुना दिया। आप ऐसा ब्लेम मत दिजिए।

सभापति महोदय : पासवान जी, मैं रुलिंग बोल कर दे रहा हू, मैं आप को यहां पर और कोई चीज नहीं बता रहा हूं। जो भी कुछ आप कोट करना चाहते हैं वह कोट कर रहे हैं तो वह सही है यह बताने की जिम्मेदारी आप की होती है। सिर्फ वह चीज छापी गई है किसी कागज पर, ब्लैक एंड व्हाइट में आई है, इसलिए आप उसको कोट कर सकते हैं--ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी।

श्री राम विलास पासवान : मैंने पहले ही मंत्री महोदय से कहा कि एक अखबार में इस तरह से निकला है अगर यह गलत है तो मंत्री महोदय को जवाब देते वक्त स्वतन्त्रता रहेगी वे कह दें कि यह गलत है (व्यवधान)

सभापति महोदय : नहीं, मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं कि समाचार पत्रों से उद्धरण न दिया जाये।

श्री राम विलास पासवान : अभी कल मैं जगुआर के मामले में मन्त्री जी का जवाब सुन रहा था। आप बतलायें कि जगुआर गलत है या सही, उसकी डील हुई, नहीं हुई, आखिर उस समय भी आफसर ही रहे होंगे जिन्होंने डील की होगी। तीन महीने पहले भी वही अफसर थे जिन्हों ने कहा था कि जगुआर बहुत अच्छा है और आज तीन महीने बाद भी वही अफसर हैं जो कहते हैं कि खराब है। आप उनसे पूछिए कि तीन महीने पहले क्या उनकी वह राय नहीं थी? यह सारी चीजें जो चलती हैं इसके लिए क्या सरकार इस तरह की कोई बाडी का निर्माण करना चाहती है जैसे कि दूसरे देशों में नेशनल सिक्योरिटी कौन्सिलें हैं जो तमाम चीजें मिलिट्री की, डिफेन्स की हो रही हैं उनको रेव्यू करती हैं और देखती रहती हैं कि कौन कौन चीजें हो रही हैं। फिर वे सारी चीजें सरकार की जानकारी में लाते हैं। उसी तरह से क्या आप भी कोई बाडी बनाने जा रहे हैं? आज लोगों के दिमाग में गलतफहमी पैदा हो जाती है और डिफेन्स के नाम पर सब चीजें दबा दी जाती हैं, कह दिया जाता है कि जनहित के दृष्टिकोण से उसको बतलाना ठीक नहीं होगा। अगर ऐसी कोई बाडी होगी तो इन चीजों को देखती रहेगी।

सभापति जी, अभी मैंने पढ़ा था कि ताइवान के 3700 फिशिंग वेसल्स हमारे पानी में घूम रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो आपकी नेवी है, जो आपकी कोष्टल गार्ड फोर्स है उसको आप मजबूत क्यों नहीं करते हैं? मैं लाइब्रेरी में खोज रहा था लेकिन मुझे मिला नहीं, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी बतायें कि 8 साल पहले श्री सी० सुब्रह्मण्यम कमेटी बनी थी जिसने सारी दुनिया में घूम कर काफी पैसा खर्च किया था, उस कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी या नहीं? अगर कोई रिपोर्ट उस कमेटी ने दी थी तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

[श्री राम विलास पासवान]

इसी प्रकार से एक डिफेन्स रिसर्च इन्टीट्यूशन है, मैं देख रहा था कि उसका क्या काम होता है, उसकी कोई रिपोर्ट आती है या नहीं लेकिन एक बार अखबार में यह जरूर पढ़ा था कि इन्स्टीट्यूट ने काफी फिल्टर बनाया है लेकिन उसका डिफेन्स से क्या सम्बन्ध है ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : पासवान जी, आपका टाइम बहुत थोड़ा है।

श्री राम विलास पासवान : मैं अपनी पार्टी से अकेला वक्ता हूं। जब आप घंटी बजा देंगे, मैं बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : आपके 30 मिनट हैं जिसमें 20 मिनट आप बोल चुके हैं।

श्री राम विलास पासवान : ऐसा मत कीजिए। मैंने 40 पर बोलना शुरू किया है, अभी दस मिनट ही बोला हूं। मैं घड़ी देख रहा था।

सभापति महोदय : आपका जितना टाइम है वह मिल जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, रक्षा मंत्रालय में जाति के नाम पर रैजीमेन्ट है। पहले हो सकता है कि किसी खास जाति के लोग बहादुर रहे हों, लेकिन आज तो ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज परिस्थिति बदली है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको खत्म कीजिए।

एक माननीय सदस्य : तो क्या पासवान रेजीमेन्ट बना दे।

श्री राम विलास पासवान : जब जातियों के आधार पर ही बनाना है तो पासवान रेजीमेन्ट, मुसलमान रैजीमेन्ट या और किसी भी जाती के नाम पर रेजीमेन्ट बना दीजिए। नहीं तो जितने भी रेजीमेन्ट आज जातियों के नाम पर चल रहे हैं, उन सब को बन्द कीजिए। इस बात को चाहे पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जरूर महसूस करते होंगे, कि इसको बन्द कर दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आर्थिक वा सामाजिक असमानता और कुव्यवस्था देश में है, उसका भी असर डिफेन्स पर पड़ता है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है जो आपके आफिसर्स हैं, जो आपके जवान हैं, इन दोनों में काफी असमानता है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस सम्बन्ध में कोई नई नीति निकालने की कोशिश करें, जिससे इस असमानता को दूर किया जा सके।

आपके यहां बहुत सी आर्डिनेन्स फैक्टरीज हैं, इन सब फैक्ट्रियों में उत्पादन दूसरी फैक्ट्रिज की तुलना में कम हो गया है। इन सब फैक्ट्रियों में सामान बनता है, लेकिन कुछ सामान दूसरी फैक्ट्रियों में से ले लिया जाता है, जैसे ट्रक है, वह टाटा से लिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है कि ये तमाम चीजों का आप समन्वय स्थापित करके अपने यहां अपने तरीके से प्रोडक्शन कीजिए।

एक आदमी युद्ध के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन वही आदमी नार्मल पीरीयड में फैक्ट्री चलाने के लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप उस में देखें कि जो फैक्ट्री चलाता है, जिसकी फैक्ट्री चलाने की जवाबदेही होती है, वह ठीक तरह से काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। वहां मजदूरों का मामला उठता है, और भी दूसरे मामले उठते हैं, जिनको डील करना पड़ता है, क्या वह आदमी उन मामलों को डील करने में फिट है या नहीं है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक हाई-पावर्ड कमेटी बनाइए, जो देखे कि राष्ट्रीय विकास में ये फैक्ट्रियां कितनी मदद कर रही हैं। उसकी जो कैपेसिटी है, उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो वहां लेबरर्स हैं, उनके बोनस का मामला है, आप उनको बोनस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आपने पी०एण्ड०टी० और रेलवे मजदूरों को तो बोनस दिया, बहुत अच्छा काम किया, तो कम से कम इन मजदूरों को बोनस देने के बारे में व्यवस्था कीजिए।

आपके सामने पुनर्वास की समस्या है। डिफेन्स में 35-36 साल की अवस्था में जो जवान अवकाश प्राप्त कर लेता है। 35-36 साल की अवस्था में अवकाश प्राप्त करने के बाद उसके पास शिक्षा और अनुशासन होने के बावजूद भी वह बेकार बैठा रहता है, लेकिन उसका राष्ट्रीय विकास में कोई उपयोग नहीं होता है, यूटिलाइजेशन नहीं होता है। 60 हजार जवान प्रतिवर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं, जिनकी उम्र 30-32 और 35-36 साल की होती है। मेरा आप से आग्रह है कि आप ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए, जिससे इनका उपयोग राष्ट्रीय विकास में किया जा सके।

आपने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पुनर्वास नगण्य मात्रा में है, तो इससे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस पुनर्वास की समस्या को भी देखें। मैं एक बात की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षिक करना चाहता हूं, इस पर ठण्डे दिल से सोच भी रहे हैं, कि जो हमारी मिलिट्री है, जो हमारी आर्मी है, उसका इस्तेमाल हम लोग, घरेलू काम के लिए न करें। यदि हम इनका इस्तेमाल घरेलू कामों में करेंगे तो इससे समस्यायें उत्पन्न होती चली जाएंगी। जब 1962 का युद्ध चल रहा था, उस समय वे लोग जब रास्ते से गुजरते थे, तो हमारी मां-बहनें, बेटे, भाई हैं, उनमें से कोई माला पहनाता था, कोई राखी बान्धता था। इस प्रकार ये सारी चीजें होती थीं। लेकिन आज उसी आर्मी का इस्तेमाल आप घर के कामों में कर रहे हैं। आप असम के मामले को लीजिये, आप ने वहां अपनी आर्मी को लगा रखा है। अखबारों में निकलता है कि आर्मी के द्वारा रेप होता है—यह बिल्कुल गलत बात है। हमारी आर्मी ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन इस तरह की बातों से आर्मी पर क्या प्रभाव पड़ता है—आप को सोचना चाहिए। वह डीमोरलाइज होती है। हमारी आर्मी का काम दुश्मन से लड़ना है और वह बहादुरी से लड़ेगी, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल गांव के आदमियों पर करेंगे, देश के नागरिकों पर करेंगे तो वह उस दिलेरी से नहीं लड़ सकती है, जिस दिलेरी से वह दुश्मन का मुकाबला करती है और इस से आप के लिए और देश के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि घर के कामों के लिए आप के पास पुलिस है, दूसरी फोर्सेज हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए, आर्मी का इस्तेमाल इन कामों के लिए न कीजिए। आप उनको सरहद की रक्षा के लिए भेजते हैं, उस काम को आप उस से कराइये, घर के कामों में उसका इस्तेमाल बन्द कीजिए।

एक माननीय सदस्य : विदेशों को निकालना है।

श्री राम विलास पासवान : उन को निकालिए, कौन मना करता है। विदेशी जहां कहीं भी हों, उन को निकालिये, इस में कौन विघ्न डाल रहा है ?

श्रीमती संयोगिता राणे (पणजी) : जनता रिजीम में भी आर्मी का इस्तेमाल आप लोगों ने किया है।

श्री राम विलास पासवान : अब मैं सीमा क्षेत्र की तरफ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज सीमा क्षेत्र की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है। सीमा क्षेत्र की समस्या को आप इस तरह से रोक सकते हैं कि सीमा क्षेत्र का विकास कीजिए। वहां काटेज इण्डस्ट्रीज, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज, लगाइये। जब तक आप इन को नहीं लगायेंगे, वहां शोषण होता रहेगा, जो विदेशी होगा, वह भी शोषण करेगा। दूसरी बात—जितने लोग वहां पर हैं उनको हथियारों की ट्रेनिंग दीजिये। आप प्रश्न उठाएंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन को देश की राष्ट्रीयता में विश्वास नहीं है। यह ड्यूटी आप की है, आप इसको देखिए, लेकिन जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां लोगों को हथियार की ट्रेनिंग दीजिये, ताकि बुरे दिनों में वे दुश्मनों का मुकाबला करने के काबिल हो सकें। इस के साथ ही वहां काटेज और स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगा कर उनके विकास के साधन मुहिया कीजिये। विगत 30 वर्षों से हमारा सीमा क्षेत्र विकास के मामले में बिल्कुल अछूता है और यही कारण है कि वे लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं—एक तरफ आपके पास चाइना का आफर आ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी यहां आये हुए हैं। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा के मामले में और हथियारों के मामले में पूर्णतया सजग रहें, दिलेरी के मामले में हमारे मन्सूबे और हौसले बुलन्द रहें। जो पुराने सिद्धान्त है कि हथियारों पर कम से कम खर्च हो, विश्व में कम से कम द्वन्द्व हो, युद्ध हो, इस मामले पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आप इस तरह से देखिए—आज हथियारों पर विश्व में डेढ हजार करोड़ रुपया प्रतिदिन खर्च होता है, युद्ध के साधनों पर इतना पैसा खर्च होता है। आज विश्व में इतने हथियार मौजूद है कि 10 बार दुनिया का विध्वंस किया जा सकता है, हर आदमी के सिर पर 4 टन के विस्फोटक पदार्थ मौजूद हैं। मैं आप से यह भी कहूंगा कि दुनिया का जो सब से नामी जैनरल हुआ है—मैकार्थर—उस ने गांधी जी के देहान्त के अवसर पर कहा था :

> "यदि सभ्यता को जीवित रहना है तो लोगों को गांधी जी की इस बात को ध्यान में रखना होगा कि झगड़े को सुलझाने के लिए शक्ति का प्रयोग न केवल गलत है अपितु उसमें आत्मविनाश के अंकुर भी निहीत हैं।"

[श्री० राम विलास पासवान]

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी और भारत के प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमारे साथ में और हमारे हाथ में दोनों अस्त्र रहने चाहिए। एक तरफ जहां हम शान्ति का नारा देते हैं, वहां दूसरी तरफ हमारे पास शक्ति भी मौजूद रहे क्योंकि 1962 से पहले का इतिहास अगर आप देखें, चीन के प्रधान मंत्री मि० चाऊ एन लाई थे, जिन को हमारे हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री यह कह कर मिलवाते थे और कहते थे "मि० चाऊ एन लाई, प्रीमियर आफ चायना", जब 1962 का युद्ध हुआ, तो उसने हमको धक्का दिया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया उस के बाद चीन की शक्ति कितनी बढ़ी, यह आप सभी जानते हैं। इसलिए एक तरफ तो हम शान्ति-दूत हों लेकिन दूसरी तरफ हमारे हाथों में इतनी शक्ति हो कि हम किसी भी देश की चुनौती का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकें। आप को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : हम रक्षा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे यहां पर किसी के विरूद्ध आरोप लगाने अथवा कोई टिप्पणी करने से पहले अच्छी तरह सोचविचार कर लें। अभी-अभी माननीय सदस्य ने एक टिप्पणी की थी, मैं **कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमावली** स संगत अंश पढ़ कर सुनाता हूं :

> "उन मामलों में भी पूर्वसूचना आवश्यक है जहां समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधारपर बाहरी व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप लगाये जायें।
>
> बाहरी व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप लगाने वाले सदस्य अपने वक्तव्यों के लिए पूरी जिम्मेदारी लेंगे। ऐसे वक्तव्य पूरी छानबीन करने के पश्चात् तथा उसी स्थिति में दिये जायेंगे जब वक्तव्य देने वाले सदस्य इस बात से संतुष्ट हो जायें कि वह किसी अधिकारिक स्रोत पर आधारित है जिस पर वे विश्वास कर सकते हैं।"

साथ ही मैं कौल और शकधर लिखित **"प्रैक्टिस एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट"** के पृष्ठ 780 का यह अंश पढ़कर सुनाता हूं :

> "सदस्य को सोच-समझ कर ही कोई आरोप लगाना चाहिए, उसे इस बात के लिए अपनी संतुष्टि कर लेनी चाहिए कि जिस सूत्र से उसे वह सूचना मिली है वह विश्वसनीय है तथा आरोप तथ्यों पर आधारित हैं। दर असल अध्यक्ष अथवा मंत्री को लिखने से पहले उसे मामले की प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए और सभा में बोलने से पहले तो ऐसा अवश्य ही कर लेना चाहिए। समाचारपत्रों में छपी खबरों पर आधारित आरोपों की सूचना को तबतक अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि उसे पेश करने वाला सदस्य अध्यक्ष को इस बातका पर्याप्त प्रमाण नहीं देता कि आरोप तथ्यों के आधार पर है। अध्यक्ष को दी जाने वाली सूचना में सदस्य द्वारा उस आरोप का ब्यौरा देना आवश्यक है जो वह किसी व्यक्ति अथवा किसी अन्य सदस्य के विरूद्ध लगाना चाहता है ताकि अध्यक्ष उस पर पहले से विचार कर सके।"

मेरे विचार से माननीय सदस्य ने कोई सूचना नहीं दी थी। इसलिए मैं यह आदेश देता हूं कि उनके भाषण ** में जो भी आपत्तिजनक अंश है अथवा जो भी आपत्तिजनक बात उन्होंने यहां पर कही है, वह कार्यवाही में शामिल नहीं की जायेगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सभा को यह बताया जाना चाहिए कि आपत्तिजनक बात क्या थी।

सभापति महोदय : यह आवश्यक नहीं है। हम फिर उसे कार्यवाही में नहीं ला सकते। आपत्ति उठाई गयी थी, किन्तु यदि कोई सदस्य उठकर आपत्ति न भी करे तो सभापति कह सकता है कि यह आपत्तिजनक मामला है। इस मामले में, नोटिस न केवल सदस्य को अपितु अध्यक्ष को भी दिया जाना चाहिए था और उसके लिए अनुमति ले ली जानी चाहिए थी। अनुमति मिल जाने के बाद ही उसे पढ़ा जाना चाहिए था और सदस्य के विरूद्ध आरोप लगाया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इसलिए मैं इस कार्यवाही में शामिल करने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

**कृपया पृष्ठ ~~484~~ 114 देखिये।

श्री राम विलास पासवान : यह न्यूजपेपर में दिया है और आप की संसद में यह न्यूजपेपर रहता है।

समापति महोदय : आप केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर ही विश्वास नही कर सकते । श्री गाडगिल।

श्री वी० एन० गाडगिल (पुणें) : महोदय, सभा के पास दो दस्तावेज हैं । एक रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट है और दूसरा अनुदानों की मांगें । इन दस्तावेजों में कई विषय सम्मिलित हैं किन्तु मैं उनको रक्षा संबंधी आधारभूत समस्याओं के संदर्भ में पढ़ना चाहता हूं । अतः मैं एक या दो विषयो पर ही बोलूंगा ।

रक्षा संबंधी आधारभूत समस्या क्या है ? यह आम बात है कि किसी देश के राजनीतिक उद्देश्य के अनुसार ही उसकी रक्षा-नीति तथा रणनीति निर्धारित होती है । उदाहरण के तौर पर यह कहा जाता है कि साम्राज्यवादी अथवा विस्तारवादी शक्तियों की एक विशिष्ट युद्धनीति तथा एक विशिष्ट रक्षा-नीति है । हम विस्तारवादी नही हैं; हम दूसरे राष्ट्रों पर अपना प्रभाव नहीं जमाना चाहते हैं । हमारा केवल एक ही आधारभूत राजनीतिक लक्ष्य है अर्थात् कि इस देश की क्षेत्रीय अखण्डता बनाये रखना । मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारी रक्षा-नीति का यही आधारभूत उद्देश्य है ।

रिपोर्ट में ठीक ही कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में सम्पूर्ण सुरक्षा संबंधी स्थिति में परिवर्तन आ गया है । हमें आशा थी कि तनाव में कमी आयेगी किन्तु अब ऐसी आशायें धूमिल हो गई हैं । हमें आशा थी कि बड़ी ताकतों की आपसी प्रतिद्वन्द्विता में कमी आयेगी किन्तु उनको आपसी प्रतिद्वन्द्विता अभी जारी है । अफगानिस्तान तथा ईरान में हुई घटनाओं से यह पता चला है कि शीत युद्ध हमारे द्वार पर आ गया है । इसे देखते हुए हमें रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर विचार करना होगा ।

मैं तीन पहलुओं पर विचार करूंगा । पहले, पुराने हथियारों के स्थान पर नये हथियार और बाद में आधुनिकीकरण पर । जहां तक पुराने हथियारों का संबंध है, रिपोर्ट में कहा गया है कि नौ सेना ने अपने पोत विक्रांत के पुराने पड़ गये 'सी हॉक' विमान के स्थान पर 'सी हैरियर' विमान प्राप्त कर लिये हैं । ऐसा करने की आवश्यकता इसलिए हुई कि हम पुराने पड़ गये विमानों को नहीं रखना चाहते । किन्तु मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या पहली सरकार ने इस मामले का कोई मूल्यांकन किया है या नहीं । मुझे लगता है कि इस बारे में पूरी तरह से सोचे-विचारे बिना ही निर्णय ले लिया गया । इसकी जांच की जानी चाहिए । वह एक सही निर्णय था; इस बारे में मुझे संदेह है ।

वायु सेना के लिए यह आवश्यक है कि नये मालवाहक विमान खरीदें क्योंकि डकोटा तथा पैकेट विमान पुराने पड़ चुके हैं और उन्हें बदलना आवश्यक हो गया है । रिपोर्ट में कहा गया है कि एक उपयुक्त विमान का चयन कर लिया गया है । मैं नहीं जानता कि उसका नाम क्या है । मैं समझता हूं कि किये गये मूल्यांकन के आधार पर यह उपयुक्त विमान है ।

मेरे मित्र ने इससे पहले कनबरा और हंटर विमानों के स्थान पर जगुआर विमान खरीदने के बारे में उल्लेख किया था । मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं किन्तु जो कुछ मैंने पढ़ा है मैं उससे आश्वस्त नहीं हूं । मेरा विचार है कि वह निर्णय ठीक नहीं था । देश को ऐसे विमान पर 1300 करोड़ रुपये व्यय करना पड़ेगा जिसका महत्व लड़ाई युद्ध कौशल दिखाने, तेज गति पर संचालित करने की दृष्टि से संदिग्ध है । मिराज विमान को स्वीकार नहीं किया गया जबकि उसे जांचा और परखा गया । ओमान, इक्वेडार और कुछ अन्य देशों को 50 जागुआर विमान बेचे गये थे । मुझे संदेह है कि यह निर्णय सही था । हो सकता है कि उससे ब्रिटिश उद्योग सुरक्षित हो जाये किन्तु हमारी वायु सेना सुरक्षित रहेगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है । मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उस सौदे के बारे में फिर से विचार करे और यह पता लगाये कि क्या देश के हित में उस निर्णय को बदलना ठीक होगा ।

जहां तक आधुनिकीकरण का संबंध है, मैं यह समझता हूं और मेरा यह विचार गलत भी हो सकता है कि जनता शासन के दौरान सशस्त्र सेनाओं में ऐसी प्रवृत्ति पैदा हुई थी जिसमें थल सेना अपना अलग विमान बेडा रखना चाहती थी और नौ सेना अपना अलग विमान बेड़ा चाहती थी । यानी सबको सब कुछ चाहिए था । रक्षा संगठन के आधुनिकरण करन का अर्थ है वहां नये उपकरण लगाना । हमें नया सामान

[श्री बी० एन० गाडगिल]

लेना चाहिए । उदाहरण के तौर पर मुझे सुक्ष्म नियंत्रित युद्धसामग्री (पी०जी०एम०) के बारे में पता चला है जिसका विवरण एक विज्ञान पत्रिका में छपा है । उसमें कहा गया है :

"मध्य-एशिया के युद्ध के दौरान प्राप्त अनुभव और अन्यत्र हुई बाद की घटनाओं से पता चला है कि भविष्य के युद्ध क्षेत्र में डेटा लिक्स, कम्प्यूटर की सहायता से किये गये इंजिन मूल्यांकन और स्वचालित गोलीबारी नियंत्रण व्यवस्था का प्रयोग करके तत्काल शत्रु की फौजों का पता लगाया जा सकता है, उन्हें पकड़ा जा सकता है और उन्हें लक्ष्य बनाया जा सकता है । इस व्यवस्था से जिसमें इस बात का लगभग ठीक-ठीक अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने शत्रु मारे जा सकेंगे तथा दूर से नियंत्रित होने वाली निगरानी व्यवस्था से शत्रु पर नियंत्रण रखने के लिए अधिक सेना रखने की इतनी जरूरत नहीं रहेगी" ।

"मेरे विचार से सूक्ष्म नियंत्रित युद्ध-सामग्री (पी०जी०एम०) इस तरह बनायी जा सकती है कि उससे किसी टैंक, जहाज, विमान, पुल या रडार यंत्र पर अथवा फौजी टुकड़ियों के जमाव आदि पर आक्रमण किया जा सके । . . . इसलिए हमें इस बात पर विचार करना है कि ऐसी स्थिति नहीं आ गई है जबकि यह बहुत महंगा रक्षात्मक हथियार हो जायगा । अतः ऐसे देशों को अत्यधिक आक्रमक सैन्य व्यय के बजाय विश्वसनीय रक्षात्मक उपाय के बारे में विचार करना होगा ।"

मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या नवीनतम वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर इस संबंध में कोई विचार किया गया है । अतः जहां तक आधुनिकीकरण का संबंध है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह नवीनतम घटनाचक्र पर विचार करे और विशेष रूप से यह देखे कि मिश्र-इजराइल के संघर्ष से क्या सबक लेना चाहिए और युद्ध की तकनीकों और संचालन में क्या परिवर्तन किया जा सकता है ।

अब, हम आयात करने जा रहे हैं । चाहे यह जगुआर हो या मिराज, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है । क्या हमें अपनी प्रौद्योगिकी का विकास नहीं करना चाहिए ? महोदय आपको मालूम होगा कि बंगलौर प्रयोगशाला ने जी० टी०एक्स इंजिन भारतीय डिजाइन के जेट विमान इंजिन का विकास किया है । हम इसे प्रोत्साहन क्यों नहीं देते ? हो सकता है इस पर कुछ अधिक लागत आये और यह हमें कमी अनावश्यक लगे । फिर भी हमें देश की अनुसंधान क्षमताओं का विकास करना चाहिए ताकि विमान-उद्योग का विकास हो सके । पिछले कुछ वर्षों में ब्रिटिश विमान-उद्योग का विकास इसलिए हुआ कि वहां रक्षा विमान-उद्योग ने इस दिशा में पहल की । प्लोडेन कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि इंग्लड में रक्षा उद्योग ने ही ब्रिटिश विमान-उद्योग का विकास करके ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को जीवित रखा । इसलिए हम अपने विमान उद्योग का विकास क्यों न करें ?

जनता शासन में क्या हुआ ? जनता शासन में वैज्ञानिक कुण्ठित थे और 1978 की बात है जबकि वैमानिक प्रयोगशाला बंगलौर के निदेशक डा० बल्लूर ने कहा कि :

"हमें यह देख कर दुःख होता है कि भारत में एयरोनाटिक्स की स्थिति ठीक नहीं है और हम एक चौराहे पर खडे हैं । यदि हम कोई ठोस निर्णय नहीं ले लेते हैं तो अब से 10 वर्ष तक के लिए अपनी स्वदेशी उत्पादन-क्षमता, विकास और आत्म-निर्भरता का उपयुक्त स्तर प्राप्त करने के रास्ते बन्द कर लेंगे" ।

यही धारणा वैज्ञानिकों की है । अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दे । हो सकता है कि कभी हमारा व्यय अधिक हो जाए परन्तु इसको महत्व नहीं देना चाहिए । हमें अपनी स्वदेशी क्षमता बढ़ानी चाहिए और इसी विचार से मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह आधुनिकीकरण की तरफ ध्यान दे ।

जहां तक जल-सेना का संबंध है, मैं देश का नाम तो नहीं जानता पर इस बारे में चर्चा हो चुकी है यह अवश्य चाहूंगा कि सरकार पनडुब्बियां खरीदे । हमें यह नहीं भूलना चाहिए हमें बहुत विस्तृत तटीय क्षेत्र की रक्षा करनी है । हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत और इण्डोनशिया में केवल 90 मील की दूरी है । अतः यह आवश्यक है । मैं जानता हूं कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम रक्षात्मक

उपाय करते समय कल सेना और वायुसेना के समन्वय पर अधिक बल देते हैं और जलसेना को किसी हद तक उपेक्षा की जाती है । अतः मैं कहूंगा कि अब हमें अपनी जल-सेना को सुदृढ़ करना चाहिए क्यों कि समय की मांग यही है । अतः मेरा अनुरोध है कि हमें पनडुब्बी प्राप्त करनी चाहिए, न केवल खरीदनी चाहिए बल्कि इनका निर्माण देश में आरम्भ करना चाहिए ।

अब मैं रक्षा उत्पादन पर आता हूं । हम पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्यों से भली भांति परिचित हैं । रक्षा उत्पादन के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं । एक है आत्म-निर्भरण या आत्म-विश्वास दूसरा है विज्ञान तथा अन्य क्षेत्रों में स्वदेशी उत्पादन-क्षमता । रक्षा-उत्पादन के यही दो उद्देश्य हैं। यह नीति पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा निर्धारित की गई थी और मेरे विचार से स्वर्गीय कृष्णमेनन ने इस नीति को प्रोत्साह कार्यन्वित किया था । पिछले तीन वर्षों में क्या हुआ है ? मैं जानता हूं कि कुछ कठिनाईयां हैं मैं यह भी जानता हूं कि उन हथियारों की दर बहुत अधिक है जो पुराने होते जा रहे हैं और कभी-कभी तो इन की खपत का अनुपात 60 और 1 का होता है । मैं रक्षा-उत्पादन की सभी समस्याओं से भली-भांति परिचित हूं । तथापि मैं आपका ध्यान रिपोर्ट के पृष्ठ 35 की ओर दिलाता हूं । यहां बताया गया है कि आठ सरकारी उपक्रमों में से छः घाटा उठा रही हैं या फिर उन्हें कम लाभ हो रहा है । स्थिति यह है । श्रीमती इन्दिरा गांधी के पहले के शासन काल में सभी उपक्रम लाभ कमा रहे थें परन्तु अब स्थिति भिन्न है ।

आयुध निर्माण कारखानों की भी यही हालत है । यहां एक मजेदार बात है । 1975-76 में आयुध निर्माणी कारखानों द्वारा सेना को 311 करोड रु० मूल्य में हथियार दिए गए थे ; 1976-77 में 367 करोड रु० 1977-78 में 386 करोड़ रु० के, 1978-79 में 394 करोड रू० से कुछ ऊपर के और 1979-80 में यह राशि 390 करोड रू० थी । इससे जाहीर है कि 1975-76 में एक ही वर्ष में 56 करोड का अधिक उत्पादन हुआ ।

डा सुब्रहमण्यम स्वामी (बंबई उत्तर पूर्व) : जब आप मंत्री थे ।

श्री वी० एन० गाडगील : शालीनतावश मैं यह नहीं बता रहा हूं कि तब कौन मंत्री था । मैं अपनी शेखी नहीं बघार रहा हूं । मैं यह कह रहा हूं कि इसका श्रेय हर किसी को जाता है परन्तु तथ्य यह है कि आयुध-निर्माणी कारखानों का पिछले तीन वर्षों का कार्य उतना अच्छा नहीं रहा जितना होना चाहिए था । अतः परिवर्तन अथवा सुधार आवश्यक हैं । सर जोन मालवार समिति के आधार पर आयुक्त-निर्माणी कारखानों के पुर्नगठन के लिए राजाध्यक्ष समिति गठित की गई थी । मैं उसके बारे में अद्यतन स्थिति तो नहीं जानता परन्तु मैं इतना आग्रह अवश्य करूंगा कि विभिन्न आयुध निर्माणी कारखानें उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दें ।

इस बारे में डा० सुब्रहमण्यम स्वामी मेरी एक बात को सुन कर हैरान होंगे । मेरे विचार से हारनेस और अन्य ऐसे कारखानों को जो घातक हथियारों का उत्पादन नहीं करते हैं निजी क्षेत्र को सौंप देना चाहिए क्योंकि उन्हें चलाना बहुत कठिन हो गया है । अतः हमें अन्य युद्धोपकरण बनाने वाले कारखाने लगाने चाहिए । हम इन छोटी-मोटी मदों को, यदि सभा सहमत हो तो, अन्य कारखानों को सौंप सकते हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटुर) : न तो बडे और न ही छोटे ।

श्री वी० एन० गाडगील : मैंने रक्षा नीति और सुरक्षात्मक उपायों की चर्चा की है । अन्त में मैं रक्षा रणनीति की चर्चा करना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि किसी को भी रक्षा-रणनीति के बारे में सोच-समझ कर चर्चा करनी चाहिए । मैं सेना विशेषज्ञ नहीं हूं और सेना में, जैसा कि आप जानते हैं, जो लोग सैनिक रणनीति की बात करते हैं उन्हें विश्व के दूसरे सबसे पुराने पेशे का समझा जाता है । अतः मैं अपने को उसे पेशे का नहीं समझता । फिर भी मैं इस संबंध में एक-दो बातें उठाना चाहूंगा ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राप्त 1971 में श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में, हमनें परम्परागत रणनीति का त्याग किया और इसके परिणाम निकले, क्योंकि जैसा मैंने आरम्भ में कहा है हमारा मूल राजनैतिक उद्देश्य प्रादेशिक अखंडता बनाए रखना रहा है और इसके परिणाम स्वरूप हमारा देश सैनिक

[श्री वी० एन० गाडगील]

अर्थों में आत्म-रक्षी देश ही बना रहा है । लिडिस हार्ट ने भी कहा है :—

"किसी भी आत्म-रक्षी देश की समस्या यह होती है कि वह इस प्रकार की रण-नीति तलाश करे जो उसके स्वभावतः अधिक सीमित उद्देश्य को इस प्रकार पूरा करने की दृष्टि से उपयुक्त हो और जिस से वह अपनी शक्ति को सबसे अधिक बचा सके ताकि उसके भविष्य और वर्तमान की सुरक्षा हो सके । पहले-पहल तो एसा लग सकता है कि आत्म-रक्षण सर्वाधिक किफायती तरीका है परन्तु इसका अर्थ होगा स्थिर-रक्षा और पूर्व-अनुभव हमें चेतावनी देता है कि इस प्रकार भी रणनीति पर विश्वास करना खतरनाक है ।"

1971 तक मुझे लगता था कि इस प्रणाली में आरम्भ में हिचकिचाहट है और फिर खुलकर युद्ध परन्तु 1971 में, श्रीमती गांधी के नेतृत्व में, पूरे युद्ध के दौरान हमने सदैव पहल की है । अतः रणनिती के बारे में पुनर्विचार आवश्यक है विशेष कर इस स्थिति में कि पाकिस्तान अब अणुबाम बनाने की तैयारी में है । इस बारे में मैं विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं । हमारे पास क्या विकल्प है? हमारा पहला विकल्प है मोरारजी देसाई का विकल्प, ऐसा मैं कहता हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : एकमात्र उपयुक्त विकल्प ।

श्री वी० एन० गाडगील : जब श्री मोरारजी देसाई ने राष्ट्र संघ में कहा था कि "वास्तव में हम इस से भी आगे बढ़ गए हैं और हमें शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए भी परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे" तब मुझे हैरानी हुई थी । उन्होंने तो यहां तक कहा कि यदि पाकिस्तान बम बनाता है तो भी हम शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे । मैं हैरान हूं कि अटल जी और अन्य लोग उनसे कैसे सहमत हो गए । मैंने उनका भाषण सुना था और मुझे याद है । मैं हैरान हूं । आखिर 'देश-अभिमान' 'देश-गौरव' 'अस्मिता' अहंकार, प्रखर-राष्ट्रवाद ये सब क्या हैं । जितनी थोडी-बहुत समझ मेरे में है उसके आधार पर मैं कहता हूं कि यदि हमें राष्ट्र की स्वतंत्रता और इसके भविष्य की रक्षा करनी है तो यह रक्षा केवल सबमरीनों से नही हो सकती है; हमारी प्रभुसत्ता की सुरक्षा न्यूक्लीय प्रौद्योगिकी अपनाये जाने में है । अतः मेरा कहना है कि श्री मोरारजी देसाई ने जो कहा है वह बड़ी ताकतों के सामने अपनी प्रभुसत्ता का समर्पण है । यह हमें नहीं करना चाहिए । अतः श्री मोरारजी देसाई वाला विकल्प अमान्य है । तब क्या रह जाता है ।: हमारे पास तीन विकल्प रहते हैं । जैसा मैंने कहा है मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूं परन्तु इस बार में चर्चा करना चाहूंगा । मेरे विचार से हमारे सामने तीन विकल्प हैं । एक तो है कि हम स्वयं अणु-बम बनाएं । परन्तु सम्भवतः यह राष्ट्र संघ और अन्य देशों में हमारी घोषित नीति के विपरीत होगा । लाभ हो या हानि, हमें इन बातों पर विचार करना ही होगा । दूसरा विकल्प यह है कि हमें पहले से चल आ रहे अस्त्रों-शस्त्रों का उस सीमा तक विस्तार करना चाहिए कि यदि परमाणु हमले के बाद अस्त्रों-शस्त्रों की लडाई हो तो हम दुसरे से पीछे न रहें । परन्तु यह बहुत शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेगा । मेरी राय में यह विकल्प लम्बे समय के लिय उपलब्ध नहीं रहेगा । तीसरे, अनिश्चय की रणनीति (स्ट्रेटिजी) आती है जिसे हम काफी अरसे से सफलतापूर्वक उपयोग करते आ रहे हैं । अनिश्चय की स्थिति बनाये रखे, उन्हें सोचने दो, उनसे कहो कि स्थिति बनाये रखो, उन्हें सोचने दो, उनसे कहो की हम किसी किस्म के शस्त्र इकट्ठा नहीं कर रहे हैं; परन्तु साथ ही साथ, हम अपने परीक्षण, न्युक्लीयर परीक्षण और यहां तक कि थर्मो-न्युक्लीयर परीक्षण की जारी रखें और किसी भी समय, यदि आप बम तैयार करते हैं तो हम भी इसके अधिकारी हैं; हमें इसमें कोई नैतिक रूकावट नहीं हो सकती । यही तीसरा तरीका है ।

अन्तिम तरीका जो शायद मेरे मित्र डा० स्वामी पसंद करेंगे, वह है इजरायली नीति जो इजरायली सिड्रोम' नीति कहलाती है जिसका आशय है कि आप अणुबम बनाने की सम्पूर्ण प्रक्रियायें पूरी कर लें लेकिन अन्तिम तार को न जोड़े दें, बम बनाइये लेकिन अन्तिम तार को मत जोड़िये । मुझे मालूम नही शायद डा० स्वामी इसे पसन्द करें । यही विकल्प हैं, इस पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श किया जाना चाहिये कि हमें कौन सी तीती अपनानी है । मैंने उन तीनों समस्याओं का जिक्र किया है जो मैंने उठाई थीं अर्थात सुरक्षा नीति सुरक्षा की तैयारियां और सुरक्षा की रणनीति ।

अंत में, मैं अपने जवानों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा । जैसा कि किसी ने चर्चा की थी मैं इसमें विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा--सेवानिवृत्ति के बाद हमारे जवानों के साथ अन्याय हो रहा है । साठ हजार जवान सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन उनके लिये जो उपलब्ध कराया जाता है, वह अपर्याप्त है । मैं जानता हूं कि वे देश के लिये क्या करते हैं । मैं जीवन बीमा निगम से इस बारे में लिखा पढ़ी करता रहा हूं उदाहरण क तौर पर पिछले सात वर्षों से मैं उन्हें सेवा-वरिष्ठता तथा अन्य फायदें जो सरकार ने घोषित किये हैं, दिलाने के लिये निगम से कहता रहा हूं परन्तु हर बार नकारात्मक उत्तर ही मिला है । मैंने सेना प्राधिकारियों से भी लिखा पढ़ी की लेकिन उसका भी कुछ सुपरिणाम नहीं निकला। वे भी सरकारी अधिकारियों जैसे ही हैं । मुझे एक ब्रिटिश सैनिक की याद आ रही है जिसने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अपने कर्तव्य को लिखा था : "महोदय जो कुछ भी मैंने सेवा में रहकर हासिल किया है, उसको देखते हुए सेना भाड़ में जाय "। आप जानते हैं कि उसे क्या उत्तर मिला। उत्तर था :"प्रिय महोदय, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ । यदि आप सेना की जातीविधियों के बारें में कुछ जानना चाहते हैं तो कृपया इस प्रकार के आवेदन पत्र पर आवेदन कीजिये।" इस प्रकार की चीजे होती हैं । इसलिये इन कारणों से इसकी पुनर्व्यवस्था आवश्यक है । मैं यह कह कर समाप्त करता हूं कि जवान हमारे लिये क्या कुछ करते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा है । कुछ साल पहले, संसद के अपने कुछ साथियों के साथ, हम पाकिस्तान/चीन सीमा पर गये थे, हम 16000 फीट तक की ऊंचाई पर गये । जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप 13000 फुट से अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, आक्सीजन की कमी हो जाती है और आपके लिये सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है । उस स्थान पर, वे वर्ष में 9 महीने रहते हैं, वे बर्फ पर बैठते हैं; उनक घर से भेजा हुआ पत्र तक उन्हें नहीं मिलता, मिला भी है तो एक महीन बाद । मनोरंजन के साधन उन्हें उपलब्ध नहीं हैं, यहां तक कि उन्हें वहां रेडियो के कार्यक्रम भी अस्पष्ट सुनाई पड़ते हैं । उन्हें अंधेरे में रहना पडता है, निरंतर मानसिक तनाव में उन्हें खाइयों में रहना पड़ता है, क्योंकि दूसरी ओर शत्रु है । इन हालातों में वे रहते हैं । हममें से कुछ वहां गये थे । वहां 20 जवानों की एक यूनिट है । हम वहां गये और हमने उनसे पूछा कि आपकी क्या मांगें हैं ? उन्होंने क्या कहा ? क्या उन्होंने "हमारी आकस्मिक छुट्टियां बढ़ाओं", क्या उन्होंने यह कहा, 'हमारा यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता बढ़ाओ', मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे जवानों ने यह कहा, "हमारी तो एक ही मांग है, जब आप हमें हमला करने का हुक्म दें तो मेहरबानी करके हमसे पीछे हटने के लिय मत कहिये"। यह उत्तर था हमारे जवानों का ये वे जवान हैं जो दुनिया में सबसे बहादुर हैं । जब हम वहां से लौटने लगे तो पता नहीं कैसे मैंने उनसे दूसरा प्रश्न कर दिया । मैंने उनसे पूछा, "हम वापस जा रहे हैं । भारतवासियों के लिये आपका कोई संदेश है ?" जैसे ही मैंने यह कहा, "भारतवासियों के लिये आपका कोई संदेश है ? हम वापस जा रहे हैं ।" एक अजीबोगरीब घटना हुई। बीसों बंदूकों सहित बीस जोडी हाथ ऊपर उठ गये और बीसों मुंह से एक ही जवाब मिला, "भारत माता की जय" । जब ये शब्द गूंजे और हिमालय के बर्फीले पहाडों से टकराती हुई इनकी प्रतिध्वनि मेरे पास तक पहुंची, मुझे यह कहने में कतई शर्म नहीं है कि मैं इतना गद्‌गद् हो गया, इतना भावुक हो उठा कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले ।

इस तरह की चीजें हैं जो वे देश के लिये करते हैं । सेवानिवृत्ति के बाद हम उनके लिये क्या करते हैं । इसलिये, जब तक हमारे पास ऐसे जवान हैं हमें चिन्ता करने की जरूरत नहीं हैं बशर्ते कि उन्हें सही नेतृत्व प्रदान किया जाय । सौभाग्यवश, श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे व्यक्ति का नेतृत्व हमें प्राप्त है। वे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ रक्षा विभाग भी संभाल रही हैं । उनका एक गुण जिसने इस देश में उन्हें सबसे महान नेता बनाया है, वह है उनका अदम्य साहस । हमने, 1971 में, उन्हें बहुत बार और बहुत से मौकों पर देखा है, चाहे पार्टी के भीतर की समस्या हो अथवा बाहर की, चाहे कोई राष्ट्रीय विपदा हो अथवा कोई उनकी घरेलू विपत्ति जैसे कि पिछले दिनों घटित हुई है, उन्होंने साहसपूर्वक हमारा साथ दिया है। ऐसा साहस मालूम नहीं उनमें कहां से आता है । लेकिन मैं तो केवल यही कह सकता हूं : उनका यह साहस वंशगत है; यह साहस अध्यात्मिक साहस है ।

ऐसा कहने का एक कारण है जो मेरे सामने आया है—मैं उसे बताकर बैठ जाऊंगा। मुझे एक दिन श्री मोतीलाल नेहरू द्वारा वायसराय का लिखा गया एक पत्र पढ़ने का मौका मिला । वायसराय ने उनको लिखा था, "हम लोगों को समझौता कर लेना चाहिये"। और मोतीलाल नेहरू का क्या उत्तर था ? मोतीलाल

[श्री वी० एन० गाडगील]

नेहरू का उत्तर था "मैं सदा ही सम्मान शांति के लिये तैयार हूं। लेकिन जब तक भी नेहरू परिवार के खानदान के खून की एक बूंद भी बाकी है तब तक आत्मसमर्पण नहीं होगा और न हो सकता है।"

जब तक ऐसा नेतृत्व हमारे पास है और ऐसे बहादुर जवान हमारे पास हैं, हमारा देश सुरक्षित है।

श्री एच० के० एल० भगत (पूर्वी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की मांगों के बारे में अपना निवेदन शुरू करता हूं--मेरे माननीय मित्र श्री गाडगील जी ने इस बारे में काफी कुछ कह दिया है और मैं उन अधिकारियों और उन नौजवानों और दूसरे उन सभी लोगों के प्रति अपना सोल्लास आभार प्रकट करने में उनसे सहमत हूं जो किसी भी हैसियत में हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जो सीमा पर हैं या जो देश के किसी भी भाग में काम कर रहे हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि सुरक्षा जैसे मामले पर बहस श्री राम विलास पासवान द्वारा दिये गये वक्तव्य से शुरू हुई। मैं उनका बहुत आदर करता हूं और मैं वे बातें नहीं कहूंगा जो आपने कार्यवाही वृत्तान्त में से निकाल दी हैं, मुझे उन पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। मुझे खेद है कि इस देश में विपक्ष कहां जा पहुंचा है। मुझे यह कहते हुए वास्तव में दुख हो रहा है। उन्होंने बहुत सी बातें कह दी हैं, कि चीन ने यह किया है, चीन ने वह किया है, चीन के पास सेना के पहाड़ी डिवीजन हैं, उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि चीन के पास सभी कुछ है, और उन्होंने कहा है कि चीन हमसे बेहतर है, चीन हमसे ज्यादा मज़बूत है, कुल मिलाकर स्पष्टतः यह महसूस होता है कि हमारे अपने देश के मुकाबले में वे चीन के ज्यादा भक्त और प्रशंसक हैं। वह यह कह सकते हैं और मैं आपत्ति नहीं कर सकता। लेकिन विनम्रता पूर्वक मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह यह है कि उन्होंने साथ ही साथ यह कहा है कि रक्षा बजट पर बहुत अधिक धन लगाया जा रहा है और उन्होंने रक्षा व्यय में कमी करने के लिये बहुत जोरदार मांग की है। एक तरफ तो उन्होंने कहा है कि फौज और सुरक्षा को मजबूत बनाया जाना चाहिये, दूसरी तरफ़ उन्होंने रक्षा व्यय में कमी की मांग की, जैसा कि अक्सर आम लोग मांग करते रहते हैं। वह स्पष्ट रूप से परस्पर विरोधी बातें कह रहे हैं। मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे अनुसंधान कार्यों की चर्चा की है और जो कुछ भी मैं समझा हूं, यदि वह सही है तो उन्होंने हमारे अनुसंधान का उपहास किया जब से हम आज़ाद हुए हैं, तब से अब तक जो कुछ भी भारत ने उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके बारे में गर्व दर्शाने के बजाय उसका उपहास किया गया है। हालांकि मुझे इस तथ्य का भलीं भांति ज्ञान है कि सुरक्षा का मामला एक ऐसा मामला है जिसे सम्पूर्ण विश्व, संसार की घटनाओं और अन्य दूसरी घटनाओं तकनीकी परिवर्तनों, हमारे साधनों और अन्य बातों के संबंध में हमारी अपनी संसाधनों की कमी, हमारे देश की विशालता, विस्तृत सीमायें, जल और वल सीमायें जिनकी हमें रक्षा करनी पड़ती है, और ऐसी ही बहुत सी परिस्थितियां हैं जिनके अनुसार ही इस मामले में सामंजस्य पैदा करना पड़ता है। फिर भी, जबसे हम आज़ाद हुए हैं, सुरक्षा के मामले में जिसकी बुनियाद स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने इस देश के लिये रखी थी और जिसे बाद में, हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने विकास किया और अन्य लोग जिन्होंने विभिन्न क्षत्रों में विभिन्न कारखानों तथा प्रयोगशालाओं में एक दल के रूप में कार्य किया, बहुत अच्छी तरह से इसकी देखभाल की है। इस उपलब्धि पर हमारा देश वास्तव में गर्व कर सकता है। मुझे कुछ पत्रिकायें पढ़ने का मौका मिला है। सुरक्षा के मामले में, निश्चिततः, हम कुछ बड़ी शक्तियों के समकक्ष नहीं हैं। यह ठीक है। हो सकता है कि कुछ बातों में चीन हमसे कुछ ज्यादा शक्तिशाली हो, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। परन्तु इस मामले में सच्चाई है कि जो पत्रिकायें मैंने पढ़ी हैं, उनमें से कुछ में यह प्रश्न किया गया है कि सुरक्षा के मामले में भारत को विकासशील देश कहना, कहां तक उचित है अथवा भारत को कुछ हद तक विकसित देश कहा जाना चाहिये। यह कुछ बातें हैं जो उन पत्रिकाओं में कही गई हैं।

मैं सामरिक अध्ययन संस्थान की पत्रिका पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने हमारे न्यूक्लीय विकल्पों और इसी विषय से संबंधित अन्य बातों के बारे में लिखा है। उस पत्रिका में ये टिप्पण दिए गए थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारे पास बहुत ही छोटी-छोटी आर्डनेंस फैक्ट्रियां थीं। और आज हमारे पास क्या है? अब हम कौन सी चीज नहीं बना रहे हैं? हमने कितनी उन्नति की है। गोला-बारूद और छोटे-हथियारों जैसे अनेक मामलों में हम किसी हद तक आत्मनिर्भर हो चुके हैं। हमारे पास टैंक, जहाज और अन्य चीजें उपलब्ध हैं। प्रतिदिन हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे स्त्रोतों और अन्य बातों के मार्ग में आई बाधाओं के कारण, हमने अनेक आयातित प्रौद्योगिकियों को प्राप्त किया है, और कई मामलों में तो हमने इनमें सुधार भी किए हैं। इन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण भी किया जा चुका है। हमारे विजयंता टैंकों का अमरीकी टैंकों की तुलना में परीक्षण किया गया। इनमें अभी भी सुधार किया जा रहा है। ऐसी ही स्थिति हमारे विमानों और इलैक्ट्रानिकी प्रणाली की है। कई मामलों में हम निर्यात भी कर रहे हैं और हमने विदेशी मुद्रा अर्जित की है। यह सच है कि रक्षा संबंधी मामलों

में हम कुछ विदेशी शक्तियों के बराबर नहीं हैं। परन्तु मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से अब तक हमने बहुत प्रगति की है और हम इस बात पर गर्व अनुभव कर सकते हैं। हमारे देश को जब भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यह बात सिद्ध हुई है। हमारे देश पर हुए चीनी आक्रमण से हमें सबक मिला। तदुपरान्त, हमारी सरकार ने स्थिति में सुधार किए, और हमने आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम उठाए तथा हमारी रक्षा क्षमता में हमारी सेनाओं में संख्या एवं गुणवत्ता की वृद्धि करके मार-करने की शक्ति तथा और आधुनिकीकरण के द्वारा पर्याप्त सुधार हुए हैं। हमें इस बात पर बहुत गर्व है। परन्तु हमें यह देख कर दुख होता है कि हमारे कुछ लोगों को देश की उपलब्धियों पर गर्व अनुभव नहीं होता है। निश्चित रूप से हमें अधिक के लिए संघर्ष करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए तथा हमें और अधिक प्राप्त करना चाहिए परन्तु ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अपने कार्यों पर गर्व अनुभव न करें। ...

ये प्रश्न बहुत अधिक रूप से परस्पर संबंधित हैं; विदेश मंत्रालय अन्तः संबंधित है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी सुधार अन्तः संबंधित हैं, रक्षा उत्पादन से संबंधित उद्योग अन्तः संबंधित है तथा हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध भी अन्तः संबंधित है।

अभी-अभी श्री गाडगिल हमारे न्यूक्लीय विकल्पों के संबंध में बात कर रहे थे तथा उन्होंने कहा था कि इन विकल्पों में से एक विकल्प मोरारजी विकल्प था। इस बारे में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई पूरे देश की ओर से पृथक थे। यह सच है कि जनता पार्टी शासन में सभी स्वतंत्र थे; प्रधान मंत्री देश की ओर से पृथक थे। मंत्रीगण प्रधान मंत्री से पृथक थे। अधिकारीगण मंत्रियों की ओर से स्वतंत्र थे और इसी प्रकार सभी एक दूसरे से स्वतंत्र थे। और इसीलिए वे उस स्थान पर हैं.....(व्यवधान) मैं रक्षा संबंधी विषय के बारे में बात कर रहा हूं। श्री मोरारजी देसाई ने केवल वही दो बातें नहीं कहीं जिनका उल्लेख अभी श्री गाडगिल ने किया है परन्तु उन्होंने एक तीसरी बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि पोखरन में भारत ने जो न्यूक्लीय (परमाणु) विस्फोट किया है वह शान्ति पूर्ण कार्यों के लिए नहीं था...

डा० सुब्रमण्यम स्वामी : उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा।

श्री एच० के० एल० भगत : उन्होंने यह कहा था। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि उन्होंने यह कहा था। उन्होंने विश्व न्यायालय में भारत के विरुद्ध गवाही दी। यह उनकी सार्वजनिक घोषणा। मैं उस बात की गहराई में नहीं जा रहा। मेरा और श्री गाडगिल का यही कहना है कि हमारा स्तर न्यूक्लीय प्रौद्योगिकी है। महोदय, मैं एक बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। मैं शान्ति प्रिय व्यक्ति हूं। मैं कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता हूं। श्रीमति गांधी न्यूक्लीय प्रौद्योगिकी का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना चाहती हैं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत संकोचपूर्वक इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भारत के पास न्यूक्लीय (परमाणु) प्रतिरोधक के अलावा और कोई विकल्प नहीं है तथा भारत को परमाणु बम्ब बनाना ही पड़ेगा। मैं इसके पक्ष में हूँ। मेरी यही राय है। आप इसे पसंद करें या न करें। आप इसकी बात कर रहे थे। भारत को संसाधनों की कमी और गरीबी के विरुद्ध हमारी लडाई को देखते हुए, भारत के पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है; जबकि चीन के पास परमाणु बम है। यह भी चर्चा है कि पाकिस्तान भी बना रहा है। डा० भाभा ने भी कहा था कि केवल एक ही रास्ता है या तो आपको प्रतिरोधक इस्तेमाल करना होगा या कम से कम प्रतिरोधक इस्तेमाल करने की धमकी इस्तेमाल करने की क्षमता आप में हो। ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने बिल्कुल उन्हीं शब्दों का उपयोग नहीं किया। हमें युद्धों के व्यापक तौर से बदलते हुए रूप को ध्यान में रखना है जो आगामी वर्षों में हो सकते हैं। वे युद्ध भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। वे परम्परागत युद्धों जैसे न हों। टैंकों का महत्व पहले जैसा नहीं रहा। या हो सकता है मिसाइलों और राडारों या अन्य हथियारों का अधिक इस्तेमाल ऐसे युद्धों में किया जाए। परन्तु मैं इमानदारी से स्वीकार करता हूं कि जिस विषय पर मैं बोल रहा हूं इसके बारे में मेरी अधिक जानकारी नहीं है। परन्तु, फिर भी एक सामान्य व्यक्ति के नाते मैं यह अनुभव करता हूं कि भविष्य में सम्भावित युद्धों की किस्म को ध्यान में रखते हुए हमारी नीति निर्धारित की जानी चाहिए। समस्त विश्व बड़ी तेजी से बदल रहा है। जैसा कि वार्षिक रिपोर्ट में संकेत किया गया है कि दक्षिण-पूर्व एशिया तथा दक्षिण-पश्चिम एशिया में नए तनाव पैदा हो गए हैं। अफगानिस्तान समस्या भी है। हिन्दमहासागर अब पहले की अपेक्षा अधिक संवेदनशील क्षेत्र हो गया है तथा हमारे बार-बार आपत्ति करने के बावजूद भी, संयुक्त राज्य अमरीका अपनी मनमानी कर रहा है तथा वास्तव में उन्होंने विश्व के इस भाग में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। अतः क्या होने वाला है इसका हमें पूर्वानुमान करना है और उसी के अनुसार कार्य करना है। कुछ ही क्षणों में मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि भारत कसौटी पर खरा उतरा है। अभी जब श्री गाडगिल, श्रीमति गांधी का हवाला दे रहे थे तो श्री सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे कि क्या इसका संबंध रक्षा से है? श्री स्वामी समझते हैं कि

[श्री एच० के० एल० भगत]

कि देश के नेतृत्व का रक्षा के साथ कोई संबंध नहीं । उनके अनुसार कोई भी व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति यह कार्य कर सकता है। इस विषय में उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा । "इन्दिरा गांधी" से वह बच गए । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुछ नहीं सीखा । बाद में हुए विधान सभा चुनावों में भी उनके अपने उम्मीदवार बुरी तरह से हारे । मैं यह कहना चाहता हूं कि बाहरी युद्ध का मुकाबला आन्तरिक शक्ति से किया जा सकता है । और भारत जैसे विशाल देश में एक अच्छे, सक्षम और मजबूत राष्ट्रीय नेतृत्व, जिसके पीछे सारा देश हो और केवल मात्र श्रीमती गांधी ही प्रदत्त कर सकती है, के बिना आन्तरिक शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती ।...(व्यवधान) महोदय निजी तौर से वे इस बात को मानते हैं । यह केवल मेरी अपनी राय नहीं है...(व्यवधान) महोदय, मैं एक घटना का उल्लेख कर रहा हूं । श्रीमति गांधी फरवरी में हार गई... (व्यवधान) ऐसी बातें मत करो । यह मत सोचो कि मैं तुम्हारी तरह घटिया किस्म का व्यक्ति हूं । (व्यवधान) प्रिय मित्र, इन तीन वर्षों के दौरान मैं उनके (श्रीमती गांधी) साथ रहा हूं । परन्तु तुम हमें अपनी 'ब्लडी' जेलों में भेज रहे थे । (व्यवधान)

श्री रतन सिंह राजदा (बंबई दक्षिण) : महोदय, 'ब्लडी' शब्द असंसदीय है । क्या यह संसदीय है ?

सभापति महोदय : एक मिनट ठहरिए ।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं भाषण शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : एक मिनट ठहरिए । आमतौर से 'ब्लडी' शब्द प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । परन्तु यदि यह 'जेल' के लिए प्रयुक्त किया गया है तो यह सही है ।

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, अब मैं अपनी छोटी सी घटना को बयान करना समाप्त कर रहा हूँ ।

श्रीमति गांधी फरवरी, 1977 के चुनावों में हार गई । जून और जुलाई, 1979 में । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या इसका संबंध रक्षा से है ?

श्री एच० के० एल० भगत : इसका संबंध रक्षा से ही है । जून और जुलाई, 1979 में वे बाढ़ और बाढ़ से पीड़ित लोगों को देखने के लिए दिल्ली गई । वे नजफ़गढ़ की तरफ गई । हम कुछ लोग उनके साथ थे । वहां कार्य कर रहे जवानों को जब यह मालूम हुआ कि श्रीमती गांधी वहां आई हुई हैं तो उनमें से सभी सैकड़ों जवान उनके पास आए और उन्होंने उनके लिए अपनी श्रद्धा और सम्मान का प्रदर्शन किया ।

उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी । श्रीमती गांधी उस समय प्रधान मंत्री नहीं थी । उस समय श्रीमती गांधी चुनाव में हार गयी थीं । (व्यवधान) मैं थोडी देर में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । जानते हैं इसके बाद क्या हुआ ? सेना के जवान उनके साथ अपना फोटो खिचवाने के बहुत इच्छुक थे। उन्होंने हमें चाय दिलाई लेकिन श्रीमती गांधी ने फोटो खिचवाने से इन्कार कर दिया। सैनिक श्रीमती गांधी का बहुत सम्मान करते हैं ।

महोदय, मैं श्री गाडगिल की इस बात से सहमत हूं कि नौ सेना की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों को फिर से रोजगार दिलाने के लिए इस समय जो कुछ किया जा रहा है उस पर उससे अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। ऐसे लगभग 50,000 अथवा 60,000 भूतपूर्व सैनिक हैं। जिन्होंने 30 वर्ष से कुछ अधिक की आयु में सेना से अपना पद छोड़ दिया "उनके प्रति सहानुभूति रखी जानी चाहिए और उन्हें काम दिया जाना चाहिए ।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

सभापति महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है । सम्बन्धित सदस्यों से प्राप्त स्लिपों के आधार पर रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों सम्बन्धी जिन कटौती पुस्तकों को प्रस्तुत किया गया मान लिया गया था, उनकी संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण सदस्यों की सूचना के लिए सूचना-पट पर लगा दिया गया है।

यदि किसी सदस्य को उसमें कोई गलती नजर आये तो उसकी ओर तुरन्त सभा पटल पर बैठे अधिकारी का ध्यान दिलायें ।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[रक्षा कर्मचारियों में धर्म निरपेक्षता, समाजवाद और लोकतंत्र की भावना करने में असफलता (1)]

[सामहिक भोजनालय और खेल कूद के द्वारा सेना के आधिकरियों और जवानों के बीच भातृ भाव पैदा करने तथा उनके संगठन को लोकतांत्रिक बनाने में असफलता(2)]

श्रीमती गीता मुखर्जी (जंसकुरा) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाये ।"

[बंगला रेजीमेन्ट बनाने में असफलता(3)]

श्री बापू साहिब पल्लेकर (रत्नागिरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[रक्षा मंत्रालय में व्याप्त कदाचार को रोकने में असफलता(5)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[राष्ट्रीय स्तर पर अत्याधुनिक आसूचना प्रणाली बनाने में असफलता(6)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

[रक्षा सम्बन्धी मामलो में सहयोग और समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार और रक्षा सेवाओं के बीच कारगर और लगातार सम्बन्ध बनाये रखने हेतु एक संगठन का निर्माण करने में असफलता (7)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[चुनौतियों का सामना करने के लिए सशस्त्र सेनाओ को पर्याप्त रूप से गुणात्मक तथा परिणामात्मक रूप से बढ़ाने में असफलता (26)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल्स तथा आधुनिकतम एन्टी-टैंक मिसाइलों से युक्त हैलीकेप्टरों का प्रचलन न शुरू करके टैंक विरोधी क्षमता बढ़ाने में असफलता (27)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[राजस्थान मरूभूमि के सीमा क्षेत्रों में प्रचलन हेतु पूर्ण मशीनीकृत कोर स्तर का फारमेशन स्थापित करने में असफलता (28)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये ।"

[देश की समुद्री सीमा की लम्बाई को देखते हुए सब-मेरिन यूनिट समेत नौसेना को बढ़ाने में असफलता (29)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पेन्शन तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों के प्रति उचित ध्यान देने में असफलता। (31)]

श्री आर० के० महाजनी (ठाणे) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[कैन्टोनमेन्ट बोर्डों को पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक बनाने में असफलता (14)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[विभिन्न सरकारी स्कीमों के अप्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप महाराष्ट्र में भूतपूर्व सैनिकों की दयनीय हालत (15)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"।

[महाराष्ट्र के ठाणे जिले के लिए सोल्जर बोर्ड की आवश्यकता (16)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[भूतपूर्व सैनिकों की पेन्शन को कम से कम 100 रुपया प्रति माह करने के सम्बन्ध में उनके द्वारा मई 1980 में दी गई याचिका पर विचार करने की आवश्यकता (17)]

[श्री आर० के० महालगी]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[बेलगाम (कर्नाटक) के केन्टोनमेन्ट बोर्ड के भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा अपने पेन्शन तथा अन्य लाभों के बारे में दी गई याचिका पर विचार करने की आवश्यकता (18)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[पाकिस्तान के परमाणु बम बनाने के निर्णय को देखते हुए भारत की सैन्य तैयारी करने की आवश्यकता (19)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[आर्डनेन्स सम्पदाओं में सार्वजनिक बैठक करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने की आवश्यकता (20)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[सशस्त्र सेना के कर्मचारियों को और सुविधा देने की आवश्यकता (21)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[सशस्त्र सेनाओं में "दरबार" की पुरानी पद्धति को समाप्त करने की आवश्यकता (22)]

"कि रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[ठाणे जिला (महाराष्ट्र) के अम्बरनाथ आर्डनन्स सम्पदा में रहने वाले व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान करने तथा उपचारात्मक उपाय करने की आवश्यकता (23)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[सेवा निवृत्त सेना अधिकारियों की सेवाओं का शान्ति के समय में भी उपयोग करने की आवश्यकता (24)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[रक्षा मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय में समन्वय रखने की आवश्यकता (25)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम को नागपूर में हिंगना औद्योगिक सम्पदा के लिए नागपुर के निकट अम्बाजारी रेलवे साइडिंग का उपयोग करने की अनुमति देने के प्रस्ताव से सम्बद्ध विभिन्न विषयों के निपटान में विलम्ब (32)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रुपये कम किये जायें ।"

[रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन बम्बई और पुणे में भूमियों का उपयुक्त प्रबन्ध करने में असफलता जिस से वहां गन्दी बस्तियां स्थापित हो गई हैं और उसके साथ-साथ बम्बई नगर निगम तथा राज्य सरकार की अन्य एजेन्सियों के सहयोग से गन्दी बस्तियों के सुधार से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं का पता लगाने की प्रगति अत्यन्त धीमी हो गई है (33)]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) म 100 रु० कम किये जायें ।"

[रक्षा एकक के 3 लाख सिविलीयन कर्मचारियों को उत्पादन से सम्बद्ध बोनस क रूप में 15 दिन क वेतन न दिया जाना (34)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रु० कम किये जायें ।"

[एक ही वेतनमान में 15 वर्ष तक सेवा करते रहने के बाद सिविलियन कर्मचारियों को स्वतः पदोन्नति देने के बारे में 11-8-1979 को लिए गए निर्णय को कार्यान्वित न करना (36)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रु० कम किये जायें ।"

[अलीपुर, कलकत्ता में आयुध डिपों को समाप्त करने के का. को तुरन्त रोकने की आवश्यकता (36)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रु० कम किये जायें"

[रक्षा एककों के सिविलियन कर्मचारियों के लिए एक स्थायी वार्तालाप तंत्र को पुनः बनाने की आवश्यकता (37)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रु० कम किये जायें"

[रक्षा एककों के सिविलियन कर्मचारियों को बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता (38)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रु० कम किये जायें"

[पश्चिम बंगाल रक्षा एककों में हाल ही में बहाल किए गए 31 कर्मचारियों की सेवा में व्यवधान न डालने की आवश्यकता (39)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रु० कम किये जायें"

[कार्मिक संघ गतिविधियों के लिए सेवा से निकाले गए या लम्बित किए गए सिविलियन कर्मचारियों की तुरन्त बहाली की आवश्यकता (40)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रु० कम किये जायें"

[सभी रक्षा एककों में कैन्टीन कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी मानने की आवश्यकता (41)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में (पृष्ठ 9–15) में 100 रुपये कम किये जायें"

[आयुध कारखाना बोर्ड में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके उनके कार्य में सुधार की आवश्यकता (42)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

[छुट्टी के मामले में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों के बीच भेद-भाव न करने की आवश्यकता (43)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

[जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में सिविलियन कर्मचारियों को, कार्मिक संघ अधिकार देने से इन्कार करना (44)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

[विशेषज्ञ वर्गीकरण समिति के प्रतिवेदन को कार्यान्वित न करना (45)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जाये"

[ओवराय समिति क प्रतिवेदन को कार्यान्वित न करना (46)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

[असम म सीमा सड़क संगठन के कर्मचारियों को अपनी शिकायतें पेश करने से रोकने के लिए दमनात्मक उपाय करना (47)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

[वैरगपुर पश्चिम बंगाल हाल कारखाने के पुनर्गठन और विस्तार की आवश्यकता (48)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

[पुराने स्वतन्त्र ढांच को बदलकर तीनों रक्षा सेवाओं को एक संयुक्त और एकीकृत कमाण्ड के रूप में संघठित करके रक्षा योजनाओं और नीतियों को उसके नियंत्रणाधीन बनाने में असफलता] (64)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें"

[देश के रक्षा ढांच म बकार के व्यय और अनत्पादक जनशक्ति कम करने और उस पर कड़ी पूंजी नियंत्रण रखन में असफलता (65)]

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[रक्षा कर्मचारियों को अब तक बोनस का भुगतान करने में असफलता (52)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[रक्षा कर्मचारियों में जनतांत्रिक धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धान्तों की भावना भरना (53)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[रक्षा सेवाओं में उँच-नीच की भावना को समाप्त करने की आवश्यकता (54)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[रक्षा सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्य बुराइयों को दूर करने में असफलता (55)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[समाजवादी देशों की मदद से रक्षा साधनों को मजबूत बनाने की आवश्यकता (56)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[छावनी बोर्डों को पूरी तरह से जनतांत्रिक बनाने में असफलता (57)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[सेवा की परिस्थितियों के सम्बन्ध में अखिल भारतीय कर्मचारी फेडरेशन की मांगों को स्वीकार करने में असफलता (58)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[रक्षा कर्मचारियों में भेदभाव की भावना को रोकने में असफलता (59)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[दानापुर छावनी बोर्ड को विशेष आर्थिक सहायता देने की आवश्यकता (60)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[दानापुर के भर्ती कार्यालय में भ्रष्टाचार को रोकने में असफलता (61)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[अच्छी सड़कों का निर्माण कर और पीने के पानी की कमी को दूर कर दानापुर छावनी की अवस्था में सुधार करने की आवश्यकता (62)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाएं"

[दानापुर छावनी बोर्ड क्षेत्र के निवासियों पर लगे कर को कम करने की आवश्यकता (63)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"

[भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता (66)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"

[रक्षा सेवाओं के अधिकारियों द्वारा जवानों के साथ बरते जाने वाले भेदभाव को रोकने में असफलता (67)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"

[जवानों को पर्याप्त सुविधाएं देने में असफलता (68)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"

[भूतपूर्व सैनिकों की पेन्शनों में वृद्धि करने की आवश्यकता (69)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक क अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"

[भूतपूर्व सैनिको की मांगों को तुरन्त स्वीकार करने की आवश्यकता (70)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें"

[रक्षा सेवाओं में दरबार प्रथा को समाप्त करने में असफलता (71)]

श्री एन० ई० होरो (खूंटी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रुपए कम किये जायें"

[रक्षा सेवाओं में आदिवासियों को पर्याप्त संख्या में भर्ती करने में असफलता (72)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रुपए कम किये जायें"

[एक आदिवासी रेजिमेन्ट संगठित करने में असफलता (73)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रुपए कम किये जायें"

[रांची में जी० ई० एल० चर्च की भूमि को भूतलक्षी तारीख से बाजार मूल्य पर उचित क्षतिपूर्ति के साथ रिलीज करने में असफलता (74)]

"कि रक्षा मंत्रालय शीर्षक के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 9–15) में 100 रुपए कम किये जायें"

[भूतपूर्व सैनिकों की पेन्शन की राशि को बढ़ाने की आवश्यकता (75)]।

सभापति महोदय : अब कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के सदस्य के बोलने की बारी है। किंतु मुझे भी इन्द्रजीत गुप्त से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें जल्दी जाना है, अतः मैं पहले उन्हें बोलने की इजाजत देता हूं।

श्री गुप्त आपको 8 मिनट दिये जाते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ऐसे विषय पर यह आशा करना कि वक्ता 10 मिनट के भीतर अपनी बात कहेंगे, एक प्रकार से ज्यादती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे कुछ समय और दें।

महोदय, श्री गाडगिल ने कुछ बातें कहीं है, श्री भगत ने भी कुछ बातें कहीं है, जिन पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। वास्तव में उनमें से कुछ बातों पर मैं उनसे सहमत हूं। उदाहरण के रूप में भी श्री गाडगिल ने स्वदेशी विमान टेकनालाजी विकसित करने की तात्कालिन आवश्यकता के बारे में कहा है। मैं भी इन कुछ मामलों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा था।

श्री भगत ने कुछ बातों का उल्लेख किया, किंतु उन्होंने उनका उस तरह से उल्लेख नहीं किया जिस तरह से मैं करना चाहता हूं। रक्षा का सबसे अच्छा तरीका यह है कि देश की आन्तरिक हालत सुदृढ़ हो। किंतु उन्होनें इस सब को प्रधान मंत्री महोदय के नतृत्व पर छोड़ दिया। निःसंदेह प्रधान मंत्री महोदया का नेतृत्व इस मामल में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं इससे इनकार नहीं करता। किंतु देश की आन्तरिक शक्ति को प्रधान मंत्री की भूमिका के समक्ष नहीं रखा जा सकता।

हमने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका ने विश्व भर में अरबों डालर मूल्यों के अत्याधुनिक शस्त्र सप्लाई कियें हैं। क्या वह वियतनाम में जिल्लतभरी हार खाने के लिए ऐसा करता ? मैं नहीं जानता कि वियतनाम के पास कितने कम्प्यूटर तथा कितना अत्याधुनिक साजसामान है। किंतु मैं यह अवश्य जानता हूं कि उन्होंने विश्व में सबसे बड़े सैनिक तन्त्र की मात की है ...। यह मुख्यतया उन्होंने अपनी आन्तरिक शक्ति, अपने राष्ट्र की एकता, अपने उच्च मनोबल, अपनी देशभक्ति तथा अपने अदम्य साहस के बल पर किया। ऐसा नहीं है कि हममें इन चीजों का अभाव है। मैं भी अपने सैनिकों की उतनी ही कद्र करता हूं कि जितनी की और लोग करतें हैं। किंतु महोदय,जहां तक मेरी जानकारी है आजतक हमारी सरकार की यह नीति रही है कि हमनें न्यूक्लीय टेक्नालाजी का, जिसमें आवश्यक होने पर शांति-पूर्ण उद्देश्यों के लिये विस्फोट करने की टेक्नालाजी भी शामिल है, अवश्य विकास करना चाहिये। किंतु मैं नहीं समझता कि सरकार ने न्यूक्लीय बम बनाने की कोई नीति अभी अपनाई है। अब, सत्तारुढ़ दल के सदस्य जोर शोर से यह कह रहें हैं कि हमें इस नीति में परिवर्तन करना चाहिये। यह उब पर है कि वह अपने उत्तर में इस बारे में बताये। मुझे पता नहीं है कि श्री आगा शाही अभी यहीं है या वापस चले गये....।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तरपूर्व) : वह इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या आपको इस आशय का कोई संदेशा मिला है।

अजीब बात है कि श्री आगा शाही तथा जनरल जिया-उल-हक अकसर यह कहते रहते है कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर अपनी सैनिक जरुरतो का समन्वय करना चाहिये। और भी इसी तरह की बातें वे करते हैं। मेरे विचार

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

में यह कोई अच्छा प्रस्ताव नहीं है। जो भी हो हमारे देश में श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ही ऐसे हैं जिन्होंने कुछ समय पूर्व एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि हम वास्तव में पाकिस्तान को अपने शांति पूर्व इरादों का विश्वास दिलाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान को शस्त्र सप्लाई करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं तो यही कहता हूँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम ऐसी कितनी ही बातें कर सकते हैं।

महोदय जहांतक न्यूक्लीय टेक्नालाजी का संबंध है, हमारे पास न्यूक्लीय टेक्नालाजी का काफी ज्ञान पहले ही से है। इस दिशा में विकास का सिलसिला जारी रहना चाहिय। हां, यह सरकार पर निर्भर करता है कि, बम बनायें जाय या नहीं फिलहाल तो मैं इसके विरुद्ध हूँ। कई कारण ऐसे हैं कि जिनकी वजह से इसके परिणामों के बारे में बताया जाना जरूरी है। किंतु मेरे पर जो सीमित समय है, उसमें यह सब बताना संभव नहीं है। मेरा पक्का विश्वास है कि हमारे देश को जोकि स्वतंत्रता के 32 वर्ष बाद भी अभी आर्थिक, औद्योगिक, व्यापारिक तथा वाणिज्यिक तथा विदेशी सहायता की दृष्टि से खराब हालत में है और अन्य देशों तथा बडी शक्तियों तथा पश्चिमी देशों पर आश्रित है, बम विकसित करने की बात करते समय ऐसी हल्की बात नहीं कहनी चाहियें। जब हम इन चीजों में आत्मनिर्भर हो जायें तब हम इनके बारे में सोच सकते हैं अन्यथा इसके परिणाम भयंकर होंगें।

महोदय, मैं एक या दो विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। 1962 में युद्ध का धक्का लगने के 18 वर्ष बाद हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। इस अनुभव के बाद ही हमने रक्षा आयोजना—पंचवर्षीय रक्षा योजनाएं शुरु की तथा उसके बाद निरन्तर चलनेवाली रक्षा योजनाओं की प्रणाली पहली बार अपनाई गई। इसमें आधुनिकीकरण तथा विशेष प्रशिक्षण, और आगे विकास, आत्म-निर्भरता तथा स्वीकृत युद्ध तकनीकों (कौशल)—जिसकी उन बुरे दिनों में बहुत ही जरूरत महसूस की गई थी—की ओर जोर दिया गया।

मुझे पता नहीं कि यह योजना अब किस अवस्था में है। इस बारे में कुछ बतलाया जाये तब तो पता चले। यह रिपोर्ट जो हमें हर वर्ष दी जाती है उसमें कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन के अलावा हर साल वही चीजें होती है। उसमें हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। मैं समझता हूं कि हमारी संसद् विश्व के उन चन्द संसदो में से है जहां संसदीय प्रणाली तो है किन्तु संसद सदस्यों को देश की रक्षा संस्थापनाओं तथा रक्षा ढांचे और स्थिति संबंधी वास्तविकताओं से बेखबर रखा जाता है।

मुझे ज्ञात हुआ है कि ग्रेट ब्रिटेन में उन्होंने जनता द्वारा भारी विरोध किये जाने पर भी कुछ अमरीकी मिसाइलों के लिए अनुज्ञा दी है। उन्होंने घोषणा की है कि 160 यू० एस० न्यूक्लियर "क्रूज" मिसाइलें ग्लैंड में रखी जाएंगी। 17 जून को हाउस ऑफ कामन्स में बोलते हुए ब्रिटिश रक्षा सचिव श्री फ्रांसिस पइम ने ग्रेट ब्रिटेन के वे निश्चित स्थान भी बताए हैं जहां मिसाइलें अवस्थापित की जाएंगी। उन्होंने कुछ भी नही छिपाया है। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि दो बहुत कम जाने-पहचाने हवाई अड्डे—मैं एक समाचार-पत्र से यह उद्धृत कर रहा हूं—लन्दन के उत्तर में 97 कि० मी० दूर स्थित मोल्सवर्थ और लन्दन के पूर्व में 97 कि०मी० दूर स्थित ग्रीन्हम कॉमन वे दो स्थान हैं जहां ये मिसाइल, अत्यन्त गुप्त मिसाइल, ब्रिटेन में रखी जानी हैं। आप जानते ही हैं कि जिस स्थान पर मिसाइल रखी जाती है वह स्थान भी किसी से शत्रता होने पर या युद्ध में शत्रु का लक्ष्य बन जाता है। ब्रिटिश लोग इस बात को निश्चित रूप से समझते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो शत्रु का निशाना सर्वप्रथम उन्हीं स्थानों पर होगा। परन्तु फिर भी वे ब्रिटिश संसद में जाकर यह नहीं कहते कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से हम आपको कुछ नहीं बता सकते। वे बहुत आगे पहुँच गए हैं। इसकी तुलना में हमें कुछ भी नहीं बताया जाता। भारतीय संसद् में रक्षा के संबंध में किसी लाभकारी बहस का होना लगभग असम्भव है क्योंकि यहाँ सरकार का दृष्टिकोण सारी बातों को गुप्त रखने का है। फिर भी, चीन के साथ युद्ध के बाद 1963 में पहला रक्षा बजट लगभग 867 करोड़ रुपये का था। अब 1980 में हमारा बजट बढ़कर 3600 करोड़ रुपये का हो गया है और हो सकता है यह 4000 करोड़ रुपये हो जाए। अतः यह मामला छोटा नहीं है। इस देश को बहुत भारी आर्थिक दबावों का, तेजी से बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का तथा बजट में भारी घाटों का और वित्तीय रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, जिनके बारे में वित्त मंत्री ही आपको बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में

जब कि हम इतनी भारी रकम खर्च कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यह सभा कम से कम इतनी आशा तो कर ही सकती है कि हमें इस सम्बन्ध में संतुष्ट करा दिया जाये कि यह धनराशि उचित ढंग से खर्च की जा रही है। जब कि देश रक्षा प्रयोजनों के लिए धनराशि के प्रावधान में वृद्धि करने में कमी नहीं हिचकता तो इस सभा को यह जानने का तो अधिकार है कि क्या यह भारी धनराशि उचित ढंग से खर्च की जा रही है, क्या यह उचित प्रयोजन के लिए खर्च की जा रही है, क्या लागत निर्धारण उचित ढंग से किया जा रहा है, और कहीं व्यर्थ खर्च तो नहीं किया जा रहा है। मुख्य बात यही है। मुझे लगता है कि आपको इसमें से बहुत कम जानकारी मिलेगी फिर भी यदि आप रक्षा लेखा-परीक्षा रिपोर्टों को प्रतिवर्ष पढ़े तो बहुत आश्चर्यजनक स्थिति का पता चलेगा। लेकिन रक्षा लेखा-परीक्षा रिपोर्टों का क्षेत्र बहुत सीमित है। उनमें आप देखेंगे कि व्यर्थ खर्च के कितने ही उदाहरण दिये गये हैं। इस के बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की 1978-79 की रिपोर्ट में इस संबंध में विस्तार से उल्लेख किया गया है कि हमने 1972 में जो प्रसिद्ध वायुयात परियोजना आरम्भ की थी उसका क्या हुआ। मुझे याद है कि मारुत वायुयान, मारुति नहीं मारुत--हम मारुत वायुयान बना रहे हैं--के लिए अपना मार्क-II इंजिन विकसित करने के लिए यह परियोजना शुरू की गई थी। नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि 1972 से 1979 तक कितनी अधिक धनराशि इस परियोजना पर खर्च की गई और आज इस परियोजना का वास्तव में परित्याग किया जा चुका है। श्री गाडगील ने देशी वायुयान-तकनीक के बारे में बात की है। मैं जानना चाहता हूं कि आज तक इस सभा को यह क्यों नहीं बताया गया कि मारुत के मार्क-II इंजन बनाने की इस परियोजना को क्यो छोड़ दिया गया और इसे वास्तव में क्यो समाप्त कर दिया गया। हम इसका विकास क्यों नहीं कर सकें? हम नैट विमान अपने ही देश में बना रहें हैं और कई वर्षों से हम मिग विमान अपने ही देश में बनाते रहे हैं। मैं समझता हूं कि वे सभी डिजाइन तथा ड्राइंग जो कोरापुट कारखाने में बनाये जाने वाले मिग-21 के अंतिम नट और बोल्ट तक के लिए आवश्यक हैं, वे हमारे सहयोगियों द्वारा दी गई हैं। हम जानते हैं कि ये सहयोगी कौन हैं। वे कुछ नहीं छिपाते। सारी तकनीकी जानकारी दी गई थी परन्तु चीन से युद्ध के 18 वर्ष बाद भी हम विदेशों से अधिकाधिक महंगे वायुयान खरीद रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इन्हें क्यों खरीदना आवश्यक है। हमें यह देखना चाहिए कि प्रक्रिया के रूप में हम इतने वर्ष पूर्व कहां थे और अब कहां है। इस उप-महाद्वीप के अपने पड़ोसी देशों की तुलना में हम औद्योगिक दृष्टि से हर तरह से अधिक विकसित हैं। हमारे लिए यह बहुत लाभप्रद है। हमारे पास इंजिनियर हैं, तकनीशियन हैं जो विश्व में किसी से भी कम नहीं हैं। हमारे यहां भारी उद्योग का आधार मौजूद है जबकि हमारे पड़ौसियों के पास नहीं है। फिर हर समय विदेश से महंगे उपकरण खरीदने के लिए निरन्तर खोज क्यों होती रहती है? क्या आप इस दौड़ में ठहर सकते हैं? नहीं ठहर सकेंगे। श्री गाडगील ने ठीक ही कहा है कि उपकरण इतनी जल्दी अप्रचलित हो जाते हैं, आधुनिक हथियारों में इतना परिवर्तन हो रहा है, उनकी लागत इतनी बढ़ रही है कि यदि आप इस दौड़ में बने रहना चाहें तो मैं नही जानता कि हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा वित्तीय ढांचा इसे कैसे संभाल सकेगा। यह असम्भव है। न केवल वियतनाम के लोगों ने बल्कि दूसरे लोगों ने भी यह दिखा दिया है कि अपने पास इतने महंगे और आधुनिकतम हथियार न होते हुए भी युद्ध में उचित प्रबंध किया जा सकता है और उसे जीता जा सकता है। ईरान का शाह जिसने अपने आपको हथियारों से इतना अधिक सज्जित कर लिया था--अमरीका ने टैंकों से लेकर विमान तक हरेक नवीनतम उपकरण जो भी वे दे सकते थे उसे दिल खोलकर दिया था--वह भी स्वयं को अपने ही हथियारहीन जनता से न बचा सका। जब वे उठ खड़े हुए और उन्होंने शाह को वहां नहीं चाहा तो उन्होंने उसे देश छोड़ने पर विवश कर दिया। तब उसके हथियारो को क्या हो गया था?

मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि हमारा रक्षा-व्यय हमारी क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। हमारे पास असीमित क्षमता नहीं है; हमें स्वयं को उन देशों के बराबर नहीं समझना चाहिए जो सैन्य-बल पर इतनी अधिक, अतिशय धनराशि खर्च कर सकते हैं। हम वह भी नहीं करना चाहते। जिस देश के बारे में हम प्रतिदिन कह रहे हैं कि यहां 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहें हैं उस देश के ऊपर यह बोझ कुचल देने वाला है जिसे दुर्भाग्यवश हमें झेलना होगा क्योंकि सभी तरफ से खतरा हमारे सामने है। परन्तु इस सभा को निश्चित रूप से यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि इस धन को उचित ढंग से खर्च किया जा रहा है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह हमारी रक्षा संरचना के स्टाफ-पैटर्न तथा कमांड-पैटर्न के बारे में है। जो रक्षा सेवा प्राक्कलन हमें दिये गये हैं उनमें मैंने देखा है कि, यदि आप उसे ध्यान से देखें तो, इनमें कुछ संकोचवश की गई ऐसी स्वीकृति निहित है कि कमांड-संरचना वह नहीं है जो होनी चाहिए। इसे दूसरे रूप में रखा गया है। रक्षा-सेवा प्राक्कलन के पृष्ठ 91 पर यह कहा गया है :

"यद्यपि रक्षा सेवाओं की तीनों शाखाएं--थल-सेना, नौ-सेना और वायु-सेना-- मंत्रालय के सामान्य नियंत्रण के अधीन है तथापि वे सामान्यतः सीधे अपने-अपने सेनाध्यक्षों के अधीन कार्य करती हैं ... ।"

पृष्ठ 92 पर कहा गया है :

"प्रत्येक सेना के सेनाध्यक्ष का अपने अधीन सेना पर पूर्ण कमांड है... । यह स्पष्ट है कि देश की रक्षा के लिए तीनों सेनाओं का संयुक्त कार्य होता है। अतः तीनों सेनाध्यक्षों की एक समिति का गठन किया जाता है ... ।"

और इस समिति की बैठक समय-समय पर होती रहती है।

मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि जब से हमने रक्षा संबंधी आयोजना शुरू की है तब से इतने वर्षों में हम जिधर आगे बढ़ रहे हैं, और हमें जिधर आगे बढ़ना चाहिए उस बारे में सबसे नवीनतम धारणा यह है, और इसके आधार पर हमारा खर्च भी कम हो सकता है, कि हमारा एक एकीकृत संयुक्त कमांड होना चाहिए। हम इस तरह ठीक से कार्य नहीं चला सकते कि थल-सेना अलग रहे, नौ-सेना तथा वायु-सेना स्वतंत्र हों और उनके ऊपर सेनाध्यक्षों की एक समिति हो जिसकी बैठक यदा-कदा होती रहे या जो कभी-कभी प्रधान-मंत्री के साथ बातचीत करती रहें। यह एक पुराना तरीका है जो हमें अंग्रेजों के जमाने से विरासत में मिला है। पता नहीं हम क्यों इससे चिपके हुए हैं। यहां यह स्वीकार किया जाता है कि और अधिक समन्वय आवश्यक है। श्री गाडगील आधुनिक युद्ध तथा आन्दोलनों से लिये जाने वाले सबकों की बात कर रहे थे। इस पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए और आधुनिक युद्ध की परिस्थितियों में एक संयुक्त कमांड की आवश्यकता है, न कि तीन अलग-अलग काम करने वाले एक दूसरे से स्वतंत्र विभागों की।

श्री गाडगील ने कहा था : नौ-सेना अपनी अलग वायु सेना रखना चाहती है और स्थल सेना को अपनी अलग वायु-सेना रखना चाहती है। इसका क्या अभिप्राय है? किस देश में इस समय इस प्रकार की व्यवस्था है? उनके यहां एकीकृत कमाण्ड है। मेरे ख्याल में यही उचित समय है जब हम पिछले तरीकों और विचारों को छोड़ कर समन्वित कमाण्ड के विचार को अपनाएं।

इस प्रकार मेरी राय में मंत्रालय का कार्य पैसे पर नियंत्रण रखना तथा कुछेक वस्तुओं जैसे प्रबंध और खरीद आदि की व्यवस्था करना होना चाहिए। मेरे ख्याल में इस प्रकार मंत्रालय का काफी विस्तार हो गया है, क्योंकि यह समझ में नहीं आता कि सैनिक सेवाओं को छोड़कर, गैर-सैनिक महत्व वाले इस भाग को क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्यों इसका दिनोंदिन अधिक विस्तार किया जा रहा है। वास्तव में तो अगर एकीकृत कमाण्ड की व्यवस्था कर दी जाये तो आप देखेंगे कि इसके छोटे और कार्य पर अधिक ध्यान देने वाले मंत्रालय से, जो काम एक से ज्यादा बार हो रहा है, उस काम के इस दोहराव को, काफी मात्रा में रोका जा सकता है ; तथा इस प्रकार व्यय में भी कमी की जा सकती है।

मैं इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बात कर सकता हूं; लेकिन समय नहीं है। मैं जगुआर के बारे में भी कुछ और जानना चाहता हूं। राज्य मंत्री ने समाचारपत्रों को कुछ अस्पष्ट प्रकार का बयान दिया है। कम से कम मुझे उसका ज्यादा अर्थ नजर नहीं आता।

उदाहरण के तौर पर मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रत्येक जगुआर की लागत 11 करोड़ रु० आएगी।

समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ है; ऐसा लगता है कि उन्हें इस प्रकार की बात कही गयी है। मंत्रालय द्वारा बताई गई बात के अनुसार, समाचारपत्रों में यह कहा गया है कि जगुआर के साथ-साथ, आगे भी कुछ सिलसिला जारी है तथा बहुप्रयोजनीय मिग-23 प्राप्त करने के लिए बातचीत जारी है।

मुझे नहीं पता इस में कितनी सच्चाई है। मंत्री महोदय को इस बारे में हमें बताना चाहिए। मुझे यह बताया गया है कि मिग-23 की लागत प्रति विमान 4.5 करोड़ रु० आएगी जब कि जगुआर की 11 करोड़ रु० होगी। यह हम क्या कर रहे हैं? क्या हम दोनों को ही खरीदने जा रहे हैं अथवा क्या केवल जगुआर को; अथवा क्या हमने जगुआर को ला कर रखने—श्री मोरारजी देसाई के जगुआर— का निर्णय ले लिया है—और अब मिग के लिए बात करने जा रहे हैं; वस्तुस्थिति क्या है? और क्या हमारे सभी पुराने किस्म के विमानों के स्थान पर विदेशों से नये आधुनिक विमान लाए जाने हैं? क्या अपनी प्रौद्योगिकी विकसित करने के स्थान पर प्रत्येक कैनबरा, प्रत्येक हंटर, प्रत्येक सुरवांइ और प्रत्येक नैट विमान के स्थान पर विदेशों से कोई अन्य महंगा विमान खरीदना है? मेरे ख्याल में वस्तुओं के बारे में सोचने का यह अनोखा ही ढंग है? इस की परिणति कहां होगी? एक अथवा दो वर्षों में हम इसका बोझ वहन करने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

हम हमेशा यह कहते आए हैं कि छोटे शस्त्रों के बारे में हम आत्म निर्भर हैं। मेरा विचार है कि टैंक तोड़ने वाला हथियार भी, जिसे कि पैदल सेना का सिपाही अपने कंधे पर रखकर चलाता है, एक छोटा शस्त्र है। हम तो उस को भी विकसित नहीं कर पाए हैं। उसे भी हम आजकल स्वीडन से खरीद रहे हैं। क्या हम इस टैंक तोड़ने वाले 84 मि०मी० कार्ल गस्टाव को अपने देश में नहीं बना सकते? मेरे ख्याल में हम बना सकते हैं। विजयन्त टैंक हमारे देश में कई सालों से बनाया जा रहा है। फिर भी, यदा-कदा हमें यह पढ़ने को मिलता है—महोदय, हम जो कुछ पढ़ते हैं, उसी पर हमें निर्भर करना पड़ता है, हमें कुछ भी नहीं बताया जाता—कि विदेशों से और ज्यादा आधुनिक एवं महंगे टैंक खरीदने जा रहे हैं।

अनुभव हमें बताता है कि न केवल निर्णायक महत्व केवल हथियारों का नहीं है, अपितु उस मनुष्य का है जो कि उसे चलाता है, उसके लिये कार्य करता है। अर्थात् वास्तविक महत्व है सैनिक का, रक्षा कारखाने के श्रमिक का, अन्य औद्योगिक श्रमिकों का, भूतपूर्व सैनिकों का, और उन किसानों का जिनके पुत्र मुख्यतया हमारे देश की सेना में भर्ती होते हैं। उनका मनोबल, उनकी एकता की भावना और उनकी देशभक्ति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

हमारी यह सेना, सदा से ही देश में राष्ट्रीय एकता का प्रतीक रही है। लेकिन अब, भारतीय सेना देश के विभिन्न भागों में जो कुछ हो रहा है, उसके परिणामस्वरूप काफी तनाव अनुभव कर रही है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था, दुर्भाग्य से, हमारी सेना को अधिकाधिक ऐसे आन्दोलनों से निपटना पड़ रहा है जो कि राष्ट्रीय एकता के विरोधी आन्दोलन हैं, जो कि विभाजनवादी आन्दोलन हैं, फूट डालने वाले आन्दोलन हैं, पृथकतावादी आन्दोलन हैं, और ऐसे आन्दोलन हैं जोकि इस भावना के एकदम विपरित हैं जिसके लिए भारतीय सशस्त्र सेना सर्वदा से लड़ती रही है। मेरे ख्याल में यह बात ठीक नहीं है, सेना के मनोबल के लिए भी यह ठीक नहीं है। अतः इन मसलों को जितनी जल्दी हम सुलझा सकें, हमें सुलझाना चाहिए और सैनिक उपायों के स्थान पर राजनैतिक उपाय ढूंढे जाएं तो ज्यादा अच्छा रहे जिससे कि हमारी सेना उसी काम पर यानी सीमाओं की रक्षा पर, वास्तव में ध्यान दे सके, जो कि उसे सौंपा गया है।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा: अभी मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है। यह तो एक उदाहरण है। मैं चाहता हूं कि सरकार इसकी जांच करे। मैं लागत कम किए जाने अथवा इस धन को जहां तक संभव हो अच्छे से अच्छे कार्य के लिए लगाने की बात कर रहा हूं; लेकिन मुझे बताया गया है कि कुछ काफी बड़े आदेश दिये गये है, कुछ करोड़ रुपयों के—105 मि०मी० वाली शेल फोर्जिंग इत्यादि के ये आदेश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को, जिन्होंने कम दरें उद्धृत की थी, कम मूल्य लगाये थे, देने के स्थान पर, निजी क्षेत्र की लुधियाना की किसी फर्म को दिये गये हैं। इस तथ्य के बावजूद कि सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों ने कम दरों पर सप्लाई करने के लिए कहा था, इस विशेष ठेकेदार के साथ पक्षपात किया गया है। महोदय, हो सकता है इसमें कुछ हेरा-फेरी की गई हो, और मेरे ख्याल में इस मामले की जांच की जानी चाहिए। यह इस प्रकार का मामला है, जिस पर बहुत कठोर नियंत्रण और कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है जिससे कि जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, वह बेकार न जाए।

श्री राजेश पायलट (भरतपुर) : सभापति महोदय, महोदय, मैं बहुत ही गौरव के साथ यह कह रहा हूं कि मैंने अपनी महान सशस्त्र सेनाओं में काम किया है । मैं काफी प्रसन्नता अनुभव करते हुए यह कह रहा हूं कि यहां एक ऐसी सरकार है, जो लाखों देशवासियों की इच्छा, बुद्धि और अभिलाषाओं का प्रतिनिधित्व करती है तथा उसका यह दृढ़ संकल्प है कि वह संसार में हमारी सशस्त्र सेनाओं को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी । यहां एक ऐसी सरकार है, जो इस बात को पूरी तरह समझती है कि हमारे सशस्त्र सैनिकों ने, जब भी आवश्यकता पड़ी, समय-समय पर, अपने कर्तव्य को, बखूबी निभाया, तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए निस्संकोच सब कुछ बलिदान कर दिया । यहां एक एसी सरकार है, जो इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि केवल मशीन ही नहीं, मशीन को चलाने वाले हाथ ज्यादा महत्वपूर्ण हैं ।

17.07 [श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए]

विशिष्टता और अति आधुनिक खोजों के इस युग में अक्सर होता यह है कि अभी हम एक 'पिछले कल' को आत्मसात भी नहीं कर पाते कि 'अगला कल' आ पहुंचता है, तथा नवीनतम हासिल करने के लिए जो खर्च किया जाता है, वह न केवल अपरिहार्य है अपितु बहुत ही आवश्यक है । इस संदर्भ में, हमारी सरकार के हाल ही में हमारी सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिय और नया साजसामान उपलब्ध कराए जाने के लिए जो विभिन्न कदम उठाए गए ह, उनका हम पूरी तरह समर्थन करते हैं ।

यद्यपि आधुनिकीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, परन्तु उससे ज्यादा नहीं तो, इतना ही महत्वपूर्ण है कार्मिक पहलू—मनोबल पक्ष पर ध्यान दिया जाना; यह वह पहलू है जो मानवीयता को सबसे ज्यादा महत्ता देता है । यहां भी, एक बार फिर, मैं सरकार द्वारा कार्य संभाले जाने के बाद तत्काल उठाए गए, अनेक उपायों का मैं स्वागत करता हूं । अधिकारियों और सिपाहियों, दोनों ही के पदोन्नतियों के अवसरों में सुधार से, तथा क्वार्टरो के बदल में मुआवजा दिए जाने के नियमों में ढील दिया जाने से, निस्सन्देह हमारी सशस्त्र सेना की जवानों की भलाई के लिए, सरकार की चिन्ता का पता चलता है ।

तथापि, हमें इस तथ्य को नकारना नहीं चाहिए कि दुर्भाग्य से युवकों का धीरे-धीरे सशस्त्र सेना को आजीविका के साधन के रूप में अपनाने के प्रति आकर्षण घटता जा रहा है । अब भी उनके पदोन्नति के अवसर अन्य क्षेत्रों क मुकाबले वास्तव में कम हैं। उन की रहने और काम करने की दशाएं भी ज्यादा कठिन हैं। असल में तो, जब कि कुछ साल पहले, सशस्त्र सेना की नौकरी, काफी आकर्षक थी, हाल के वर्षों में, यह स्थिति नहीं रही है ।

मैं, इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पहले ही, बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उन विशेष श्रेणियों के कार्मिकों के लिए, जो कि न केवल युद्ध क दिनों में, अपितु शान्ति काल में भी, हर रोज जोखिम और खतरों से जूझते हैं, अतिरिक्त प्रोत्साहनों का दिया जाना आवश्यक है । उदाहरण क तौर पर हमारे वायु कर्मीदल को अब तक जो कुछ दिया गया है, उन्हे उससे अधिक दिया जाना चाहिए । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि प्रायः दूसरे सभी देशों में, उड़ान भत्ते के रूप में जो राशि आमतौर पर दी जाती है, हमारे देश में वायु कर्मीदल को उससे कम ही दिया जाता है । अगर हम अपने ही देश के गैर-सैनिक पायलटों द्वारा प्राप्त की जाने वाली परिलब्धियों की तुलना करें तो हमारी वायु सेना को चलाने वाले वायु और स्थल कर्मी दल काफी नुकसान में रहते हैं। हमें इस अन्तर को कम करने के उपाय और साधनों का पता लगाना चाहिए ।

ईरान तथा अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं से पता चलता है कि हम कितनी सरलता से बड़ी शक्तियों की चालबाजियों का शिकार बन सकते हैं । ईरान के राजतन्त्र में तेजी से जो परिवर्तन हुआ जिसके कारण शाह को वहां से भागना पड़ा तथा उसके बाद की घटनाओं का कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सका था। यदि वह लगाया गया होता तो ईरान द्वारा अमरीकी नागरिकों को इतनी अधिक संख्या में बन्दी बनाया जाना सम्भव नहीं हो पाता । सैनिक दृष्टि से बाद में पाकिस्तान को पुनः हथियार दिया जाना, हमारे लिए अधिक चिन्ता का विषय है । इस क्षेत्र में बड़ी शक्तियों की कोशिशों के आधार पर हम संभावित शत्रुओं की बढ़ी हुई सामरिक शक्ति के कारण हमें अपने प्रति खतरे का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा ।

सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगातार होने वाले परिवर्तनों का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन करना ही आवश्यक नहीं है अपितु इस प्रकार के पूनर्मूल्यांकन के कारण अपनी योजनाओं तथा कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करना तथा उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना भी आवश्यक है । प्रशासनिक स्तर पर

अधिक स्वावलम्बन के झुकाव को रोकने के प्रति भी हमें अपनी नीति में व्यापक परिवर्तन करना चाहिए । इसके लिए कारगर समाधान होना चाहिए; हमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए । वस्तुतः इससे भी अधिक सुधार करने के प्रयास किये जाने चाहिए । हम सब यह जानते हैं कि अन्योन्याश्रयता से पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है तथा उससे ऐसा वातावरण पैदा होता है जिसमें वे अपनी समग्र कार्य-कुशलता में सुधार करने के लिये अपने को उसके अनुकूल बना सकते हैं । आधुनिक युद्ध तकनीक में सफल अभियानों के संचालन के लिए न केवल तीनो सेनाओं के बीच अत्यधिक सहयोग तथा समन्वय की आवश्यकता होती है अपितु देश के भीतर समस्त तत्वों तथा सरकार की अन्य एजेन्सियों एवं सेनाओं के बीच भी निकट सहयोग की आवश्यकता होती है । यहां मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान देने के प्रयासों की जनता द्वारा सराहना की गई है । हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड की, जहां हमारे हवाई जहाजों की मरम्मत की जाती है, कार्यक्षमता में सुधार हुआ है तथा हिन्दुस्तान एअरक्राफ्ट लिमिटेड में अब हम अपने हवाई जहाजों का निर्माण भी करते हैं । आयुध कारखानों ने भी राइफलों, कारबाईनों, मोटरगनों तथा सम्बन्धित छोटे हथियारों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है । इस दिशा में हम एक कदम और बढ़ गये हैं; हमारे आयुध कारखानों ने विदेशों में परामर्शदल भी भेजे हैं ।

अपनी रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण क संबंध में माननीय रक्षा मंत्री के विचारार्थ मेरे कुछ सुझाव हैं। हमारी वायुसेना में लाइटर बाम्बर्स होने चाहिएं जिनमें ऐसे जहाज हों जिनकी बहुत अन्दर तक जाने की क्षमता हो और जिनकी कार्यवाही का क्षेत्र काफी विस्तृत हो । नये विमान खरीदन के समय इस बात पर विचार करना होगा । हमारे वर्तमान विमान जैसे हंटर्स, कैनबराज, आदि के स्थान पर नये विमान प्राप्त करने की आवश्यकता है । परिवहन हलीकाप्टरों के बारे में मेरे वरिष्ठ साथी श्री गाडगिल पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। डेकोटा विमानोंकी जगह पर, जो अभी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में काम करते हैं, अधिक भारवहन क्षमता तथा कार्यनिष्पादन क्षमतावाले विमान लाये जाने चाहिये । यहां मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि सशस्त्र सेनाओं की एक टुकड़ी को पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र में ले जा सके । जब तक हमारे पास सैनिकों को ढोने वाले हवाई जहाज नहीं होंगे, हमें इसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ेगा । हमें अब अधिक यात्रियों को ले जाने वाले हवाई जहाजों की संख्या को बढ़ाना ही होगा । यदि हमें अपनी सेनाओं को पश्चिम से पूर्व अथवा पूर्व से पश्चिम में ले जाने की आवश्यकता हो, तब हमें असफलता का सामना करना पड़ सकता है । मेरा सुझाव है कि कुछ और अधिक परिवहन स्क्वैड्रनों अथवा विमानों को अतिशीघ्र प्राप्त करना चाहिए । ऐसे हैलीकाप्टर, विमान जिनमें अधिक यात्री आ सकें और जो अधिक बोझ ढो सकें, प्राप्त करने पर विचार करना चाहिए ।

आज हमारे सामने अपनी संचार प्रणाली के आधुनिकीकरण की समस्या है । सेना में संचार प्रणाली का आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है । सीमावर्ती सड़कों संबंधी परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित करना होगा । मैं समझता हूं कि पूर्वोत्तर तथा पश्चिमी क्षेत्र की सीमावर्ती सड़कों पर कार्य समाप्त किया जा चुका है। इस परियोजना को गंभीरतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहि", श्री गाडगिल ने नौसेना के लिए पनडुब्बियों का उल्लेख पहले ही कर दिया है । मैं सिफारिश करता हूं कि सरकार उस पर अवश्य विचार करें ।

अब मैं शिक्षा सुविधाओं के संबंध में कुछ सुझाव दूंगा । जहां तक रक्षा-सेवा-कार्मिकों के बच्चों को शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रश्न है, इसके लिए सारे देश में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई है। परन्तु रक्षा-सेवा-कार्मिकों तथा स्थानों की संख्या को देखते हुए इन विद्यालयों की संख्या बहुत कम है । मैं इन तथ्यों का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इन स्थितियों से गुजर चुका हूं तथा मैं जिन वास्तविक समस्याओं का उल्लेख कर रहा हूं, अधिकतर रक्षा-सेवा कार्मिको को इनका सामना करना पड़ता है । शिक्षा सुविधाओं के संबंध में इन्हें सदैव कठिनाई होती है क्योंकि सभी स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय उपलब्ध नहीं हैं तथा कुछ मामलों में हमारे रक्षा-सेवा-कार्मिकों के बच्चों को विद्यालय में जाने के लिए 30 किलोमीटर से लेकर 40 किलोमीटर तक की दूरी प्रतिदिन तय करनी पड़ती है । अतएव, मेरा सुझाव है कि इस बारे में गंभीरता-पूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए ।

जैसा कि इनमें से एक पुस्तक में उल्लेख है, विवाहित सिपाहियों के लिए अभी तक केवल 35 प्रतिशत स्थानों पर आवास उपलब्ध हैं । यह प्रतिशत बहुत कम है । इसे बढ़ाकर कम-से-कम 50 प्रतिशत किया जाना चाहिए ।

[श्री राजेश पायलट]

आज रक्षा-सेवाओं में सेवा-कार्मिक को प्राप्त होने वाली पेंशन का 20 प्रतिशत ही परिवार-पेंशन के रूप में मिलता है, जो कि बहुत कम पेंशन है । यदि किसी सेवा-कार्मिक की युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो उसे कुछ अधिक पेंशन मिलती है । परन्तु वायुसेना के पाइलट के मामले में, जब उसकी एक वायु दुर्घटना में ड्यूटी पर मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी को उतनी पेंशन नहीं मिलती जितनी की उसके प्रति की युद्ध में मृत्यु होने पर उसे प्राप्त होती है । अतः मेरा सुझाव है कि परिवार पेंशन को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर उतना अधिक कर दिया जाए, जितना कि सरकार कर सकती है ।

हमने पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में सशस्त्र सेना के सैनिकों के लिए परिवार आवास पृथक कर दिये हैं, परन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। हमने इस परियोजना का कार्य प्रारम्भ तो किया है परन्तु मेरा सुझाव है कि और अधिक पृथक-परिवार आवासों के निर्माण की स्वीकृति दी जानी चाहिए, विशेषकर पूर्वोत्तर तथा पश्चिमी क्षेत्रों में ।

जब किसी नागरिक की विमान दुर्घटनाओं म मृत्यु हो जाती है, तो उसे दो लाख रुपये का मुआवजा मिलता है परन्तु जब कोई सैनिक वायुसेना की विमान दुर्घटना में मरता है, तो उसे केवल एक लाख रु० मिलता है । यह विषमता दूर की जानी चाहिए ।

पुनर्वास-सुविधाओं के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सिया जैसे गैस एजेन्सी, पैट्रोल पम्प एजेन्सी इत्यादि सेना के कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति के बाद दी जाती हैं। लेकिन धीरे-धीरे इसकी प्रतिशतता बहुत कम होती जा रही है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस प्रतिशतता में गिरावटको रोके । विशेषकर युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं तथा शांतिकाल में ड्यूटी पर मारे गए सैनिकों की विधवाओं को मिलने वाली पेंशन के अन्तर को दूर किया जाना चाहिए ।

नियमों तथा विनियमो को ध्यान में रखते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ताकि यदि कोई व्यक्ति यह महसूस करता है कि रक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्ति के बाद वह अच्छा व्यवसाय शुरु कर सकता है तो वह उसे प्रारम्भ कर सके ।

यदि सम्भव हो तो सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उस व्यक्ति की हैसियत—आफिसर अथवा अन्य रैंक--के मुताबिक, जबतक वे जीवित रहें, एक निःशुल्क पास के तौर पर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । मैं उन व्यक्तियों के लिए यह सुझाव नहीं दे रहा हूं जो कि दस साल या ऐसी कम अवधि के पश्चात् ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं । यदि किसी व्यक्ति ने पेंशन-योग्य नौकरी की है तथा उसके पश्चात् सेवा निवृत्त होता है तो उसे इस प्रकार की रियायत दी जानी चाहिए, जो कि उसे सेवा के दौरान प्राप्त होती है ।

मैं एक बार पुनः अपने देश की सशस्त्र सेनाओ के कर्मचारियों की, उनकी देश के प्रति समर्पण की भावनाओं से युक्त सेवाओं की सराहना करते हुए तथा हमारी प्रधान मंत्री के सुयोग्य मार्गदर्शन में रक्षा मंत्रालय जिस ढंग से हमारी सशस्त्र सेनाओं की समस्याओं को हल कर रहा है उसके लिए मैं सरकार की भी सराहना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझे पूरा विश्वास है कि सदन रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगो को स्वीकार करने में आपत्ति नहीं करेगा । यह राशि पिछले वर्ष मांगी गई राशि से कुछ ज्यादा है । बदली हुई परिस्थितियों तथा वस्तुओं कें मूल्यो में वृद्धि के कारण, मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदन ज्यादा राशि की अनुदानों की मांगों को स्वीकार कर लेगा । भारत एक शांतिप्रिय देश है—तथा इतिहास साक्षी है कि अन्य देशों के क्षेत्रों पर विजय पाने के लिए, अन्य लोंगो पर आधिपत्य जमाने तथा विश्व के कुछ हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने के लिए हमारी भारतीय सेनाओं ने कभी चढ़ाई नहीं की है । आज भी भारत सुख और शान्ति को महत्व देता है । भारत चाहता है कि विश्व के सभी भागों में सच्ची शांति तथा सुख होना चाहिए । हम किसी पर भी आक्रमण करने के लिए तैयारी नहीं कर रहे; हम विश्व के कुछ हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने अथवा किसी अन्य देश की भूमि को हड़पने के लिए तैयारी नहीं कर रहें । हम अपने देश की एकता, अखण्डता शान्ति की रक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तथा जो प्रणाली हमने अपने देश में शुरू की है, उसे बनाये रखना चाहते हैं। उसके लिए, हमारी अपनी रक्षा सेवाएं होनी चाहिए, हम शस्त्रों का निर्माण स्वयं करना चाहते है तथा अपनी नीति तैयार करना चाहते हैं ।

मेरा विचार है कि हमें विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा । आज विश्व के पास अणु बम हैं, न्युक्लीय बम हैं और सब कुछ है । सभी देशों ने इस बात को महसूस किया है कि यदि कोई विश्व युद्ध शुरु होता है तो इससे न केवल मानव जाति अपितु इससे स्वयं जीवन ही तहस-नहस हो जाएगा । अतः इस बात को महसस करते हुए, मैं समझता हूं कि इस विश्व में कोई विश्व युद्ध नहीं होगा । कम से कम निकट भविष्य में इस प्रकार के विश्व युद्ध का खतरा बहुत ही कम है । किंतु इस बारे में मैं विश्वस्त नहीं हूं कि दुनियां में हमें छोटे युद्धों का सामना नहीं करना पड़ेगा । केवल दूसरे देशों की भूमि को हड़पने के लिए ही छोटे युद्ध नहीं होंगे अपितु उस देश को नसीहत देने, उस देश के अभिमान को तोड़ने तथा उस देश द्वारा अपनाई गई राजनीतिक प्रणाली को तोड़ने फोड़ने के लिए भी ये छोटे युद्ध होंगे । यदि ऐसी बात होती है, तब विश्व में उन देशोंको, जो स्वतन्त्र रहना चाहते हैं, अपनी स्वयं रक्षा करनी होगी । मूझे ज्यादा विश्वास नहीं है कि हमें भी इस किस्म का युद्ध लड़ना पड़ सकता है । किन्तु 1947, 1962, 1965 तथा 1971 में हमें युद्ध करने पड़े । ये सभी युद्ध वास्तव में हम पर थोपे गए थे । इन युद्धों को न तो हमने शुरु ही किया था और न ही हमने इस किस्म का युद्ध शुरू करने की परिस्थितिया उत्पन्न कीं थीं । किंतु य परिस्थितियां अन्य देशों द्वारा उत्पन्न की गई थीं । हमें तो सिर्फ उन परिस्थितियों में फंसा दिया गया और हमें अपनी रक्षा करनी ही पड़ी थी ।

आज हमें उन परिस्थितियों पर विचार करना है जो विश्व के इस हिस्से में विद्यमान हैं और तब हमें अपनी रक्षा नीति तैयार करनी है । पाकिस्तान हमारा निकटतम पड़ौसी देश है । पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कल ही हमारे देश का दौरा किया है । हम चाहते हैं कि पाकिस्तान समृद्ध हो, हम दो देशो के बीच मैत्री के बंधन सुदृढ़ हों । विगत काल में पाकिस्तान यह कहता रहा है कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करता । पाकिस्तान ने हमारी कुछ भूमि हड़प ली । अपने उदय के समय से ही पाकिस्तान विभिन्न देशों से हथियार खरीदता रहा है । अब पाकिस्तान परमाणु बम का निर्माण करने की तैयारी कर रहा है । अपनी रक्षा-नीति तैयार करते समय हम इस तथ्य को भूल नहीं सकते ।

चीन हमारा दूसरा पड़ौसी देश है । यह एक बहुत बड़ा तथा विशाल देश है । इसकी जनसंख्या काफी विशाल है । हमारी काफी लम्बी सीमायें चीन से मिलती है । चीन उस दर्शन में विश्वास रखता है, जो अनेक लोगो को स्वीकार नहीं हो सकता । चीन का कहना है कि युद्ध अपरिहार्य है जब तक युद्ध नहीं होता, तब तक हम संसार में एक नई प्रणाली का सृजन करने में समर्थ न होंगे । उनका कहना है कि तीसरे विश्व युद्ध से मानवता का नाश नहीं होगा किंतु कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक नये ढंग से संसार की रचना कर सकें । जब इस प्रकार का पड़ौसी यहां मौजूद है, तो हमें इस बात पर विचार करना होगा कि हमारे देश में युद्ध सम्बन्धी तैयारी कितनी है । दिएगो गार्सिया में सैनिक अड्डा बन चुका है, महाशक्ति वहां से तटवर्ती राज्यों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के प्रयास कर रही है ।

यह महाशक्ति महासागर पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रही है । महोदय, जैसा कि मैंने सदन में पहले भी बताया था कि समुद्र अधिक से अधिक महत्व पूर्ण होते जा रहे हैं । समुद्र से हमें क्या प्राप्त होता है ? इससे खाद्य सामग्री, कच्ची धातुएं (अयस्क), तेल, तथा अन्य मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती हैं तथा इन सबको उपयोग में लाया जाता है । समुद्र एक प्रकार से एक अक्षुण्ण भूमि है तथा लोग समुद्र को ज्यादा से ज्यादा महत्व दे रहे हैं । हमारा ध्यान उसकी ओर आकृष्ट हुआ है । इसलिए महाशक्ति इस समुद्र तथा समुद्री मार्ग पर भी नियंत्रण करना चाहती है तथा मैं नहीं जानता कि किस समय यह स्थिति विनाशकारी स्वरूप में बदल जाए, हमें किसी भी समय अपनी रक्षा करने की आवश्यकता पड़ सकती है । हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र भी काफी लम्बा है और हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी रक्षा करें । अतः मेरे विचार से, यदि हम अपने देश की एकता तथा उस प्रणाली को जो हमने अपनाई है, की रक्षा करना चाहते हैं, तो हमें हिमालय तथा समुद्री क्षेत्र में खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा । हमें हिमालय क्षेत्र तथा समुद्र की तरफ से भी किसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा । प्रश्न यह है कि उसके लिए क्या हम तैयार हैं । मुझे दी गई जानकारी के अनुसार हम इसके लिए तैयार हैं । निस्संदेह, हम यह कहते रहे हैं कि जल सेना की ओर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें जलसेना का विकास करना चाहिए । मेरी भी यही राय है ।

[श्री शिवराज वी० पाटील]

अब लड़ाइयां उतनी थल पर नहीं लड़ी जाएंगी-जितनी समुद्र या आकाश अथवा अन्तरिक्ष में लड़ी जाएंगी इसलिए हमें समुद्र में होने वाली लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। हम अपने देश में स्थल सेना, जल सेना और वायु सेना पर ध्यान दे रहे हैं। परन्तु मेरे विचार में हमें स्थल सेना से अधिक जल सेना पर बल देना चाहिए। इन तीनो सेनाओं का संतुलन इस समय ठीक हो सकता है परन्तु हमें जल-सेना पर अधिक बल देना होगा और हमें वायु सेना पर भी अधिक बल देना होगा। वर्तमान परिस्थितियो को देखते हुए, हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। परन्तु हम आने वाले 20 वर्षों की योजना बना रहे हैं, हम एक वर्ष, पांच वर्ष या दस वर्षों की योजना नहीं बना रहे हैं और इसलिए हमें देखना होगा कि लड़ाइयां कहां लड़ी जाएंगी कैसे लड़ी जाएंगी और रक्षा का कौन सा स्कंध अधिक मजबूत बनाना होगा। मेरे विचार में भविष्य में हमें जल-सेना और वायु सेनाको अधिक महत्व देना होगा। फिलहाल जो हम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, वह गलत नहीं है, परन्तु भविष्य में जल-सेना और वायु-सेना को अधिक महत्व देना होगा।

महोदय, निश्चित रूप से जो हथियार हम बना रहे हैं वे अच्छे हैं। परन्तु यदि हम आत्म-निर्भर होना चाहते हैं तो मेरे विचार में हमें अनुसंधान और वैज्ञानिक जानकारी के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। हमारे देश की प्रत्येक समस्या का यही हल है। हमारे देश की ग़रीबी की समस्या और रक्षा की समस्या का यही हल है। इसलिए, वैज्ञानिक विकास और अनुसंधान पर अधिक बल देना चाहिए। मैं विस्तार में नहीं जाउंगा, मैं आयुध कारखाने और सरकारी क्षेत्र के कारखानो के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। यह हल सबसे महत्वपूर्ण है। यदि हम आत्म-निर्भर होना चाहते हैं तो आवश्यक है कि हम अधिक धन खर्च करके, अधिक प्रतिभाशाली लोगो को इस काम में लगा कर अनुसंधान करना चाहिए। रक्षा के इस पहलू पर ध्यान देकर और उसमें सफल होने पर, मेरे विचार में हम अपनी रक्षा बेहतर ढंग से कर पाएंगे, हम अपनी सेना को अच्छी तरह लैस कर पाएंगे।

महोदय, सभा में कहा गया और मैं उससे सहमत हूँ कि हथियार महत्वपूर्ण होते हैं, मशीन महत्वपूर्ण होती है, परन्तु मशीन से अधिक सैनिक महत्वपूर्ण होता है—सैनिक जो मशीन को चलाता है, सैनिक जो मशीन का उपयोग करता है। यदि हाथ मजबूत नहीं है और दिल और दिमाग साथ नहीं देते, यदि हाथ, हृदय और आत्मा में दृढ़ता और जोश नहीं है तो उपलब्ध हथियारो का उपयोग नहीं किया जा सकता। हम मजबूत हाथ, मजबूत दिल और मजबूत आत्मा को बनाने के लिए क्या प्रयत्न कर रहे हैं? हमारे सामने यही प्रश्न है। यह केवल रक्षा मंत्रालय की परिधि में नहीं आता। केवल रक्षा मंत्रालय ही इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, संभवत: केवल सरकार भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। जब तक कि हम भी इसमें भाग नहीं लेते, हमारे देश का रक्षा बल सुदृढ़ नहीं हो सकता।

प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में हमारे जवान लड़ चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद अपनी भूमि पर भी उन्होने चार-पांच लड़ाइयां लड़ी हैं और इन सभी लड़ाइयो में उन्होने अपने साहस का परिचय दिया है। दुनिया भर के लोगो ने उनकी प्रशंसा की है। वे बहुत मजबूत हैं और वे किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। उन्हें आक्रमण करने और आत्म-रक्षा करने के दांव पेच आते हैं, वे सभी प्रकार के खतरो का सामना कर सकते हैं। परन्तु यदि आप उनकी इस क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जब वे सीमा पर हो, जब वे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हो तो उन्हें अधिक सुविधाएं दी जाएं। केवल इतना ही नहीं बल्कि वे इस चिन्ता से मुक्त रहें कि उनके सम्बन्धियो की देखभाल ठीक प्रकार नहीं हो रही है। उन्हें अपने भविष्य की भी, चिन्ता नहीं होनी चाहिए, कि यदि उनका अंग-भंग हो गया तो क्या होगा। उन्हें इस प्रकार की चिन्ता नहीं होनी चाहिए। यदि हम कोई ऐसी व्यवस्था खोजें जिससे उन्हें यह विश्वास प्राप्त हो सके कि हर हालत में उनकी रक्षा की जाएगी, तो मैं सोचता हूँ कि उनका मनोबल बना रहेगा और वे किसी प्रकार के शत्रु का सामना करने का हौसला रखेंगे। अब भी वे ऐसा ही कर रहे है और बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। केवल हम ही उनकी प्रशंसा नहीं करते बल्कि पूरी दुनिया के लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु यदि हम उन्हें मजबूत, अधिक कुशल, और अधिक सक्षम बनाना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था खोजना आवश्यक है।

इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि उन्हें महसूस हो कि वे किसी उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। यदि उन्हें महसूस होगा कि वे किसी उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं तो वे अपने को मजबूत महसूस करेंगे। यह उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य केवल हमारा देश है क्योंकि यदि हम अपने देश की सीमाओं को महत्व देंगे तो हो सकता है कि हम कुछ लड़ाइयां जीत लें, परन्तु हम अपने विश्व को आण्विक विध्वंस से नहीं बचा सकते। उन्हें इस बारे में जागरूक कराना होगा कि वे अपने देश के साथ-साथ मानवता के लिए लड़ रहे हैं। यदि उनके भीतर ऐसी भावना पैदा की जाए, यदि उन्हें महसूस हो कि वे एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था बनाने के लिए ग़रीबों के लिए लड़ रहे हैं, यदि उनके मन में ऐसी भावना बिठाई जा सके तो उनका मनोबल बहुत ऊंचा उठ सकेगा और हमारा देश अपराजेय बन जाएगा।

मेरे माननीय मित्र श्री भगत कह रहे थे कि हमारे देश में एक बहुत महान नेता है और उस नेता के कारण हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारी रक्षा सेनाएं मजबूत हैं। इस कथन की यह आलोचना की गई कि एक व्यक्ति को देश की पूरी रक्षा सेवाओं के बराबर नहीं मानना चाहिए। मैं इस प्रकार के तर्क पर बहस नहीं करता क्योंकि मशीनों और उपकरणों के होते हुए भी एक सही नेता की अनुपस्थिति में रक्षा सेवाएं असहाय रहेंगी। एक सही नेता होने पर ही सेना ठीक से काम कर सकती है। लोगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी शरण में वे विश्वस्त और सुरक्षित महसूस कर सकें। निस्संदेह, देश की शक्ति जनशक्ति है, आर्थिक व्यवस्था की शक्ति है और देश में निहित आध्यात्मिक शक्ति है। परन्तु यदि इन शक्तियों को सूत्रबद्ध करने वाला कोई एक आधार नहीं होगा तो हमें अपने देश की रक्षा करना और हमारा मजबूत बनना संभव नहीं होगा। मेरे विचार में हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी में उस तरह के नेता के गुण मौजूद हैं। वे ऐसा केन्द्रबिन्दु हैं जहां लोगों का विश्वास आश्रय पा सकता है, जिनपर सेना विश्वास कर सकती है, जिनपर देश के बाहर रहने वाले लोग विश्वास कर सकते हैं। चूंकि हमारे यहां मजबूत लोगों की सेना है, चूंकि हम अच्छे हथियारों का उत्पादन कर रहे हैं और चूंकि श्रीमती इन्दिरा गांधी जैसी नेता हमारी प्रधान मंत्री है, इसलिए मैं सोचता हूं कि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। हम अपनी रक्षा कर सकते हैं; केवल इतना ही नहीं, हम ऐसी नीति और ऐसी विचारधारा विकसित कर सकते हैं जिसके द्वारा हम पूरे विश्व की रक्षा कर सकते हैं। हम अध्यात्मिक अर्थ में विश्व का नेतृत्व करना चाहते हैं, धार्मिक लोगों वाले आध्यात्मिक अर्थ में नहीं, परन्तु भिन्न अर्थ में, एक ऐसी व्यवस्था बनाने में जो विश्व की रक्षा करने के कार्य में सब लोगों की सहायता करे और ताप-नाभिकीय युद्ध से बचाव में सहायता करे, हम विश्व का नेतृत्व करना चाहेंगे, हम इस दिशा में कुछ विचारों का योगदान करना चाहेंगे और इस प्रकार हम विश्व की और अपनी रक्षा कर सकेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, वर्तमान गम्भीर आर्थिक संकट की स्थिति में भी हम देखते हैं कि सरकार का रक्षा पर अतिरिक्त 327 करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है। विकास से इतर व्यय के रूप में इसका भार जनता पर पड़ेगा। परन्तु प्रश्न यह है कि इस भार का कुछ लाभ भी होगा। इसका मूल्यांकन करने के लिए हमें बजट से जाहिर होने वाली विदेशी नीति को देखना होगा। आज भी हमारे सामने उपनिवेशवाद को समाप्त करने और राष्ट्रीय आत्म-रक्षा की समस्या बनी हुई है। हमारा प्राथमिक कार्य अपनी सीमाओं को दुरुस्त करना है जिसे ब्रिटिश उपनिवेशवादी शक्तियों ने जानबूझकर ठीक नहीं किया था। इसका कारण साम्प्रदायिकता और एक-पक्षीय सीमा-समझौता था जिसकी हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और अब भी पड़ोसी देशों से हमारे सम्बन्ध अच्छे नहीं है। यही कारण है कि हमें स्थायी रूप से बहुत बड़ी सेना रखनी पड़ती है जिस पर बहुत व्यय होता है और स्वाभाविक है कि इसी वजह से हम विकास सम्बन्धी कार्य शुरू नहीं कर पाते। गुट-निरपेक्ष नीति का निष्ठापूर्वक पालन करके, साम्राज्यवादी शक्तियों के निरन्तर विरोध द्वारा, दोनों गुटों से बना कर रखने वाली बर्जुआ वर्ग और भूपति वर्ग की नीति के स्थान पर समाजवादी गुट के साथ मैत्री बढ़ाकर और केवल एक स्वतंत्र नीति अपनाकर ही हम अपनी सीमाओं पर शांति बनाए रख सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास पर अधिक ध्यान दें सकते है और इस प्रकार अपनी रक्षा-सामर्थ्य बढ़ा सकते है।

ब्रिटिश उपनिवेशवाद की बपौती के रूप में हमारी रक्षा व्यवस्था में बहुत गहरी दरारें मिली हैं और हम अब भी उन्हें बनाए हुए हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

क्या हम साम्राज्यवादी चुनौती के बारे में गंभीरतापूर्वक सोच रहे हैं? उदाहरण के लिए हिन्द महासागर में अमरीका की बढ़ती हुई उपस्थिति, विशेषत: दियागो गार्शिया में उनके सबल आधार को लीजिए। अमरीका का ईरान पर हमला, मध्य-पूर्व के देशों और विशेष रूप से हमारे उत्तरपूर्वी प्रदेश में साम्प्रदायिक और अलगाव की लड़ाई भड़काने वाली बात को देखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि नौसेना की निगरानी बढ़ाई जाए। हमें बहुत बड़े समुद्र तट की रक्षा करनी है।

क्या बजट से यह जाहिर होता है कि इसको प्राथमिकता दी जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। यद्यपि नौसेना बजट पूरे बजट का 5 प्रतिशत ही है, तब भी पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें केवल 4 करोड़ रुपये की ही वृद्धि की गई है, जब कि स्थल सेना का बजट 190 करोड़ रुपये बढ़ाया गया है, और वायु सेना का बजट 34 करोड़ रूपये बढ़ाया गया है। इस प्रकार हमारे सेना के ढांचे का जो अंग, पहले से ही कमजोर है इसे बढ़ते हुए साम्राज्यवादी खतरे के बीच और भी अधिक कमजोर किया जा रहा है।

स्पष्ट है कि यह सरकार इस खतरे को गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रही है, जैसा कि हाल ही में अमरिका से किए गए शस्त्र समझौते से जाहिर है जिसके बारे में 21 जून के 'दि हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें, पुरानी मिसाइलों की बिक्री का ब्यौरा दिया गया है जोकि हमारे पड़ोसियों को भी बेचें

[श्री हन्नान मोल्लाह]

गये है, जिसके कारण स्पष्ट हैं। ऐसा उस समय हो रहा है जब कि तारापुर रिएक्टर के लिए इंधन की सप्लाई के बारे में ब्लैकमेल किया जा रहा है जिसे कि बुद्धिमत्तापूर्व निर्णय नही कहा जा सकता। समाजवादी और साम्राज्यवादी ताकतों के बीच रह कर खेलने का यह तरीका बुर्जुआ सरकार को पसंद आ सकता है। परन्तु इससे हमारी रक्षा की क्षमता में गंभीर अन्तर आ जाता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा ही रहा तो जरूरत पड़ने पर अपनी प्रभूसत्ता की रक्षा करने में हमें अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अमरीकी साम्राज्यवादियों द्वारा यह सैन्य ब्लैकमेल करना नया नहीं है। उपमहाद्वीप पर लड़ी गई लड़ाइयों का इतिहास इस बात का पर्याप्त प्रमाण है।

एसा प्रतीत होता है कि सरकार भारतीय नागरिकों की आत्मरक्षा की क्षमता पर भी अधिक भरोसा नहीं करती है। इतनी ही बात नहीं है कि रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए आबटित धनराशि पूरे बजट के दो प्रतिशत से भी कम है, वरन् एक अन्य बात भी है जिस पर विश्वास करने के कारण है कि भारतीय रक्षा उत्पादन विदेशी निर्भरता के समक्ष कम होता जा रहा है, जैसा कि इस बात से स्पष्ट है कि आयुध कारखानों और रक्षा उत्पादन से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों में लगे श्रमिकों की संख्या पिछले वर्ष के मुकाबले 10,000 कम हो गई है। 10,000 श्रमिकों की कमी क्यो की गई ? इसके अलावा, कलकत्ता स्थित अलीपुर आयुध डिपो, जो कि 1765 में स्थापित किया गया सेना आयुध कोर का सबसे पुराना संगठन है, के 600 कर्मचारी पिछले महीने लिये गये उस डिपो को बन्द करने के निर्णय से बहुत बुरी तरह प्रभावित होंगे। स्वदेशी वस्तुओं के विकास के बावजूद भी हम साम्राज्यवादियों के साथ व्यापार कर रहे है। रक्षा मंत्रालय के क्रपादेशों के कारण निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है। विशेष कर, सैनिक इंजीनियरी सेवा में तो ठेकेदार खूब लूट मचाते रहे हैं।

हमारे आयुध कारखानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। हम अपने संसाधनों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों का पूरा उपयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम विदेशों पर निर्भर कर रहे हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए यह अत्यावश्यक है कि रक्षा संबंधी राजाध्यक्ष समिति की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जाए और उसकी सिफारिशों पर विचार करके उन्हें लागू किया जाए।

अब मैं अपने सैनिकों का, जो कि हमारे देश के वास्तविक रक्षक हैं, मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ कहना चाहूंगा। उनको अपना हक मिलना चाहिए। वह हमारे देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। हमें उन पर गर्व है। परन्तु उनके राजनैतिक अधिकार, जैसे अपनी इच्छा का कोई भी समाचार-पत्र पढ़ना और गुप्त मत देने का अधिकार, उन्हें नहीं दिए जाते हैं जबकि उनके अधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त हैं। आप कैसे उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं ?

इसके साथ ही हमारे समाज में प्रचलित असमानताएं हमारी सेना, हमारे रक्षाके ढांचे में और भी अधिक हैं। कार्य करने के घंटों, चिकित्सा व आवास की सुविधा देने, और युद्ध-विधवाओं, जिनकी दशा दयनीय है, आदि के संबंध में हमारे जवानों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों के घरो में जवानों का नौकरों की तरह उपयोग किया जाना भी कलह का बीज है। इससे सैनिकों का मनोबल कभी भी नही बढ़ सकता। क्या हम सैनिकों से युद्ध के तनावों को सहने की आशा कर सकते हैं जबकि सेना में इस कदर असमानताएं व्याप्त हैं ? सेनाध्यक्ष को प्रति वर्ष 6,600 रूपये, अर्थात 550 रूपये प्रतिमाह मनोरंजन भत्ता मिलता है, जबकि एक प्रशिक्षित सिपाही को वेतन केवल 265 रूपये प्रति माह मिलता है; नए भर्ती हुए को केवल 175 रूपये, और एक बॉय को कुल 50 रूपये मिलते हैं। क्या इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ सकता है ?

अब भूतपूर्व सैनिकों की ही दशा को देखिए। 60,000 भूतपूर्व सैनिकों में से प्रति वर्ष केवल 10,000 से 15,000 को ही नौकरी मिल पाती है। सीमा पर लड़ रहे जवानों के मनोबल पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जब वह यह जानते हैं कि सेना से निकलने के बाद, वह बेरोजगार हो जाएंगे। इस लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

असैनिक लोगों जैसे कि सीमा सड़क संगठन के व्यक्तियों के लोकतंत्रीय अधिकारों को अभी तक मान्यता नहीं मिली है । एच०ए०एल० बंगलोर के ऑफिसर्स ऐसोसिएशन को मान्यता प्रदान करने में सरकार को क्या आपत्ति है ? इस विषय में सभा को विश्वास में लेते हुए इसे सही सूचना दी जानी चाहिए । रक्षा उद्योग के लिए आवश्यक है कि औद्योगिक सम्बन्ध अच्छे होने चाहिए । करीब 3,20,000 रक्षा कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जा रहा है । क्यों ?

एक आयुध कारखाना बोर्ड का गठन किया गया है । परन्तु इस बोर्ड में श्रमिकों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है । उन्हें क्यो मौका नहीं दिया गया ? आखिरकार अच्छे औद्योगिक संबंध बने रहने चाहिए ।

सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि एक विशेष वेतनमान पर 15 वर्ष तक निरन्तर काम करने के उपरान्त श्रमिक को स्वत: पदोन्नति मिल जाएगी । परन्तु इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है ऐसी दशा है ।

सैनिक इंजीनियरी सेवा में ठेकेदारी पद्धति को खत्म कर दिया जाना चाहिए ।

रक्षा कर्मचारियों को श्रमिक संघ बनाने के अधिकार मिलने चाहिए । उनके उत्पीड़ित नेताओं को दोबारा नौकरी पर रखा जाना चाहिए ।

रक्षा कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार किया जाना चाहिए । बिना इसके रक्षा उद्योग में अच्छे संबंध स्थापित नहीं किए जा सकते ।

रक्षा उत्पादन के लगभग 20 करोड़ रूपये के आर्डर लुधियाना के एक ठेकेदार को दिए गए हैं । वे निजी क्षेत्र को दिए गए हैं । यहां कुछ गडबड़ है । एक अवर सचिव भी इसमें सम्मिलित हैं । उस की जांच की जानी चाहिए । सभा को सूचित किया जाना चाहिए और जांच की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए । रक्षा उद्योग में लगी सार्वजनिक पूंजी का वह क्या कर रहे हैं ? यह सब हो रहा है । हमें विश्वास नहीं है कि वे यह सब कर पाएंगे ।

बजट में ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि वह देश की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगी । इसमें अभी भी उसी व्यवस्था पर बल दिया गया है जिसके अन्तर्गत कि देश की रक्षा का दायित्व थल सेनाओं को दिया जाता है । यह नीति पुरानी हो चुकी है तथा खर्चीली और बेकार है । इस नीति से बेइमान शस्त्र व्यापारियों को लाभ होता है । ऐसी नीति से जनता की रक्षा नहीं की जा सकती, जब तक कि इसमें मूलभूत परिवर्तन न किया जाए, जिसकी आशा करना बेकार है ।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालंधर) : मैं रक्षा बजट का समर्थन करता हूं । मेरे विचार से अनुदानों की इन छः मांगों को भलीभांति बांटा गया है, और उसका सही ढंग से हिसाब लगाया गया है ।

महोदय, यह विषय अत्यंत जटिल विषय है और किसी भी देश के लिए अवश्यमेव महत्वपूर्ण विषय है और इसीलिए इस विषय पर निष्पक्ष भाव से, ठंडे दिमाग से विचार किया जाना चाहिए, मैंने इसे जटिल विषय बताया है । मैं इसे कुछ मिनटों में स्पष्ट करना चाहता हूं और तब मैं इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा ।

हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हमारी सशस्त्र सेनाओं को और सुदृढ़ बनाना होगा, ताकि वे हमारी सीमाओं की और जोरदार तरीके से रक्षा कर सकें । इस संबंध में धन की कमी एक बड़ी समस्या है । रक्षा आवश्यकताओं और उस पर होने वाले व्यय के संदर्भ में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि नये प्रकार के उपकरणों के निरन्तर अविष्कार से व्यय बढ़ता जाता है और पुराने किस्म के शस्त्रों और उपकरणों का उपयोग बंद करना आवश्यक हो जाता है । इससे सरकारी कोष पर भार बढ़ जाता है । जब हम देश में विद्यमान और उसको चारों ओर विद्यमान स्थिति को देखते हैं तो हमारी समस्या तब और जटिल हो जाती है ।

संयोग से हमारे चारों ओर कुछ महत्वाकांक्षी पड़ौसी हैं जिनके स्वभाव के बारे में हमें काफी उन्मुख अनुभव है । वर्ष 1947 से 1971 तक कई भारत-पाक युद्ध हुए और बार-बार दिक्कतें आई हैं । हमारे एक पड़ोसी पाकिस्तान ने तो अपनी सैन्य-शक्ति और बढ़ा ली है । मेरे विचार से वह 1971 से भी

[श्री आर० ए० स्पैरो]

अधिक मजबूत हो गया है । अमरीका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने जैसा कि आपको याद होगा, पुराने प्रतिबंध को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार पाकिस्तान को शस्त्र देना मना था; और ऐसा उन्होंने दिसंबर, 1979 में अफगानिस्तान में हुई घटना के तुरन्त बाद किया । और उन्होंने वायदा किया कि वह उन्हें 15 करोड़ डॉलर के शस्त्र प्रदान करेंगे, केवल यही नहीं वरन जैसे-जैसे अवसर मिले उसे 40 करोड़ डॉलर की और अधिक और शस्त्र संबंधी सहायता दी गयी, इसके अलावा हमने पढा है और हम जानते हैं कि कुछ यूरोपीय मित्र राष्ट्र किसी न किसी रूप में पाकिस्तान को सहायता करने के लिए तैयार हैं, और तनाव-शैथिल्य चाहने वाला चीन तो हमेशा ही मदद करने को तैयार रहता है । इस संदर्भ में मैं अमरीका के राष्ट्रपति श्री जिमी कार्टर से प्रश्न करना चाहता हूं, कि किस उद्देश्य से वे पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहते हैं ? यदि पाकिस्तान शक्ति-संपन्न होगा तो वह किस ओर आक्रमण करेगा ? क्या वह अफगानिस्तान के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ? या भारत के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो फिर किसके खिलाफ करेगा ? श्री आगा शाही यहां आए थे । समाचार-पत्रों के अनुसार हमें जो आशा थी उनमें से कुछ ही पूरी हुई हैं । इसके बार में हमें अभी और जानकारी प्राप्त करनी है । किन्तु मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा तो यह है कि जिया-उल-हक से कैसे बातचीत की जाए ।

एक माननीय सदस्य : मेरा ख्याल है कि शायद माइक में कुछ गड़बड़ हो गयी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप जरा आगे आ जाएं ।

श्री आर० एस० स्पैरो : मैं पाकिस्तान द्वारा एकत्र किए गए अस्त्र-शस्त्रों का जिक्र कर रहा था । पिछले इतिहास ने बार-बार यही दिखाया है कि जब भी अमरीका ने पाकिस्तान का मनोबल अस्त्र-शस्त्र देकर बढ़ाया है तभी उनका इस्तेमाल किसी न किसी रूप म भारतीय उप-महाद्वीप की शान्ति और स्थिरता भंग करने के लिये किया गया है । ऐसा ही होता रहा है । मैं यह पूछना चाहता हूं कि ..

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा चाहती है कि श्री स्पैरो आज ही भाषण समाप्त कर दें ?

डा० कर्ण सिंह : मेरे विचार से वह पांच मिनटों में भाषण समाप्त कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वह भाषण जारी रखें ।

श्री आर० एस० स्पैरो : अध्यक्ष महोदय, देश में हमें जिस जटिल स्थिति और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसके अलावा मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष और समस्याएं भी प्रस्तूत करना चाहता हूं । इसीलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप किसी कारणवश अधिक समय नहीं दे पा रहे हों, तो मुझे कल प्रातः भाषण जारी रखने की अनुमति दी जाए ।

डा० कर्ण सिंह : जी हां, कल उन्हें भाषण जारी रखने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । सभा कल 11 बजे पुनः समवत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6.00 बजे म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार 18 जुलाई, 1980/27 आषाढ़, 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

भा०स०मु०ना०—371 लोकसभा (एन०डी०)/80—10-10-80—210